म माला, खंड 41, अंक 40

गुरुवार, 1 जून, 1995
11 ज्येष्ठ, 1917 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 41 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य: पचास रुपये

दिनांक 1 जून, 1995 के लोक सभा वादविवाद (हिन्दी संस्करण) का शुद्धि पत्र

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
(1)	4	पृष्ठ	कालम
(1)	9	8878	8278
116	6	श्रीमती शाली गौतम	श्रीमती शीला गौतम
130	7	श्री आर.अन्बारास	श्री आर.अन्बारासु
141	नीचे से 7	श्री राम सिंह प्रसाद सिंह	श्री राम प्रसाद सिंह
223	नीचे से 11	श्री मोहन रावेल	श्री मोहन रावले
225	नीचे से 5	सुन्दरलाल बहुगुणा द्वारा	श्री सुन्दरलाल बहुगुणा द्वारा
242	28	श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी	श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी
263	नीचे से 10	(उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)	(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)
291	नीचे से 4	श्री हन्नान मल्लाह	श्री हन्नान मौल्लाह
320	14	डा0 खूबीराम डुंगरामल जेस्वाणी	डा0 खूबीराम डुंगरामल जेस्वाणी

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

दशम माला, खंड 41, तेरहवां सत्र, 1995/1917 (शक)
अंक 40, 1 जून, 1995/11 ज्येष्ठ, 1917 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या :	801 – 803	1–21
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या :	804 – 820	21–48
अतारांकित प्रश्न संख्या :	8110 – 8878	48–225
श्री सुन्दर लाल बहुगुणा द्वारा टिहरी बांध के संबंध में अनशन करने के बारे में		225–229
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को पदोन्नति में आरक्षण दिये जाने के बारे में		229–244
सभा पटल पर रखे गये पत्र		244–253
राज्य सभा से संदेश		253
राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक - सभा पटल पर रखे गये।		253
वित्त संबंधी स्थायी समिति		
सोलहवां, सत्रहवां और		
अठारहवां प्रतिवेदन - प्रस्तुत		253
जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर (संशोधन) विधेयक - पुरःस्थापित		254
नियम 377 के अधीन मामले		255–257 और 261–265
(एक) तलचर में गुरु जल संयंत्र पुनः चलाये जाने की आवश्यकता		
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही		255–256
(दो) देशी रेशम उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाये जाने की आवश्यकता		
श्री के. एच. मुनियप्पा		256
(तीन) गुजरात के छोटा उदयपुर क्षेत्र में भारी उद्योग स्थापित किये जाने की आवश्यकता		
श्री एन. जे. राठवा		256–257
(चार) गुजरात में कच्छ सीमा से आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकने की आवश्यकता		
श्रीमती भावना चिखलिया		261
(पांच) उत्तर प्रदेश के बरेली में बेहतर दूरभाष सेवायें उपलब्ध किए जाने की आवश्यकता		
श्री संतोष कुमार गंगवार		262
(छह) उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में बेहतर रेल सुविधायें उपलब्ध किये जाने की आवश्यकता		
श्री राम पूजन पटेल		262

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

(सात) अन्तर्राष्ट्रीय सीमा में और उसके आसपास 10 किलोमीटर की पट्टी में आनेवाले अधिसूचित वन ग्रामों को बोडोलैण्ड परिषद् क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री सत्येन्दनाथ ब्रह्म चौधरी 262–263

(आठ) ईराक-कुवैत युद्ध के कारण प्रभावित भारतीयों के दावों को शीघ्र निपटाये जाने की आवश्यकता

श्री वी. एस. विजयराघवन 263

जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाये जाने संबंधी संकल्प 257–261

असम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा यथापारित 265

विचार करने के लिए प्रस्ताव 265–281

कुमारी शैलजा 265

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ 265–267

श्री विजय कृष्ण हान्डिक 267–268

श्री उद्धव बर्मन 268–270

श्रीमती गिरिजा देवी 270–272

श्री किरिप चलिहा 272–274

प्रो. रासा सिंह रावत 274–276

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह 276–277

श्री मोहन सिंह (देवरिया)

खंड 2 और 1

पारित करने के लिए प्रस्ताव 280–281

कुमारी शैलजा

दिल्ली किराया विधेयक

– राज्य सभा द्वारा यथापारित 281

विचार करने के लिए प्रस्ताव 281–304

श्रीमती शीला कौल 281–304

श्री कालका दास 284–289

श्री हन्नान मोल्लाह 289–293

श्री मोहन सिंह (देवरिया) 293–296

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही 296–299

श्री सैयद शहाबुद्दीन 299–303

श्री गिरधारी लाल भार्गव 303–304

आधे घंटे की चर्चा

अप्रयुक्त विदेशी ऋण	304–320
श्री राम विलास पासवान	304–314
डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी	306–320
श्री संतोष कुमार गंगवार	308
प्रो० रासा सिंह रावत	309–320
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे	309–319
श्री मनमोहन सिंह	310–320

लोक सभा

गुरुवार, 1 जून, 1995/11 ज्येष्ठ, 1917 (शक)

लोक सभा 11 बजे म0पू0 पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

"आयल पूल अकाउण्ट" घाटा

***801. श्री सनत कुमार मंडल :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994–95 के दौरान "आयल पूल अकाउण्ट" शीर्ष के अन्तर्गत अनुमानतः कुल कितना घाटा हुआ;

(ख) "आयल पूल अकाउण्ट" में घाटे के क्या कारण हैं;

(ग) "आयल पूल अकाउण्ट" के संबंध में तेल समन्वय समिति की क्या भूमिका रही है; और

(घ) सरकार द्वारा "आयल पूल अकाउण्ट" के घाटे को रोकने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 31.3.1995 को संचयी आधार पर तेल पूल के चालू खाते में करीब 3800 करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान है।

(ख) ऐसी उम्मीद है कि दीर्घावधि में पूल खाते स्वयं संतुलित हो जाएंगे, यद्यपि कुछ अवधि के लिए कुछ असंतुलन हो सकता है। चूंकि उत्पादों की बिक्री से होने वाली वसूली इन पर उपगत लागतों को पूर्णरूपेण समाहित नहीं कर पायी अतः पूल खाते में कमी उत्पन्न हुई है।

(ग) विद्यमान मूल्य निर्धारण प्रक्रिया के अनुसार तेल समन्वय समिति पूल खाते का रख–रखाव करती है तथा इसका प्रशासन करती है।

(घ) तेल पूल खाते की स्थिति की आवधिक पुनरीक्षा की जाती है तथा सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

श्री सनत कुमार मंडल : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार की इस आशा कि 1994–95 के अन्त में तेल पूल का लेखा बिल्कुल संतुलित है, के विपरीत तेल पूल में 5000 करोड़ घाटा किन परिस्थितियों में हुआ। क्या मंत्री महोदय भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित 3800 करोड़ के घाटे अर्थात् तेल पूल लेखे में उद्योग के दावे और पेट्रोलियम उत्पादों में राजसहायता का ब्यौरा देंगे?

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं, 1988–89 तक तेल पूल का लेखा संतुलित था और वर्तमान स्थिति में जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा 1994–95 में कुल मिलाकर घाटा है। घाटा संचित है जोकि तेल कम्पनियों की ओर बकाया है। परन्तु जहां तक चालू लेखे 1994–95 का संबंध है, इसमें लगभग 1250 करोड़ रुपये फालतू होने का अनुमान है।

जहां तक 1994–95 में राजसहायता का प्रश्न है, 1994–95 में एच. एस. डी. के लिए यह 430 करोड़ रुपये थी, मिट्टी के तेल के लिए 3740 करोड़ रुपये, खाना पकाने की गैस के लिए यह 1410 करोड रुपये, नेफ्ता (एफ) के लिए 520 करोड़ रुपये, भट्टी तेल (एफ) के लिए 200 करोड़ रुपये, एल. एस. एच. एस. अर्थात् उर्वरकों के लिए 130 करोड़ रुपये, बिटूमेन के लिए 110 करोड़ रुपये और मोम के लिए 20 करोड़ रुपये थी। इस वर्ष कुल राजसहायता 6560 करोड़ रुपये है।

श्री सनत कुमार मंडल : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि मिट्टी के तेल, घरेलू उपयोग के लिए खाना पकाने की गैस और उर्वरकों के उत्पादन में नेफ्ता पर राजसहायता के संदर्भ में अधिक खपत पर क्या प्रभाव पड़ा है जिसके कारण अधिक आयात करना पड़ा और तेल पूल खाते में भारी घाटा हुआ है?

महोदय, यह बहुत ही विचित्र स्थिति है कि तेल शोधक कारखानों में कच्चे तेल की सफाई की स्थिति से ही मूल्य बनाये रखने को तेल के विद्यमान होने के बावजूद भी पेट्रोलियम उत्पादों के लिए राजसहायता बढ़ी है जिस कारण तेल पूल खाते में भारी घाटा हुआ है।

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : महोदय, हम सब जानते हैं कि 1989 तक 34 मिलियन टन का अत्यधिक उत्पादन हुआ था और इसके पश्चात् इसमें कमी आनी आरम्भ हो गई। तभी यह समस्या भी शुरू हुई। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वर्ष चालू लेखे में हमारे पास फालतू है। इसका कारण यह है कि हमारा तेल उत्पादन बढ़ रहा है और मध्यावधि में तेल उत्पादन बढ़ाने, तेल साफ करने की क्षमता बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं ताकि देश में ही तेल का अधिक उत्पादन हो। इस वर्ष हमारे तेल उत्पादन में पांच मिलियन टन की वृद्धि हुई है। 1989 के बाद पहली बार 26.9 मिलियन टन के निम्न स्तर से अब हमारा उत्पादन पांच मिलियन टन बढ़ा है। अगले वर्ष यह 10 मिलियन टन अधिक होगा।

जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं, नये तेलशोधक कारखाने लगाये जा रहे हैं। ओमान के सहयोग से हम दो तेलशोधक कारखाने लगा रहे हैं। एक शुरू होने वाला है और इण्डियन आयल कारपोरेशन कुवैत पेट्रोलियम कारपोरेशन के साथ बातचीत कर रही है। इसके अलावा गैर–सरकारी क्षेत्र में भी और तेलशोधक कारखाने लग रहे हैं। यदि एक बार हमारा उत्पादन बढ़ जाता है, देश में तेल साफ करने की क्षमता बढ़ जाती है, जिसकी हमारे यहां कमी है, तो इसका तेल पूल लेखे पर ठीक प्रभाव पड़ेगा और इसमें संतुलन आ जाएगा।

डा. मुमताज अंसारी : महोदय, तेल पूल खाते में घाटा 3800 करोड़ रुपये हो गया है और माननीय मंत्री ने बताया कि यह घाटा इस तथ्य के कारण है कि इसमें लागत को नहीं लिया गया है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि किस लागत को नहीं

लिया गया है, क्या यह प्रशासनिक लागत है अथवा उत्पादन लागत अथवा बिक्री पर आने वाली लागत है। बिक्री वसूली द्वारा किस लागत को इसमें नहीं लिया गया है। साथ ही मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूँ कि राजसहायता को कम करने का कोई प्रस्ताव है ताकि इस घाटे को समाप्त किया जा सके। तेल समन्वय समिति द्वारा इस तेल पूल लेखे को संतुलित करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किये जा रहे हैं।

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। इसका हल बहुत सरल है। यदि हम उत्पादों के मूल्य बढ़ा दें तो तेल पूल लेखे को संतुलित किया जा सकता है। यह एक तरीका है। हम इसे तुरन्त कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यदि हम मिट्टी के तेल तथा अन्य उत्पादों पर राजसहायता कम कर दें तो घाटे को कम किया जा सकता है। अतः ये दो हल हैं जिन्हें हम करना नहीं चाहते हैं। हमारी नीति यह है कि दोनों बातों को किए बिना मध्यावधि में हम देश में तेल का उत्पादन बढ़ायें, तेलशोधन क्षमता बढ़ायें। राजसहायता को कम करने का हमारा कोई इरादा नहीं है जोकि मिट्टी के तेल तथा खाना पकाने की गैस जैसी मदों पर है जोकि गरीब वर्गों द्वारा उपयोग में लाई जाती है। ऐसा हमारा विचार नहीं है। हमारे प्रयास तेल उत्पादन बढ़ाने के हैं और कमजोर क्षेत्रों को मजबूत करने के हैं जैसेकि तेलशोधन का क्षेत्र ताकि इस बीच हम उनमें वृद्धि कर सकें।

श्री विजय एन. पाटील : महोदय, मेरे मंत्रालय ने हाल में मिट्टी के तेल तथा खाना पकाने की गैस आयात करने की अनुमति दी है। इन आयातों का प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से तेल पूल खाते पर क्या प्रभाव पड़ेगा । क्या इसे और आगे संतुलित किया जा सकता है। माननीय मंत्री ने कहा कि शोधन क्षमता बढ़ाई जा रही है परन्तु इससे पूर्व कि तेलशोधन क्षमता बढ़ाई जाये हमारे पास अधिक तेल होना चाहिए। अतः और अधिक तेल निकालने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है और क्या इस कार्य में विदेशी कम्पनियों को भी लगाया जा रहा है।

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : ऐसा तेल की खोज के लिए किया गया था ताकि हम नये क्षेत्रों का पता लगा सकें। भारत का तेल उत्पादन पहले की अपेक्षा अब अधिक है। एक ओर हमारी नीति तेल उत्पादन बढ़ाने की है। तेल उत्पादन में वृद्धि हो रही है। इस वर्ष यह पांच मिलियन टन अधिक है। अगले वर्ष यह दस मिलियन टन अधिक होगा। 1998 तक हमारा तेल उत्पादन 44.5 मिलियन टन हो जाएगा। 26.9 मिलियन टन से यह बढ़कर 44.5 मिलियन टन हो जाएगा जो सर्वाधिक होगा। परन्तु अधिक महत्वपूर्ण बात तेल की खोज की है। यह महत्वपूर्ण मुद्दा है और हमारा पूरा प्रयास इसी ओर है। भारत को एक और बम्बई हाई ढूंढना होगा तथा हमारी स्थिति आर्थिक रूप से मजबूत हो सकेगी। खोज के क्षेत्र में हम संयुक्त उद्यम बनाने पर विचार कर रहे हैं जिसपर हम अगले पांच वर्षों में दो बिलियन डालर खर्च करेंगे और हम अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों को भी आमंत्रित कर रहे हैं जो इक्विटी पूंजी के रूप में 3 बिलियन डालर लगायेंगी और साथ में टेक्नालोजी भी लायेंगी। यह कार्य प्रगति पर है।

श्री अन्ना जोशी : घाटे से पता लगता है कि उत्पादन लागत इन मूल्यों से अधिक है जिन पर हम ये वस्तुएं उपभोक्ताओं को दे रहे हैं। मेरा पहला प्रश्न यह है कि आपके अध्ययन के अनुसार न घाटे न लाभ की स्थिति क्या होगी। दूसरा प्रश्न है जैसाकि आपने कहा कि तेल पूल खाते की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है और सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है। मैं जानना चाहता हूँ कि अब तक क्या विचार बनाया गया है और क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई है?

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : जैसा मैंने पहले बताया कि 1982 से 1989 तक तेल पूल लेखा घाटे में नहीं था। सर्वप्रथम 1990 में 2497 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उपकर 600 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 900 मीट्रिक टन पर कर दिया गया था। कच्चे तेल के आयातित मूल्य में वृद्धि हो गई थी। मुद्रा विनिमय दर में भी वृद्धि हो गई थी। आयातित उत्पादों की लागत में भी वृद्धि हो गई थी। सब इस घाटे के लिए जिम्मेदार थे। 1990-91 में घाटे का एक मुख्य कारण यह था कि इस खाते के 2300 करोड़ रुपयों को बजट संतुलित करने हेतु राजस्व खाते में डाल दिया गया था। तेल पूल खाता तभी संतुलित हो सकता है यदि इससे बाहर जाने वाली और इसमें आने वाली राशि में अन्तर न हो। हुआ यह कि जो राशि बाहर गई वह वापस नहीं आई। कुल मिलाकर स्थिति यह है। 1990 में जैसाकि आप जानते हैं, वित्तीय सकट था और देश के लिए वित्तीय रूप से वह अवधि अच्छी नहीं थी और उस खराब अवधि के कारण पहली बार इस खाते के 2300 करोड़ रुपये राजस्व खाते में डाले गये। पहले भी ऐसे राशि ली गई थी परन्तु तब इसे पब्लिक खाते में डाला गया था। परन्तु उस वर्ष पहली बार इसे राजस्व खाते में डाला गया।

श्री जी.एम.सी. बालयोगी : आंध्र प्रदेश, विशेषकर के.जी. परियोजना क्षेत्र, मेरा निर्वाचन क्षेत्र रवा क्षेत्र, अमालपुरम, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के लिए सोने की खान का क्षेत्र बन गया है। हाल के समुद्री तूफान के कारण लोगों को मिट्टी का तेल प्राप्त करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहां तेल सप्लाई की कमी थी। इस तथ्य को देखते हुए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार आंध्र प्रदेश में तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए के0जी0 परियोजना क्षेत्र में कोई तेलशोधक कारखाना लगायेगी। आंध्र प्रदेश में केवल एक ही तेलशोधक कारखाना है जोकि विशाखापटनम में है। माननीय मंत्री ने उस स्थान का दौरा करते समय एक वक्तव्य दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह इस प्रश्न में उत्पन्न होता है।

श्री जी.एम.सी. बालयोगी : यदि सरकार तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई तेलशोधक कारखाना नहीं लगा रही है तो क्या इसकी स्थापना के लिए कोई गैर-सरकारी व्यक्ति सामने आएगा। क्या सरकार के.जी. बेसिन में इसकी स्थापना के लिए लाइसेंस देने जा रही है?

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : महोदय, हम तेलशोधक कारखानों में पूंजी निवेश का स्वागत करते हैं। यदि आंध्र प्रदेश में तेलशोधक कारखाने की स्थापना हेतु निजी क्षेत्र से कोई प्रस्ताव आता है तो इसका स्वागत है और उसे हमारी ओर से पूरा समर्थन प्राप्त होगा।

दिल्ली में अपराध

*802. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अपहरण, हत्या, चोरी, लूट और डकैती के मामलों में वृद्धि होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष ऐसे कितने मामलों की रिपोर्ट दर्ज कराई गई;

(ग) इनमें से कितने मामलों में अपराधी आदि पकड़े गए; और

(घ) सरकार द्वारा इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (घ). एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ग). पिछले तीन वर्षों में, अपहरण और चोरी से संबंधित दर्ज मामलों की संख्या में कोई निश्चित गिरावट या वृद्धि नहीं दिखती। अपहरण के मामलों में वर्ष 1992 के मुकाबले 1993 में गिरावट आई जबकि वर्ष 1994 में पिछले वर्ष 1993 के मुकाबले तेजी से वृद्धि हुई। वर्ष 1992–94 के दौरान चोरी के मामलों की संख्या, कमोबेश लगभग स्थिर रही। पिछले तीन वर्षों में हत्या और डकैती के दर्ज मामलों की संख्या में गिरावट आई है। तथापि पिछले तीन वर्षों में लूटपाट (डकैती) के दर्ज किए गए मामलों की संख्या में बढ़ोत्तरी देखी गई है।

2. दिल्ली में, पिछले तीन वर्षों में अपहरण, हत्या, चोरी, लूटपाट (डकैती) तथा डकैती के दर्ज तथा सुलझाये गए मामलों की संख्या इस प्रकार है :–

	सूचित किए गए	रद्द किए गए	हल किए गए
	1	2	3
अपहरण			
1992	714	347	250
1993	636	285	235
1994	784	280	313
हत्या			
1992	529	9	422
1993	493	4	372
1994	492	7	357
चोरी			
1992	13873	246	4004
1993	13154	220	3970
1994	13490	204	4487
लूटपाट			
(डकैती)			
1992	302	6	232
1993	329	4	257
1994	377	6	286
डकैती			
1992	38	–	35
1993	27	1	25
1994	19	–	18

(घ) दिल्ली में अपराधों की रोकथाम के लिए सरकार अनेक कदम उठा रही है। इन कदमों में, गश्त बढ़ाना, महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थलों पर नाकाबन्दी करना, आसूचना तंत्र को सुदृढ़ बनाना, अपराधियों के छिपने के ठिकानों पर बार–बार छापे मारना, चौकसी बढ़ाना, पड़ौसी राज्यों के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठकें करना, पुलिस अधिकारियों को आधुनिक शस्त्रों को चलाने का प्रशिक्षण देना, जांच–पड़ताल में वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना, तथा संचार तंत्र का आधुनिकीकरण करना आदि शामिल है।

श्री माणिकराव होडल्या गावीत : अध्यक्ष महोदय, 1992 से 1994 तक अपहरण के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। 1992 में 714 अपहरण के मामले थे जो 194 में बढ़कर 784 हो गए, हत्या के मामलों में कमी हुई है, लूटपाट के मामले भी बढ़ रहे हैं, डकैती के मामलों में थोड़ी कमी आई है। दिल्ली हमारी राजधानी है, यहां पर चोरी, डकैती आदि के मामलों में कमी होना जरूरी है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दिल्ली में बढ़ते हुए अपराधों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पिछले दो सालों से दिल्ली के अपराधों में वृद्धि होती जा रही है जैसे बसों में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है, सवारियों की जेबें काटी जाती हैं। रैड लाइन बसों के ड्राइवर वाहियात तरीके से बसें चलाते हैं ....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न बहुत लम्बा हो रहा है, इससे पता नहीं चलेगा कि आपका सही प्रश्न क्या है। आप सीधा प्रश्न पूछिए।

श्री माणिकराव होडल्या गावीत : मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार अपराधों को रोकने के लिए क्या कर रही है?

अध्यक्ष महोदय : वह लिखित प्रश्न के 'डी' भाग में दिया हुआ है। यदि आपकी बात का समाधान हो गया है तो प्रश्न पूछना जरूरी नहीं है।

श्री माणिकराव होडल्या गावीत : समाधान नहीं हुआ है। मैं 1–2 प्रश्न और पूछना चाहता हूं। दक्षिण दिल्ली में वृद्ध दम्पति की हत्याओं में वृद्धि हो रही है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 17.5.95 को पंजाब पुलिस नियमावली का जो प्रश्न पूछा गया था,

उसके तहत क्या कार्यवाही की गई है?

[अनुवाद]

श्री पी.एम. सईद : माननीय सदस्य ने दिल्ली में कुछ अपराधों में कुछ वृद्धि का उल्लेख किया है। अपहरण, चोरी और लूटपाट के मामलों में 1.1.1994 से 15.5.1994 में अवधि की तुलना में वृद्धि हुई है, परन्तु हत्या और डकैती के मामलों में 15.5.1995 को समाप्त होने वाली अवधि के पांच महीनों में 1.1.94 से 1.5.94 की अवधि की तुलना में कमी आई है।

दिल्ली में अपराधों को समाप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं और अनेक कदम उठाये गये हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए प्रभावी कदमों का मैं उल्लेख करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अपने उत्तर में पहले ही नहीं बता चुके हैं।

श्री पी.एम. सईद : मैं पहले ही बता चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इन्हें दोहराना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री माणिकराव होडल्या गावीत : मेरा सैकिण्ड सप्लीमेंटरी यह है कि 1993–94 में अपहरण बढ़े हैं, चोरी भी बढ़ी है और डकैतियों में भी काफी बढ़ोतरी हुई है, इसका क्या कारण है? क्या इसमें आतंकवादियों और घुसपैठियों का तो हाथ नहीं है? क्या केन्द्रीय सरकार इस पर ध्यान देगी।

श्री पी.एम. सईद : जी हां, जरूर ध्यान देंगे।

अध्यक्ष महोदय : जरूर ध्यान देंगे।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो आंकड़े दिये हैं, इन आंकड़ों को देखने से ऐसा लगता है कि निश्चय ही यह काफी चिन्ताजनक आंकड़े हैं। अपहरण, हत्या और डकैती के केसों में कोई सुधार पिछले तीन वर्षों में नहीं हुआ है, बल्कि यह सब बढ़े ही हैं। आपने जो आंकड़े दिये हैं, इसके टोटल में जाकर मैं हाउस का समय नहीं लूंगा। तीन वर्षों में अपहरण 2134 हुए, जिनमें से 1710 हल किए गये, 424 अभी शेष हैं। इसी प्रकार तीन वर्षों में हत्या के 1494 केस हुए, 1151 आपने हल करने बताये हैं और 343 बाकी हैं। मैं और ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, ऐसे ही और तमाम फीगर्स हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो केस हल किये गये हैं, इनमें से अदालतों में कितनों के चालान हुए, पुलिस ने तफ्तीश पूरी करके कितनों का चालान किया? अदालतों के द्वारा कितनों को सजा हुई और कितने छूट गये? क्या यह पता लगाया गया है कि इनमें से कितने फाल्स केसेस पुलिस की ओर से बनाकर खानापूर्ति की गई – भाग 'क'?

भाग 'ख' में मेरा सवाल है कि निकट भविष्य में, जैसे अमेरिका और ब्रिटेन आदि देशों में अत्यन्त आधुनिक टेक्नीक अपनाकर अपराधों को शीघ्र नियंत्रित किया जाता है, क्या दिल्ली में हमारा गृह मंत्रालय कुछ ऐसी ही टेक्नीक अपनाने का प्रयास कर रहा है?

इसके साथ ही साथ अपराधशास्त्र में अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए दण्ड और पुरस्कार की व्यवस्था है? मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो अधिकारी अच्छा काम करते हैं, इनके लिए क्या आपने दण्ड और पुरस्कार की भी व्यवस्था बना रखी है। यदि है, तो तीन वर्षों का उसका विवरण क्या है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं यह आशा नहीं करता कि आप आंकड़े याद रखेंगे। आप इन्हें लिखकर भेज सकते हैं।

श्री पी.एम. सईद : मैं पूरा ब्यौरा भेज दूंगा।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : अध्यक्ष जी, जवाब में जो आंकड़े दिए हैं, इनमें अपहरण को छोड़कर बाकी जो अपराध हैं, हत्या, चोरी, लूट और डकैती, इनमें से हल किये गये केसों के जो आंकड़े हैं, वह 80 से 85 प्रतिशत के बीच के हैं लेकिन अपहरण के आंकड़ों में सिर्फ 25 प्रतिशत केस ही हल किये गये हैं। मैं माननीय मंत्री जी से दो बातें जानना चाहता हूं। एक तो यह कि क्या आपके नोटिस में यह आया है कि अन्य अपराधों में आपकी जितनी असफलता है, उसके मुकाबले अपहरण के मामलों में आपकी असफलता बहुत ज्यादा है। बाकी हत्या के आपने करीब 80 से 85 प्रतिशत केस सोल्व दिखाये हैं। इसी प्रकार से डकैती, चोरी वगैरह के दिखाये हैं तो क्या यह बात आपके ध्यान में आई है कि अपहरण के मामले आप हल नहीं कर पा रहे हैं, दिल्ली पुलिस ज्यादातर हल नहीं कर पा रही है, इसके लिए आपने कोई व्यवस्था की है, कोई सोच–विचार किया है? भाग 'ख'–आपने भाग 'ख' में जवाब दिया है कि सुधार क्या–क्या किये हैं, क्या आपने इस पर भी विचार किया है? यदि दिल्ली पुलिस का जिम्मा दिल्ली सरकार को दे दिया जाये तो तालमेल अच्छा बनेगा, इसके 2–2 मास्टर नहीं होंगे और इससे ऐफिशैंसी भी बढ़ेगी। क्या इस पर आपने पुनर्विचार किया है?

श्री पी.एम. सईद : मैं पहले ही बता चुका हूं कि कुछ अपराधों में वृद्धि हुई है और कुछ अपराध डिक्लाइन भी हुए हैं। माननीय सदस्य ने ठीक कहा है कि अपराधों में वृद्धि हुई है। इसको रोकने के लिए इफैक्टिव स्टैप दिल्ली पुलिस उठा रही है।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : मैं अपहरण की बात कर रहा हूं। अपहरण क्यों हो रहे हैं, इसके बारे में क्या कोई विशेष बात आपके ध्यान में आई है? अपहरण की घटनाओं को रोकने में आपको सफलता क्यों नहीं मिल रही है?

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : अपहरण के आंकड़ों में ऐसा प्रभाव बनता है कि इस मामले में पुलिस जैसे कुछ नहीं कर रही है। मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि अपहरण के मामलों में जहां 'रद्द कर दिये गये मामलों' के बारे में आंकड़े दिये गये हैं उनमें वे सभी मामले शामिल हैं जहां व्यस्क महिलायें अन्तर्ग्रस्त हैं और जहां पुलिस के ध्यान में यह आया कि उन्होंने आपस में शादी कर ली है। उन्हें यह पुलिस को बताना है और बाद में इन आंकड़ों में कमी आ जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा अन्त है।

(व्यवधान)

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : महोदय, प्रश्न का दूसरा भाग.....

(व्यवधान)

श्री एस. बी. चव्हाण : जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, मैं उनसे सहमत नहीं हूं।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, चेहरों की तरह आंकड़े भी कभी–कभी धोखा देने वाले होते हैं। हमारे समक्ष जो आंकड़े हैं उनसे यह पता नहीं चलता कि माननीय मंत्री द्वारा उल्लिखित हत्याओं के मामलों के अलावा उन मामलों की संख्या कितनी है जिनमें बूढ़े पति पत्नी और अकेली रहने वाली महिलाएं शिकार हुई हैं। यह भी बताया गया है कि सरकार ने अपराधियों के अड्डों पर छापों में वृद्धि की है। मैं जानना चाहता हूं कि पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय बैठकों के अतिरिक्त इस मामले में लोगों को शामिल करने के लिए पुलिस परामर्शदात्री समितियों को स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

श्री पी.एम. सईद : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि आंकड़े भ्रामक होते हैं। जहां तक पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों का दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से मिलने की बात है तो यह प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है। हम पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों तथा दिल्ली पुलिस के बीच आसूचना का आदान प्रदान करते रहते हैं और इससे अनेक सुराग मिलते हैं क्योंकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लिए दिल्ली एक ऐसा स्थान है जहां अपराधी अपराध करते हैं और वहां चले जाते हैं और वहां पर अपराध कर वे लोग यहां आ जाते हैं। अतः समस्या को हल करने के लिए हमें ऐसी बैठकों में बहुत सहायता मिलती है।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि ....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सारे प्रश्न हमारे माध्यम से होते हैं।

प्रो. रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, यहां पर हो रहे अपहरण, हत्या, डकैती, लूट आदि के पिछले तीन सालों के जो आंकड़े मंत्री जी ने दिए हैं, उनसे प्रतीत होता है कि स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। क्या इसका कारण सरकार बता सकती है? दिल्ली की बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ते हुए अपराधों की तुलना में पुलिस की संख्या में जितनी वृद्धि होनी चाहिए, वह पिछले कुछ वर्षों से नहीं हो पा रही है। दिल्ली पुलिस का अधिकांश समय विशेष व्यक्तियों की सुरक्षा करने एवं प्रदर्शनों, आन्दोलनों को दबाने, शान्त करने में लग जाता है। परिणामस्वरूप अपहरण, हत्या, डकैती और लूट आदि की तरफ और कानून एवं व्यवस्था की तरफ जितना ध्यान दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाता है। क्या सरकार इस संबंध में आवश्यक कदम उठायेगी?

[अनुवाद]

श्री पी.एम. सईद : अपराधों में वृद्धि के अनेक कारण हैं। विशेषकर राष्ट्रीय राजधानी में बाहर से बड़ी संख्या में लोग आते हैं जिनमें अपराधी भी शामिल होते हैं। यह घूमने वाली आबादी भी अपराधों को जन्म देती है।

[हिन्दी]

श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील : अध्यक्ष महोदय, इस बात के दो पहलू हैं। एक तो यह कि जो अपराध होते हैं, उनके अपराधी पकड़े जायें और जो भी गुनाहगार हैं, उनको दंडित किया जाए और दूसरा पहलू यह है कि अपराध न हों तथा इसके लिए कुछ किया जाए। प्रिवेंशन और क्योर के अलावा एक्शन, कुछ एक्शन की बात कही गई है। क्या सरकार ने यह भी सोचा है कि इस प्रकार के क्राइम न बढ़ें, इसके लिए कोई प्रिवेंटिव कदम उठाए जायें? यह बात मैं इसलिए कह रही हूं, क्योंकि कुछ महीने पहले हाई कोर्ट में एक केस आया था, जिसमें एक व्यक्ति ने यह कहा कि यह हमने पिक्चर में देखा कि किस प्रकार से डकैती की गई और किस प्रकार से मर्डर किया गया और हमने वही टैक्नीक का इस्तेमाल किया। पिक्चर में जो बड़े पैमाने पर क्राइम दिखाया जा रहा है, इसका असर सोसायटी पर होता है। दूसरी बात – पोपुलेशन आइट ब्रस्ट, एक्सप्लोजन–ऑफ पोपुलेशन, इस वजह से अनएम्लायमेंट और पावर्टी बढ़ रही है। ये सारी बातें जो समाज में बढ़ रही हैं, इस वजह से भी क्राइम बढ़ रहा है। मैं यह जानना चाहती हूं, क्या सरकार इन दोनों पहलुओं पर ध्यान देगी? यह कहा जा सकता है कि यह होम मिनिस्ट्री का काम नहीं है, लेकिन यह सरकार की यह ज्वाईंट रिसपांसिबिलिटी है। इस ओर भी सरकार क्या सोचेगी, जिससे हम इसको प्रिवेंट कर सकें और इसके लिए सरकार क्या करने जा रही है?

श्री पी.एम. सईद : अध्यक्ष महोदय, यह बात बिल्कुल है कि प्रिवेंशन पर बहुत जोर देना है, इसलिए दिल्ली पुलिस ने सेवरल स्टैप्स उठाए हैं। सरवेलेंस बहुत गौर से किया जा रहा है। डे–एंड–नाइट बूथ एंड मोबाइल पैट्रोलिंग को बहुत जोरों से इन्टेंसिफाई किया है।

[अनुवाद]

इसके अलावा चुने हुए स्थानों पर 300 पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित किये गये हैं और पुलिस की मोटरगाड़ियां लगाई गई हैं और अपराध संभावित क्षेत्रों में 'नेबरहुड वाच स्कीम' भी लागू की गई है। चौकीदार भर्ती किये जा रहे हैं, 'मेजिक आई' और दरवाजे पर चेन लगाई जा रही है और जाने माने अपराधियों की जांच की जाती है। जेल से छूटने वाले अपराधियों की आजीविका के साधनों और गतिविधियों की जांच की जाती है और उन पर निगाह रखी जाती है। आभ्यासिक अपराधियों की पूरी शीट रखी जाती है और उनके आवागमन पर निगाह रखी जाती है। संचार नेटवर्क को आधुनिक बनाया गया है।

[हिन्दी]

श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रिवेंटिव आस्पैक्ट का जवाब इसमें नहीं आ रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। सिनेमा में अपराध दिखाया जाता है। पत्रिकाओं में कुछ कहानियां लिखी जाती हैं जिनसे आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। क्या ऐसी चीजों को रोकने के लिए कोई योजना है।

श्री एस.बी. चव्हाण : मैं माननीय सदस्य से पूरी तरह सहमत

हूं। वास्तव में यह एक कारण है। एक ओर हमारी युवा पीढ़ी में बेरोजगारी है और जब वे इस प्रकार के सिनेमा देखते हैं तो वे इस प्रकार के मामले कर बैठते हैं जिनका कभी–कभी पता चलता है। हमने ऐसी फिल्मों का उचित ढंग से सैंसर करने के लिए जोकि युवा पीढ़ी पर बुरा प्रभाव डालती है, इस मामले को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ उठाया है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा जितने अपराधी आपने पकड़े हैं, उनमें दिल्ली के कितने हैं और दिल्ली के बाहर के कितने हैं और हिन्दुस्तान के बाहर के जो देश हैं, जैसे पाकिस्तान और बंगलादेश, उनके कितने हैं? यह बात मैं इसलिये कह रहा हूं क्योंकि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने कहा था कि जो डकैतियां हो रही हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, उनमें बंगलादेशी लोगों का प्रभाव है। इसलिए बंगलादेशी और पाकिस्तान के लोगों को बाहर निकालने के बारे में आपने कोई कार्यवाही की है।

[अनुवाद]

श्री पी.एम. सईद : यह प्रश्न गिरफ्तार किये गये घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय लोगों के बारे में है। मैं तथ्य एकत्र कर माननीय सदस्य को भेज दूंगा।

श्रीमती चन्द्र प्रभा उर्स : महोदय, हम सभी दिल्ली में तथा इसके आसपास के क्षेत्र में विद्यमान स्थिति से चिन्तित हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहती हूं कि क्या वह दिल्ली में और उसके इर्दगिर्द अपहरण और चोरी आदि जैसे अपराधों की पहचान कर सके हैं। हमने समाचार–पत्रों में संसद सदस्य के घर पर हत्या की खबर को देखा है। मैं माननीय मंत्री तथा सरकार से जानना चाहती हूं कि क्या वह इन क्षेत्रों में सूचना दे सकने वाले नागरिकों सहित प्रभावी सतर्कता विशेष कक्ष स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं। यह मेरा एक सुझाव है। क्या माननीय मंत्री ऐसे प्रभावी सतर्कता विशेष कक्ष बनाने पर विचार कर रहे हैं ताकि इन अपराधों की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जा सके। हम वास्तव में चिन्तित हैं कि कुछ समय पूर्व कि फिरोजशाह रोड पर एक संसद सदस्य के घर पर हत्या हो गई थी। यह हमारी पुलिस की अकार्यकुशलता का परिणाम है। ऐसे अपराध बिना दण्ड के नहीं छूटने चाहिएं। दिल्ली में बाहर से आने वाले पर्यटकों पर इसका प्रभाव पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : अपने आपको प्रश्न तक ही सीमित रखें।

श्रीमती चन्द्र प्रभा उर्स : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहती हूं कि क्या ऐसे विशेष सैल बनाये जायेंगे जिनमें ऐसी बातों की जानकारी देने वाले नागरिक भी शामिल हों।

श्री पी.एम. सईद : सभी नौ जिलों में ऐसे सैल हैं – **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री हाराधन राय : आप हमें बोलने नहीं देंगे। आप कभी भी हमें टाइम नहीं देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : दो प्रश्नों में 35 मिनट का समय हो चुका है।

(व्यवधान)

श्री हाराधन राय : हम हाथ खड़ा करते हैं आप हमें बोलने का टाइम नहीं देते हैं। **(व्यवधान)**...*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह रिकार्ड नहीं किया गया।*

आरक्षण के संबंध में सर्वदलीय बैठक

+

*803. **कुमारी फ्रिडा तोपनो :**

श्री शरद दिघे :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आरक्षण के संबंध में हाल ही में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन–किन मुद्दों पर चर्चा की गई और क्या निर्णय लिए गए; और

(ग) इन निर्णयों को लागू करने के लिये क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

[हिन्दी]

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां। राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ दिनांक 14.1.95, 28 अप्रैल, 1995 और 4 मई, 1995 को तीन बैठकें हुईं।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(ख) और (ग). बैठक में विचार–विमर्श किए गए मुद्दे इस प्रकार हैं :–

(1) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को पदोन्नतियों में आरक्षण की सुरक्षा और अन्य पिछड़े वर्गों को पदोन्नतियों में आरक्षण प्रदान करने के लिए क्या संविधान संशोधन किया जाए।

(2) क्या सरकार के अंतर्गत सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए जहां कहीं ऐसा करने का कारण हो, सरकारी सेवाओं में 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 16(4) में संशोधन किया जाए।

(3) क्या कुछ सेवाओं/पदों को आरक्षण के क्षेत्राधिकार से बाहर करने संबंधी उच्चतम न्यायालय की सलाह का अनुपालन किया जाए अथवा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में यथास्थिति जारी रखी जाए तथा अन्य पिछड़े वर्गों के मामले में आरक्षण के क्षेत्राधिकार से बाहर रखने के लिए सेवाओं/पदों की विस्तृत सूची का पालन किया जाए।

(4) क्या उच्च जातियों के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 16(4) में संशोधन किया जाए।

(5) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए क्या और किस सीमा तक आयु में

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

छूट का विस्तार किया जाए।

(6) क्या अन्य पिछड़े वर्गों को केन्द्र सरकार के शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान किया जाए।

14 जनवरी, 1995 को हुई बैठक में कुछ राज्यों में चुनावों की घोषणा के फलस्वरूप चुनाव आचार संहिता के अनुसार सभी प्रमुख मुद्दों पर विचार–विमर्श स्थगित करने का निर्णय किया गया। अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को सिविल सेवा परीक्षाओं में परीक्षा देने के लिए आयु में छूट और अवसरों की अतिरिक्त संख्या का केवल एक ही मुद्दा लिया गया था।

बैठक में हुई आम सहमति के आधार पर, सरकार ने 25.1.95 को सीधी भर्ती में अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों की ऊपरी आयु सीमा तीन वर्ष तक बढ़ा दी थी। अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार, जो अन्यथा पात्र हैं, की सिविल सेवा परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की संख्या बढ़ाकर सात कर दी गई है।

उसके बाद शेष मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दिनांक 28.4.95 को दो और बैठकें हुईं। विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। आगामी कार्रवाई पर विचार करते समय सरकार इन विचारों का ध्यान रखेगी।

[अनुवाद]

कुमारी फ्रिडा तोपनो : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहती हूं कि कौन सी सेवाओं और पदों का आरक्षण अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा जा रहा है और ऐसा करने के मुख्य कारण क्या हैं।

[हिन्दी]

श्री सीताराम केसरी : अध्यक्ष महोदय, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अंतर्गत और ऐसे भी बहुत से पद आरक्षण से अलग रखे गए हैं, जिसमें कि डीपीसी है और जिसका नोटिफिकेशन भी किया जा चुका है।

कुमारी फ्रिडा तोपनो : महोदय, कारण तो बताया नहीं?

श्री सीताराम केसरी : महोदय, आरक्षण के अंतर्गत जो पद नहीं आए हैं इसका कारण यह है कि उसको उन्होंने आरक्षण के अंतर्गत नहीं रखा, और दूसरा कारण क्या हो सकता है.....**(व्यवधान)** जिनको आरक्षण मिला है इन्होंने समझा कि वे इसके लायक नहीं हैं, इसलिए उन्होंने रखा।

श्री रामविलास पासवान : सरकार क्या समझती है?

अध्यक्ष महोदय : अभी उनका जवाब नहीं देना है, बाद में देंगे।

[अनुवाद]

मैं जानना चाहता हूं कि क्या निजी क्षेत्र में जहां सरकार निजी उद्योगों और कम्पनियों को लाइसेंस दे रही है वहां अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के बारे में हुई बैठकों में कोई चर्चा हुई है। यदि हां, तो उसका सार क्या है? यदि नहीं, तो क्या सरकार का निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों को आरक्षण देने के लिए कदम उठाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

श्री सीताराम केसरी : अध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में विपक्षी दलों के नेताओं से बात नहीं हुई थी, मगर इनका सुझाव रचनात्मक है और इस ओर हमको ध्यान देना चाहिए।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि माननीय सदस्या ने जो सवाल यहां पर उठाया है, उसके बारे में चर्चा नहीं हुई थी। मैंने यह सवाल उठाया था, लेकिन आप यह कह सकते हैं कि 5 प्वाइंट्स के अंतर्गत यह नहीं था, लेकिन तमाम माननीय सदस्यों ने इसके बारे में अलग–अलग सुझाव दिए थे। मैंने सुझाव दिया था कि नई आर्थिक नीति के तहत पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में स्थानांतरित हो रहा है, जैसे बैंक हैं, रेलवे है और अन्य पब्लिक सेक्टर है, जिसकी वजह से आरक्षण समाप्त होता जा रहा है। एक तरफ तो आप पिछड़ी जातियों को आरक्षण दे रहे हैं, दूसरी तरफ आरक्षित पद समाप्त होते जा रहे हैं। इस तरह से तो आरक्षण का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए इस टेक्नीकल आधार पर कि उस समय सुझाव नहीं आया था, उसको न देखते हुए इस प्रश्न का जवाब दिया जाना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

इसी तरह से वर्तमान आरक्षण जी ओ, गवर्नमेंट आर्डर के मुताबिक चलता है। इसको एक्ट में परिवर्तित करने की बात शुरू से चल रही है और वह एक्ट मेरे समय से मंत्रालय में बन कर तैयार पड़ा हुआ है। यह कोई संविधान संशोधन भी नहीं है, सिंपल मेजारिटी से सदन में इस एक्ट को पास करना है। इसको पास करने में सरकार को क्या कठिनाई है। सरकार यह कानून पास क्यों नहीं करती है, ताकि ईमानदारी से इसको लागू किया जा सके और रिजर्वेशन के नाम पर होने वाले घपलों को रोका जा सके। और अधिक पूछने की तो आप अनुमति नहीं देंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न बहुत लंबा हो जाएगा तो पूरा जवाब नहीं आ पाएगा। इसलिए छोटा प्रश्न करना आपके ही हित में है।

श्री राम विलास पासवान : मेरे प्रश्न का भाग बी है कि आरक्षण की 50 परसेंट की सीलिंग है और आपने आर्थिक रूप से पिछड़ों को और दूसरे लोगों को आरक्षण देने की बात कही है। वर्तमान में 49.5 परसेंट अर्थात 50 परसेंट आरक्षण है। तो जब तक इस आरक्षण की 50 परसेंट की सीलिंग को न बढ़ाया जाए, तब तक किसी नई केटेगरी को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इसलिए कर्नाटक में 50 परसेंट की सीलिंग को समाप्त किया गया है। क्या केन्द्र सरकार भी इस 50 परसेंट की आरक्षण सीलिंग को खत्म करने पर विचार कर रही है?

श्री सीताराम केसरी : राम विलास जी ने जो बात कही है, विपक्षी नेताओं से चर्चा के समय भी यह बात कही गई थी। उस समय यह विषय अजेंडा में नहीं था। जो उत्तर मैंने उस समय दिया था, वही उत्तर मेरा अब है। जहां तक जी ओ की बात कही गई है, यह बात विचाराधीन है।

श्री राम विलास पासवान : 4 साल से विचाराधीन है।

श्री सीताराम केसरी : इस तरह से विचाराधीन होते होते जब कार्यरूप देने का समय आता है तो आप कहते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। जैसे एससीएसटीज के बारे में बिल लाया गया तो आपने कहा कि इतनी जल्दी कैसे हो गया।

श्री राम विलास पासवान : 50 परसेंट सीलिंग वाली बात का क्या हुआ?

श्री सीताराम केसरी : 50 परसेंट सीलिंग का जहां तक संबंध है, उस दिन आप मौजूद थे और सभी लोग मौजूद थे। विपक्षी नेताओं से चर्चा के दौरान इस पर एक मत नहीं हो पाया।

श्री राम विलास पासवान : साफ–साफ बतलाइए, छिपाते क्यों हैं?

श्री सीता राम केसरी : एससीएसटीज के मामले पर एकमत हुआ था। और बाकी पर यह तय हुआ था कि बाद में विचार होगा। कुछ पर मत भी आये, लेकिन एक ही विषय था जिस पर राय बनी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण कंटीन्यू करना चाहिए।

श्री राम नगीना मिश्र : आरक्षण के मामले को लेकर अनेक प्रदेशों में अनेक विचार रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं दिया जायेगा। इस संदर्भ में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत संविधान में संशोधन करने की सोच रहे हैं? इसके साथ ही मेरा यह भी पूछना है कि जो इस वर्ग के आई.पी.एस., आई.ए.एस. या अन्य बड़े पदों पर पहुंच गये हैं क्या उनको आरक्षण से वंचित करके उसी वर्ग के नीचे के लोगों को आरक्षण देने के लिए आप कोई योजना बना रहे हैं? ..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ज्यादा शक्कर खाने पर भी परेशानी होती है।

श्री राम नगीना मिश्र : मैं भी निहायत गरीब हूं। **(व्यवधान)***... हालत यह हो गई है....

[अनुवाद]

श्री राम विलास पासवान : महोदय, उन टिप्पणियों को रिकार्ड नहीं किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, उनको रिकार्ड नहीं किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : मैं उसको वापस ले रहा हूं। आज सवर्णों में भी गरीब लोग हैं। इसलिए सब चाहते हैं कि उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। उच्च वर्ग में गरीब लोगों को आरक्षण देने के लिए क्या सरकार का संविधान में संशोधन करने का कोई विचार है?

श्री सीताराम केसरी : 10 प्रतिशत आरक्षण हमने अपर कास्ट में आर्थिक आधार पर देने की बात कही है और यह मामला मैंने विभिन्न राजनैतिक दलों के सामने भी रखा था। लेकिन सभी दल एकमत नहीं थे। मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि मेरी तरफ से मैं चाहता हूं कि उच्च वर्ग में आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। मैं यह भी चाहता हूं कि 50 प्रतिशत की सीलिंग की बात सुप्रीम कोर्ट ने की है उस संबंध में आप लोगों की सहमति के आधार पर वह बढ़ानी चाहिए। मेरे पास सभी लोगों के विचारों का रिकार्ड है। उस समय अनुसूचित जाति और जनजाति के दो इश्यू थे। एक मामला आयु आयु सीमा में छूट देने का, 14 जनवरी, 1995 को ओबीसी के लोगों के लिए आयु सीमा में छूट देने का मामला आया थ। सभी ने कहा कि इनको आयु में छूट दी जाये। हमने तीन साल की छूट दी और तीन चांस दिये, जिसका मतलब यह कि सात चांस हो गये। हमने यह फैसला किया और 25 जनवरी को हमने इसकी घोषणा कर दी। फिर एक ही चीज थी कि अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण कंटीन्यू करना चाहिए।

श्री राम नगीना मिश्र : आर्थिक आधार पर जो लोग आई.ए.एस. , आई.पी.एस. या अन्य बड़े पदों पर पहुंच गये हैं उनको आरक्षण की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, उसके बारे में क्या कर रहे हैं?

श्री सीताराम केसरी : यह उचित है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट क्रीमी लेयर की बात कही थी, उसको सरकार ने पूर्णतः माना है।

श्री राम विलास पासवान : कहिये कि 50 प्रतिशत के लिए बीजेपी तैयार नहीं है।

श्री अनादि चरण दास : रेलवे में 48 केटेगरीज ऐसी हैं जहां आरक्षण लागू नहीं है। ऐसे ही गांवों में जो पोस्ट मास्टर होते हैं उनमें भी आरक्षण लागू नहीं है। आंगनवाड़ी वरकर्स हैं, वहां लागू नहीं है तो सरकार इसके लिए क्या करने जा रही है? दूसरी बात यह है कि संविधान के आधार पर जो रिजर्वेशन लागू हैं, उनकी गाइडलाइन्स केन्द्र सरकार की तरफ से जाती हैं लेकिन कई राज्यों ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जातियों को आरक्षण देने के बारे में अपना कानून बना लिया है और कई दूसरे राज्य भी ऐसा करने जा रहे हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार भी इस तरह का कोई कानून बनाने जा रही है?

श्री सीताराम केसरी : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे इनकी बात समझ में आती है उसका मतलब यह है कि स्टेट्स में आरक्षण पूर्ण रूप से नहीं है तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस स्टेट ने अपनी विधान सभा में पारित कर लिया है जैसे तमिलनाडु में लिया गया है और वहां पर 69 प्रतिशत हुआ है और यदि दूसरे स्टेट भी लायेंगे और जब एक परम्परा बन गयी है तो उस परम्परा को नहीं तोड़ा जा सकता है, इतना मैं आश्वस्त कर सकता हूं।

श्री अनादि चरण दास : लेकिन सेफ्टी कैटेगरी में 48 आइटम्स हैं, वहां रिज़र्वेशन लागू नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह क्या होता है?

श्री अनादि चरण दास : जो लैनटर्न होता है, वह सेफ्टी कैटेगरी में आता है, जो लीवर उठाता है, वह भी इस कैटेगरी में आता है।

श्री सीताराम केसरी : अगर इस तरह की 48 आइटम्स हैं और रिज़र्वेशन की कैटेगरी में आती हैं तो निश्चित रूप से इसको

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

देखेंगे।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, जिस सर्वदलीय बैठक की चर्चा प्रश्न के उत्तर में की गई है और उसमें चंद मुद्दों का उल्लेख किया गया है लेकिन मेरा सवाल इस उल्लिखित मुद्दे से नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि मंडल आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्र सरकार की नौकरियों में जो अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है तो अन्य पिछड़े वर्गों के अन्तर्गत जिस प्रकार का वर्गीकरण किया गया है, क्या उसी प्रकार केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में अन्य अत्यंत पिछड़े वर्गों का आरक्षण सुनिश्चित कराने के बारे में सरकार का कोई विचार है या इस सिलसिले में सरकार कोई कदम उठाना चाहती है?

दूसरी बात यह है कि पूरे देश में अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिये जाने की बात की चर्चा चली हुई है। क्या सरकार अल्पसंख्यकों को आरक्षण के दायरे में लाने के लिये कोई कदम उठा रही है?

श्री सीताराम केसरी : अध्यक्ष महोदय, जहां तक अत्यंत पिछड़े वर्ग का प्रश्न किया गया है, इनका सुझाव रचनात्मक तो है मगर जो आरक्षण अभी मिला है, उसमें अत्यंत पिछड़े वर्ग का नहीं है। जहां तक अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने का सवाल इन्होंने उठाया है, तो पिछड़े वर्ग के अंतर्गत 82 प्रतिशत आल इंडिया बेसस पर किया गया है और आप लोग यदि इस पर विचार करेंगे तो हम लोग भी इस पर विचार करेंगे।

[अनुवाद]

श्री पी.जी. नारायणन : महोदय, हम सब जानते हैं कि कल्याण मंत्री सर्वोच्च न्यायालय के मण्डल मामले पर निर्णय द्वारा उत्पन्न कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए सभी राजनैतिक दलों से बैठक कर रहे थे।

महोदय, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में अन्य पिछड़ी जातियों को पदोन्नति में पहले ही आरक्षण प्राप्त है। परन्तु अब सरकार जो संवैधानिक संशोधन ला रही है उसमें केवल अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों को ही पदोन्नति में आरक्षण से बाहर है। क्या माननीय कल्याण मंत्री यह जानते हैं कि यदि प्रस्तावित संविधान संशोधन में अन्य पिछड़ी जातियों को शामिल नहीं किया जाता तो इन राज्यों में भी उनका यह विशेषाधिकार समाप्त हो जाएगा। अन्य पिछड़ी जातियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

श्री सीताराम केसरी : मान्यवर, जैसा मैंने अभी कहा कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के "रिज़र्वेशन इन प्रमोशन" का जहां तक प्रश्न है, उसमें लगभग एक मत है। जहां तक उसमें ओ.बी.सी. को क्लब करने का प्रश्न है, उसमें अनेक मत हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सभी दलों के विचार मेरे पास प्रस्तुत हैं। इसीलिए जिस मुद्दे पर, जिस बिन्दु पर एक विचार था, वह विचार लेकर मैं सदन के सामने आया हूं और वह बिल आपके सामने उपस्थित है। जो दूसरे विचार हैं, उस पर अनेक विचार आए हैं। अगर एक ही विचार आता तो मैं उसको भी लाता। इसीलिए मैंने कहा कि अगर इस पर भी जब कभी एकमत होगा, हम सबसे विचार करेंगे और विचार करने के बाद निश्चित रूप से सभी की आम सहमति के आधार पर उस निर्णय का हम स्वागत करेंगे। अब मैं यह कहना चाहता हूं कि इस पर अनेक विचार आए हैं। सिर्फ एक ही मुद्दे पर — शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के बारे में सभी एकमत थे।

श्री रतिलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सरकारी कंपनियों का प्राइवेटाइज़ेशन हो रहा है और परिणामस्वरूप वहां तो रिज़र्वेशन नहीं रहेगा और आज तक हर बार शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के रिज़र्वेशन के लिए बात होती रही है, लेकिन जहां बैकलॉग खाली है, वहां भरने के लिए सरकार की ओर से आदेश आता है, लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं जो अनुसूचित जाति और जनजातियों के खिलाफ.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न दूसरी ओर जा रहा है। अल्प प्रश्न वह भी है मगर उसकी दिशा बदल रही है।

श्री रतिलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि ऐसी जगह पर रिज़र्वेशन जल्दी से पूरा करने के लिए माननीय मंत्री जी कुछ आदेश जारी करेंगे?

अध्यक्ष महोदय : वर्मा जी पूछ रहे हैं कि रिज़र्वेशन किया है, मगर उसका उपयोग नहीं हो रहा है, उसके लिए आप कोई आदेश करेंगे?

श्री सीताराम केसरी : 8 सितम्बर, 1993 को मंडल कमीशन के अन्तर्गत २७ प्रतिशत आरक्षण के इंप्लीमेंटेशन की घोषणा हुई है। अगर मेरी जानकारी में ऐसा आयेगा कि कहीं इंप्लीमेंट नहीं होता है तो निश्चित रूप से मैं उनसे कहूंगा कि इसको इम्पलीमेंट करें।

[अनुवाद]

श्री शोभनादीश्वर राव वाड्डे : महोदय, मैंने भी इन सभी दलों की बैठक में भाग लिया था। माननीय कल्याण मंत्री द्वारा उठाये गये मुद्दों के बारे में हमने सुझाव दिये थे। क्या यह सच नहीं है कि लगभग सभी दलों ने अनुसूचित जाति के इसाइयों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की आवश्यकता के पक्ष में अपने मत व्यक्त किए थे। उस समय माननीय मंत्री ने भी खुले तौर पर यह मत व्यक्त किया था कि यह मांग उचित है और इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि अब जबकि उन्होंने 86वां संविधान (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत कर दिया है तो क्या वह सभा में प्रस्तुत संविधान (संशोधन) विधेयक में अनुसूचित जाति इसाइयों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के लिए संशोधन लायेंगे?

[हिन्दी]

श्री सीताराम केसरी : मान्यवर, यह प्रश्न से संबंधित नहीं है।

[अनुवाद]

श्री शोभनादीश्वर राव वाड्डे : यह क्या है, महोदय। इस प्रकार

नहीं होना चाहिए। आप हमारे हितों की रक्षा करें।

[हिन्दी]

श्री सीताराम केसरी : मान्यवर, उन्होंने अपने प्रश्न में अन्तिम बात ये पूछी कि क्या अनुसूचित जाति में अनुसूचित जाति के क्रिश्चियन्स को शामिल करने का प्रश्न है, तो मैंने कहा है कि उस पर प्रश्न ही नहीं उठता। उस पर डिस्कशन ही नहीं हुआ है।

श्री श्रीकान्त जेना : इसमें दो मुद्दे हैं जो ऐजेण्डा पर थे। एक मुद्दा पहले वाला जिसमें था कि –

[अनुवाद]

क्या अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की रक्षा के लिए तथा अन्य पिछड़ी जातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए। मंत्री जी का कहना है कि सर्वदलीय बैठक में कुछ राजनैतिक दलों ने अन्य पिछड़ी जाति वाले भाग का विरोध किया था। मैं जानना चाहता हूं कि इसका विरोध किसने किया था। दूसरा मुद्दा था कि क्या केन्द्रीय सरकार के शिक्षा संस्थानों में अन्य पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया जाये। (व्यवधान) एक मिनट ठहरिए, मुझे पूरा करने दीजिए ....**(व्यवधान)**

12.00 मध्याह्न

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यह बात यहां हाउस जानना चाहता है कि वे कौन लोग थे, वह कौन–सी पार्टी थी जिसने इसका विरोध किया है? यह बात यहां हाउस में आनी चाहिए।...**(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना : मैंने दो मुद्दे पूछे हैं कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ओ.बी.सी. को एडमिशन में रिज़र्वेशन व ओ.बी.सी. को प्रमोशन में रिजर्वेशन देने के लिए कौन सी पोलिटिकल पार्टी ने अपोज किया है। कृपा करके आप यह बताइये।....**(व्यवधान)**

श्री सीताराम केसरी : मान्यवर, मैंने पहले भी कहा और पुनः कह रहा हूं कि शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन इन प्रमोशन में लगभग सभी एक राय हैं ....**(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना : लगभग से क्या मतलब?

श्री सीताराम केसरी : लगभग का मतलब सभी। जो मानना है, मान लीजिए। जहां तक ओ.बी.सी. का प्रश्न है, ओ.बी.सी. पर विचारों में मतभेद रहे हैं ....**(व्यवधान)**

अनेक माननीय सदस्य : कौनसी पार्टी ने किया?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : किन लोगों ने विरोध किया है, यह बात हाउस में बताइये।

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : माननीय मंत्री सभा को गुमराह कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मंत्री जी, आप हाउस में यह बात बताइये कि किस पार्टी ने अपोज किया?.....**(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना : किस पार्टी ने अपोज किया है? सबने इसका सपोर्ट किया है कि ओ.बी.सी. का प्रमोशन में रिजर्वेशन होना चाहिए।....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री शोभनादीश्वर राव वाड्डे : सभा को सूचित किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठेंगे तो वे बताएंगे, अगर आप नहीं बैठेंगे तो नहीं बताएंगे।

श्री सीताराम केसरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं कहा कि किसने विरोध किया ....**(व्यवधान)** मैंने यह कहा कि सिर्फ एक इश्यू पर एकमत थे, वह शैड्यूल्ड कास्ट व शैड्यूल्ड ट्राइब्ज का रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मामला है। दूसरे इश्यू पर बहुत से लोगों ने कोई मत नहीं दिया और यह कहा कि ...**(व्यवधान)**

श्रीं अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, कल्याण मंत्री सदन को गुमराह कर रहे हैं। मैं बैठक में उपस्थित था। पिछड़े वर्गों के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन हो या नहीं, इस पर बैठक में विस्तार से चर्चा नहीं हुई। इसलिए समर्थन या विरोध का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री सीताराम केसरी : मैं इसलिए कह रहा हूं ....**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह आप नहीं कह रहे हैं।

श्री सीताराम केसरी : हमारी बात का आप समर्थन कर रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं .... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह गलत है। आपने अपना प्रश्न पूछ लिया है, अब आप उसका उत्तर सुनिए।

[हिन्दी]

अगर आप बीच–बीच में उठेंगे तो वे बैठ जाएंगे।

श्री सीताराम केसरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा कि सारे मुद्दों में यही एक मुद्दा था जिस पर सभी एकमत थे। और मुद्दे पर जैसा कि अटलजी ने ठीक कहा, आज यहां सोमनाथ चटर्जी नहीं हैं और हमारे सी.पी.आई. के लोग भी यहां पर हैं, इन लोगों ने जो राय दी है, सारा रेकार्ड तैयार है .... **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : सर, निर्णय हुआ था। आप सही बोल रहे हैं कि निर्णय हुआ था लेकिन आप उसे छिपा रहे हैं। सब लोगों ने राय दी थी।... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : देखिये, क्वेश्चन ऑवर खत्म हो गया है, आप थोड़ा सा बोलकर बैठ जाइये। .... **(व्यवधान)**

श्री सीताराम केसरी : मेरा आपसे निवेदन यह है ...(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : राय क्या दी थी, आप इतना बता दीजिये ... **(व्यवधान)**

श्री सीताराम केसरी : सबने राय दी थी मगर मैं फिर कह रहा हूं कि शैड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के प्रोमोशन में रिजर्वेशन के सवाल पर सभी एकमत रहे हैं मगर और चीजों पर, विशेष तौर से ओ.बी.सी. के रिजर्वेशन के सवाल पर कुछ लोगों ने कहा और कुछ लोगों ने नहीं कहा ...**(व्यवधान)**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : सदन को गुमराह किया है, माननीय मंत्री आपने ... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

रसोई गैस डीलरों को कमीशन

***804. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :**

श्री रवि राय :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसोई गैस डीलरों को देय कमीशन में हाल ही में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस कमीशन में कितनी वृद्धि की गई है; और

(ग) यह वृद्धि कब से लागू कर दी जाएगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). कमीशन बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। कमीशन में वृद्धि स्लैब–1 के लिए 50 पैसे प्रति सिलेंडर और स्लैब–2 के लिए 45 पैसे प्रति सिलेंडर होगी।

(ग) वृद्धि 1.4.95 से लागू की जाएगी।

कुओं की खुदाई

***805. श्री रतिलाल वर्मा:**

श्री प्रेम चन्द राम :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने "भूमिगत जल की खोज संबंधी वैज्ञानिक कार्यक्रम" के अन्तर्गत आठवीं योजना के निर्धारित लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अब तक राज्य वार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितने कुएं खोदे हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1995–96 के दौरान कुओं की खुदाई के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). केन्द्रीय भूजल बोर्ड कुओं की खुदाई नहीं करता है। तथापि, यह भूजल अन्वेषण के प्रयोजन हेतु मुख्यतः बेधनछिद्रों की ड्रिलिंग करता है। बोर्ड द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना में अब तक किए गए कार्य और वर्ष 1995–96 के लिए लक्ष्य के संबंध में विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आठवीं योजना के दौरान बेधनछिद्रों की ड्रिलिंग का लक्ष्य	ड्रिल किए गए बेधन छिद्रों की संख्या (1992–93 से 1994–95 त क	1995–96 में ड्रिल किए जाने वाले प्रस्तावित बेधनछिद्र
1.	2.	3.	4.	5.
1.	आंध्र प्रदेश	500	262	90
2.	अरुणाचल प्रदेश	20	6	3
3.	असम	150	63	24
4.	बिहार	400	108	40
5.	दिल्ली	–	26	11
6.	गोवा	–	–	–
7.	गुजरात	150	20	460
8.	हरियाणा	30	124	30
9.	हिमाचल प्रदेश	35	15	7
10.	जम्मू व कश्मीर	50	21	16
11.	कर्नाटक	350	288	90
12.	केरल	20	58	40
13.	मध्य प्रदेश	600	254	107
14.	महाराष्ट्र	550	174	62
15.	मणिपुर	5	–	–
16.	मेघालय	50	12	8
17.	मिजोरम	5	–	–
18.	नागालैंड	–	–	–
19.	उड़ीसा	590	230	77
20.	पंजाब	100	–	–
21.	राजस्थान	500	248	101

1.	2.	3.	4.	5.
22.	सिक्किम	15	4	–
23.	तमिलनाडु	250	177	45
24.	त्रिपुरा	10	–	–
25.	उत्तर प्रदेश	500	116	62
26.	पश्चिम बंगाल	200	69	23
संघ राज्य क्षेत्र				
1.	अंदमान व निकोबार	50	–	4
2.	चंडीगढ़		–	–
3.	दादर व नगर हवेली		2	–
4.	दमन व दीव		–	–
5.	लक्षद्वीप		–	–
6.	पांडिचेरी		–	–
	कुल	5330	2461	900

कोयला खानें

***806. डा. लाल बहादुर रावल :**

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य–वार कितनी कोयला खानें हैं;

(ख) इन खानों से प्रतिदिन अनुमानतः कितनी मात्रा में कोयला निकाला जाता है; और

(ग) इन खानों में कितने श्रमिक कार्यरत हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) और सिंगरेनी कोलियरीज़ कपनी लि. (सिं.को.कं.लि.) में वर्ष 1994–95 के दौरान कोयले का कुल उत्पादन क्रमशः 223.15 (मि. टन) और 25.65 (मि. टन) हुआ। वर्ष के दौरान 300 कार्य दिवस की संकल्पना करते हुए कोल इंडिया लि. और सिंगरेनी कोलियरीज़ कम्पनी लि0 में कोयले का औसतन दैनिक उत्पादन क्रमशः 0.744 मिलियन टन (मि. टन) प्रति दिन और 0.0855 मि.ट. प्रति दिन होने का हिसाब लगाया गया है।

(ग) 31.12.1994 की स्थिति के अनुसार को.इं.लि. और सिं.को. कं.लि. में कुल श्रमशक्ति क्रमशः 6,46,326 और 1,14,402 थी।

विवरण

कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) और सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि. (सि.को.कं.लि.) द्वारा उत्खनित की जा रही कोयला खानों की राज्यवार संख्या नीचे दर्शायी गई हैं :

	को.इं.लि.	सिं.को.क.लि.
पश्चिम बंगाल	110	–
बिहार	184	–
मध्य प्रदेश	129	–
उत्तर प्रदेश	4	–
महाराष्ट्र	44	–
उड़ीसा	20	–
असम	6	–
मेघालय	1	–
आंध्र प्रदेश	–	66
जोड़	498	66

[अनुवाद]

उपग्रह संचार-प्रणाली

***807. श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी**

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश में उपग्रह संचार प्रणाली के माध्यम से किन–किन क्षेत्रों में टेलीफोन चालू किये गये हैं;

(ख) देश में माइक्रोवेव सम्पर्क के माध्यम से टेलीफोन नेटवर्क का विस्तार करने संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) किन–किन क्षेत्रों में "ग्रुप डायलिंग" प्रणाली उपलब्ध है; और

(घ) वर्ष 1995–96 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) देश में हिमाचल प्रदेश सहित जिन क्षेत्रों में टेलीफोन उपग्रह संचार प्रणाली के माध्यम से प्रदान किए गए हैं उनके ब्यौरे संलग्न विवरण–1 में दिए गए हैं।

(ख) देश में 1995–96 के दौरान लगभग 5500 किलोमीटर माइक्रावेव लिंक चालू करने की योजना है। ब्यौरे संलग्न विवरण–2 में दिए गए हैं।

(ग) देश के भौगोलिक क्षेत्र को 2645 शार्ट–डिस्टेंस चार्जिंग क्षेत्रों (एस. डी. सी. ए.) में विभक्त किया गया है, जिसमें से 2138 एस.डी.सी.ए. में ग्रुप डायलिंग उपलब्ध कराई गई है। सर्किल–वार ब्यौरे संलग्न विवरण–3 में दिए गए हैं।

(घ) 1995–96 के दौरान इस प्रयोजन के लिए आबंटित निधि के ब्यौरे संलग्न विवरण–4 में दिए गए हैं।

विवरण - I

सम्पूर्ण देश में कार्यरत एम.सी.पी.सी. (मल्टी चैनल पर कैरियर) की एस.ए.टी. की सूची :

हिमाचल प्रदेश

1. अंज
2. भरमौर
3. बलुब्ल
4. झांझवली
5. काजा
6. किल्लर
7. कोटखाय
8. मोरंग
9. निचार
10. पूह
11. सांगला
12. उदयपुर

जम्मू तथा कश्मीर

1. भदरवा
2. किश्तवाड़
3. पुलवामा

उत्तर प्रदेश

1. बद्रीनाथ

तमिलनाडु

1. गिड्डालूर
2. पल्लीपाटू
3. तलवाडी
4. पन्नाईकाडू
5. के.सी. पट्टी

कनार्टक सर्किल

1. चेरंमबाडी
2. थीरीहल्ली
3. हुविनाहाडगाली
4. हस्तगाई
5. एम.एम. हिल्स

विवरण - II

माइक्रावेव स्कीम 1995-96 (6 जी.एच.जैड.) की कार्य योजना

क्रम सं.	रूट
पश्चिम	
1.	बम्बई–सूरत
2.	सूरत–अहमदाबाद
3.	पुणे–कोल्हापुर
4.	नागपुर–चन्द्रपुर
5.	कोल्हापुर–बेलगांव
दक्षिण	
1.	एर्नाकुलम–त्रिचूर
2.	मदुरई–नागरकोइल
3.	बेंगलूर–हुबली
4.	मदुरै–रामनद
5.	रावलपालन–राजमुन्दरी
6.	त्रिवेन्द्रम–एर्नाकुलम
7.	कोयम्बटूर–मदुरै
8.	सलेम–त्रिची
उत्तर	
1.	नई दिल्ली–लखनऊ
2.	अम्बाला–चंडीगढ़
3.	मुरादाबाद–लैंड्सडाउन
4.	अजमेर–उदयपुर
5.	आगरा–कानपुर–लखनऊ
6.	धर्मशाला–आशापुरी
पूर्व	
1.	मालदा–बालुरघाट
2.	कलकत्ता–बेरहामपुर
3.	कटिहार–सिलीगुड़ी
4.	कटक–केन्द्रपाड़ा
5.	पटना–देवरिया
6.	सिलीगुड़ी–कूचबिहार
7.	खगड़िया–सहरसा
8.	गोरखपुर–देवरिया
9.	सिलीगुड़ी–दार्जिलिंग
उत्तर-पूर्व	
1.	जोरहाट–कोहिमा
2.	गुवाहाटी–जोरहाट
3.	गुवाहाटी–कूचबिहार
4.	गुवाहाटी– बोगाईगांव–तुरा
5.	जोरहाट–तिनसुकिया
6.	जोरहाट–इटानगर

7 जी.एच.जैड. 34 एम.बी.आई.टी. (1995-96) के लिए संस्थापन कार्य

क्र.सं.	रूट
आंध्र प्रदेश	
1.	मनचेरियाल–एस.के. नगर
केरल	
1.	कोट्टायम–पाल्लई

2. एर्नाकुलम–उदूकी
3. कोट्टायम–अलेप्पी
4. क्यूलोन–पुन्नालूर
5. कालीकट–कालपेटा
6. क्यूलोन–तिरूवेल्ला
7. कोडई कनाल–पालानी

कर्नाटक

1. मैसूर–उदगमंडलम
2. बेंगलूर–तुमकुर
3. मैसूर–मंडिया
4. बेंगलूर–कोलार
5. बेंगलूर–चेन्नापाटना
6. हुबली–गाडक
7. डोडाबालकपुर–नंदी हिल

तमिलनाडु

1. तिरूनेलवेलि–तूतीकोरिन
2. विलूपुरम–पांडिचेरी
3. पांडिचेरी–नैयवेली
4. इरोडे–भवानी
5. कोठागुडम–भद्राचलम

बिहार

1. पूर्णिया–फोर्बेसगंज
2. सिंघारसी–दुमका

उड़ीसा

1. कटक–जगतसिंहपुर

सिक्किम

1. गंगटोक–दमथोंग

पश्चिम बंगाल

1. रायगड्डा–बोबली
2. केन्द्रपाड़ा–पारादीप
3. आसनसोल–दुर्गापुर–बांकुड़ा
4. पूरुलिया–रघनुनाथपुर
5. सुरी–बोलपुर
6. दार्जिलिंग–कालिम्पौंग
7. कलकत्ता–हल्दीया
8. बर्द्धवान–मेमारी
9. दलखेला–गंगारामपुर
10. हल्दीया–जगतबलबपुर

उत्तर-पूर्व (नार्थ-ईस्ट)

1. अगरतला–आइज़ोल
2. करीमगंज–सिलचर
3. पासीघाट–तिनसुकिया
4. मोकोकचुंग–कोहिमा
5. बोम्डीलाहिल–तेजपुर

गुजरात

1. वेरावल–उना
2. खम्बालिया–द्वारका
3. खम्बालिया–जामनगर
4. पेटलड–आनंद
5. मानवडर–पोरबन्दर

महाराष्ट्र

1. औरंगाबाद–बीड
2. उस्मानाबाद–बषी
3. अमरावती–अचलपुर
4. अकोला–बुल्ढाना
5. नागरपुर–भंडारा

मध्य प्रदेश

1. बिलासपुर–कोरबा
2. कोरबा–अम्बिकापुर
3. इंदौर–देवास

उत्तर (नार्थ)

हिमाचल प्रदेश

1. हमीरपुर–उना
2. बिलासपुर–बंडला

पंजाब

1. जालंधर–होशियारपुर
2. अबोहर–फाजिल्का

राजस्थान

1. कोटा–बारन
2. भट्टिंडा–श्रीगंगानगर
3. चुरू–झुनझुनू
4. चाक्सू–टोंक
5. सवाईमाधोपुर–चनसेन
6. कोटा–झालवाड़

उत्तर प्रदेश

1. झांसी–ललितपुर
2. लैसडाउन–गोपेश्वर
3. सुरकंडा–पौड़ी
4. कानुपर–झांसी

विवरण - III

सर्किलों में ग्रुप डायलिंग की उपलब्धता के सर्किलवार ब्यौरे

क्र. सं.	सर्किल का नाम	सर्किल में एसडीसीए की कुल सं.	एसडीसीए की सं. जहां ग्रुप डायलिंग प्रदान किया जा सकता है	एसडीसीए की सं० जहां ग्रुप डायलिंग उपलब्ध है	
				पूर्ण रूप से	आंशिक रूप से
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	242	238	138	83
2.	अंडमान और निको.	02	02	00	00
3.	असम	46	40	30	08
4.	बिहार	181	168	00	75
5.	गुजरात	161	156	125	29
6.	हरियाणा	54	54	29	16
7.	हिमाचल प्रदेश	33	29	08	21
8.	जम्मू एवं कश्मीर	34	26	00	11
9.	कर्नाटक	180	180	91	68
10.	केरल	58	48	41	07
11.	मध्य प्रदेश	360	311	236	58
12.	महाराष्ट्र	304	294	192	76
13.	नार्थ ईस्ट (उ. पूर्व)	83	43	00	00
14.	उड़ीसा	120	105	85	20
15.	पंजाब	55	55	37	18
16.	राजस्थान	258	225	193	25
17.	तमिलनाडु	129	129	82	45
18.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	269	226	79	171
19.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)				
20.	पश्चिम बंगाल	74	72	05	36
		2645	2401	1371	767

टिप्पणी : 2645–2401 = 244 एस डी सी ए में तो एक्सचेंज नहीं हैं अथवा सिंगल एक्सचेंज है। अतः इन 244 सार्ट डिस्टेंस चार्जिंग एरिया में ग्रुप डायलिंग की आवश्यकता नहीं है।

विवरण - IV

1995-96 के दौरान इस उद्देश्य के लिए आबंटित निधि दर्शाने वाली तालिका

क्र.सं.	स्कीम का नाम	देश के लिए निधि	हिमाचल प्रदेश के लिए निधि
1.	संचारण स्कीम	रु० 502.75 करोड़	रु० 46.2675 करोड
2.	एसडीसीसी के अधीन एस टी डी	रु० 225.66 करोड़	रु० 6.68 करोड़
3.	प्रमुख परियोजनाएं		
	(क) माइक्रोवेव तथा ओ एफ सी		
	(ख) उपग्रह	रु० 150 करोड़	रु० 3.0 करोड़

तेल परियोजनाएं

***808. श्रीमती वसुन्धरा राजे:**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ प्रमुख तेल परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय द्वारा जिन परियोजनाओं का चयन किया गया है, उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) उन परियोजनाओं की मूलतः अनुमानित लागत कितनी थी; और

(घ) उन परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाएं गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). उन मुख्य परियोजनाओं का ब्यौरा

नीचे दिया गया है, जिनके समय में वृद्धि हो जाने का अनुमान है :–

क्रम सं०	परियोजना का नाम	मूल लागत (करोड़ रु०)	पूर्णता का कार्यक्रम अनुमोदित	अनुमानित
1.	ओ एन जी सी दूसरी बसीन हजीरा गैस ट्रंकलाइन और हजीरा में तटीय टर्मिनल का विस्तार	3271.03	02/96	07/96
2.	आई सी पी–हीरा ट्रंक पाइपलाइन	704.16	12/94	05/95 (20.5.95 को पूर्ण कर लिया गया)
3.	आई ओ सी कांड़ला–भटिंडा उत्पाद पाइपलाइन	2081.84	05/95	11/95
4.	एन आर एल नुमालीगढ़ रिफाइनरी परियोजना	1830.00	07/97	02/99

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विभिन्न स्तरों पर संस्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी की जाती है और ध्यान में आए व्यवधानों को दूर करने के लिए कार्रवाई की जाती है। मंत्रालय का एक निगरानी प्रकोष्ट भी है जो कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं की मासिक प्रगति की समीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय में आयोजित तिमाही कार्यनिष्पादन समीक्षा बैठकों में सभी परियोजनाओं पर चर्चा की जाती है। तेल परियोजनाओं सहित केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाओं के कार्यान्वयन की कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा भी निगरानी की जाती है।

अवैध प्रवासी

***809. श्री उद्धव बर्मन :**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवैध प्रवासियों का पता लगाने के लिए अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत अनेक अधिकरणें का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन अधिकरणों ने अब तक कितने अवैध प्रवासियों का पता लगाया है; और

(घ) इनमें से कितने व्यक्तियों को स्वदेश वापस भेजा गया?

गृह मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) अवैध प्रवासी (न्यायाधिकरणों का निर्धारण) अधिनियम के अंतर्गत 16 अवैध प्रवासी (निर्धारण) न्यायाधिकरण और एक अवैध प्रवासी (निर्धारण) अपीलीय न्यायाधिकरण गठित किया गया है। ये न्यायाधिकरण असम राज्य में कार्य कर रहे हैं।

(ग) और (घ). अवैध प्रवासी (न्यायाधिकरणों द्वारा निर्धारण) न्यायाधिकरणों द्वारा अप्रैल, 1995 तक 9058 व्यक्तियों को अवैध प्रवासी घोषित किया गया था, जिनमें से 1298 व्यक्तियों को वापस भेजा जा चुका है।

कावेरी नदी जल विवाद

***810. श्री पी.सी. थामस :**

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी ने जहां से कावेरी नदी होकर बहती है, नदी के पानी के कितने–कितने हिस्से का दावा किया है;

(ख) इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा इस समय इसके पानी के कितने–कितने हिस्से का वास्तव में उपयोग किया जा रहा है;

(ग) प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के हिस्से में इसका कितना पानी आता है और कितने के बारे में इनके बीच विवाद है; और

(घ) केंद्रीय सरकार द्वारा इस विवाद के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) थाला राज्यों द्वारा दावा किया गया कावेरी नदी जल का हिस्सा निम्नवत है:–

तमिलनाडु	– 1892 और 1924 के समझौतों के प्रावधानों के अनुसार प्रवाह सुनिश्चित किया जाना है।
कर्नाटक	– 465 हजार मिलियन घन फुट
केरल	– 99.8 हजार मिलियन घन फुट
पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र	– 9.3 हजार मिलियन घन फुट

(ख) से (घ). भारत सरकार ने अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अंतर्गत कावेरी जल विवाद अधिकरण 2 जून, 1990 को गठित किया था। अधिकरण ने 25 जून, 1991 को एक आदेश पारित किया जिसमें कर्नाटक सरकार को निदेश दिया गया कि वह मासिक और साप्ताहिक निबंधन सहित तमिलनाडु के मैत्तूर जलाशय में 205 हजार मिलियन घन फुट जल की निर्मुक्ति सुनिश्चित करे तथा कावेरी थाले के कर्नाटक हिस्से में सिंचाई का क्षेत्र 11.2 लाख एकड़ तक सीमित रखे। इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु राज्य द्वारा पांडिचेरी के कराईकल क्षेत्र के लिए 6 हजार मिलियन घन फुट कावेरी जल की निर्मुक्ति करनी है। भारत सरकार ने अधिकरण का अंतिम पंचाट 10.12.1991 को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया।

इसके पश्चात् अधिकरण ने 3 अप्रैल, 1992 को स्पष्टीकरण

संबंधी एक आदेश पारित किया जिसमें कहा गया कि यदि किसी विशेष वर्ष में स्थिति में बदलाव आता है अथवा किसी पक्ष को अनुचित मुसीबत का सामना करना पड़ता है तो वह उचित आदेशों के लिए अधिकरण से आग्रह कर सकता है।

उसके बाद से कावेरी जल विवाद अधिकरण अंतिम पंचाट देने के लिए नियमित सुनवाई करता रहा है।

गैस के भंडार

*811. **श्री लाईता उम्ब्रे :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर राज्यों में गैस भंडारों की कुल अनुमानित क्षमता का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस क्षमता का अब तक कितना दोहन किया गया है;

(ग) क्या इस क्षेत्र में किन्हीं नये भंडारों का पता लगा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस क्षेत्र में इन संसाधनों के दोहन हेतु क्या योजनाएं बनाई गयी हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 1.4.1994 की स्थिति के अनुसार, उत्तर–पूर्व में गैस के निकासी योग्य भंडार निम्नवत् थे :–

असम	–	112.5 बी सी एम
नागालैंड	–	0.7 बी सी एम
त्रिपुरा	–	13.6 बी सी एम
अरुणाचल प्रदेश	–	4.2 बी सी एम

(ख) उत्तर–पूर्व में गैस का संचयी उत्पादन लगभग 46.4 बी सी एम है।

(ग) और (घ). उत्तरी हपजन, माकुम, भेकुलाजाम आदि में नए भंडार पाए गए हैं।

(ङ) उत्तर–पूर्व में गैस का उत्पादन स्थिर मांग के अधीन 9.99 एम एम एस सी एम डी के स्तर तक बढ़ाए जाने की योजना है।

सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण

*812. **श्री फूलचंद वर्मा :**

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने सिंचाई परियोजनाओं के आधुनिकीकरण के संबंध में प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) परियोजनाओं का मूल्यांकन पहले केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किया जाता है और उसके बाद उन्हें स्वीकृति के लिए भारत सरकार की सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति और योजना आयोग से निवेश स्वीकृति प्राप्त करनी है, तथा अपेक्षित निधियों की व्यवस्था करनी है।

विवरण

1-7-89 से 25-5-95 तक की अवधि के दौरान तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए केन्द्र में प्राप्त सिंचाई परियोजनाओं के आधुनिकीकरण के लिए प्रस्तावों का विवरण

परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु०)	केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्ति की तारीख	मूल्यांकन की स्थिति
1	2	3	4
आंध प्रदेश			
वृहद			
1. के.सी. नहर आधुनिकीकरण	198.00	फरवरी, 94	राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना करने के पश्चात् विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।
2. गोदावरी डेलटा आधुनिकीकरण	226.00	फरवरी, 91	संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार को जून, 91 में लौटा दी गई।
3. पेन्नार डेल्टा प्रणाली आधुनिकीकरण	120.00	जनवरी, 91	संशोधित परियोजना प्रस्तुत करने के लिए अगस्त, 91 में राज्य सरकार को लौटा दी गई।
बिहार			
वृहद			
1. धाका नहर आधुनिकीकरण	37.23	अक्तूबर, 90	आठवीं योजना में इसे शामिल न किए जाने के कारण परियोजना फरवरी, 91 में राज्य सरकार को लौटा दी गई।

1	2	3	4
2. सोन नहर चरण–1 का आधुनिकीकरण	235.95	जनवरी, 92	सलाहकार समिति द्वारा नवम्बर, 93 में इस शर्त पर स्वीकार्य पाई गई कि पर्यावरणीय स्वीकृति एवं राज्य वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ली जाए।
गुजरात			
वृहद			
1. मच्छ–1 का आधुनिकीकरण	6.01	फरवरी, 91	परियोजना, सलाहकार समिति द्वारा अगस्त, 93 में स्वीकार्य पाई गई। राज्य सरकार को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी है और राज्य वित्त विभाग की सहमति भेजनी है।
2. वानकहोरी वीयर हाइड्रोप्लस फ्यूज की व्यवस्था करना	8.58	जुलाई, 93	मार्च, 1994 में निवेश स्वीकृति दी गई।
3. एकीकृत सिंचाई विकास परियोजना	235.00	अक्तूबर, 92	संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के परियोजना लिए राज्य सरकार को फरवरी, 93 में लौटा दी गई।
मध्यम			
4, मिती का पुनरुद्धार	14.11	जून, 93	राज्य सरकार को विभिन्न आर्थिक मामले सुलझाने हैं।
हरियाणा			
वृहद			
1. जल संसाधन समेकन	1506.79	अक्तूबर, 93	राज्य सरकार को विभिन्न तकनीकी आर्थिक मामले सुलझाने हैं।
जम्मू एवं कश्मीर			
वृहद			
1. रणवीर नहर का आधुनिकीकरण	64.7	जनवरी, 92	राज्य सरकार को विभिन्न तकनीकी आर्थक मामले सुलझाने हैं।

1	2	3	4
मध्यम			
2. नई प्रताप नहर का आधुनिकीकरण	6.09	जनवरी, 92	राज्य सरकार को विभिन्न तकनीकी आर्थिक मामले सुलझाने हैं।
3. कथुआ नहर का आधुनिकीकरण	8.47	जनवरी, 92	राज्य सरकार को का विभिन्न तकनीकी आर्थिक मामले सुलझाने हैं।
4. डाडी नहर का आधुनिकीकरण	5.82	नवम्बर, 94	राज्य सरकार को का विभिन्न तकनीकी आर्थिक मामले सुलझाने हैं।
केरल			
वृहद			
1. नेय्यार सिंचाई परियोजना का आधुनिकीकरण	17.25	जून, 92	केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना के पश्चात् संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए फरवरी, 95 में राज्य सरकार को लौटा दी गई।
2. केरल कम्पोजिट सिंचाई परियोजना	1410.46	जुलाई, 92	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अगस्त, 1992 में राज्य सरकार को लौटा दी गई।
मध्य प्रदेश			
वृहद			
1. सिंघ चरण–।।	510.94	दिसम्बर, 92	सलाहकार समिति द्वारा दिसम्बर, 92 में इस शर्त पर स्वीकार्य पाई गई कि वन पहलू से स्वीकृति और राज्य वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ली जाए।
उड़ीसा			
वृहद			
1. जकोडिया नवीकरण परियोजना	27.39	अगस्त, 89	केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना के पश्चात्

1	2	3	4
			राज्य सरकार को संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।
2. डेल्टा विकास योजनाकी (महानदी डेल्टा कमान)	600.73	नवम्बर, 90	केन्द्रीय जल आयोग टिप्पणियों की अनुपालना के पश्चात् राज्य सरकार को संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।
पंजाब			
वृहद			
1. ऊपरी बारी दोआब नहर पुनः मॉडलिंग	105.67	जनवरी, 94	केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियोंकी की अनुपालना के पश्चात् राज्य सरकार को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।
2. रावी नदी के बाई तरफ की बादशाही नहर का विस्तार का आधुनिकीकरण	6.91	मई, 94	केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना के पश्चात् राज्य सरकार को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।
राजस्थान			
वृहद			
1. गंग नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण	250.84	मार्च, 93	संशोधित रिपोर्ट दो चरणों में भेजने के लिए परियोजना नवम्बर, 93 में लौटा दी गई है।
2. पारवती नहर का आधुनिकीकरण	10.95	मार्च, 91	केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना के पश्चात् राज्य सरकार को मई, 1991 में संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।
मध्यम			
3. गम्भीरी आधुनिकीकरण	16.71	अगस्त, 89	राज्य सरकार को परियोजना का अद्यतन लागत अनुमान प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।
उत्तर प्रदेश			
वृहद			
1. मेजा बांध को ऊँचा करना	52.18	मार्च, 92	सलाहकार समिति द्वारा 52.18 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के अतर्गत ही परियोजना पूरी करने की सलाह दी गई थी।
2. बुंदेलखंड और भोगलखंड क्षेत्र में चैनलों को पक्का करना	57.37	मई, 92	सलाहकार समिति द्वारा जून, 94 में इस शर्त पर स्वीकार्य पाई गई कि पर्यावरणीय स्वीकृति एवं राज्य वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए और राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त निधियों का आबंटन किया जाए।
3. घग्गर नहर का आधुनिकीकरण	0.26	अप्रैल, 90	केंद्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना के पश्चात् संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु अक्तूबर, 91 में राज्य सरकार को लौटा दी गई।
4. ऊपरी गंगा आधुनिकीकरण	467.76	मार्च, 91	जुलाई, 92 में निवेश स्वीकृति दी गई।
तमिलनाडु			
वृहद			
1. जल संसाधन समेकन परियोजना	1259.70	सितम्बर, 94	योजना आयोग द्वारा मई, 95 में 807.49 करोड़ रुपये अनुमानित लागत की निवेश स्वीकृति दी गई।
पश्चिम बंगाल			
वृहद			

1	2	3	4
1. कंगसाबती परियोजना का आधुनिकीकरण	329.07	जनवरी, 91	राज्य सरकार को सलाहकार समिति की टिप्पणियों की अनुपालना करने के पश्चात् संशोधित परियोजना प्रस्तुत करनी है।

[हिन्दी]

नई कोयला परियोजनाएं

*813. **श्री रामेश्वर पाटीदार :**

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1994–95 के दौरान मंजूर की गई नई कोयला परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) मंजूर की गई ऐसी प्रत्येक परियोजना की क्षमता कितनी है और इस पर कितनी लागत आएगी; और

(ग) इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग). सरकार द्वारा वर्ष 1994–95 के दौरान 3 नई कोयला खनन परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी गई, जिनके संबंध में ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

परियोजना/कंपनी का नाम	क्षमता प्रतिवर्ष मिलियन टन में	स्वीकृत लागत (करोड़ रु. में)	परियोजना उत्पादन प्राप्त किए जाने की लक्षित तारीख
1. पद्मावती खानी भूमिगत, सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि.	1.20	196.17	मार्च, 2000
2. ऊरीमरी ओपनकास्ट, सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.	1.30	95.33	मार्च, 1998
3. भुगोसी ओपनकास्ट, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	0.80	83.63	मार्च, 1999

[अनुवाद]

दूरसंचार उपकरण

*814. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :**

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री और सरकारी क्षेत्र के अन्य दूरसंचार उपकरण निर्माता एककों को दूरसंचार उपकरणों हेतु पर्याप्त कृयादेश देना बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार दूरसंचार के क्षेत्र में आत्म–निर्भरता प्राप्त करने की दृष्टि से स्वदेशी दूरसंचार उद्योग को बढ़ावा देने का है,

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, नहीं। दूरसंचार विभाग, मैसर्स आई. टी. आई. और सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य दूरसंचार इकाइयों को आर्डर देता आ रहा है। तथापि, उन्हें दिए गए आर्डरों की मात्रा निविदाओं में उल्लिखित उनके रैंक पर आधारित होती है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). जी हां। जिन उपस्करों का निर्माण देश में नहीं होता उन्हें छोड़कर, दूरसंचार उपस्कर की सारी खरीद, स्वदेशी विनिर्माताओं से ही की जाती है।

स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं:–

(i) नई औद्योगिक नीति के तहत, दूरसंचार उपस्कर का विनिर्माण लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है।

(ii) विदेशी प्रौद्योगिकी और विदेशी निवेश प्रस्तावों की "स्वतः अनुमोदन प्रणाली" शुरू की गई है।

(iii) दूरसंचार उपस्कर बनाने के लिए अपेक्षित कलपुर्जो और संघटकों पर सीमा शुल्क उत्तरोत्तर रूप से कम कर दिया गया है और उसे युक्तिसंगत बना दिया गया है।

(iv) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, जिसमें, दूरसंचार उपस्कर के प्रमुख विनिर्माण आधार के तौर पर भारत के उभरने की परिकल्पना की गई है, के तहत स्वदेशी अनुसंधान और विकास हेतु उपयुक्त वित्तपोषण–तंत्र स्थापित किया जा रहा है।

(v) सी–डॉट के जरिये अनुसंधान और विकास के स्थानीय प्रयासों को सहायता प्रदान की जा रही है।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

फरक्का बांध

*815. **श्री चित्त बसु :**

डा. असीम बाला :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का बांध बहुत ही खस्ता हालत में है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और इसके लिए क्या कारक उत्तरदायी हैं;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या वह उद्देश्य बिल्कुल पूरा नहीं हो पाया है जिसके लिए फरक्का बांध का निर्माण किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

(घ) जी नहीं। फरक्का बराज परियोजना अपना उद्देश्य पूरा कर रही है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

डाटा बैंक

***816. श्रीमती भावना चिखलिया :**

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रयोक्ताओं को वर्गीकृत डाटा की उपलब्धता को उदार बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं;

(घ) क्या एक डाटा बैंक की स्थापना करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो सूचना प्राप्त करने हेतु कौन-कौन से तरीके तय किये गये हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) जी, नहीं। वर्तमान में, प्रयोक्ताओं को वर्गीकृत डाटा की उपलब्धता को उदार बनाने का सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

नीदरलैंड द्वारा दूरसंचार के क्षेत्र में की गई पेशकश

***817. डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया :**

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नीदरलैंड सरकार ने भारत में संचार के क्षेत्र में सहयोग देने की कोई पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग

***818. श्री चेतन पी.एस. चौहान :**

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या के प्रतिशत के संबंध में विश्व बैंक की रिपोर्ट की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) सरकारी आकलन के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना है;

(घ) क्या विश्व बैंक द्वारा प्रयोग में लाए गए सूचक ग्राह्य हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (च). विश्व बैंक के एक प्रकाशन "सोशल इंडीकेटर्स आफ डिवलपमेंट – 1995" में भारत में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या 1970–75 की अवधि के दौरान 43 प्रतिशत और 1988–93 के दौरान 25 प्रतिशत के रूप में दर्शायी गई है। ये आंकड़े संबंधित अवधियों के अन्तिम वर्ष से संबंधित हैं, जिसके लिए बैंक के पास सूचना उपलब्ध थी। सरकारी अनुमानों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या 1972–73 में 51.5 प्रतिशत, 1977–78 में 48.3 प्रतिशत, 1983–84 में 32.4 प्रतिशत और 1987–88 में 29.9 प्रतिशत थी।

[हिन्दी]

विकलांग बच्चे

***819. श्रीमती शीला गौतम :**

श्री राजेश कुमार :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विकलांग बच्चों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार/संघ राज्यवार क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) विकलांग बच्चों के पुनर्वास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं; और

(घ) विकलांग बच्चों के पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (घ). राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ने 1991 में विकलांग बच्चों सहित विकलांग

... के दो पृथक प्रतिदर्श सर्वेक्षण कराया था। उनके निष्कर्ष ... में विवरण 1 से 3 में दिए गए हैं।

शहरी तथा ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में विकलांग बच्चों सहित विकलांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं:–

(1) विकलांग व्यक्तियों के लिए संगठनों को सहायता

(2) विशेष स्कूलों की स्थापना के लिए संगठनों को सहायता

(3) कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु संगठनों को सहायता

(4) सहायक यंत्रों एवं उपकरणों की खरीद/फिडिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता

(5) जिला पुनर्वास केन्द्र।

विवरण - 1

0 – 14 वर्ष आयु के शारीरिक विकलांग व्यक्तियों का प्रति 1000 पर वितरण - ग्रामीण क्षेत्र

राज्य	दृष्टि			श्रवण			वाणी	गति		
	0–4	5–9	10–14	0–4	5–9	10–14	0–14	0–4	5–9	10–14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश	5	5	6	9	2	9	*	26	10	7
असम	–	15	–	–	26	15		–	88	–
बिहार	29	10	14	26	40	35		8	29	21
गुजरात	7	6	13	12	–	–		73	9	24
हरियाणा	4	24	4	–	7	15		102	20	55
हिमाचल प्रदेश	4	–	5	–	–	–		13	4	9
कर्नाटक	4	–	–	–	4	10		16	16	4
केरल	3	–	6	–	5	23		37	3	12
मध्य प्रदेश	12	6	4	16	2	7		29	19	29
महाराष्ट्र	9	3	9	18	6	20		27	22	11
उड़ीसा	5	6	36	–	2	–		5	4	9
पंजाब	9	9	3	–	19	9		37	26	13
राजस्थान	3	3	4	7	13	11		47	6	80
तमिलनाडु	–	2	5	16	6	4		17	16	7
उत्तर प्रदेश	11	18	12	13	14	23		43	40	23
पश्चिम बंगाल	9	5	2	7	–	12		25	12	14
अखिल भारत	8	8	9	6	12	42	42 23 24	29	19	17

प्रभावी नमूना आकार की अपर्याप्तता के कारण राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा राज्यवार परिणाम प्रस्तुत नहीं किए गए।

विवरण-2

0 – 14 वर्ष आयु के शारीरिक विकलांग व्यक्तियों का प्रति 1000 पर वितरण - शहरी क्षेत्र

राज्य	दृष्टि			श्रवण			वाणी			गति		
	0–4	5–9	10–14	0–4	5–9	10–14	0–4	5–9	10–14	0–4	5–9	10–14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आंध्र प्रदेश	5	–	3	8	5	7		*		6	5	11
असम	22	–	–	–	24	–				–	109	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
बिहार	–	162	30	–	–	101				99	121	76
गुजरात	20	8	–	–	–	9				24	18	16
हरियाणा	–	35	13	–	–	–				–	80	–
हिमाचल प्रदेश	36	–	–	–	–	–				–	–	38
कर्नाटक	27	12	8	8	23	7				32	6	17
केरल	58	31	43	–	38	18				68	12	25
मध्य प्रदेश	–	7	7	8	8	–				28	40	24
महाराष्ट्र	6	4	3	10	–	8				4	5	6
उड़ीसा	2	–	–	–	10	–				–	–	–
पंजाब	22	6	–	–	27	13				17	–	30
राजस्थान	37	47	12	–	28	27				30	16	–
तमिलनाडु	6	–	8	11	11	11				20	18	10
उत्तर प्रदेश	15	16	–	–	9	–				22	–	12
पश्चिम बंगाल	–	17	9	24	31	21				24	12	24
अखिल भारत	12	15	7	7	13	10	35	39	9	21	16	15

* प्रभावी नमूना आकार की अपर्याप्तता के कारण राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा राज्यवार परिणाम प्रस्तुत नहीं किए गए।

विवरण - III

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा सूचित विलम्ब से विकास वाले बच्चों की प्रति हजार संख्या जो मंथर और पीछे हैं।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आयु 1–14	
	ग्रामीण	शहरी
1	2	3
आंध्र प्रदेश	25	20
अरुणाचल प्रदेश	54	132
असम	71	60
बिहार	36	29
गोवा	5	3
गुजरात	15	20
हरियाणा	31	33
हिमाचल प्रदेश	22	16
जम्मू व कश्मीर	40	31
कर्नाटक	14	17
केरल	15	32
मध्य प्रदेश	36	18
महाराष्ट्र	31	35
मणिपुर	16	3
मेघालय	19	20
मिजोरम	9	2
नागालैंड	92	83
उड़ीसा	47	21
पंजाब	49	18
राजस्थान	32	26
सिक्किम	55	28
तमिलनाडु	38	20

1	2	3
उत्तर प्रदेश	22	34
पश्चिम बंगाल	44	39
अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	13	6
चंडीगढ़	1	5
दादर एवं नगर हवेली	4	6
दमन और दीव	2	4
दिल्ली	2	47
लक्षद्वीप	21	28
पांडिचेरी	25	12
अखिल भारत	31	29

[अनुवाद]

रसोई गैस बाटलिंग संयंत्र

***820. श्री राजवीर सिंह :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीयों, अनिवासी भारतीयों और विदेशी कम्पनियों से रसोई गैस बाटलिंग संयंत्र स्थापित करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इन पर क्या निर्णय लिया है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ङ). समानांतर विपणन योजना के अंतर्गत निजी एजेंसियों को एल पी जी भरण संयंत्रों को स्थापित करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। तथापि, सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण आदि के संबंध में लागू संगत अधिनियमों तथा नियमों के अधीन उन्हें आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना होता है। मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर से उपलब्ध जानकारी के अनुसार 5 मई, 1995 तक 49 भरण संयंत्रों को लाइसेंस दिया गया है।

समानांतर विपणन योजना के अधीन कार्यकलाप करने के लिए निम्नलिखित पार्टियों से विदेशी सहयोग संबंधी प्रस्तावों को भारत सरकार ने अनुमोदित कर दिया है:–

1. मैसर्स हिन्दुस्तान एगिज एल पी जी बाटलिंग कं. लि.
2. मैसर्स वेस्टर्न इंडिया इंडस्ट्रीज लि.
3. मैसर्स वेस्टर्न एनर्जी इंडिया लिमिटेड
4. मैसर्स पंजाब पेट्रोलियम कारपोरेशन
5. मैसर्स वेस्टर्न इंडिया पेट्रोलियम लिमिटेड।

रसोई गैस कनेक्शन

8110. श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994–95 के दौरान विभिन्न प्राथमिकता वाले कोटा के अंतर्गत इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी किए गए रसोई गैस कनेक्शनों की संख्या क्या है;

(ख) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड को रास्ते में इन पत्रों को खो जाने के संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं जोकि उन्होंने रसोई गैस कनेक्शन देने के लिए जारी किए किये थे ; और

(ग) यदि हां, तो इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) अप्रैल, 1994 से मार्च, 1995 के दौरान इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड ने विभिन्न कोटों के अधीन प्राथमिकता आधार पर लगभग 1.37 लाख इन्डेन कनेक्शन जारी किए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) संसद सदस्यों की सिफारिशें पर आधारित प्राथमिकता वाउचरों के नहीं मिलने की शिकायतों को दूर करने के लिए एक विशेष प्राथमिकता वाउचर प्रणाली आरम्भ की गई है। विशेष प्राथमिकता वाउचर माननीय संसद सदस्यों को तिमाही आधार पर व्यक्तिगत रूप से वितरित किए जाते हैं। तेल कम्पनियों द्वारा पंजीकृत ए डी के तहत भेजी गई प्राथमिकता वाउचरों के नहीं मिलने की कुछ शिकायतें प्राप्त होती हैं। ऐसे मामलों में अभिलेख सत्यापित किए जाते हैं। यदि पंजीकृत ए डी के तहत भेजा गया प्राथमिकता वाउचर अपूर्ण पते के कारण तेल कम्पनी को वापस हो जाता है तो नया पत्र जारी करने के संबंध में तत्काल कार्रवाई की जाती है। यदि पार्टी को पत्र प्राप्त नहीं होता है अथवा तेल कम्पनी को वापस नहीं आता है तो आवश्यक निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए एक डुप्लीकेट प्राथमिकता वाउचर जारी किया जाता है।

वेतनमान

8111. श्री जगबीर सिंह :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सरकार के ग्रेड–1 के (राजपत्रित) अधिकारियों के वेतनमान केन्द्र सरकार के राजपत्रित अधिकारियों के वेतनमानों के समान हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने दिल्ली सरकार के ग्रेड–1 के अधिकारियों के वेतनमानों में विसंगति को दूर करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (घ). चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर, दिल्ली प्रशासन अधीनस्थ सेवा (ग्रुप–ख राजपत्रित) के ग्रेड–1 अधिकारियों को 1640–2900 के वेतनमान में रखा गया था, जबकि केन्द्र सरकार में अनुभाग अधिकारियों (ग्रुप–ख, राजपत्रित) को रु0 2000–3500 के वेतनमान में रखा गया था। वेतनमान, भर्ती अर्हता, ड्यूटी और जिम्मेवारियों, भर्ती की प्रणाली और जिसके आधार पर चयन किया जाता है, उस परीक्षा के स्तर पर आधारित होता है। डी.ए.एस.एस. ग्रेड–1 अधिकारियों को ड्यूटियां न तो केन्द्र सरकार के ग्रुप–ख राजपत्रित अधिकारियों के समान हैं और न ही उनके तुल्य हैं, अतः डी.ए.एस.एस. के ग्रेड–1 के और केन्द्र सरकार के ग्रुप–ख राजपत्रित अधिकारियों के वेतनमानों में कोई विसंगति प्रतीत नहीं होती है।

केन्द्र सरकार और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतनमानों और भत्तों पर विचार करने के लिए सरकार ने पांचवां केन्द्रीय वेतन आयोग गठित किया है।

बांग्लादेशी बच्चे

8112. श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ऊंट दौड़ के लिए मध्य–पूर्व के देशों को भेजे जाने वाले छोटे बांग्ला देशी बच्चों को बड़ी अधिक संख्या में छुड़वा कर महाराष्ट्र में मनखुर्द में डोंगरी रिमांड होम और चिल्ड्रन आवजर्वेशन होम में रखा गया है जहां वे गत कई वर्षों से पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है; और

(ग) उन्हें वापस बांग्ला देश भेजने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि 22.11.90 को 4 नाबालिग बच्चों के साथ 3 बंगलादेशी राष्ट्रिकों को गिरफ्तार किया गया था क्योंकि वे जाली वीसा पर दुबई जा रहे थे। 3 बंगलादेशी राष्ट्रिकों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए और उनकी सजा पूरी होने के बाद 27.12.92 को उन्हें वापस बंगलादेश भेज दिया गया था। तथापि चारों नाबालिग बच्चे अभी मनखुर्द आबजरवेशन गृह में हैं। 25 मार्च, 1992 को महाराष्ट्र पुलिस द्वारा, 9 बंगलादेशी और दो भारतीयों को गिरफ्तार किया, जो 25 नाबालिग बंगलादेशी बच्चों का अपहरण कर उन्हें ऊंट–दौड़ के लिए दुबई ले जा रहे थे। सभी नाबालिग बच्चों को अभिरक्षा में रखा गया है। इनमें से 17 बच्चों को अब बंगलादेश प्राधिकारियों के सुपुर्द कर दिया गया है। शेष 8 नाबालिग बच्चों को वापस नहीं भेजा गया है क्योंकि उनकी शिनाख्त उन 9 बंगलादेशी राष्ट्रिकों के बच्चों के रूप में की गयी जो अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं। महाराष्ट्र सरकार, बंगलादेशी नाबालिग बच्चो को वापस भेजने के लिए बंदोबस्त करने हेतु संबंधित प्राधिकारियों के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए है।

सरकार द्वारा आप्रवासन प्राधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें उन्हें निर्देश दिया गया कि जिन व्यक्तियों के साथ नाबालिग बच्चे हों और या नाबालिग दुल्हनें हो, आप्रवासन खिड़की पर क्लीयरेन्स देने से पहले ऐसे व्यक्तियों (भारतीयों सहित) के यात्रा दस्तावेजों की जांच करते समय अधिक सतर्कता बरतें।

डोगरी रिमांड होम में बंगलादेशी बच्चों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और मिलने पर सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सम्पत्ति विवाद के मामले

8113. श्री प्रफुल पटेल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुस्लिम कानून में अधिस्थापित नियम के अनुसार पिता की सम्पत्ति में मुस्लिम महिलाओं और विशेष रूप से पुत्रियों को एल आर और एल आर आर 1966 की धारा 148 के प्रावधान अंडमान में प्रचलित हैं;

(ख) यदि हां, तो अंडमान में इस बात की निगरानी सुनिश्चित करने वाली एजेंसी का क्या नाम है कि इन मामलों पर निर्णय लिए जाते समय उपरोक्त नियम के संबंध में मनमानी नहीं की जाती है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान तहसीलदार और सहायता आयुक्त (निपटान) द्वारा कतिपय निर्णयों में उपरोक्त नियमों के उल्लंघन की सरकार को ज़ानकारी मिली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन मामलों की समीक्षा करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ङ.). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गोवा में एस.टी.डी./पी.सी.ओ.

8114. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा के प्रमुख नगरों में कुल कितने एस.टी.डी./पी. सी.ओ. आबंटित किए गए हैं तथा वर्ष 1995–96 के दौरान कितने एस.टी.डी. कनेक्शन आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या संबंधित क्षेत्रों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से इस मामले में परामर्श किया जाता है; और

(ग) निष्पक्ष चयन को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) गोवा राज्य में 689 एस.टी.डी./पी.सी.ओ. आवंटित किए जा चुके हैं और 1995–96 के दौरान 300 एस.टी.डी./पी.सी.ओ. आबंटित करने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग). प्रत्येक गौण स्विचन क्षेत्र के लिए गठित एस.टी. डी./आई.एस.डी. पी.सी.ओ. आबंटन समिति, जिसमें तीन गैर–सरकारी सदस्य होते हैं, द्वारा एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. के आबंटन के लिए आवेदन पत्रों की छानबीन करने की वर्तमान प्रणाली में निष्पक्ष चयन सुनिश्चित है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में दूरसंचार सुविधाएं

8115. श्री अर्जुन सिंह यादव :

श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय स्तर पर दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार के संबंध में अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है;

(ख) क्या राज्य को मूलभूत सुविधाएं और आवश्यक धन उपलब्ध करा दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) वर्ष 1995–96 के दौरान उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग). वर्ष 1995–96 के दौरान डी ई एल के 145000 के लक्ष्य को पूरा करने हेतु विस्तार कार्यक्रम चलाने के लिए वर्ष के दौरान उत्तरोत्तर आवश्यक आंतरिक संरचनात्मक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। 1995–96 के दौरान उत्तर प्रदेश में दूरसंचार विकास कार्यक्रम के लिए अपेक्षित आवश्यक निधि भी उपलब्ध कराई जा रही है।

विवरण

वर्ष 1995-96 के दौरान टेलीफोन लाइनें (डी ई एल) प्रदान करने के राज्यवार लक्ष्य

क्र.सं.	राज्य	लाइनों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	134000
2.	असम	10000
3.	बिहार	40000
4.	गुजरात (दादरा, दीव, दमण तथा नगर हवेली सहित)	145000
5.	हरियाणा	40000
6.	हिमाचल प्रदेश	20000
7.	जम्मू और कश्मीर	5000
8.	कर्नाटक	136000
9.	केरल (लक्षद्वीप, संघ राज्य क्षेत्र सहित)	200000
10.	मध्य प्रदेश	85000
11.	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	285000
12.	पूर्वोत्तर (अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा सहित)	10000
13.	उड़ीसा	25000
14.	पंजाब (चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र सहित)	140000
15.	राजस्थान	110000
16.	तमिलनाडु (पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र सहित)	270000
17.	उत्तर प्रदेश	145000
18.	पश्चित बंगाल	110000
19.	दिल्ली	260000

[अनुवाद]

निजी फर्म द्वारा टेलीफोन का चलाया जाना

8116. श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश की दूरसंचार प्रणाली का संचालन करने के लिए जिन–जिन भारतीय और विदेशी कंपनियों को अनुमति दी गई है, उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अधिकतर विदेशी कंपनियां भारत के ही वित्तीय संसाधनों पर निर्भर रही हैं;

(ग) क्या सरकार की इस संबंध में कोई नीति है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा, रेडिया पेजिंग सेवा और मूल्यवर्धित सेवाओं के प्रचालन के लिए लाइसेंस, केवल भारतीय पंजीकृत कम्पनियों को ही जारी किए गए हैं। इन कम्पनियों का कोई विदेशी भागीदार भी हो सकता है। अब तक जारी किए गए लाइसेंसों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (घ). उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

विवरण

विभिन्न सेवाओं के प्रचालन के लिए लाइसेंसधारियों की सूची

(क) सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवाएं

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	शहर	लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख
1	2	3	4
1.	मै. हटचिसन मैक्स टेलीकॉम, देविका टावर, 6, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019	बम्बई	29.11.1994
2.	मै. भारती सेल्युलर लि., 15वीं मंजिल, देविका टावर, 6, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019	दिल्ली	29.11.1994
3.	मै. बी.पी.एल. सिस्टम्स एंड प्रोजेक्ट्स लि. 1/1, पैलेस रोड, बेंगलूर–560001	बम्बई	30.11.1994
4.	मै. स्टर्लिंग सेल्युलर लि., 19, कैथेड्रल गार्डन रोड, नन्गम्बक्कम, मद्रास–600034	दिल्ली	30.11.1994
5.	मै. उषा मार्टिन टेलीकॉम लि. 16 कम्यूनिटी सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110017	कलकत्ता	30.11.1994
6.	मै. मोदी टेलेस्ट्रा प्रा. लि. 13वीं मंजिल, हेमकुंत टावर, 98, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019	कलकत्ता	30.11.1994
7.	मै. स्काईसेल कम्यूनिकेशन प्रा. लि., सरदार मोहनसिंह भवन, कनॉट लेन, नई दिल्ली–110001	मद्रास	30.11.1994
8.	मै. आर.पी.जी. सेल्युलर सर्विस लिमिटेड, एन–83, प्रताप भवन, प्रथम मंजिल, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली–110001	मद्रास	30.11.1994

(ख) रेडिया पेजिंग सेवाएं

1.	मै. पेज प्वाइंट सर्विसेज (इंडिया) प्रा.लि, 29, बैंक स्ट्रीट, फोर्ट, बम्बई–400023	बम्बई, बेंगलूर	08.07.1994
2.	मै. मैट्रिक्स पेजिंग (इंडिया) प्रो.लि., अनिल चैम्बर्स (निकट क्राउन मिल्स) अंधेरी कुरला रोड, साकीनाका, बम्बई–400072	पुणे, बड़ोदरा राजकोट, बम्बई	20.07.1994 25.04.1995
3.	मै. टेलीसिस्टम (इंडिया) प्रा.लि. 23/1, XI मेन रोड, डाकघर के निकट, वसंत नगर, बेंगलूर–560052	मद्रास, बेंगलूर एर्नाकुलम, कोयम्बटूर, त्रिवेन्द्रम, मदुरै,	24.06.1994
4.	मै. ईजी कॉल कम्यूनिकेशन्स (इंडिया) प्रा. लि., एल बी/55, अंसल भवन,, 16, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली–110001	कलकत्ता, हैदराबाद नागपुर, इंदोर, भोपाल, विशाखापट्टनम, पटना	08.07.1994
5.	मै. माइक्रोवेव कम्यूनिकेशन्स लि., 1202, चिरंजीव टावर, 43, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019 दिल्ली	बम्बई, कलकत्ता बड़ोदरा, राजकोट अहमदाबाद, सूरत दिल्ली	27.06.1994 01.05.1995
6.	मै. ए बी सी कम्यूनिकेशन्स (इंडिया) प्रा. लि., 44 बी, नरिमन भवन, नरीमन प्वाइंट, बम्बई–400021	दिल्ली, कानपुर चंडीगढ़, वारणसी लुधिययाना अमृतसर	24.06.1995
7.	मै. उषा मार्टिन टेलीकॉम लि., 16, कम्यूनिटी सेन्टर, साकेत नई दिल्ली–110017	मदुरै, राजकोट, एर्नाकुलम, इंदौर कोयम्बटूर, विशाखापट्टनम	17.05.1994
8.	मै. बी.पी.एल. सिस्टम एंड प्रोनेक्ट्स लि., 64, चर्च स्ट्रीट, बेंगलूर–560001	एर्नाकुलम, त्रिवेन्द्रम	26.06.1994
9.	मै. हटचिसन मैक्स. टेलीकॉम, 12वीं मंजिल, देविका टावर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110065	अहमदाबाद, बेंगलूर पुणे, बड़ोदरा, चंडीगढ़ हैदराबाद, लुधियाना	03.08.1994

1	2	3	4
10.	मै. आरपीजी पेजिंग सर्विसेज लि. संगम सिनेमा कॉम्पलेक्स, सेक्टर IX, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110022	दिल्ली, मद्रास अहमदाबाद	11.08.1994
11.	मै. मोदी टेलीकम्यूनिकेशन लि. 12, फ्रेंड्स कालोनी, नई दिल्ली–110065	मद्रास, कानपुर, जयपुर चंडीगढ़ लखनऊ इंदौर, वाराणसी	19.08.1994
12.	मै. डी.एस.एस. मोबाइल कम्यूनिकेशन्स लि., 11–ए, आत्माराम हाउस, टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली–110001	बम्बई, मद्रास, दिल्ली, कलकत्ता हैदराबाद, बैंगलूर अहमदाबाद, कानपुर, लखनऊ और पुणे.	30.08.1994
13.	मै. वेस्टन पेजर्स प्रा. लि. वेस्टन हाउस, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली–110020	कानपुर नागपुर, सूरत, जयपुर, बड़ोदरा, चंडीगढ़, राजकोट, लखनऊ, विशाखापट्टनम, त्रिवेन्द्रम	13.01.1995
14.	मै. वेल्ट्रान टेलीकम्युनिकेशन्स लि. जे–189, पीपल्स को–आपरेटिव, लोहियानगर, पटना–800020	पटना, लुधियाना अमृतसर, सूरत, नागपुर	15.02.1995 18.04.1995

(ग) अन्य मूल्यवर्द्धित सेवा

I. इलेक्ट्रोनिक मेल सेवा

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख
1	2	3
1.	मै. आई.सी. नेट प्रा. लि., सोरेण्टो "लैटिस ब्रिज रोड, अडयार, मद्रास–600020	लाइसेंस करार पर 07.01.94 को हस्ताक्षर हुए। सेवा शुरू। सेवा शुरू
2.	मै. डाटा लाइन एण्ड रिसर्च टेक्नालॉजी 31–ए, नोवल चेम्बर, चौथी मंजिल जन्मभूमि मार्ग, कोर्ट बम्बई–400001	लाइसेंस करार पर 11.05.94 को हस्ताक्षर हुए। सेवा शुरू। सेवा शुरू।
3.	डाटाप्रो इन्फॉर्मेशन टेक्नालॉजी प्रा.लि., ई एल–21, इलेक्ट्रानिक जोन, एम.आई.डी.सी. भोसारी, पुणे–411026	लाइसेंस करार पर 03.06.94 को हस्ताक्षर हुए।
4.	मै. विप्रो इंफोटेक लि., 88, एम.जी.रोड, बेंगलूर–560001	लाइसेंस करार पर 21.07.94 को हस्ताक्षर हुए।
5.	मै. स्प्रिंट आर.पी.जी. इंडिया लि., गुलमोहर हाउस 161/बी–4, गौतम नगर युसुफ सराय, नई दिल्ली–110049	लाइसेंस करार पर 10.8.94 को हस्ताक्षर हुए। सेवा प्रारंभ सेवा प्रारम्भ
6.	मै. ग्लोबल टेलीकॉम सर्विस लि., 412, जन्मभूमि चैम्बर्स, 29 वालचंद हीराचंद मार्ग, बम्बई–400038	लाइसेंस करार पर 24.8.94 को हस्ताक्षर हुए।
7.	मै. बी एस एन एल, विदेश संचार भवन, एम जी फोर्ट, बम्बई–400001	लाइसेंस करार पर 25.10.94 को हस्ताक्षर हुए।
8.	मै. सी.जी. ग्राफनेट प्रा.लि., 11, टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली–110001	लाइसेंस करार पर 26.10.94 को हस्ताक्षर हुए।
9.	मै. अर्चना टेलीकॉम सर्विस प्रा. लि., ग्रोन्डलै सिनेमा कॉम्पलेक्स, कम्युनिटी कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली–110065	लाइसेंस करार पर 15.12.1994 को हस्ताक्षर हुए।
10.	मै. सी.एम.सी. लि., 1 रिंग रोड, किलोकरी, महारानी बाग के सामने, नई दिल्ली–110014	लाइसेंस करार पर 18.1.95 को हस्ताक्षर हुए। सेवा प्रारंभ

II. ऑडियोटेक्स सहित वॉयस मेल सेवा

1. मै. मोदी टेलेस्ट्रा प्रा.लि., हेमकुंत टावर, 98 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019 — लाइसेंस करार पर 20.2.95 को हस्ताक्षर हुए।

2. इंडचेम, विक्रम टावर, 11वां तल, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110008 — 6.2.95 को लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर हुए।

III. 64 के.बी.पी.एस. डाटा सर्विस वाया सेटेलाइट

1. मैसर्स ह्यूज़स एस्कोर्ट्स कम्यूनिकेशन 2 तल इंटरनेशनल ट्रेड टावर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019 — 3.8.94 को लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर हुए

2. मैसर्स कॉमसेट एम.ए.एक्स. प्रा. लि., देविका टावर, 6 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019 — 22.8.94 को लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर हुए।

3. मैसर्स आर.पी.जी. टेलीकॉम लि., प्रथम तल, प्रताप बिल्डिंग, एन–83, कनाट सर्कस, नई दिल्ली–1 — 9.9.94 को लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर हुए।

4. मैसर्स विप्रो इन्फोटेक, 88 एम.जी. रोड, बेंगलोर–560001 — 15.9.94 को लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर हुए।

5. मैसर्स एमडिअस इनवेस्टमेंट्स एंड फिनांस लेन्टिन चैम्बर्स, दलाल स्ट्रीट, बम्बई–400023 — 30.12.94 को लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर हुए।

6. मैसर्स कॉमनेट सिस्टम एंड सर्विसेस लि., 806–808, सिद्धार्थ, 96, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019 — 30.12.94 को लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर हुए।

7. मैसर्स डाटालाइन एंड रिसर्च टेक्नालॉजीस (आई) लि., लॉरेंस रोड, मापो हाउस, 276, डा. डी.एन. रोड, फोर्ट, बम्बई–400001 — 30.12.94 को लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर हुए।

8. मैसर्स हिमाचल फुटुरिस्टिक कम्यूनिकेशन लि., 8, कमर्शियल कॉम्पलेक्स, मस्जिद मोड़, नई दिल्ली–110048 — 30.1.95 को लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर हुए।

9. रामा ऐसोसिएट्स लि., जे–27, साउथ एक्सटेंशन–1, नई दिल्ली–110009 — 28.3.95 को लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर हुए।

10. मैसर्स इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि., बेंगलूर — 8.5.95 को लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर हुए।

पेट्रोल और डीजल की मांग

8117. श्री ए. इन्द्रकरण रेड्डी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक, कृषि, वाणिज्य और सरकारी प्रशासनिक क्षेत्रों में अलग–अलग रूप से पेट्रोलियम उत्पादों विशेष रूप से पेट्रोल और डीजल की मांग का आकलन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). पेट्रोलियम उत्पादों का ईंधन के रूप में अथवा फीड स्टाक के रूप में अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। घरेलू क्षेत्र में एल पी जी तथा केरोसीन भोजन पकाने तथा प्रकाश के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख उत्पाद हैं। परिवहन क्षेत्र में, एम एस, डीजल तथा ए टी एफ ईंधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग में लाए जाने वाले उत्पाद नेफ्था/एन जी एल्, एच एस डी, एल डी ओ, एफ ओ/एल एस एच एस, इत्यादि हैं। कृषि क्षेत्र में एच एस डी पंपसेटों, ट्रेक्टरों, हर्विस्टरों इत्यादि के लिए ईंधन के रूप में उपयोग मेंलाया जाता है। एल डी ओ, डीजल, एन जी एल/नेफ्था तथा एफ ओ/एल एस एच एस विद्युत उत्पादन के लिए प्राथमिक एवं अनुषंगी दोनों ही रूपों में उपयोग में लाए जाते हैं।

एम एस (पेट्रोल) की समस्त खपत आटोमोबाइल सेक्टर अर्थात् कारों तथा तिपहियों/दोपहियों में है। 1992–93 तथा 1993–94 में एम एस की वास्तविक खपत क्रमशः 3595 टी एम टी तथा 3839 टी एम टी थी। 1992–93 तथा 1993–94 के दौरान डीजल की क्षेत्रवार खपत (लगभग) नीचे दी गई है:–

	1992–93 (टी एम टी)	1993–94 (टी एम टी)
1	2	3
रेलवे	1416	1441

1	2	3
राज्य के परिवहन उपक्रम	2036	2106
रक्षा	221	236
विद्युत	108	115
अन्य	2451	2707
कुल प्रत्यक्ष	6235	6695
खुदरा	18057	19273
योग :	24292	25395

बम्बई टेलीफोन डायरेक्टरी

8118. श्री राम नाईक :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग तथा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा बम्बई की टेलीफोन डायरेक्टरी हिन्दी व मराठी में छापे जाने पर विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय लिया जाएगा?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, बम्बई के लिए अगली मुख्य अंग्रेजी डायरेक्टरी के साथ हिन्दी में टेलीफोन डायरेक्टरी प्रकाशित करने का प्रस्ताव है। अभी मराठी में टेलीफोन डायरेक्टरी प्रकाशित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

ह्यूजस नेटवर्क

8119. डा. वसंत पवार :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपग्रह संचार उपकरण की आपूर्ति के संबंध में दूरसंचार विभाग और अमरीकी ह्यूजस नेटवर्क सिस्टम्स की बातचीत वर्तमान में किस चरण पर है;

(ख) इस उपकरण की कुल लागत कितनी है; और

(ग) सौदे के अनुसार इस उपकरण को कब तक भेज दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) दूरसंचार विभाग ने 64 के बीपीएस टीडीएम–टीडीएमए (बीएसएटी) डाटा नेटवर्क उपस्कर की आपूर्ति के लिए मैसर्स ह्यूजिज नेटवर्क सिस्टम इंक. को क्रय आदेश दे दिया है।

(ख) उपस्कर की कुल लागत 4720488 अमेरिकी डालर है।

(ग) क्रय–आदेश में दी गई वितरण अनुसूची के अनुसार उपस्कर, 2 जुलाई, 1995 तक वितरित किया जाना है।

अन्तर्राज्यीय बस अड्डे पर धोखाधड़ी के मामले

8120. श्री शिव शरण वर्मा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली के अन्तर्राज्यीय बस अड्डे पर धोखाधड़ी, यात्रियों को नशीली दवाएं खिलाने और उनका सामान लूटने के मामलों की संख्या में हुई अत्यधिक वृद्धि के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष ऐसे कितने मामलों का पता लगा और कितने असामाजिक तत्व गिरफ्तार किये गये;

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) यात्रियों की और उनके सामान की सुरक्षा के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग). 1995 के प्रथम चार महीनों के दौरान, आई.एस.बी.टी., दिल्ली पर यात्रियों को धोखा देने, उन्हें नशीले पदार्थ खिलाने के मामलों की संख्या में, वर्ष 1994 की तदनुरूपी अवधि की तुलना में, कमी आई है। यात्रियों का सामान गायब कर दिए जाने (छीन लेने) का कोई मामला (30.4.1995 तक) 1995 में दर्ज नहीं कराया गया।

1992, 1993, 1994 और 1995 (30.4.95 तक) के दौरान दर्ज कराए गए मामलों की संख्या, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) यात्रियों और उनके सामान की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:–

(i) आई.एस.बी.टी., दिल्ली पर चौबीसों घंटे, सादी वर्दी वाले और वर्दीधारी पुलिस कर्मियों की गश्त बढ़ा दी गई है।

(ii) समाज–विरोधी तत्वों और अपराधियों की शिनाख्त करने और उन्हें पकड़ने के लिए भेदिए भी लगाए जाते हैं।

(iii) जन–संबोधन प्रणाली पर घोषणाएं भी की जाती हैं।

(iv) ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए स्थानीय स्टाफ को उचित ढंग से नियमपूर्वक ब्रीफ किया जाता है।

विवरण

वर्ष	दर्ज कराए गए मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	उन व्यक्तियों की संख्या जिनके खिलाफ मामलों का चालान न्यायालय के लिए कर दिया गया	व्यक्तियों की संख्या		उन व्यक्तियों की संख्या जिनके खिलाफ मामले		छोड़ दिए गए व्यक्तियों की संख्या
				दोष सिद्ध	दोष मुक्त	मुकदमे के लिए लंबित हैं	जांच के लिए लंबित हैं	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
धोखाधड़ी								
1992	5	8	8	2	3	3	–	–
1993	12	5	5	3	1	1	–	–
1994	13	9	9	1	1	7	–	–
1995 (30.4.95 तक)	3	5	5	–	–	5	–	–
1994 (30.4.94 तक)	8	6	6	–	1	5	–	–
यात्रियों को नशीला पदार्थ खिलाना								
1992	–	–	–	–	–	–	–	–
1993	6	3	3	–	–	3	–	–
1994	1	2	2	–	–	2	–	–
1995 (30.4.95 तक)	–	–	–	–	–	–	–	–
1994 (30.4.94 तक)	1	2	2	–	–	2	–	–
यात्रियों का सामान गायब कर देना (छीन लेना)								
1992	–	–	–	–	–	–	–	–
1993	5	6	6	–	2	4	–	–
1994	–	–	–	–	–	–	–	–
1995 (30.4.95 तक)	–	–	–	–	–	–	–	–
1994 (30.4.94 तक)	–	–	–	–	–	–	–	–

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं

8121. श्री सैयद शहाबुद्दीन :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न मंत्रालयो द्वारा विभागवार जारी की गई केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की सूची क्या है;

(ख) क्या राज्यों में ऐसी योजनाओं पर होने वाले केन्द्रीय परिव्यय को राज्यों के वार्षिक योजना परिव्यय के नाम डाला जाता है;

(ग) क्या विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के योजना परिव्यय की रूपरेखा तैयार करते समय योजना आयोग द्वारा इन योजनाओं पर होने वाले वास्तविक परिव्यय को ध्यान में रखा जाता है;

(घ) क्या सारे देश में व्यय में समानता सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा ऐसी योजनाओं पर किए जाने वाले योजना परिव्यय की समीक्षा योजना आयोग के परामर्श से की जाती है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री(श्री गिरिधर गमांग) : (क) केन्द्र प्रायोजित स्कीमें राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा तैयार की जाती हैं और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं। संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे क्रियान्वित की जा रही केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की एक सूची रखें और उसे मॉनीटर करें। योजना आयोग उपरोक्त कारणों से क्रियान्वित की जा रही सभी केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की एक समेकित सूची नहीं रखता।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ). विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के योजना परिव्यय निर्धारित करते समय योजना आयोग केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से वार्षिक योजना विचार विमर्शों के दौरान केन्द्र प्रायोजित स्कीमों सहित सभी स्कीमों की गहन समीक्षा करता है।

शिक्षा हेतु पृथक चैनल

8122. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

श्री चेतन पी. एस. चौहान :

श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा हेतु एक पृथक चैनल शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस चैनल से प्रसारण कब से प्रारम्भ किये जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

सिंचाई परियोजनाएं

8123. श्री धर्ममिक्षम :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक की सहायता से आंध्र प्रदेश में नागार्जुनसागर, मूसी और डिन्डी सिंचाई परियोजनाओं के शुरू किए गए और पूरे किए गए निर्माण–कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन परियोजनाओं का काम कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख). डिन्डी सिंचाई परियोजना पूर्व योजना अवधि में पूरी की गई थी, मूसी सिंचाई परियोजना पांचवीं योजना में पूरी कर ली गई है।

बायीं मुख्य नहर तथा 21वीं मुख्य शाखा पर गहरे कटावों की पहुंचों में छोटे कार्यों को छोड़कर, नागार्जुनसागर परियोजना की 21वीं मुख्य शाखा सहित बांध और उत्पलाव दायीं तट नहर और बायीं तट नहर पूरे कर लिये गये हैं। 8,95,200 हेक्टेयर की चरम सिंचाई क्षमता के मुकाबले 8,08,350 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित की गई है। परियोजना को 1996–97 में पूरा कर लिये जाने का कार्यक्रम है। इस परियोजना को विश्व बैंक की क्रेडिट सं0 1251–आई एन के तहत सितम्बर, 1976 से जून, 1985 की अवधि में 145 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता प्राप्त हुई थी। उपर्युक्त क्रेडिट के बदले, वास्तविक प्रतिपूर्ति 135.53 मिलियन अमरीकी डालर रही।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय जल प्रबन्धन परियोजना

8124. श्री एन.जे. राठवा :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय जल प्रबन्धन परियोजना के अन्तर्गत चल रही उप–योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं के अन्तर्गत कौन–कौन से कृषि योग्य कमान क्षेत्र आएंगे;

(ग) इन पर अब तक कितना व्यय किया गया है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के राज्यवार कार्यान्वयन हेतु विश्व बैंक से कितनी–कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त की गई है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा इन योजनाओं के लिए राज्यवार कितनी–कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ग). विश्व बैंक की सहायता से चलायी गयी राष्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोजना के अंतर्गत 11 भागीदार राज्यों में एक सौ चौदह योजनाएं शुरू की गई थीं। विवरण–1 संलग्न है। राष्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोजना चरण–1 अब 31.3.1995 को समाप्त हो गई है।

(घ) राष्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोजना के तहत क्रेडिट करार के अनुसार विश्व बैंक द्वारा भागीदार राज्यों को परियोजना लागत पर हुए व्यय के 90 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की गई थी। विवरण–2 संलग्न है।

(ङ) राष्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोजना के तहत शुरू की गई योजनाओं को केन्द्र सरकार द्वारा कोई केन्द्रीय सहायता प्रदान नहीं की गई।

विवरण - I

राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना के तहत उप योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा

कम सं.	योजना का नाम	स्वीकृति की तिथि	कृष्य कमान क्षेत्र	अनुमानित लागत (लाख रुपये)	3/95 तक प्रत्याशित व्यय (लाख रुपये)
1	2	3	4	5	6
क. आंध्र प्रदेश					
1.	तंडावा	12/87	20.82	511.0	663.4
2.	मुसी	5/90	13.36	334.0	465.1
3.	डिन्डी	3/90	6.57	164.0	233.1
4.	भैरवाथिप्पा	3/90	4.86	121.0	149.1
5.	अपर पनार	5/90	3.95	99.0	142.8
6.	आर.डी.एस.	7/87	24.58	614.0	530.4
7.	मैदावरम	9/90	30.35	756.0	509.7
8.	के.सी. नहर	3/92	81.38	894.0	582.3
9.	टी.बी.पी.	3/92	18.81	882.0	611.4
10.	एल.एल.सी. निमसागर	3/90	9.62	2305.0	691.1
	योग		242.80	6180.0	4578.4
ख. बिहार					
1.	हथुआ शाखा नहर	11/90	107.51	2617.1	424.2
2.	दुमराव शाखा	12/90	59.13	1524.0	258.8
	योग		166.64	4141.0	678.0
ग. गुजरात					
1.	साबरमती (धारोई बायीं तट नहर)	1/93	13.0	505.3	44.0
2.	मेशवो	1/93	6.9	248.0	17.6
3.	सरोई	7/94	4.1	107.0	–
4.	पटाडुंगारी	7/94	5.1	129.0	–
5.	गोण्डाली	7/94	1.4	46.0	–
6.	जोजवा	7/94	6.8	174.0	–
7.	मलान	7/94	3.4	116.6	–
8.	हिरन	7/94	2.6	90.0	–
9.	खरोद	7/94	1.3	54.0	–
	कुल		44.6	1469.9	61.6
घ. हरियाणा					
1.	भाखड़ा व्यास और पश्चिमी नहर प्रणाली में नहरों और जल मार्गों को पक्का करना		340.00	11200.0	10656.0
ङ कर्नाटक					
1.	मैदाला	3/90	0.47	15.0	28.8
2.	अरेशंकर	3/90	1.23	32.0	36.1
3.	नारेगट	5/90	0.65	20.0	23.2
4.	रामनहल्ली	3/90	1.94	55.0	60.5
5.	भादरा	12/87	92.36	1300.0	3835.0
6.	वाणी विलासी	12/87	12.50	300.0	500.0
7.	तुंगा	6/92	9.31	232.0	249.8
8.	शांतिसागर	6/92	2.89	70.0	109.8
9.	हगारि– बोम्मनहल्ली	3/90	2.96	74.0	201.1
10.	कंकनाला	5/90	2.14	54.0	102.9
11.	तुंगभद्रा बायां तट नहर 54वीं वितरणी	9/93	35.58	513.0	993.0
12.	तुंगभद्रा दायां तट नहर बेगवेडी	3/90	16.28		283.6
13.	तुंगभद्रा आर बी एच एल सी 7वीं	3/90	17.68		442.4
14.	चंद्रमपल्ली	3/89	5.24	160.0	276.0
15.	माक्रोनहल्ली	3/89	5.94	111.0	222.1
16.	कानवा	2/90	2.57	61.0	116.1
17.	अंजनापुरा	6/92	6.74	134.0	196.1
18.	अंम्बिलीगोला	6/92	3.20	67.0	115.0
19.	धर्मा	12/89	7.69	147.0	288.0
20.	गोण्डी आनिकट	9/93	4.47	144.0	100.0
21.	टी वी एच एल सी– 12वीं वितरणी	9/93	3.30	115.0	70.0

1	2	3	4	5	6
22.	टी वी एच एल सी – 13वीं वितरणी	9/93	9.21	328.0	75.0
23.	टी वी एच एल सी – 14वीं वितरणी	9/93	13.62	452.0	75.0
24.	टी वी एच एल सी – 15वीं वितरणी	9/93	6.91	220.0	75.0
25.	टी वी एच एल सी – 31वीं वितरणी	9/93	17.72	558.0	128.0
26.	टी वी एच एल सी – 55वीं वितरणी	9/93	6.41	228.0	253.0
27.	टी वी एच एल सी – 76वीं वितरणी	9/93	23.85	924.0	200.0
28.	टी वी एच एल सी – 85वीं वितरणी	9/93	11.35	362.0	100.0
29.	टी वी एच एल सी – 89वीं वितरणी	9/93	15.34	491.0	100.0
30.	टी वी एच एल सी – 98वीं वितरणी	9/93	12.94	413.0	100.0
31.	राया, वसवन्ना और बेल्ला	9/93	4.27	136.0	–
32.	गोकक	9/93	7.53	240.3	17.7
33.	इय्यनकेरे	9/93	1.57	49.3	35.7
34.	नया मदागा	9/93	2.01	63.6	35.6
35.	मदागा मासुर	7/94	2.86	99.0	–
	कुल		370.73	8594.2	9439.5
च. केरल					
1.	मालमपुझा	11/90	20.55	666.0	882.2
2.	पोथुंडी	2/91	4.99	151.0	300.2
3.	मंगलम	2/91	3.44	98.0	223.0
4.	पीछी	8/92	16.00	369.0	260.7
5.	वज़ानी	8/92	4.31	115.0	68.3
	कुल		49.29	1399.0	1734.4

1	2	3	4	5	6
छ. मध्य प्रदेश					
1.	साकलदा	5/91	2.35	64.0	87.3
2.	गगन	8/91	1.49	51.0	74.0
3.	सेगवल	5/91	1.20	36.0	87.2
4.	सुक्ता	3/91	17.64	377.0	140.0
5.	सोनखेरी	5/91	1.12	34.0	41.2
6.	रातापानी	3/91	2.69	50.0	95.0
7.	चिल्लार	3/91	7.11	143.0	245.0
8.	केतन	3/91	3.19	89.5	43.7
9.	चन्द्रशेखर	9/90	4.00	68.0	183.2
10.	वर्ना	2/91	57.90	1772.0	2034.3
11.	हलाली	2/91	27.92	838.0	957.3
12.	बिला	12/90	13.52	418.0	270.2
13.	ओधा	8/91	8.90	220.4	124.1
14.	परोंच	3/92	2.61	94.5	82.3
15.	मोला	8/91	3.56	105.0	43.7
16.	खरुंग	5/91	60.00	1664.0	255.5
17.	गंगुलपारा	5/91	4.09	126.0	46.9
18.	सरोदा	3/91	12.01	262.0	46.0
19.	तावा	1/93	41.00	1330.0	–
20.	मोरवान	5/91	4.00	198.0	–
	कुल		276.30	7940.4	4864.9
ज. उड़ीसा					
1.	हीराकुड	1/93	24.12	844.0	401.2
2.	महानदी डेल्टा चरण–1	6/92	10.22	306.0	144.0
3.	महानदी डेल्टा चरण–2	6/92	34.52	1036.0	89.0
4.	सालन्दी	12/91	10.00	299.0	139.0
5.	ऋषिकुल्या	3/92	12.62	378.0	126.1
6.	देरजंग	12/91	5.95	178.0	94.0
7.	सलैया	12/91	8.45	253.0	55.8
8.	धनेई	12/91	3.83	115.0	49.2
	कुल		109.71	3409.0	1098.3

1	2	3	4	5	6
झ. राजस्थान					
1.	जुछारा	7/94	2.02	79.0	–
2.	धील	7/94	6.58	219.0	–
3.	गुधा	7/94	10.39	450.0	–
4.	जेटपुरा	7/94	3.73	123.0	–
5.	नन्द सामन्द	7/94	7.78	242.0	–
6.	ओरई	7/94	9.26	414.0	–
7.	सैन्तल	7/94	3.27	127.0	–
8.	उमैद सागर	7/94	2.97	134.0	–
	कुल		46.10	1788.0	–
ट. तमिलनाडु					
1.	सतनूर	3/89	18.21	455.0	613.1
2.	ताम्रापरनी	3/88	44.18	1258.0	1871.1
3.	कोदायार	7/88	36.84	1267.0	1654.7
4.	कुबुंम घाटी	2/90	8.10	202.0	444.8
5.	मअमरावती	12/89	20.77	559.0	1316.9
6.	सतियातोपे	2/90	19.47	450.0	1051.2
7.	मरुदैनिदि	3/91	2.67	72.0	155.3
8.	थोलुदार	8/91	14.92	494.0	715.1
9.	चित्तर	6/92	9.64	241.0	670.3
10.	मंजलर	1/93	2.17	54.0	127.7
11.	परंबिकुलर	8/91	20.70	517.0	–
12.	पिल्लविक्कुल	1/93	3.60	91.0	–
13.	कृष्णगिरि	8/91	5.70	143.0	–
14.	थिरुकोईलुर	8/91	14.30	494.0	–
	कुल		221.27	6297.0	8620.2
ठ. उत्तर प्रदेश					
1.	शारदा नहर प्रणाली	5/91	454.0	1520.0	740.0
2.	लोअर गंगा नहर	5/91	1035.00	4644.00	–
	कुल		1489.0	6164.00	740.0

विवरण - 2

राष्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोजना के तहत विश्व बैंक से प्राप्त प्रतिपूर्ति का राज्यवार विवरण

(लाख रुपये)

क्रम सं.	राज्य	1992–93	1993–94	1994–95
1.	आंध्र प्रदेश	538.3	1131.0	912.9
2.	बिहार	190.0	166.0	–
3.	गुजरात	–	–	–
4.	हरियाणा	3652.0	4809.0	1221.6
5.	कर्नाटक	1312.8	1659.6	1048.4
6.	केरल	39.6	399.0	334.8
7.	मध्य प्रदेश	692.6	1111.5	250.1
8.	उड़ीसा	–	18.0	642.6
9.	राजस्थान	–	–	–
10.	तमिलनाडु	31381.4	1294.5	662.0
11.	उत्तर प्रदेश	–	46.0	280.0

[अनुवाद]

असम में एस.टी.डी./पी.सी.ओ.

8125. श्री द्वारका नाथ दास :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि अन्य राज्यों की तुलना में असम में एस.टी.डी./पी.सी.ओ. की संख्या कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या स्थानीय टेलीफोन को छोड़कर एस.टी.डी. वाले टेलीफोन खराब पड़े रहते हैं; और

(घ) यदि हां, तो असम में ग्रामीण एस.टी.डी./पी.सी.ओ. की संख्या में वृद्धि करने और इनके कार्यकरण में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, नहीं। असम में प्रदान कि गए कुल 1165 एस टी डी/आई एस डी पी सी ओ की संख्या अन्य कई राज्यों की तुलना में कम नहीं है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कोका कोला के साथ समझौता ज्ञापन

8126. श्री जार्ज फर्नान्डीज :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** 4 मई, 1995 के तारांकित प्रश्न संख्या 430 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोका कोला के साथ इसके उत्पादों के संवर्धन/बिक्री के संबंध में किसी समझौते/समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के तेल कम्पनियों के साथ इन समझौतों/समझौता ज्ञापनों से सरकारी क्षेत्र की तेल कम्पनियों को क्या लाभ होगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). मैसर्स कोका कोला इंडिया लिमिटेड (टी सी सी आई) और इंडियन आयल कारपोरेशन ने दिनांक 4 जनवरी, 1995 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। करार के ब्यौरे निम्नलिखित है :–

(1) इंडियन आयल कारपोरेशन अपने डीलरों को उनके खुदरा बिक्री केन्द्रों पर टी सी सी आई ट्रेड मार्क के तहत बेचे जाने वाले पेय पदार्थों की बिक्री करने की अनुमति देगा।

(2) टी सी सी आई अपनी लागत प्रर प्रत्येक खुदरा बिक्री केन्द्र पर आवश्यक उपस्कर उपलब्ध कराएगी।

(3) समझौता ज्ञापन, हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा।

(ग) यह प्रत्याशित है कि यह करार ग्राहकों की बदलती हुई आवश्यकताओं/प्रत्याशाओं को पूरा करने के लिए खुदरा बिक्री केन्द्रों पर उत्पादन उपलब्धता में वृद्धि करते हुए एक ग्राहक–अनुकूल संगठन के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र तेल कम्पनी की छवि में वृद्धि करेगा और इसके द्वारा ग्राहक सेवा/संतुष्टि को बढ़ाएगा। विदेशों में खुदरा बिक्री केन्द्रों पर सुविधा भंडार के जरिए मृदु पेय सहित अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री किया जाना एक आम व्यवहार है। यह खुदरा बिक्री केन्द्रों के प्रचालन में डीलरों की लाभप्रदता के लिए अतिरिक्त आय तथा बढ़त भी उपलब्ध कराएगा।

आधारभूत दूरसंचार सेवाएं

8127. श्री केशरी लाल :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेल्युलर और आधारभूत दूरसंचार सेवाओं के लिए निविदाएं जमा कराने की बढ़ाई हुई तिथियां समाप्त हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय और विदेशी कम्पनियों से कितनी निविदाएं प्राप्त हुई हैं और इन कम्पनियों के नाम क्या हैं;

(घ) लाइसेंस देने के लिए निर्धारित शर्तें क्या हैं;

(ङ) अब तक किन–किन कम्पनियों को लाइसेंस जारी किए गए हैं और उन्हें देश में सेल्युलर और आधारभूत सेवाएं प्रदान करने हेतु कौन–कौन से क्षेत्र आबंटित किए गए हैं;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) ये लाइसेंस कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी नहीं। सेल्यूलर और मूलभूत सेवाओं के लिए निविदाएं प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीखें क्रमशः 7 जून और 23 जून, 1995 हैं।

(ख) और (ग). उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सेल्यूलर और मूलभूत दूरसंचार सेवाओं से संबंधित निबन्धन एवं शर्तें विवरण–1 तथा 2 में दी गई हैं।

(ङ) चार महानगरों में सेल्यूलर सचल सेवा प्रदान करने के लिए प्रचालन क्षेत्र सहित कम्पनियों के नाम विवरण–3 में दिए गए हैं। देश में मूलभूत टेलीफोन सेवाएं प्रदान करने के लिए अभी तक कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है।

(च) सरकार ने अभी हाल ही में (चार महानगरों को छोड़कर) सेल्यूलर सचल टेलीफोन सेवा के प्रचालन के लिए और सम्पूर्ण देश में मूलभूत टेलीफोन सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत की पंजीकृत कम्पनियों से निविदाएं आमंत्रित की हैं।

(छ) निविदाओं को अन्तिम रूप देते ही सफल बोलीदाताओं को लाइसेंस जारी किए जाएंगे।

विवरण - I

20 सर्किलों के संबंध में सेल्यूलर सचल टेलीफोन सेवा के मुख्य निबंधन और शर्तें

1. निविदा प्रस्तुत करने की तारीख से पहले निविदाकर्ता भारत की एक पंजीकृत कम्पनी होनी चाहिए।

2. निविदाकर्ता कम्पनी में, कुल विदेशी इक्विटी का भाग, कुल इक्विटी का 49 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

3. निविदाकर्ता कम्पनी और उसके संवर्द्धक, भारतीय और विदेशी दोनों का निवल कारोबार सर्किलों के प्रत्येक वर्ग के लिए विनिर्दिष्ट राशि से कम नहीं होना चाहिए। विदेशी संवर्द्धक के निवल कारोबार पर उस स्थिति में विचार नहीं किया जाएगा यदि निविदाकर्ता कम्पनी की इक्विटी पूंजी में उसका भाग 10 प्रतिशत से कम है।

4. निविदाकर्ता के पास 1.1.95 की स्थिति के अनुसार सेल्यूलर सचल टेलीफोन प्रचालनों के संबंध में कम से कम 1 लाख लाइनों का उपभोक्ता–आधार अवश्य होना चाहिए और 1.1.95 की स्थिति के अनुसार सेल्यूलर टेलीफोन नेटवर्क के प्रचालन का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

5. 10 प्रतिशत अथवा अधिक इक्विटी भगी दारी वाली संवर्द्धक कम्पनी, जो सेल्यूलर सचल नेटवर्क की प्रचालक है, के अनुभव को

भी निविदाकर्ता कम्पनी के अनुभव में शामिल किया जाएगा।

6. निविदाकर्ता कम्पनी अपनी इच्छानुसार अधिक से अधिक कितने भी सर्किलों के लिए निविदा प्रस्तुत कर सकती है।

7. लाइसेंस धारक, लाइसेंस के प्रवर्तन की तारीख से 12 महीने के भीतर सेवा प्रदान करेगा।

8. सेवा, ग्रुप स्पेशल मोबाइल (जी एस एम) के मानकों के अनुरूप होगी।

9. सेवाएं, विभाग द्वारा निर्धारित सीलिंग टैरिफ के अंतर्गत प्रदान की जाएंगी।

10. लाइसेंस धारक, दूरसंचार विभाग को "एक्सेस" और "जंक्शन" प्रभारों के अलावा लाइसेंस शुल्क भी अदा करेगा।

11. लाइसेंस धारक, बेतार लाइसेंस शुल्क, डब्ल्यू पी सी रॉयल्टी, जी एम एम ओ यू प्रभार आदि भी अदा करेगा।

12. लाइसेंस, गैर–विशिष्ट आधार पर जारी किए जाएंगे।

विवरण - II

मूलभूत दूरसंचार सेवाओं के लिए लाइसेंस देने के संबंध में विनिर्दिष्ट मुख्य निबंधन और शर्तें

1. पात्रता की शर्तें :

(i) निविदाकर्ता, कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक निजी भारतीय कम्पनी होनी चाहिए। यदि विदेशी कम्पनी के साथ संयुक्त उद्यम हो तो विदेशी इक्विटी कुल इक्विटी का 49 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ii) निविदाकर्ता कम्पनी के पास 1.1.95 को 5 लाख टेलीफोन लाइनें प्रचालित करने का अनुभव होना चाहिए।

(iii) निविदाकर्ता कम्पनी का कुल कारोबार क, ख और ग वर्ग के सर्किलों के लिए क्रमशः 300 करोड़ रुपये, 200 करोड़ रुपये और 50 करोड़ रुपये से कम नहीं होना चाहिए।

(iv) संयुक्त उद्यम की कोई कम्पनी एक से अधिक निविदाकर्ता कम्पनी का भाग नहीं हो सकती है।

2. वाणिज्यिक शर्तें :

(i) लाइसेंस धारक, करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 12, 24 और 36 महीने की अवधि के लिए उसके द्वारा निविदा में प्रतिबद्ध लक्ष्यों के अनुसार सेवा चालू और प्रदान करेगा। लाइसेंस की अवधि के दौरान पहले 36 महीनों के बाद मांग पर टेलीफोन प्रदान करना होगा।

(ii) कम से कम 10 प्रतिशत सीधी एक्सचेंज लाइनें ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन के तौर पर प्रदान करनी होंगी।

(iii) दो नेटवर्कों के बीच स्थानीय और एस टी डी कालों के लिए तथा साथ ही साथ अन्य सर्किलों की एस टी डी कालों के लिए एवं आई एस डी कालों के लिए भी, कम्पनी के नेटवर्क को दूरसंचार विभाग के नेटवर्क के साथ जोड़ना होगा।

(iv) लाइसेंस की शर्तें और प्रतिबद्ध लक्ष्यों को पूरा न करने पर सरकार द्वारा परिसमाप्त क्षतिपूर्ति वसूल की जाएगी।

(v) लाइसेंस 15 वर्ष की अवधि के लिए होगा और यदि इससे पहले इसे समाप्त नहीं किया जाता है तो एक बार के लिए 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

3. तकनीकी शर्तें :

(i) चुने गए निविदाकर्ताओं का नेटवर्क, सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट तकनीकी और गुणवत्ता संबंधी मानकों के अनुरूप होगा।

(ii) उपभोक्ता लूप के लिए आप्टकल फाइबर और बेतार प्रौद्योगिकियों को प्राथमिकता दी जाती है। लूप के 500 मीटर के अंतिम भाग को छोड़कर तांबे की केबल लगाने की अनुमति नहीं है।

दूरसंचार विभाग के टैरिफ से अधिक नहीं होगा। जैसे ही सरकार द्वारा भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। टैरिफ का विनियमन उस प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।

(ii) लाइसेंस धारक, वित्तीय निविदा में उसके द्वारा उल्लिखित लाइसेंस की अवधि के लिए, लाइसेंस शुल्क वार्षिक किस्तों में अदा करेगा।

(iii) लाइसेंस धारक द्वारा, सरकार को देय भुगतानों और लाइसेंस की शर्तों के अनुपालन के संबंध में विनिर्दिष्ट राशियों की वित्तीय बैंक गारंटी और कार्य–निष्पादन संबंधी बैंक गारंटी प्रस्तुत की जाएगी।

विवरण - III

सेल्यूलर सचल टेलीफोन सेवा के लिए चुने गए लाइसेंस धारकों की सूची और उनके प्रचालन का क्षेत्र

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	विदेशी साझेदार का नाम	शहर	लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख
1.	मै. हयूचीसन मैक्स देविका टावर, 6, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019	मै. हयूचीसन वामपाओ	बम्बई	29.11.1994

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	विदेशी साझेदार का नाम	शहर	लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख
2.	मै. भारती सेल्यूलर लि., 15वीं मंजिल, देविका टॉवर, 6 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019	(i) मै. जनरल मोबाइल (ii) मै. एमटेली. लि. (iii) मै. मोबाइल सिस्टम्स इंटरनेशनल	दिल्ली	29.11.1994
3.	मै. बीपीएल सिस्टम्स एंड प्रोजेक्ट्स लि., 1/1, पेलेस रोड, बेंगलूर–560001	मै. फ्रांस टेलीकॉम मै. एलसीसी इनकार्पोरेशन	बम्बई	30.11.1994
4.	मै. स्टर्लिंग सेल्यूलर लि., 19, केथेट्रल गार्डन रोड, नुनगमबक्कम, यू.एस.ए. मद्रास–600034	मै. सेल्यूलर कम्यूनिकेशन इंटरनेशनल इनकार्पोरेशन	दिल्ली	30.11.1994
5.	मै. उषा मार्टिन टेलीकॉम लि., 16, कम्यूनिटी सेंटर साकेत, नई दिल्ली–110017	मै. टेलीकॉम मलेशिया बरहाड	कलकत्ता	30.11.1994
6.	मै. मोदी टेलस्ट्रा प्रा. लि., 13वीं मंजिल, हेमकुंड टावर, 98, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019	मै. ओटीसी इंटरनेशनल, आस्ट्रेलिया	कलकत्ता	30.11.1994
7.	मै. स्काईसेल कम्यूनिकेशन प्रा. लि. सरदार मोहन सिंह बिल्डिंग, कनाट प्लेस, नई दिल्ली–110001	मै. बैल साउथ, यू एस ए मै. मिलिकॉम इंटरनेशनल सेल्यूलर एस/ए	मद्रास	30.11.1994
8.	मै. आर पी जी सेलूलर सर्विस प्रा., एन–83, प्रताप बिल्डिंग, प्रथम तल, कनाट सर्कस, नई दिल्ली–110001	मै. वोडोफोन, यू.के.	मद्रास	30.11.1994

दूरदर्शन कार्यक्रमों के लिए समय का आबंटन

8128. श्री शोभनादीश्वर राव वाड्डे :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन के कार्यक्रमों में कृषि, उद्योग संस्कृति और शिक्षा के लिए प्रति–माह औसतन कितने समय का आबंटन किया जाता है;

(ख) क्या दूरदर्शन द्वारा कृषि कार्यक्रम के लिए समय बढ़ाने का विचार किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) प्रमुख दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा इन विषयों पर कार्यक्रमों को दिए गए अनुमानित समय का ब्यौरा इस प्रकार है:–

कृषि –	11.00 घंटे
उद्योग –	01.45 घंटे
संस्कृति –	09.05 घंटे
शिक्षा –	05.00 घंटे

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पुलिस का आधुनिकीकरण

8129. श्री अमर राय प्रधान :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों के राज्य पुलिस का आधुनिकीकरण करने संबंधी प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) चालू वित्तीय वर्ष 1995–96 के लिए राज्य सरकार से अब तक "राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजना" के तहत कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए कोई प्रश्न नहीं उठते।

केरल में टेलीफोन कनेक्शन

8130. प्रो. पी.जे. कुरियन:

श्री थाइल जान अंजलोज :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में एक्सचेंज–वार टेलीफोन कनेक्शन संबंधी प्रतीक्षा सूची का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित सभी व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन कब तक दे दिए जाएंगे; और

(ग) चालू वर्ष के लिए टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) केरल सर्किल में टेलीफोन कनेक्शनों की एक्सचेंजवार प्रतीक्षा सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994 में, केरल सहित सभी दूरसंचार सर्किलों की प्रतीक्षा सूची को 1997 तक निटाने की परिकल्पना की गई है।

(ग) केरल सर्किल में, चालू वर्ष के दौरान, टेलीफोन एक्सचेंजों के अनन्तिम विस्तार कार्यक्रम में, निवल एक्सचेंज क्षमता में लगभग 2,45,000 निवल लाइनों की वृद्धि करने और लगभग 2 लाख निवल टेलीफोन कनेक्शन (सीधी एक्सचेंज लाइनें) प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

विवरण

केरल में 31-3-1995 की स्थिति के अनुसार एक्सचेंज-वार प्रतीक्षा सूची

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1.	अलेप्पी यूनिट–1	2245
2.	अलेप्पी यूनिट–2	0
3.	अंबालपझा	462
4.	अरातुपूझा	47
5.	अरूर	659
6.	अरन्तुगल	0
7.	चंपाकुलम	174
8.	चेंगनूर	1631
9.	इडाथुवा	509
10.	हरिपद	1212
11.	कैनाकरी	92
12.	कराकाड	185
13.	करूवटा	143
14.	कटनम	417
15.	कवलम	182
16.	कयमकुलम यूनिट–1	2203
17.	कयमकुलम यूनिट–2	0
18.	कोलावाडवू	647
19.	कुथियावोड	551
20.	कन्नार	1088
21.	मवालिकरा यूनिट–1	2184
22.	मवालिकरा यूनिट–2	0
23.	मुथुकुलम	408

1	2	3
24.	नूरनाडू	612
25.	पलीपुरमअलेपी	139
26.	पनवली	77
27.	पटनकाड	186
28.	पुलिनकुनू	496
29.	पुन्नापरा	103
30.	एसएलपुरम	432
31.	शेरतलाई	1371
32.	थकाजी	101
33.	चन्नीरमुक्कम	137
34.	थोट पल्ली	78
35.	थिकट्टूचरी	182
36.	त्रिक्कुनापूझा	240
37.	बल्लीपून्नम	257
38.	वेलियानड	93
39.	अम्बाल वियाल	222
40.	आनमंगड	196
41.	एरियाकोड	1034
42.	अथोली	833
43.	बाडाघरा	1965
44.	बलूस्सरी	1064
45.	बेपोर	422
46.	सीएलटी कालीकट	3807
47.	सीएलटी सेवयूर	1560
48.	सीएलटी पीरोड	1100
49.	सीएलटी पलायम	0
50.	सीएलटी वेल्लयील	2011
51.	सीएलटी वेल्लयील यूनिट	182
52.	चक्कितपाड़ा	264
53.	चंगारमकुलम	506
54.	चितमंगलम आरईसी	148
55.	चिरल	184
56.	चेलननूर	582
57.	केलरी	783
58.	चेरूप	252
59.	चोम्बला	677
60.	एलाचेरी	732
61.	एडक्करा	807
62.	एडापल	789
63.	एडवन्ना	438
64.	एडवन्नापाडा	534
65.	एलमकुलम	181
66.	एलथूर	533
67.	एरूममुड़ा	76
68.	कडालुड्डी	473
69.	कडमपूझा	459
70.	कालीकवी	405
71.	कल्पकंचेरी	920
72.	कल्पेटा	563
73.	कपाड	478
74.	कार्तिकूलम	237
75.	करूलई	158
76.	करूवरकुड्डू	426
77.	कट्टीपाडा	188
78.	केनीवेरा	358
79.	कुडेनचेरी	640
80.	कुडवेल्ली	1024
81.	कोलुथूर	202
82.	कोंडोती	1410
83.	कुमपाडा	266
84.	कुरचून्डू	436
85.	कुट्टलेडा	160
86.	कोरोम	121
87.	कोटक्कल	1910
88.	कुन्नमंगलम	1182
89.	कुट्टीपुरम	407

1	2	3
90.	मक्करपराम्बा	710
91.	मलापरम्बा	1040
92.	मलपपुरम	1649
93.	मनन्थथीडी	439
94.	मंगल	742
95.	मंजरी	1509
96.	मंकडा	435
97.	मरनचेरी	849
98.	मगूर	420
99.	मनंगडी	313
100.	मिलाडी	938
101.	मिलाथूर	456
102.	मेप्पडी	221
103.	मेप्पयूर	738
104.	मुकेरी	925
105.	मुक्कम	761
106.	नेडपुरम	7395
107.	वडूवन्नूर	484
108.	निलाम्बुर	567
109.	नूलपूझा	106
110.	पलपेटी	269
111.	पलयाड	329
112.	पालडी	399
113.	पल्लीकुन्नूर	238
114.	पणमरम	165
115.	पांडीक्कड	451
116.	पांग	266
117.	पंथलूर	161
118.	पंथीरंककवू	485
119.	परक्कडवू	577
120.	परप्पणअंगली	855
121.	तेराम्बरा	789
122.	तेरीन्थलमन्ना	1313
123.	पोनमेरी	706
124.	पोंणनी	948
125.	पुक्कोटूम्पडम	618
126.	कुडूप्पडी	501
127.	पुलमन्थुल	309
128.	पुल्लूरमपाडा	435
129.	कुलपप्ली	561
130.	पूझक्कटरी	117
131.	क्वीलंडी यूनिट–I	864
132.	रामनट्टूपर	472
133.	सुल्तानबेटी	401
134.	तमारसचेरी	426
135.	रंडथेनी	114
136.	तेनालूर	472
137.	तनूर	747
138.	तवानूर	340
139.	तलपोया	176
140.	तरियोड	264
141.	तजीकोड	254
142.	थोट्टीलपलम	516
143.	तरूनवया	717
144.	तिरूर	3035
145.	तिरूरंगडी	1548
146.	तिरूवाम्बडी	452
147.	वडूवच्चल	130
148.	वलन्नचेरी	853
149.	वल्लूम्बरम	929
150.	वरडूर	280
151.	वेल्लमूड्डा	292
152.	वेंगल	1184
153.	विलंगढ़	144
154.	वैइथरी	145
155.	वंडूर	750

1	2	3
156.	अचिकणम्	156
157.	अलाकोड	292
158.	अंबलथाड़	99
159.	अंजरकंडी	931
160.	अरालम	144
161.	अंटेगणम्	213
162.	बलार	166
163.	बलियापट्टोम यूनिट–1	1520
164.	बलियापट्टोम यूनिट–2	0
165.	बंजाडग	190
166.	बेजडक	284
167.	दी मंडी	217
168.	कन्नानूर यूनिट–1	2435
169.	कन्नानूर यूनिट–2	0
170.	चप्परावडवू	212
171.	चिमेनी	191
172.	चेम्पेरी	162
173.	चेंगल	568
174.	चेरूकून्नू	822
175.	चेरूकुझा	264
176.	चेरूवनचेरी	123
177.	चेरूवतूर	598
178.	चित्तरीकल	155
179.	चित्तरीपरम्बा	172
180.	येलम्पडी	123
181.	एडक्कड	685
182	एट्टीकुलम	66
183.	इरिक्कूड	245
184.	इरित्ती	330
185.	कडचिरा	562
186.	कादीरूर	623
187.	कानंगढ़ यूनिट–1	1811
188.	कानंगढ़ यूनिट–2	0

1	2	3
189.	करीवेल्लूर	198
190.	कसराकोड	1897
191.	कट्टाथडका	245
192.	केलकम	316
193.	तिरीयन्थरा	358
194.	कोलच्चरी	481
195.	कोलायड	147
196.	कोललम	275
197.	कूटूपरम्मा	1260
198.	कोट्टीयूर	79
199.	कुरीयनमला	228
200.	कुम्बल	577
201.	कुन्हीमंगलम	169
202.	कुट्टीकोले	194
203.	माहे	1349
204.	कइपडी	174
205.	मलोट	222
206.	मलूर	119
207.	मामबरम	493
208.	मण्क्कडूवी	254
209.	मंगतूपूरम्बा	774
210.	मांझेश्वर	354
211.	मठंमंगलम	369
212.	माठील	188
213.	मंटनूर	781
214.	मंट्टूल	392
215.	मैयील	211
216.	मुलियाढ़	266
217.	मुलेरिया	292
218.	मुंडेरी	364
219.	नड्डूविल	189
220.	निलेश्वर	952
221.	पैइवलिका	417

1	2	3
222.	पालकोड	69
223.	पल्लीक्करा	587
224.	पानथडी	134
225.	पानथूल	48
226.	पन्नूर	973
227.	परप्पा	285
228.	पयंगढ़ी	814
229.	पैयानुर	2519
230.	पैयावूर	313
231.	पूरावूर	341
232.	पेरडाला	288
233.	पेरिंगथूर	877
234.	पेरिंगोम	141
235.	पेरिया	236
236.	पेरला	293
237.	पेरूमपडवु	65
238.	पिलाथरा	447
239.	पुदद्कुमुनू	108
240.	पुलींगोमे	203
241.	राजागीरी	34
242.	राजापुरम	304
243.	रमनथली	377
244.	श्रीकंडपुरम	297
245.	तलिपरम्मा	1375
246.	तैलीचेरी	0
247.	तेलीचेरी	2690
248.	थरथली	121
249.	तिलेंक्केरी	115
250.	तुवाकुल्लू	474
251.	तिरूमेनी	88
252.	तिरूकरपुर	630
253.	उडमा	1068
254.	उलीकल	232
255.	उवला	1852
256.	उरडूर	134
257.	बलकई	234
258.	बलियापरम्बा	65
259.	मैनगढ़	96
260.	मोरकढी	203
261.	यवाका	164
262.	अडीमली	168
263.	अलवई	2842
264.	अम्बालमुगल	128
265.	एनाकरा	179
266.	एक्पाढ़ा	110
267.	एनविलासम	123
268.	अनचिरी	93
269.	अंगमाली	1607
270.	अरकाकुलम	328
271.	अरकामुनम	323
272.	अरीपूझा	121
273.	अयवना	285
274.	अयमपूझा	58
275.	चतमट्टम	58
276.	चेलचुबडू	88
277.	चेलार्ड	374
278.	चेलानम	13
279.	चेमनार	19
280.	चेंगमनाड़	338
281.	चेराई	560
282.	चेरूवट्टूर	180
283.	चितरापूरम	93
284.	चैटानीकरा	284
285.	चून्दकूजी	128
286.	कंगमूट	101
287.	देवीकोलम	50

1	2	3
288.	इकेएम–चित्तूर	446
289.	इकेएम–कोचीन	3169
290.	इकेएम–एर्नाकुलम–1	0
291.	इकेएस–एर्नाकुलम–2	461
292.	इकेएम–एर्नाकुलम–3	0
293.	इकेएम–एर्नाकुलम–4	0
294.	इकेएम–कलामचेरी–1	2428
295.	इकेएम–कलामचेरी यूनिट–2	0
296.	इकेएम–कलामचेरी–3	0
297.	इकेएम–पलरीवोट्टम–1	0
298.	इकेएम–पलरीवोट्टम–2	610
299.	इकेएम–पनमपल्लीनगर	360
300.	इकेएम–सर्विसलाइन	0
301.	इकेएम–त्रिपनीतूरा	1307
302.	इकेएम–उदयमपेरूर	265
303.	इकेएम–डब्लयू. आई लैंड	70
304.	इडमालायर	2
305.	इलमदेशम	219
306.	इलोजी	318
307.	इलपारा	89
308.	इजहल्लूर	46
309.	इजहूकमवयाल	176
310.	इडिक्की	125
311.	इरूमकुकलम	80
312.	कडावूर	110
313.	कलाडी	966
314.	कल्लार	157
315.	कल्लूरकाड	305
316.	कलूर	139
317.	कंडाकडाबू	26
318.	काजीकूजही (आईडीके)	220
319.	कन्नूर	156
320.	करीमबन	128
321.	करीमकून्नम	179
322.	कट्टपना	329
323.	किलचेरी	219
324.	किजहिल्लम	265
325.	किजहक्काबलम	969
326.	कोडीकलम	261
327.	कोलेनचेरी	291
328.	कोत्बानाड	126
329.	कुथाकुट्टलम	286
330.	कुआपाडी	291
331.	कोथामंगलम	1841
332.	कोट्टापडी	160
333.	कोलमड	53
334.	कुमबलंगी	115
335.	कुमली	214
336.	कुचीथानी	113
337.	कुन्नूकर	199
338.	कुट्टमपूझहा	164
339.	मलयाडर	60
340.	मनिड	294
341.	मरमपिल्ली	349
342.	मरायूर	74
343.	मजहूवानूर	319
344.	नेक्कडम	252
345.	मुजिकलम	291
346.	मूलमतुरूति	441
347.	मन्नार	195
348.	मुरीकासरी	170
349.	मुट्टम	263
350.	मुवत्तुपूजावन–1	1189
351.	मुवत्तपुजा–2	0
352.	नराक्कल यू–1	736
353.	नराक्कल यू–2	0

1	2	3
354.	नेदूमंगंडोम	216
355.	नेल्लीमट्टोम	155
356.	नारियामंगलम	69
357.	नेत्तुर	313
358.	ओडकली	549
359.	उन्नुकल	131
360.	पडवापुरम	208
361.	पलूरकडी	59
362.	पप्पकुडा	402
363.	पंडापल्ली	50
364.	पारपूझा	39
365.	पारथोड	172
366.	पारूर यू–1	1672
367.	पारूर यू–2	0
368.	पसपाड़ा	52
369.	पिरमडे	105
370.	पेरूम्बावूर	2388
371.	पीरवम	486
372.	पोथनिकाडू	423
373.	पुलिनूमला	23
374.	पुथेन्कुज	297
375.	पुथेनवेलीकर	236
376.	राजक्कड	106
377.	राजकुमारी	201
378.	रामामंगलम	156
379.	संथनपारा	110
380.	तालयर	0
381.	तंकमोनी	106
382.	थोडूपूझा	2334
383.	थोपरामकुड्डी	119
384.	त्रिक्ककर सीईपीजैड	350
385.	उदमबनचौल	54
386.	उदमबन्नूर	163

1	2	3
387.	उपथड़ा	151
388.	बडत्तूपाड़ा	21
389.	वागमूल	44
390.	वलपांचीरंगा	201
391.	बंदनमेडू	148
392.	बंदीपेरियार	109
393.	वन्नाप्पुरम	193
394.	वरक्कपूझा	716
395.	वटयार	59
396.	वाझाकुलम	662
397.	वाझावार	183
398.	वाजीथरा	227
399.	वेल्लाथूवल	86
400.	वेंगूर	106
401.	अयारकुलम	824
402.	भारानगरम	365
403.	चंगनचेरी	1856
404.	चेम्पू	135
405.	चेनापल्ली	44
406.	चेंगलम	204
407.	चेन्नड	52
408.	चिंगावडम	842
409.	एराट्टूपेट्टा	863
410.	एरूमेली	84
411.	एट्टूमूनूर	1517
412.	गांधीनगर	897
413.	कांगाजहा	625
414.	कंजीकुजही	555
415.	कंजीरापल्ली	882
416.	करूकाचल	563
417	किडनगूर	432
418.	कल्लापली	403
419.	कोट्टीकलम	183

1	2	3
420.	कूवापल्ली	94
421	कूरूथोड	100
422.	कोट्टायम यू–1	941
423.	कोट्टायम यू–2	132
424.	कुजूहूवनल	141
425.	कूडावेचूर	122
426.	कुमाराकाम	231
427.	कुन्नोनी	7
428.	कुरूपन्नू	88
429.	कुरूपन्नथरा	1016
430.	कुरूवीलंगड	497
431.	मम्मूड	676
432.	मनीमाला	556
433.	मारंगट्टूपल्ली	373
434.	नेजुकुमटम	99
435.	नेवाल्लूर	357
436.	मुनिवल्ली	184
437.	मुनिलावी	212
438.	मुक्कूटथारा	208
439.	मुंडकयम	519
440.	नजीजहूर	391
441.	पलई	1476
442.	पलीक्काथोडू	280
443.	कम्पा	0
444.	पम्पाडी	1206
445.	पम्पाबेली	99
446.	पाथमपूझा	14
447.	पेरिंगलम	71
448.	पिन्नाकडु	384
449.	पोंकनम	463
450.	पूवारानी	433
451.	रामापुरम यूनिट–1	669
452.	रामापुरम यूनिट–2	0

1	2	3
453.	सबरीमाला	0
454.	तलियोलापेरम्बू	654
455.	टिकोए	100
456.	पूझाहाबूर	148
457.	बैकॉम	1020
458.	बाकाथानम	589
459.	वाजहूर	562
460.	अगाथी	0
461.	आमानी	106
462.	अन्द्रोथ	42
463.	बिट्र	0
464.	चेतलट	47
465.	कड़मठ	85
466.	कालपेनी	0
467.	कवराथी	35
468.	किलटन	0
469.	मिनीकाय	26
470.	अड़िपेराण्डा	35
471.	अगाली	92
472.	अलानल्लोर	187
473.	अल्लाथुर	327
474.	अम्बलपारा	156
475.	चालिस्सेरी	175
476.	चथानुर (पीजीटी)	199
477.	चेरप्लास्सरी	629
478.	चित्तूर	439
479.	कोयलमन्ना	225
480.	एड़ाथनाट्टुकारा	171
481.	एलापुल्ली	175
482.	कदम्बजहीपुरम	185
483.	कालकंडी	66
484.	कल्लाडीकोड	101
485.	कांज़ीकोड	206

1	2	3
486.	काजीरापुजहा	149
487.	कोड़वयूर	402
488.	कोल्जलेंगोड़	290
489.	कोंगड़	226
490.	कोरंचिरा	131
491.	कोट्टइ	103
492.	कोजिंजपारा	190
493.	कुडाल्लुर	193
494.	कुनीस्सेरी	111
495.	कुथानुर	66
496.	मंगलम डेम	169
497.	मनारघाट	589
498.	मीनाक्षीपुरम	20
499.	मुण्डाकोटुकुरिसी	82
500.	मुंडूर	138
501.	मुथलामाड़ा	115
502.	नट्टुकल	185
503.	नेनमारा	395
504.	आंगल्लुर	140
505.	ओट्टापलम	857
506.	पीजीटी–ओलावाक्कोट	688
507.	पीजीटी–पालघाट	0
508.	पाड़ागिरी	44
509.	पडिंजरंगड़ी	262
510.	पडुर	45
511.	पालकयम	46
512.	पालघाट यूनिट–2	1350
513.	पल्लीपुरम (पीजीटी)	170
514.	पानामन्ना	127
515.	पारली	178
516.	पार्थरिपाला	320
517.	पट्टम्बी	392
518.	पजामबालाकोड	67
519.	पेरिनगोटुकुरिसी	109
520.	पुडुकोड	101
521.	पुलास्सरी	415
522.	आर वी पुडुर	69
523.	शीरानूर	967
524.	श्रीकृष्णापुरम	218
525.	थाचमपारा	226
526.	थेनकुरिसी	66
527.	थिरूवेगापुरा	172
528.	थीथाला	390
529.	वडककंचेरी एम बी	459
530.	वतलापूजा	193
531.	वन्डीथावलम	106
532.	वनियमकुलम	216
533.	वेलनथावलम	49
534.	वालायर	66
535.	अडूर यू–1	1126
536.	अडूर यू–2	0
537.	अईरूर	160
538.	चाथनकरी	77
539.	चिट्टर	92
540.	चुंगापारा	152
541.	इडामन–रन्नी	160
542.	इलनथूर	241
543.	इलावनचिट्टा	268
544.	इजामकुलम	270
545.	इजूमट्टूर	109
546.	कडमबनाडु	264
547.	केपट्टोर	600
548.	कल्लूपारा	218
549.	किडनगनूर	254
550.	कोडूमन	142
551.	कोन्नी	987

1	2	3
552.	कोजेनचेरी	1138
553.	कुम्बानड़	2081
554.	कन्नमथानम	326
555.	कुरियननूर	260
556.	मलायालापूजा	138
557.	कल्लापल्ली	671
558.	मुरिनजाकल	96
559.	पल्लकल	56
560.	पंडालम	1510
561.	पथानमथिट्टायू–1	0
562.	पथानमथिट्टायू–2	2146
563.	पुन्नावेली	128
564.	रन्नी यू–1	0
565.	रन्नी यू–2	32
566.	रन्नी–पेरीनाड़	146
567.	सीथाथोडे	77
568.	थन्नीथोड़े	57
569.	थिओडिकल	512
570.	तिरूवल्ला यू–1	1783
571.	तिरूवल्ला यू–2	0
572.	वडाससेरीकुकारा	281
573.	वेपुर	80
574.	वयालाथला	169
575.	वेचूचीरा	199
576.	अलपड़	69
577.	अंचल	598
578.	अरयनकवू	0
579.	अयूर	339
580.	भारथीपुरम	85
581.	चन्पपेट्टा	121
582.	छथानूर–क्यूएलएन	377
583.	छवारा	730
584.	छवारा–दक्षिण	77
585.	छेपरा	94
586.	छुंडा	54
587.	पूर्वी कल्लाडा	127
588.	इडामन–पून्नालूर	81
589.	इज्मबाननगढ़	154
590.	कडक्कल	285
591.	कंजावेली	94
592.	करूनागापल्ली	1568
593.	कोक्कड़	101
594.	कोट्टाराक्करा यू–1	695
595.	कोट्टाराक्करा यू–2	0
596.	काटटीयम	726
597.	कुलक्काडा	259
598.	कुलाथूपूजा	156
599.	कुंडारा	979
600.	कुन्नाथूर	71
601.	कुन्नीकोडे	87
602.	मडाथारा	196
603.	मनापपल्ली	181
604.	मनकोडे	48
605.	मइयानड़	424
606.	मुनरोई द्वीप	63
607.	मैनाग़ाप्लली	200
608.	निडमपाना	270
609.	नीलामेल	188
610.	ओचिरा	697
611.	पारावूर	576
612.	परीपल्ली	332
613.	पठानापुरम	672
614.	पटटाजी	156
615.	पेरीनाड	168
616.	पूयापल्ली	343
617.	पुनालूर	1304

1	2	3
618.	पुन्नाला	53
619.	पुथूर	302
620.	क्विलोन यू–1	0
621.	क्विलोन यू–2	0
622.	क्विलोन (सीएसएनकेएडीए)	4744
623.	सस्थामकोट्टा	390
624.	सूरानाडू	56
625.	थाडिक्काडू	115
626.	थेनमाला	0
627.	थीवलक्कारा	322
628.	वालाकोम	91
629.	वलिक्कावू	161
630.	वेलीनल्लूर	268
631.	वेटटिक्कावला	220
632.	अलागप्पानगर	887
633.	अन्नामनाडा	288
634.	अरनगोटटूकारा	141
635.	अयनथोले	381
636.	चालाकुड़ी	2538
637.	चाजूर	601
638.	चेलकारा	333
639.	चेरपू	526
640.	चौघट	818
641.	क्लेनगानोर	2777
642.	इलानड	92
643.	इंगनडीयूर	331
644.	इरूमापेट्टी	174
645.	गुरूवायूर	1013
646.	इरिनजालाकुडा	2836
647.	कडमपुरम	144
648.	कंडाससंकायडू	2524
649.	कन्नारा	464
650.	कट्टाकम्पल	201

1	2	3
651.	कट्टूर	1172
652.	केछेरी	326
653.	कोडाकारा	749
654.	कोंडाजी	99
655.	कोरट्टी	624
656.	कुन्नामकुलम	1142
657.	कुरिछिक्कारा	189
658.	कुजूर	193
659.	माला	1234
660.	मट्टम	197
661.	मुलामकुन्नाथूकावू	681
662.	मुल्लूरकारा–पंजल	142
663.	मुडूर–कोचीन	477
664.	उल्लूर	422
665.	पारप्पूर	270
666.	परियारम	205
667.	पाजायन्नूर	171
668.	पेरिनानम	1548
669.	पेरूमपिलावू	284
670.	पूवाथूर	1063
671.	पुन्नायूरकुलम	953
672.	तिरूविलवामला	222
673.	त्रिचूर यू–1	4013
674.	त्रिचूर यू–2	959
675.	वड़क्कनचेरी सीएन	354
676.	वलप्पड़	1087
677.	वरनडारपिल्ली	235
678.	वेल्लनगल्लूर	795
679.	वल्लीकुलनगारा	330
680.	वेलूर–कोचीन	143
681.	वट्टीलप्पारा	47
682.	अंबूर	156
683.	अरूविक्कारा	176

1	2	3
684.	आयनिड़	252
685.	अटटिंगल	1290
686.	अईरूर (टीबी)	189
687.	बालारमापुरम	1056
688.	चिरयिंकील	650
689.	इडावा	21
690.	कलमबालम	562
691.	कल्लारा	250
692.	कनियापुरम	726
693.	कंजीरमकुलम	354
694.	कन्याकुलकारा	308
695.	कराकोनम	179
696.	कट्टाकाडा	653
697.	किलीमनूर	611
698.	मडानविलापथूरा	222
699.	मडावूरपल्लीकल	241
700.	मालयिंकिल	580
701.	मूवूमंगड	786
702.	नेयट्टीन्कारा	744
703.	औट्टासेकरामंगलम	115
704.	पछा–पलोडे	162
705.	पनावूर	171
706.	परस्साला	405
707.	पेरिंगमला	100
708.	पूवार	336
709.	पोथेनकोड	317
710.	त्रिवेन्द्रम–अम्बालामुक्कू	2978
711.	त्रिवेन्द्रम–सेन्ट्रल यूनिट–1	4373
712.	त्रिवेन्द्रम–सेन्ट्रल यूनिट–2	0
713.	त्रिवेन्द्रम–कैमानम	0
714.	त्रिवेन्द्रम–कैथामूक्कू यूनिट–1	5470
715.	त्रिवेन्द्रम–कैथामूक्कू यूनिट–2	0
716.	त्रिवेन्द्रम–कैथामूक्कू यूनिट–3	0
717	त्रिवेन्द्रम–करियावट्टम	1032
718.	त्रिवेन्द्रम– मेडिकल कॉलेज	4907
719.	त्रिवेन्द्रम–पूजाप्पुरा	170
720.	वक्कम	425
721.	वारकाला	1874
722.	वेल्लानड	118
723.	वेल्लाराडा	182
724.	वेन्गोड	243
725.	वेंजारामूडु	562
726.	विथुरा	175
727.	विजहिंजम	426

समुद्र से भूमि कटाव

8131. **श्री थाइल जान अंजलोस :**

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने समुद्र से होने वाले भूमि कटाव पर नियंत्रण पाने संबंधी कोई योजना केन्द्र सरकार को स्वीकृति हेतु भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने इस पर क्या कार्यवाई की है/करने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडु) : (क) जी हां। केरल सरकार ने फेज–2 कार्यक्रम के अंतर्गत समुद्री कटावरोधी कार्यों के लिए केन्द्रीय जल आयोग को दिसम्बर, 1989 में एक योजना प्रस्तुत की थी।

(ख) इस योजना में तटीय कटाव से प्रभावित विभिन्न पहुंचों में 128.226 कि.मी. लम्बी नई समुद्री दीवार के निर्माण तथा 54.366 कि.मी. लम्बी पुरानी समुद्री दीवार की मरम्मत की भी परिकल्पना की गई है।

(ग) इस योजना की केन्द्रीय जल आयोग में जांच की गई और टिप्पणियां केरल सरकार को अक्तूबर, 1990 में भेजी गई, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ यह सुझाव दिया गया कि प्रत्येक अभिज्ञात प्रभावित पहुंच के लिए अलग–अलग विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार की जाएं तथा योजना आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उन पर कार्रवाई की जाए। बाद में राज्य सरकार ने इस परियोजना को छोटी–छोटी योजनाओं में विभक्त कर दियां तथा राज्य स्तर पर उन्हें स्वीकृत कर लिया है। इसके अतिरिक्त समुद्र कटावरोधी कार्यों के लिए 10 वर्षीय परिप्रेक्ष्य की एक कम्पोजिट

परियोजना 346 करोड़ रुपये की बाह्य सहायता के लिए केरल सरकार से केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई थी। जांच के पश्चात् केन्द्रीय जल आयोग द्वारा की गई टिप्पणियों के अनुपालन के लिए यह परियोजना केरल सरकार को लौटा दी गई। अनुपालन की अभी प्रतीक्षा है।

केरल को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए 5.99 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर केवल तट के आपात्तिक संरक्षण संबंधी एक परियोजना प्रस्ताव केन्द्रीय जल आयोग में हाल ही में फरवरी, 1995 में प्राप्त हुआ था। इस परियोजना प्रस्ताव की केन्द्रीय जल आयोग में जांच की गई और टिप्पणियां मार्च, 1995 में भेजी गई। इन टिप्पणियों की अनुपालना की अभी प्रतीक्षा है।

पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्रों का स्थल परिवर्तन

8132. **श्री तारा सिंह :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्रों के स्थल परिवर्तन/आंशिक स्थल परिवर्तन के छः माह के बाद पुराने स्थलों पर रिसाइटेड उत्पाद की सप्लाई सुविधा बन्द करने/रोकने के लिए कोई सामान्य नियम है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली और हरियाणा में तेल निगमों द्वारा कितने खुदरा बिक्री केन्द्रों का स्थल परिवर्तन/आंशिक स्थल परिवर्तन किया गया है और ऐसे कितने स्थल उनके द्वारा वापस लिए गए हैं;

(ग) क्या इस प्रकार स्थल परिवर्तित/आंशिक रूप से स्थल परिवर्तित खुदरा बिक्री केन्द्रों के पुराने स्थलों पर आपूर्ति छः माह के बाद रोक/बन्द कर दी गई है और उन स्थलों की संख्या कितनी है जहां आपूर्ति अभी भी जारी है/कितने स्थल वापस ले लिए गए हैं;

(घ) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें पुराने स्थलों पर आपूर्ति नियमों के विरुद्ध छः माह की अवधि के पूरा होने से पहले ही बन्द कर दी गई और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) ऐसे भेदभाव को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) कुल 18 खुदरा बिक्री केन्द्रों का दिल्ली और हरियाणा में स्थान परिवर्तन/आंशिक रूप से स्थान परिवर्तन किया गया है। नीति के अनुसार पूर्ण स्थान परिवर्तन के बाद, संबंधित तेल कम्पनी द्वारा पुरानी जगह पर स्थान त्याग दिया जाता है।

(ग) से (ङ). स्थान परिवर्तन/आंशिक स्थान परिवर्तन के 11 मामलों में आपूर्तियां स्थान परिवर्तन के छह महीनों के बाद, 6 मामलों में छह महीनों से पहले रोक दी गई हैं और 1 मामले में आपूर्ति पुराने स्थान पर अभी भी जारी है क्योंकि स्थान परिवर्तन मार्च, 1995 में लागू किया गया और आपूर्ति सितम्बर, 1995 में रोक दी जाएगी। पहले अथवा बाद में समापन विभिन्न मामलों की विशिष्ट परिस्थितियों के कारण हुई हैं।

पहाड़ी क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर रसोई गैस कनेक्शन देना

8133. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जंगलों के और अधिक विनाश को रोकने और पर्यावरणीय सुरक्षा को बढ़ावा देने की दृष्टि से सरकार ने हाल में पहाड़ी एवं अन्य क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर रसोई गैस के कनेक्शन देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्राथमिकता के आधार पर ऐसे गैस कनेक्शन देने के लिए कोई दिशा-निर्देश दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पर्यावरण संवर्द्धन योजना के अंतर्गत कितने रसोई गैस कनेक्शन जारी किए जाएंगे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ङ). 1995-96 के दौरान 4500 फीट से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों की सम्पूर्ण प्रतीक्षा सूची (1 अप्रैल, 1995 के अनुसार) तथा 1995-96 के दौरान 2000 फीट से 4500 फीट की ऊंचाई के बीच वाले क्षेत्रों की प्रतीक्षा सूची (1 अप्रैल, 1995 को) के 50 प्रतिशत तथा शेष 50 प्रतिशत को 1996-97 के दौरान निपटाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों को निर्देश जारी किए गए हैं। दोनों श्रेणियों के अंतर्गत 1 अप्रैल, 1995 को प्रतीक्षा सूचीबद्ध लोगों की कुल संख्या 4.36 लाख के आस-पास है। ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र के अधीन आने वाले बाजारों की समस्त एल पी जी की प्रतीक्षा सूची (1 जनवरी, 1995 को) को समाप्त करने के संबंध में भी निर्णय लिया गया है।

[हिन्दी]

डाकघरों का दर्जा बढ़ाया जाना

8134. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाकघरों का दर्जा बढ़ाना सरकार का कार्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान बिहार में कितने डाकघरों का दर्जा बढ़ाया गया?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). जी हां। वर्तमान अतिरिक्त विभागीय डाकघरों का विभागीय डाकघरों के रूप में दर्जा बढ़ाया जाता है बशर्ते कि वे निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं और वित्तीय संसाधन इसकी अनुमति देते हों।

(ग) बिहार में वर्ष 1994–95 के दौरान किसी भी डाकघर का दर्जा नहीं बढ़ाया गया था।

[अनुवाद]

श्रमिकों और तेल कम्पनियों के बीच विवाद

8135. श्री गोपीनाथ मजपति :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बी पी सी एल और भारतीय तेल निगम के श्रमिकों के बीच विवाद से परिचित है; और

(ख) यदि हां, तो विवादों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पुलिस हिरासत से भागे हत्यारे

8136. श्री सूर्यनारायण यादव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पुलिस हिरासत से हत्यारों के भाग निकलने की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान ऐसी कितनी घटनाओं की रिपोर्ट मिली;

(ग) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सभी फरार अपराधियों को पुनः गिरफ्तार किया गया है; और

(ङ.) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख) गत दो वर्षों के दौरान तथा वर्ष 1995 में (30.4.95 तक) पुलिस हिरासत से भागे हुए हत्या के अभियुक्त व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है:–

1993	1
1994	2
1995 (30.4.95 तक)	1

(ग) पुलिस हिरासत के दौरान अभियुक्त व्यक्तियों के भाग निकलने के लिए दोषी पाए गए दो हैड कांस्टेबलों और चार कांस्टेबलों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई। एक हैड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल की सेवाएं बर्खास्त कर दी गयी हैं।

(घ) भागे हुए चारों दोषी व्यक्तियों में से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है।

(ङ) भागे हुए इन अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:–

(i) कानून के विभिन्न उपबंधों के अधीन फरार व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं तथा उनकी गिरफ्तारी के लिए सभी संभव प्रयास किए गए हैं।

(ii) पड़ौसी राज्यों को उन्हें तलाशने और इसकी इत्तिला देने के नोटिस और वायरलैस संदेश भेज दिए गए हैं।

(iii) फरार व्यक्तियों को पकड़ने के लिए संबंधित पुलिस थानों में विशेष दल गठित किए गए हैं।

ऑल इंडिया रेडियो, बिलासपुर

8137. श्री भवानी लाल वर्मा :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऑल इण्डिया रेडिया, बिलासपुर (मध्य प्रदेश) को पूर्ण विकसित स्टेशन का दर्जा प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस केन्द्र द्वारा निर्मित कार्यक्रम की प्रसारण अवधि कितनी है तथा इसका प्रसारण क्षेत्र कितना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख). जी, हां। बिलासपुर (मध्य प्रदेश) में एक कम्पोजिट स्टूडियो, रिसीविंग और प्लेबैक सुविधाओं सहित 2 × 3 कि.वा. का एक एफ.एम. ट्रांसमीटर चालू है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) यह केन्द्र शाम को 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक कार्यक्रम प्रसारित करता है और बिलासपुर के आसपास के 60-70 कि.मी. रेडियस को कवर करता है।

उद्योगों का विकास

8138. श्री नवल किशोर राय :

श्री गुमान मल लोढ़ा :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विभिन्न उद्योगों के विस्तार और विकास के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक धनराशि के संबंध में आकलन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) सड़क, विद्युत, संचार, पत्तन और विमान पत्तन क्षेत्रों पर अनुमानतः कितनी–कितनी धनराशि खर्च किये जाने की आवश्यकता है;

(घ) क्या सरकार ने धन जुटाने के लिए विभिन्न साधनों का पता लगाया है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन साधनों से कितनी-कितनी धनराशि जुटाए जाने की संभावना है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) और (ख) आठवीं योजना में 1992-97 के दौरान पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर द्वारा किया जाने वाला 79800 करोड़ रुपये का निवेश तय किया गया है जिसमें से बिजली, गैस और जल आपूर्ति में निवेश 102120 करोड़ रुपये परिवहन में 87910 करोड़ रुपये और संचार में 26000 करोड़ रुपये है।

(ग) आठवीं योजना में पब्लिक सेक्टर परिव्यय सड़कों के लिए 12833 करोड़ रुपये, विद्युत के लिए 79588.74 करोड़ रुपये, संचार के लिए 25109.98 करोड़ रुपये, बन्दरगाहों के लिए 3557 करोड़ रुपये और 1651 करोड़ रुपये विमानपत्तनों के लिए हैं।

(घ) और (ड.). 798000 करोड़ रुपये के कुल आठवीं योजना परिव्यय का वित्त पोषण 68900 करोड़ रुपये के पब्लिक सेक्टर बचतों, 68930 करोड़ रुपये की प्राइवेट निगमित सेक्टर बचतों, 605170 करोड़ रुपये की घरेलू बचतों और 55000 करोड़ रुपये की विदेशी उधारों से किया जाएगा।

स्टेशन इंजीनियर्स कार्यालयों में अनियमितताएं

8139. श्री खेलनराम जांगडे:

श्री महेश कनोडिया:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स्टेशन इंजीनियर्स कार्यालयों में अनियमितताओं के संबंध में कुछ शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (ग). स्टाफ के उत्पीड़न, धनराशि/शक्ति आदि के दुरुपयोग संबंधी शिकायतें समय-समय पर प्राप्त होती रहती हैं। इन शिकायतों की ओर तत्काल ध्यान दिया जाता है, जिनकी नियमों के संगत प्रावधानों के अंतर्गत जांच की जाती है तथा जहां-कहीं आवश्यक होता है, आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

फ्रैंकिंग मशीन

8140. श्री पीयूष तीरकी :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक और तार विभाग उपभोक्ताओं, निजी और सरकारी संस्थाओं को बहुत कम सेवा प्रभार पर फ्रैंकिंग मशीन स्थापित करने की सुविधा देता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) फ्रैंकिंग मशीन के विभिन्न गैर-सरकारी विनिर्माताओं का ब्यौरा क्या है और वे कितने मूल्य पर इसे बेचते हैं;

(घ) क्या विभाग का फ्रैंकिंग मशीनों का स्वयं विनिर्माण करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) डाक विभाग प्राइवेट पार्टियों को प्रयोग के लिए फ्रैंकिंग मशीनें प्रदान नहीं करता। जहां तक सरकारी कार्यालयों का संबंध है, विभाग द्वारा फ्रैंकिंग मशीनें किराए पर उपलब्ध कराई जाती हैं। सरकारी कार्यालयों द्वारा देय किराए की मौजूदा दर निम्नानुसार है:-

मशीन का मॉडल	मासिक किराया
1. हाथ से चलने वाली	150/- रुपये प्रतिमाह
2. बिजली से चलने वाली	300/- रुपये प्रतिमाह
3. तीव्र गति की बिजली से चलने वाली	350/- रुपये प्रतिमाह

(ख) सरकारी कार्यालयों द्वारा फ्रैंकिंग मशीनों के प्रयोग के लिए लाइसेंस, ऐसे कार्यालयों द्वारा आवेदन करने पर मुख्य पोस्टमास्टर जनरल/पोस्टमास्टर जनरल द्वारा दिया जाता है।

(ग) फ्रैंकिंग मशीनों के सप्लायरों तथा विभाग द्वारा अनुमोदित मॉडलों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है। डाक विभाग द्वारा इन मशीनों की मूल्य सूची नहीं रखी जाती।

(घ) से (च). जी नहीं। विभाग डाक सेवायें प्रदान करता है और विभाग के पास इस उपस्कर का विनिर्माण करने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है। फिलहाल, किसी भी प्रकार के उपस्कर का विनिर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

डाक फ्रैंकिंग मशीनों के अनुमोदित मॉडलों की सूची

क्रम सं.	विनिर्माता का विवरण	वितरक का विवरण	मशीन का ब्रांड और माडल
1	2	3	4
1.	(i) रिनियो विकर्स इंडिया लि. 136, सुन्दर नगर, नई दिल्ली	कॉलम 2 के अनुसार	मॉडल 8 नियत मूल्य
	(ii) -वही-	-वही-	न्यू पोस्ट 10 मूल्य 105
	(iii) -वही-	-वही-	न्यू पोस्ट 10 मूल्य आर-2
	(iv) -वही-	-वही-	न्यू पोस्ट 10 मूल्य आर-4
	(v) -वही-	-वही-	न्यू पोस्ट 305 उच्च मूल्य
	(vi) -वही-	-वही-	न्यू पोस्ट 305 निम्न मूल्य
	(vii) -वही-	-वही-	सन्माइका टॉप 10 मूल्य
2.	(i) मैसर्स पोस्ट लिंक इंटरप्राइजेज उद्यानपल्ली, 14/18, डी.एच. रोड, बाइशा, कलकत्ता-8	-वही-	एचडी 20 मूल्य

1	2	3	4
(ii)	–वही–	–वही–	रिको 12 मूल्य
(iii)	–वही–	–वही–	विश्व बहुमूल्य
(iv)	–वही–	–वही–	स्टॉम्प मास्टर 16 मूल्य
(v)	–वही–	–वही–	गिलार्को स्टॉम्प मास्टर मार्क–1
(vi)	–वही–	–वही–	गिलार्को स्टॉम्प मास्टर 19 मूल्य मार्क–II
(vii)	–वही–	–वही–	रिको 12 मूल्य डीलक्स
3. (i) मैसर्स मैकनिल मेगर लि., 34/43–1, डायमंड हार्बर रोड, कलकत्ता–711127		–वही–	किलबर्न–25
(ii)	–वही–	–वही–	के – 999
(iii)	–वही–	–वही–	के – 9999 बहुमूल्य
(iv)	–वही–	–वही–	के–9999 एच मूल्य
(v)	–वही–	–वही–	हस्तचालित/ विद्युतचालित बहुमूल्य के–9999(ई)
(vi)	–वही–	–वही–	के–9999(एचई)
4. (i) मैसर्स आर्मसेस इंजीनियर्स प्रा.लि., सुपर 'ए' 8 एंड इंडस्ट्रियल एस्टेट, ग्विण्डी, मद्रास–600032		मैसर्स पोस्टैलिया इंटर फ्रैंक प्रा.लि., एडवर्ड्स मिल्स रोड, मद्रास	एकल मूल्य
(ii)	–वही–	–वही–	डेसिफ्रैंकर 10 मूल्य
5. (i) मैसस किलबर्न रिप्रोग्राफिक्स लि., मौस, भासा, पी.एस. बिष्णुपुर, जिला 24 परगना		कालम 2 के अनुसार	किलबर्न 25 एम
(ii)	–वही–	–वही–	किलबर्न 999 एम
(iii)	–वही–	–वही–	किलबर्न 9999 एम
(iv)	–वही–	–वही–	किलबर्न 9999 एचएम
(v)	–वही–	–वही–	किलबर्न 9999 ईएम
(vi)	–वही–	–वही–	किलबर्न 9999 एचवीई
6. मैसर्स मेकास्टर कंसलटेंट्स प्रा.लि. टेलीकॉम कमर्शियल डिवीजन, गार्नपले सिनेमा बिल्डिंग, न्यू फ्रेंड्स कालोनी, कम्यूनिटी सेंटर, नई दिल्ली–110065		कॉलम 2 के अनुसार	4400 रोनियो अल्काटेल
7. (i) मैसर्स पिट्नी बोज़, यू.के.		मैसर्स ब्रॉडमा ऑफ इण्डिया लि., अरुणाचल, 19, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली–110001	5341 पिट्नी बोज (इलेक्ट्रिकल मॉडल)
(ii)	–वही–	–वही–	ए 900 पिट्नी बोज़, इलेक्ट्रॉनिक मॉडल
8. (i) मैसर्स ऑस्कम टेलीमैटिक्स प्रा. लि., डीएलएफ सेंटर, संसद मार्ग, नई दिल्ली–1		कॉलम 2 के अनुसार	एफ 104 फ्रैंकिंग मशीन
(ii)	–वही–	–वही–	एफ 304 इलेक्ट्रॉनिक मशीन फ्रैंकिंग मीटर
(iii)	–वही–	–वही–	एफ 224, इलैक्ट्रॉनिक मैकेनिकल मीटर
(iv)	–वही–	–वही–	एफ. 324 इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन मीटर

डीलरशिप में भागीदारी

8141. श्री दाऊ दयाल जोशी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कानूनी विवाद से बचने के लिए परिवार के बंटवारे के समय डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप को विभिन्न साझेदारों के नाम से अलग–अलग होने की अनुमति देती है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितने मामलों में इनकी अनुमति प्रदान की गई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). जी, नहीं। तथापि "डेफ" के अंतर्गत भागीदारी में एवार्ड की गई एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के संबंध में द्विशाखन के लिए अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त, गत तीन वर्षों के दौरान अनुकम्पा आधार पर विशेष मामलों के रूप में दो एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के द्विशाखन के लिए अनुमति दी गई थी।

पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के एजेंटों की गिरफ्तारी

8142. डा. आर. मल्लू :

श्री श्रीकान्त जेना :

डा. रामकृष्ण कुसमरिया :

कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से सक्रिय रूप से अपनी गतिविधियां चला रहे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन "हरकत–उल–अंसार" के लिए धन एकत्रित करने वाले पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के एक एजेंट को गिरफ्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस एजेंट से कौन–कौन से दस्तावेज जब्त किए गए;

(ग) क्या देश के विभिन्न भागों में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अंतर्गत अनेक गिरोह अपनी गतिविधियां चला रहे हैं;

(घ) यदि हाँ, तो भारत में अपनी गतिविधियां चला रहे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के कितने एजेंटों को हाल में गिरफतार किया गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के एजेंटों द्वारा बड़े पैमाने पर चलाई जा रही गतिविधियों को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) अनेकों अभिशंसी डायरियां तथा दस्तावेज बरामद किए गए थे।

(ग) और (घ). देश के विभिन्न भागों से पाकिस्तान के आसूचना ऐजेंटों को गिरफ्तार किया गया है। फिर भी, इस बारे में और अधिक ब्यौरे देना जनहित में नहीं होगा। आसूचना तंत्र को सुग्राही और सक्रिय बनाकर, आसूचना का आदान– प्रदान करके तथा संबंधित केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वित कार्रवाई करके, सामरिक महत्व के ठिकानों पर अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती को सुदृढ़ बनाकर, तटीय और जमीनी गश्त को बढ़ाकर, भारत–पाक सीमा के महत्वपूर्ण स्थानों पर कांटेदार बाड़ और फ्लडलाईट इत्यादि लगाकर सरकार आई.एस.आई. के नापाक इरादों को नाकाम करने व उनका मुकाबला करने के सभी संभव उपाय कर रही है।

आर्थिक सर्वेक्षण

8143. श्री राम कापसे :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1994–95 की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में सिंचाई, ग्रामीण, संचार तथा भूमि अतिक्रमण रोकने के लिए पूंजी निवेश करने के लिए संसाधन बढ़ाने हेतु कृषि पर दी जाने वाली राजसहायता में कमी करने की सिफारिश की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) और (ख). आर्थिक सर्वेक्षण 1994–95 ने कृषि में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है। इसने हाल ही के वर्षों में कृषि निवेश में आई गिरावट के बारे में चिन्ता व्यक्त की है, जो मुख्यतया सार्वजनिक व्यय के अधिक भाग के कृषि में निवेश करने की अपेक्षा खाद, सिंचाई, बिजली, उधार इत्यादि के लिए सब्सीडी के बढ़े हुए स्तर के रूप में चालू व्यय के रूप में प्रयोग करने के कारण है। अतः आर्थिक सर्वेक्षण से सार्वजनिक पूंजी परिसम्पत्तियों के परिचालन तथा रख–रखाव के लिए अपेक्षित विशिष्ट प्रावधानों तथा सिंचाई ग्रामीण संचार तथा भूमि एवं जल की अवनति को रोकने तथा नियंत्रित करने के लिए स्कीमों में सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता को सुझाता है। सर्वेक्षण से स्पष्ट है कि इस प्रयोजन के लिए संसाधनों में वृद्धि को जल, बिजली तथा खादों के लिए दी जा रही विशाल सब्सीडी को सीमित करके ही संबंधित की जाएगी।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–97) के दौरान कृषि तथा संबंधित कार्य–कलापों जैसे उद्यानकृषि, मत्स्य उद्योग, वर्षा सिंचित कृषि, लघु सिंचाई के लिए आधार संरचना का निर्माण, फसलोत्तर प्रबंध इत्यादि के क्षेत्रों के पक्ष में पर्याप्त स्तर के निवेश का प्रस्ताव है। कृषि के लिए आधार संरचना में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के भीतर एक नयी ग्रामीण आधार संरचनात्मक विकास निधि की स्थापना करने का प्रस्ताव है। यह निधि मध्यम तथा लघु सिंचाई, मृदा संरक्षण, जलसंभर प्रबंध तथा ग्रामीण आधार संरचना के अन्य प्रकारों से संबंधित चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों तथा राज्य स्वामित्व वाले निगमों को ऋण प्रदान करेगी।

[हिन्दी]

बिहार को कोयले की आपूर्ति

8144. श्री उपेन्द्रनाथ वर्मा :

श्री भोगेन्द्र झा :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में प्रतिमाह एक लाख टन साफ्ट कोक की न्यूनतम आवश्यकता के स्थान पर राज्य को दिसम्बर, 1993 तक साठ हजार टन, जनवरी, 1994 से चालीस हजार टन और जनवरी, 1995 से मात्र दस हजार टन साफ्ट कोक की आपूर्ति की गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त मात्रा में लगातार कमी किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) राज्य को प्रतिमाह अपेक्षित मात्रा में साफ्ट कोक की आपूर्ति कब तक की जाएगी?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग). कोल इन्डिया लिमिटेड के स्रोतों से पिछले दो वर्षों के दौरान साफ्ट कोक/सिलकोक का आवंटन एवं आपूर्ति निम्न प्रकार थी:–

(हजार टन में)

(सभी आंकड़े अनन्तिम)

	नियतन		आपूर्ति	
	साफ्ट कोक	सिलकोक	साफ्ट कोक	सिलकोक
जनवरी–जून, 1993	360	–	128.1	कोल इंडिया लि. ने सूचित किया है कि
जुलाई–दिसम्बर, 1993	360	–	160.9	बिहार में उपभोक्ताओं द्वारा सिलकोक
जनवरी–जून, 1994	240	120	145.24	बुक नहीं कराया 1994 गया था।
जुलाई–दिसम्बर, 1994	240	120	74.41	
जनवरी, 1995–जून, 1995	60	300	30.65*	

*(आपूर्ति के आंकड़े जनवरी–मार्च, 1995 तक के हैं)

विभिन्न राज्यों को साफ्ट कोक का नियतन कोयला कंपनियों द्वारा इसके उत्पादन में आने वाली बाधाओं को ध्यान में रखते हुए कम कर दिया था। चूंकि साफ्ट कोक के उत्पादन को बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है इसलिए बिहार सहित विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को नियतन में कमी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। किन्तु, घरेलू ईंधन की उपलब्धता की प्रतिपूर्ति किए जाने के ध्येय से कोयला कम्पनियों द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:–

(1) कोयला कम्पनियां साफ्ट कोक नियतन के बदले में स्टीम कोयले की पेशकश कर रही हैं। राज्य सरकारें अपने संबंधित राज्यों में इस स्टीम कोयले को साफ्ट कोक में परिवर्तित कर सकती हैं।

(2) सिलकोल का नियतन बढ़ा दिया गया है। साफ्ट कोक के बदले में सिलकोल के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है।

(3) ब्रिकेटिंग यूनिटों तथा बहुत से विशेष धुंआरहित ईंधन (वि. धु.ई.) संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति की जा रही हैं। राज्य सरकारों से, जिनमें बिहार सरकार भी शामिल है, इन यूनिटों द्वारा ब्रिकेट्स/विशेष धुंआ–रहित ईंधन के उत्पादन का प्रबोधन करने तथा नए यूनिटों को प्रोत्साहित करने का अनुरोध किया गया है ताकि साफ्ट कोक का एक विकल्प उपलब्ध कराया जा सके।

सीमा सुरक्षा बल

8145. श्री बृजभूषण शरण सिंह :

श्री महेश कनोडिया :

श्री पंकज चौधरी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सीमा सुरक्षा बलों के विकलांग व्यक्तियों और विधवाओं के लिए नई योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित योजना के कब तक लागू कर दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

रसोई गैस एजेंसियां और पेट्रोल खुदरा बिक्री केन्द्र

8146. श्री लाल बाबू राय :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष संसद सदस्यों की सिफारिश के आधार पर रसोई गैस की कितनी एजेंसियों तथा कितने पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्रों का आबंटन किया गया;

(ख) क्या संसद सदस्यों की सिफारिश के आधार पर किये गये आबंटन के बारे में संसद सदस्यों को भी सूचित किया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिपों और डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आबंटन के संबंध में संसद सदस्यों तथा अन्य अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों से प्रति वर्ष बड़ी संख्या में पत्र और सिफारिशें प्राप्त होती हैं। अनुकम्पा आधारों पर सरकार की विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत आबंटन करते समय संसद सदस्यों

और अन्य अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सिफारिशों सहित प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता है। संसद सदस्यों की सिफारिशों के आधार पर अनुमोदित मामलों का कोई अभिलेख नहीं रखा जाता। सामान्यतया, तेल चयन बोर्डों द्वारा डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का चयन किया जाता है जो उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता के और सदस्य के रूप में दो अन्य विख्यात व्यक्तियों वाले शक्तिप्रदत्त निकाय हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार की विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत अनुकम्पा आधार पर 152 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों और 182 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का आबंटन किया गया।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में टेलीफोन कनेक्शन

8147. श्री वीर सिंह महतो :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में टेलीफोन कनेक्शन के लिए जिला–वार कितने व्यक्ति प्रतीक्षा–सूची में हैं; और

(ख) क्रमशः वर्ष 1992, 1993 और 1994 के दौरान जिला–वार कितने व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन दिए गए और चालू वर्ष के दौरान टेलीफोन के कितने नए कनेक्शन दिए गए?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). जिला–वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	जिला	31.3.95 को स्थिति के अनुसार प्र.स. में व्यक्तियों की संख्या	आबंटित टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 92–93, 93–94, 94–95 के दौरान			95–96 के दौरान जिन व्यक्तियों को नए टेलीफोन कनेक्शन हैं, उनकी संभावित संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	24 परगना (उत्तरी)*	14137	5336	5797	11845	22387
2.	24 परगना (दक्षिणी)*	4955	4811	5190	5413	8297
3.	बांकुरा	486	602	623	990	400
4.	बर्दवान	6469	2583	3883	6382	5300
5.	बीरभूम	1261	74	383	463	800
6.	कूच बिहार	466	91	272	483	450
7.	दार्जिलिंग	1910	609	814	3367	1900
8.	हुगली*	4753	519	2950	6524	7102
9.	हावड़ा*	5713	3664	2557	4042	9664
10.	जलपाईगुड़ी	1633	683	537	1035	1100
11.	मालदा	1187	774	372	849	1000
12.	मिदनापुर	3666	1046	1181	2574	2900
13.	मुर्शिदाबाद	1092	275	533	917	700
14.	नदिया*	2995	399	1377	2494	2346
15.	पुरुलिया	129	63	134	322	150
16.	उत्तरी दीनाजपुर	707	340	282	643	500
17.	दक्षिण दीनाजपुर	345		97	56	300
18.	कलकत्ता	26023	18650	23607	24388	44704

टिप्पणी : *ये जिले आंशिक रूप से कलकत्ता टेलीफोंस तथा पश्चिम बंगाल दूरसंचार सर्किल दोनों में ही आते हैं।

गुजरात में गरीबी उन्मूलन

8148. श्री हरि सिंह चावड़ा :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने गरीबी संबंधी कोई योजनाएं केन्द्रीय सरकार को भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी सहायता मांगी गई है; और

(ग) केन्द्र सरकार का इस पर क्या कार्रवाई करने का विचार है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) और (ख). विशेष केन्द्रीय सहायता के प्रावधान के लिए योजना आयोग को गुजरात सरकार से गरीबी उन्मूलन की कोई स्कीम प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में पेट्रोल खुदरा बिक्री केन्द्र

8149. श्री हरिलाल ननजी पटेल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993 से 1994 तक की अवधि के दौरान गुजरात में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने पेट्रोल खुदरा बिक्री केन्द्रों के आबंटन का विज्ञापन दिया गया था;

(ख) क्या इन खुदरा बिक्री केन्द्रों का अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को आबंटन कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इन आबंटनों के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). गुजरात में जनवरी, 1993 से दिसम्बर, 1994 के बीच अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 22 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों हेतु विज्ञापन जारी किए गए। उपर्युक्त में से 6 स्थानों के लिए आशय-पत्र जारी कर दिए गए हैं।

(घ) वर्तमान दिशानिर्देशों के अंतर्गत तेल चयन बोर्डों के माध्यम से दी जाने वाली डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। खुदरा बिक्री केन्द्र, तेल चयन बोर्डों की सिफारिशों के आधार पर संबंधित तेल कम्पनी द्वारा दिए जाते हैं। ये सिफारिशें तेल कम्पनियों द्वारा जारी विज्ञापनों के प्रति आवेदन करने वाले पत्र आवेदकों के साक्षात्कारों के बाद की जाती हैं।

[हिन्दी]

तेल क्षेत्र का विकास

8150. श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :

श्री रामेश्वर पाटीदार :

श्रीमती शाली गौतम :

श्री राजवीर सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तेल क्षेत्र के विकास में लगी गैर-सरकार कम्पनियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक बड़ी पैकेज योजना की घोषणा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे कितनी राशि का विदेशी निवेश होने की आशा है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय दूरदर्शन सेवा

8151. श्री उदयसिंह राव गायकवाड़ :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन द्वारा कुछ राज्यों और संघ क्षेत्रों में उपग्रह आधारित क्षेत्रीय सेवाएं प्रदान की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों व संघ क्षेत्रों के नाम क्या हैं;

(ग) इन सेवाओं से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार कुछ अन्य राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में इन सेवाओं का विस्तार करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) उपग्रह आधारित क्षेत्रीय सेवाएं निम्नलिखित राज्यों में हैं:-

केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और जम्मू तथा कश्मीर एवं उत्तर पूर्वी राज्य।

(ग) क्षेत्रीय भाषा कार्यक्रमों के दर्शकों की संख्या के बारे में कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है।

(घ) से (च). जी, नहीं। वर्तमान में, क्षेत्रीय भाषा उपग्रह सेवाएं प्रदान करने के लिए कोई ट्रांसपोडर उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

ज्ञानी जैल सिंह का दुर्घटनाग्रस्त होना

8152. श्री छेदी पासवान :

श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन परिस्थितियों की जांच करायी है जिसके अंतर्गत भूतपूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह 29 नवम्बर, 1994 को हुई सड़क दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल हुए; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). पंजाब सरकार ने 29 नवम्बर, 1994 की घटना जिसमें एक सड़क दुर्घटना में ज्ञानी जैल सिंह घायल हो गए थे, के संबंध में जांच बैठायी थी; यह जांच प्रधान सचिव (गृह एवं न्याय विभाग), पंजाब सरकार द्वारा की गई। रिपोर्ट के अनुसार ज्ञानी जैल सिंह, उन्हें उपलब्ध कराई गई बुलेट प्रूफ कार में आनन्दपुर साहिब के लिए, 29.11.1994 को लगभग 11.25 बजे पंजाब राजभवन से रवाना हुए। रोपड़/चंडीगढ़ लौटते समय कीरतपुर से रोपड़ की ओर 5–6 कि.मी. की दूरी तय कर लेने पर, विशिष्ट व्यक्ति के काफिले की पायलट जिप्सी जो उनकी कार से 50–60 गज आगे थी, ने ट्रक (पी.बी.आई. 1275) के चालक को, जो विपरीत दिशा से आ रहा था, विशिष्ट व्यक्ति की कार को निकलने के लिए रास्ता देने का संकेत दिया। ट्रक चालक ने पक्की सड़क को छोड़ दिया और स्वयं कच्ची सड़क, जो मुख्य सड़क से 6 इंच नीची थी, पर हो गया। ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रक चालक ने ब्रेक लगाए और रपट गया परन्तु उसने ट्रक पर नियंत्रण खो दिया, फलस्वरूप ट्रक डगमगा गया और विशिष्ट व्यक्ति की बुलेट–प्रूफ कार पर सामने से दाहिनी ओर जा टकराया, जोकि स्टीयरिंग व्हील की ओर से अन्दर धंस गई। कार के अन्दर बैठे चारों व्यक्ति, नामतः ज्ञानी जैल सिंह, उनका भतीजा बसंत सिंह, चालक देविन्दर सिंह और दिल्ली पुलिस का उप–निरीक्षक धर्मवीर सिंह, ज्ञानी जैल का निजी सुरक्षा गार्ड, दुर्घटना में घायल हो गए। घायलों को तुरन्त सिविल अस्पताल, रोपड़ ले जाया गया तथा वहां से फिर पी.जी.आई. चंडीगढ़ ले जाया गया। रोपड़ के उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक घायलों के साथ पी.जी.आई. चंडीगढ़ गए, जहां घायलों को आगे इलाज करने के लिए भर्ती किया गया। जांच अधिकारी का यह निष्कर्ष था कि वह एक अकस्मात् हुई दुर्घटना थी। ट्रक चालक से की गई पूछताछ और ट्रक के मालिक के बारे में की गई पूछताछ से ऐसी किसी अभिशंसी जानकारी का पता नहीं चला जो आतंकवादियों द्वारा की गई तोड़–फोड़ की संभावना की ओर इशारा करती हो।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में स्पीड-पोस्ट

8153. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के किन–किन जिलों में 'स्पीड पोस्ट' सेवा शुरू की गई है; और

(ख) शेष जिलों में भी यह सेवा शुरू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) स्पीड पोस्ट सेवा महाराष्ट्र के निम्नलिखत जिलों में शुरू की गई है:–

(1) बम्बई (2) पुणे (3) नागपुर (4) नासिक (5) अहमदनगर (6) अकोला (7) अमरावती (8) औरंगाबाद (9) धुले (10) जलगांव (11) कोल्हापुर (12) लातूर (13) नांदेड़ (14) उस्मानाबाद (15) रायगढ़ (16) सतारा (17) सांगली (18) शोलापुर (19) ठाणे (20) वर्धा (21) यवतमाल

(ख) स्पीड पोस्ट सेवा आरंभ करना एक अनवरत प्रक्रिया है जो मांग, संभाव्य क्षमता तथा प्रचालन व्यवहार्यता पर निर्भर करती है।

रसोई गैस एजेंसियों का बन्द किया जाना

8154. डा. साक्षीजी :

श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य–वार कितने पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्रों तथा रसोई गैस एजेंसियों को बन्द किया गया;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) इनमें से कितने डीजल खुदरा बिक्री केन्द्रों, रसोई गैस एजेंसियों को फिर से खोले जाने की अनुमति दी गई है; और

(घ) कितने पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्रों तथा रसोई गैस एजेंसियों के विरुद्ध अभी जांच पूरी की जानी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). गत तीन वर्षों के दौरान देश में 43 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें तथा 42 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें कंपनियों की निधि के दुर्विनियोजन, बेनामी प्रचालनों तथा विविध विपणन दिशा निर्देशों के उल्लंघन इत्यादि, जैसे विभिन्न कदाचारों के कारण बंद कर दी गई थी।

(ग) उपरोक्त में से 6 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें तथा 4 एल पीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें पुनः चालू कर दी गई हैं।

(घ) 18 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के विरुद्ध जांच

जारी है।

अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम

8155. श्री एन. डेनिस :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम को संविधान की नौवीं अनुसूची में सम्मिलित किए जाने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख). जी, हां। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने के मामले में सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

तेलशोधन की क्षमता

8156. श्री मनोरंजन भक्त :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तरी भारत में तेल की सप्लाई में हाल ही में हुई कमी के बाद उस क्षेत्र में तेल शोधन क्षमता बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित क्षमता वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ग) यह प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी; और

(घ) उक्त क्षेत्र में अतिरिक्त क्षमता से तेल की कमी पूरी करने में किस हद तक सहायता मिलेगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ). सरकार ने इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा पानीपत में 6 एम एम टी पी ए क्षमता की रिफाइनरी स्थापित किए जाने के संबंध में पहले ही अनुमोदन दे दिया है। परियोजना के अप्रैल, 1997 तक पूरे होने का कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश में एक ग्रासरूट रिफाइनरी स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। प्रस्ताव के ब्यौरे आकलित किए जा रहे हैं।

उपर्युक्त रिफाइनरियां उत्तरी क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता को बढ़ाएंगी।

[हिन्दी]

तेल क्षेत्र से राज्यों को राजस्व

8157. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार क्षेत्रीय और स्थानीय स्तरों पर विकास कार्य आरम्भ करने के दृष्टिकोण से राज्यों को तेल और गैस क्षेत्र से प्राप्त राजस्व का एक भाग देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). सरकार को तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र से होने वाली प्राप्तियां राजस्व प्राप्तियां हैं और सरकार के व्यय का वित्तपोषण करने के लिए सरकार के कुल संसाधनों का भाग होती हैं। विभिन्न राज्यों को उनके विकास कार्यों के लिए केन्द्रीय सहायता का प्रावधान राज्य योजनाओं के अंतर्गत आता है और यह सहायता केन्द्रीय सरकार के कुल संसाधनों में से प्रदान की जाती है। इसलिए तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र से प्राप्तियों और राज्यों को दी जाने वाली धनराशि में कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है।

[अनुवाद]

विस्थापितों का पुनर्वास

8158. श्री राम निहोर राय :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के सोनभद्र स्थित खारिया परियोजना से प्रभावित परिवारों का पुनर्वास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पानी, विद्युत, विद्यालय इत्यादि जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (घ). कोल इंडिया लिमिटेड (को.इं.लि.) ने प्राप्त सूचना के अनुसार सभी 182 व्यक्तियों को, जोकि अभी तक नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खादिया परियोजना से विस्थापित किए गए हैं, उन्हें नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. द्वारा स्थापित किए गए पुनर्वास–स्थलों पर पुनर्वासित कर दिया गया है। प्रत्येक विस्थापित परिवार को एक निःशुल्क भू–खण्ड, स्थानांतरण भत्ते की अदायगी कर दी गई है और प्रत्येक परिवार को एक रोजगार प्रदान किया गया है। मूलभूत सुविधाओं, जैसे जल, सड़क, नालियां, स्वास्थ्य केन्द्र, स्कूल, शापिंग–सेंटर और पुनर्वास–स्थलों पर बिजली, आदि की आपूर्ति के लिए व्यवस्था कर दी गई है।

[हिन्दी]

तेल शोधन क्षमता

8159. श्री नीतीश कुमार :

श्री गुमान मल लोढ़ा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कच्चे तेल की शोधन क्षमता बढ़ाने के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) इस शोधन क्षमता में से देश में उत्पादित कच्चे तेल की शोधन क्षमता क्या है;

(ग) कच्चे तेल की ऐसी विभिन्न किस्मों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए शोधन क्षमता स्थापित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार को तेल शोधन क्षमता स्थापित करने के लिए पहले कच्चे तेल की अपेक्षित किस्म की उपलब्धता के संबंध में विस्तृत सूचना प्राप्त हो गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) मार्च, 1995 के अन्त तक देश में उत्पादित कच्चे तेल की कुल अधिष्ठापित तेल-शोधन क्षमता क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (च). देश में वर्तमान शोधन क्षमता 57.4 एम एम टी पी ए है और पेट्रोलियम उत्पादों की 102 एम एम टी पी ए की अनुमानित मांग की तुलना में वर्ष 2001-2002 तक इसके लगभग 153 एम एम टी पी ए (स्वदेशी क्रूड शोधन क्षमता सहित) होने का अनुमान है।

विभिन्न प्रकार के उपलब्ध क्रूडों के संसाधन के लिए रिफाइनरियां तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर नियोजित की जाती हैं। वर्तमान शोधन क्षमता लगभग 48 एम एम टी पी ए तक स्वदेशी क्रूड के संसाधन के लिए सक्षम है।

[अनुवाद]

कच्चे तेल का उत्पादन

8160. श्री अनंतराव देशमुख :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस निगम के मुम्बई अपतटीय क्षेत्रों से 1993-94 और 1994-95 के दौरान कच्चे तेल का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या यह उत्पादन निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) तेल और प्राकृतिक गैस निगम के मुम्बई स्थित अपतटीय क्षेत्रों से 1995-96 के दौरान तेल के उत्पादन हेतु निर्धारित लक्ष्य क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). बम्बई अपतट से लक्ष्य की तुलना में कच्चे तेल का उत्पादन निम्नानुसार था:-

	लक्ष्य	उपलब्धि
		(आंकड़े मि.मी.ट. में)
1993-94	15.160	15.375
1994-95	19.818	20.226

(घ) बम्बई हाई से वर्ष 1995-96 के दौरान 23.987 मि. मी.ट. के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

[हिन्दी]

गैस का व्यर्थ जलाया जाना

8161. श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिदिन कितनी प्राकृतिक गैस निकाली जाती है और उसमें से कितनी उपयोग में लाई जाती है तथा उसमें से कितनी मात्रा को व्यर्थ जलते रहने दिया जाता है;

(ख) प्रतिदिन निकाली जाने वाली पूरी गैस का उपयोग न कर पाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या एच बी जे गैस पाइपलाइन राजस्थान की सीमा में से होकर जाती है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार राज्य में प्राकृतिक गैस आधारित उद्योग स्थापित करने संबंधी राजस्थान सरकार के अनुरोध पर विचार करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) वर्ष 1994-95 में प्राकृतिक गैस का उत्पादन 53.09 एम एम एस सी एम डी था तथा 5.56 एम एम एस सी एम डी का दहन किया गया था।

(ख) गैस का दहन आंशिक रूप से तकनीकी कारणों से तथा आंशिक रूप से परिवहन एवं संपीडन सुविधाओं की कमी, ग्राहकों द्वारा उत्पाद नहीं उठाने आदि के कारण किया जाता है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ). एच बी जे पाइपलाइन से उपलब्ध होने वाली अनुमानित गैस को पूर्णतः आबंटित कर दिया गया है तथा फिलहाल अतिरिक्त आबंटन पर विचार करना साध्य नहीं है।

[अनुवाद]

बंगलौर दूरदर्शन द्वारा अर्जित राजस्व

8162. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान बंगलौर दूरदर्शन ने विज्ञापनों/प्रायोजकों से कितना राजस्व अर्जित किया;

(ख) बंगलौर दूरदर्शन पर क्षेत्रीय कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए प्रतिदिन कुल कितना समय आबंटित किया गया; और

(ग) इसमें से विज्ञापनों के लिए कुल कि[illegible] दिया गया?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) 1994–95 के दौरान दूरदर्शन केन्द्र बैंगलूर द्वारा अर्जित सकल राजस्व 1886.38 लाख रुपये है।

(ख) और (ग). ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं:–

दिन	क्षेत्रीय कार्यक्रमों हेतु आवंटित समय	विज्ञापनों हेतु आवंटित समय
सोमवार से बृहस्पतिवार	3 घंटे 30 मिनट	04 मिनट (लगभग)
शुक्रवार	3 घंटे 30 मिनट	17 मिनट (लगभग)
शनिवार	30 मिनट	01 मिनट (लगभग)
रविवार	5 घंटे	20 मिनट (लगभग)

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों की चोरी

8163. **श्री महेश कनोडिया :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि रावत भाटा परमाणु विद्युत केन्द्र को आपूर्ति किए गए पेट्रोलियम उत्पादों की चोरी हो रही है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितनी क्षति हुई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं। ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

वायरलैस लूप टेक्नोलोजी

8164. **श्री एस.एम. लालजान बाशा :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वायरलैस लूप टैक्नोलोजी के साथ केबल शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या

प्रश्न (क) क्या
पर विकास कार्य आरम्भ
गैस क्षेत्र से प्राप्त राजस्व का

(ग) यह टैक्नोलोजी किन–किन राज्यों में आरम्भ किए जाने की संभावना है; और

(घ) यह टैक्नोलोजी ग्राहकों के लिए किस सीमा तक लाभदायक होगी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) एक 'कार्डलैस' टेलीफोल प्रणाली, जोकि स्थानीय लूप में वितरण केबल को प्रतिस्थापित कर सकती है, का दो स्थानों पर स्थलीय परीक्षण करने का प्रस्ताव है।

(ग) पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश।

(घ) इस प्रणाली से यह अपेक्षा की जाती है कि यह उपभोक्ताओं को सहज उपलब्ध होगी और अधिक विश्वसनीय होगी। अगम्य क्षेत्रों में तेजी से कनेक्शन भी उपलब्ध कराये जा सकते हैं।

[हिन्दी]

डी. डी. - 2

8165. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार लोगों की बढ़ती हुए मांग को ध्यान में रखते हुए सभी राज्यों की राजधानियों के दूरदर्शन केन्द्रों पर डीडी–2 सेवा उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1994–95 के दौरान दूरदर्शन के किन–किन केन्द्रों पर यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) वर्ष 1995–96 के दौरान दूरदर्शन के किन–किन केन्द्रों पर यह सुविधा प्रदान किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख). उपयुक्त डिश एन्टेना के उपयोग के माध्यम से राज्य की राजधानियों सहित सम्पूर्ण देश में उपग्रह ट्रांसमिशन के जरिए दूरदर्शन की चैनल–2 (मैट्रो) सेवा उपलब्ध है। तथापि संसाधन की उपलब्धता तथा पारस्परिक प्राथमिकताओं के अधीन शेष सभी राज्यों की राजधानियों के लिए चरणबद्ध तरीके से दूरदर्शन का चैनल–2 (मैट्रो) सेवा स्थलीय आधार पर उपलब्ध कराए जाने की परिकल्पना की गई है। 1994–95 के दौरान डी.डी.–2 चैनल (मैट्रो) सेवा रिले करने के लिए चालू किए गए ट्रांसमीटरों को दर्शाने वाले स्थानों की सूचना संलग्न विवरण–1 में दी गई है।

(ग) हालांकि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लेह, मण्डी, दबवाली और दुदुरकोट में डी.डी.–2 (मैट्रो) सेवा रिले करने के लिए पहले ही ट्रांसमीटर चालू कर दिए गए हैं। तथापि अन्य स्थानों जहां डी.डी.–2 (मैट्रो) सेवा रिले करने के लिए ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन 1995–96 की शेष अवधि तथा परवर्ती वर्षों में स्थापित किए जाने हेतु परिकल्पित हैं, की एक सूची संलग्न विवरण–2 में दी गई है।

विवरण - I

उन स्थानों जहां 1994-95 के दौरान दूरदर्शन. चैनल-2 (मेट्रो) सेवा रिले करने हेतु ट्रांसमीटर चालू किए गए, को दर्शाने वाली सूची

क्र.सं.	स्थान
1.	कटक
2.	अहमदाबाद
3.	भुवनेश्वर
4.	जालन्धर
5.	भोपाल
6.	चंडीगढ़
7.	श्रीनगर
8.	त्रिवेन्द्रम
9.	बंगलौर
10.	गंगटोक
11.	जयपुर
12.	गुवाहाटी
13.	गांधीनगर
14.	शिमला
15.	ईटानगर
16	कोटा
17.	जम्मू
18.	कावारत्ती

विवरण - II

क्र.सं.	स्थान
1.	हैदराबाद (मौजूदा अल्प शक्ति ट्रांसमीटर की शक्ति को 1 कि.वा. तक बढ़ाया जाना है)
2.	पटना
3.	पणजी
4.	बंगलौर (मौजूदा अल्प शक्ति ट्रांसमीटर की शक्ति को 1 कि.वा. तक बढ़ाया जाना है)
5.	कालीकट
6.	कोचीन
7.	नागपुर
8.	शिलांग
9.	इम्फाल
10.	ऐजवाल
11.	सम्बलपुर
12.	अगरतला
13.	कानपुर
14.	मुर्शिदाबाद
15.	पोर्ट ब्लेअर
16.	पांडिचेरी
17.	कोहिमा

[अनुवाद]

स्वतंत्रता सेनानी

8166. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय केन्द्रीय राजस्व से राज्य-वार कितने व्यक्ति स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : 30.4.1995 की स्थिति के यथानुसार, केन्द्र सरकार 1,62,363 स्वाधीनता सेनानियों को, उनके आश्रितों सहित, पेंशन संस्वीकृत कर चुकी है। राज्य-वार ब्यौरा देने वाला एक विवरण संलग्न है। वर्तमान में पेंशन ले रहे पेंशनरों की संख्या का ब्यौरा नहीं रखा जा रहा है।

विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उन मामलों की संख्या जिनमें स्वाधीनता सेनानी पेंशन स्वीकृत की गई
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	10979
2.	अरुणाचल प्रदेश	–
3.	असम	4328
4.	बिहार	24535
5.	गोवा	906
6.	गुजरात	3550
7.	हरियाणा	1635

1	2	3
8.	हिमाचल प्रदेश	565
9.	जम्मू एवं कश्मीर	1779
10.	कर्नाटक	9939
11.	केरल	2803
12.	मध्य प्रदेश	3333
13.	महाराष्ट्र	16443
14.	मणिपुर	62
15.	मेघालय	86
16.	मिजोरम	4
17.	नागालैंड	3
18.	उड़ीसा	4151
19.	पंजाब	6868
20.	राजस्थान	783
21.	सिक्किम	–
22.	तमिलनाडु	4064
23.	त्रिपुरा	886
24.	उत्तर प्रदेश	17881
25.	पश्चिम बंगाल	22373
26.	अ. एवं नि. द्वीप समूह	–
27.	चंडीगढ़	88
28.	द. एवं न. हवेली	–
29.	दमन एवं दीव	33
30.	दिल्ली	2024
31.	लक्षद्वीप	–
32.	पाण्डिचेरी	312
33.	आजाद हिन्द फौज	21950
	कुल	162363

[हिन्दी]

राजस्थान में एस.टी.डी./पी.सी.ओ.

8167. श्री कुन्जी लाल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. बूथों के आबंटन के लिए गत एक वर्ष से बड़ी संख्या में आवेदन पत्र लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला–वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन बूथों को कब तक आबंटित कर दिया जाएगा?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

तेल का उत्पादन

8168. डा. अमृतलाल कालिदास पटेल :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान गुजरात के तेल क्षेत्र में से तेल के उत्पादन में भारी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत दो वर्षों की तुलना में इस समय का उत्पादन कितना है; और

(घ) उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). जी, नहीं। गुजरात के तेल क्षेत्रों से कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि परिलक्षित हुई है जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:–

वर्ष	तेल का उत्पादन (मि.मी.ट.)
1992–93	5.807
1993–94	5.976
1994–95	6.279

(घ) तेल/गैस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:–

1. कतिपय वर्द्धित तेल वसूली योजनाओं को प्रायोगिक चरण से बढ़ाकर पूर्णाकार क्षेत्र अनुप्रयोग तक करना।

2. विस्तारित 'रीच' वेधन, क्षैतिज तथा कूप छिद्र वेधन जैसी कतिपय विशिष्ट प्रोद्योगिकियों को लागू करना।

3. जहां आवश्यक हो वहां अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की सेवाओं को प्राप्त करना।

4. नयी परियोजनाओं/योजनाओं को लागू करना।

5. विकास तथा 'इनफिल' कूपों का वेधन एवं उनसे यथासंभव शीघ्रतम अवधि में उत्पादन शुरू करना।

6. समुचित दाब अनुरक्षण प्रक्रियाओं, वर्क ओवर–कार्य तथा उत्पादन को इष्टतम करके रिजर्वेयर की स्थिति बहाल करना।

7. सरकार द्वारा कुछ मध्यम–छोटे आकार के क्षेत्रों को संयुक्त उद्यम कम्पनी/निजी पार्टियों को आफर करना।

दिल्ली में टेलीफोन

8169. श्री मोहन रावले :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में विशेषकर, रोहिणी टेलीफोन एक्सचेंज से माह जनवरी से मई, 1995 तक प्रति माह कितने नए टेलीफोन कनेक्शन दिए गए हैं;

(ख) ये टेलीफोन कनेक्शन किस श्रेणी के अंतर्गत दिए गए;

(ग) क्या रोहिणी टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता बढ़ायी जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो कब तक?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) दिल्ली में जनवरी, 95 से मई, 95 तक लगाए गए नए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या इस प्रकार है:–

मास	दिल्ली में लगाए गए नए कनेक्शनों की संख्या	रोहिणी टेलीफोन एक्सचेंज में लगाए गए नए कनेक्शनों की संख्या
जनवरी, 1995	14774	222
फरवरी, 1995	23993	28
मार्च, 1995	47578	23
अप्रैल, 1995	3166	16
मई, 1995 (21.5.95 तक)	1495	14
कुल जोड़	91006	303

(ख) जनवरी, 95 से मई, 95 तक रोहिणी टेलीफोन एक्सचेंज में लगाए गए कमेक्शनों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:–

1.	नॉन–ओ वाई टी (जी)	260
2.	ओ वाई टी (जी)	7
3.	ओ वाई टी (एस)	1
4.	एस.टी.डी. पी.सी.ओ.	25
5.	सेवा टेलीफोन	5
6.	अस्थायी टेलीफोन	5

(ग) जी, हां।

(घ) 1995–96 के दौरान रोहिणी क्षेत्र में योजनाबद्ध अतिरिक्त एक्सचेंज क्षमता, 19,000 लाइनें हैं। यह उपस्कर, अन्य सामग्रियों और वित्तीय स्रोतों की समय पर उपलब्धता होने पर निर्भर है।

स्वतंत्रता सेनानियों को डीलरशिप प्रदान करना

8170. श्री आर. अन्बारास :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में श्रेष्ठ खिलाड़ियों के लिए ओ एस बी के माध्यम से पेट्रोलियम–उत्पादों की डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन में 2 प्रतिशत आरक्षण करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या स्वतंत्रता सेनानियों के मामले में भी इसी प्रकार के आरक्षण का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). तेल चयन बोर्डों के माध्यम से डीलरशिपों/डिस्ट्रब्यूटरशिपों के आबंटन के लिए स्वतंत्रता सेनानी श्रेणी हेतु 3 प्रतिशत आरक्षण के लिए विद्यमान दिशानिर्देश पहले ही उपलब्ध हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक दूरभाष केन्द्र संबंधी समितियां

8171. प्रो. प्रेम धूमल :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक जिले में सार्वजनिक दूरभाष केन्द्र आबंटित करने की सिफारिशें करने हेतु समितियां गठित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन समितियों को गठित करते समय स्थानीय सांसदों से विचार–विमर्श किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इन समितियों ने अपना काम शुरू कर दिया है;

(च) यदि हां, तो कब से;

(छ) जिला–वार अब तक खोले गए सार्वजनिक दूरभाष केन्द्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ज) कितने सार्वजनिक दूरभाष केन्द्र समितियों की सिफारिशों पर खोले गए हैं और कितने सार्वजनिक दूरभाष केन्द्र सीधे मंत्री की स्वीकृति से खुले हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ज). सूचना एकत्रित की जा रही है, जिसे सभा–पटल पर रख दिया जाएगा।

अपहरण की घटनाएं

8172. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण :**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को अपहरण के मामलों पर विचार करने के लिए अलग प्रकोष्ठ खोलने का अनुदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग). उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज

8173. **श्री दत्ता मेघे :**

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1995 तक के अनुसार महाराष्ट्र में स्थापित इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों की क्षमतावार संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन सभी एक्सचेंजों को एस.टी.डी. सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) उन जिलों के नाम क्या हैं जहां इस प्रकार के एक्सचेंज स्थापित नहीं किए गए हैं; और

(ङ) इन जिलों में एस टी डी की सुविधायुक्त एक्सचेंज कब तक स्थापित कर दिए जाएंगे?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) 31.3.97 (आठवीं योजना) तक सभी इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों को एस टी डी नेटवर्क से जोड़ने की दूरसंचार विभाग की योजना है। विश्वसनीय पारेषण माध्यम तथा निधियों की कमी के कारण फिलहाल सभी एक्सचेंजों में एस टी डी का प्रावधान करना संभव नहीं है।

(घ) और (ङ). महाराष्ट्र के सभी जिला मुख्यालयों में इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज लगाए गए हैं तथा सभी को एस टी डी सुविधा प्रदान की गई है।

[अनुवाद]

रायसीना रोड बम विस्फोट

8174. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह:**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली में रायसीना रोड पर हुए आर.डी.एक्स. बम विस्फोट में आहत हुए व्यक्तियों को तथा मृतकों के निकट संबंधियों को कोई मुआवजा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग). दिनांक 11.9.1993 को दिल्ली में रायसीना रोड पर हुए बम विस्फोट में नौ व्यक्ति मारे गए थे तथा 29 व्यक्ति घायल हुए थे।

बम विस्फोट में मारे गए, चार व्यक्तियों के प्रत्येक निकट संबंधी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा 50,000/– रुपये, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के तीन कार्मिकों के प्रत्येक निकट संबंधी को, भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा 1,00,000/– रुपये तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के एक कर्मचारी के निकट संबंधी को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा 79,760/– रुपये की राहत प्रदान की जा चुकी है।

बम विस्फोट में मारे गए नौवें व्यक्ति, जो भारत सरकार के उपक्रम, एजूकेशनल कन्सलटेन्ट्स इंडिया लिमिटेड का कर्मचारी था, के कानूनी उत्तराधिकारी के बारे में विवाद है। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की गैर हाजिरी में किसी प्रकार की अनुग्रहपूर्वक राशि का भुगतान करना संभव नहीं है।

घायल हुए 14 अर्हक व्यक्तियों को 3000/– रुपये प्रतिव्यक्ति के हिसाब से अनुग्रहपूर्वक राहत का भुगतान किया जा चुका है।

नैमित्तिक कलाकारों का पारिश्रमिक

8175. **श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल :**

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन केन्द्रों में कार्यरत नैमित्तिक कलाकारों के पारिश्रमिक में सितम्बर, 1993 से वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूरदर्शन केन्द्र, नई दिल्ली में कार्यरत नैमित्तिक कलाकार स्टेनोग्राफर को नैमित्तिक निर्माण सहायकों के समान पारिश्रमिक दिया जा रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या दूरदर्शन के महानिदेशक ने 1993 में नैमित्तिक स्टेनोग्राफरों के दैनिक पारिश्रमिक में वृद्धि की सिफारिश की थी; और

(च) यदि हां, तो उक्त निर्णय कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण–1 और 2 में दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत बुक किए गए नैमित्तिकों के वेतनों के भुगतान की दर उस वेतनमान जिसके लिए वे नियमित आधार उनकी नियुक्ति की अवस्था में पात्र होते, को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है। निर्माण सहायक की तुलना में नियमित आशुलिपिकों का आरंभिक वेतनमान कम है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण - I

26.8.93 को दूरदर्शन द्वारा निर्धारित नैमित्तिक कलाकारों को 1.9.93 से प्रभावी संशोधित दरें

क्र.सं.	श्रेणी का नाम	संशोधित अनुमोदित दरें
1.	नैमित्तिक संपादक/ सहायक संपादक	350/– रुपये
2.	नैमित्तिक आलेख लेखक (संसद)	5 मि. के आलेख के लिए 500/– रुपये 5 मि. से अधिक के आलेख के लिए 750/– रुपये
3.	नैमित्तिक कोलिग्राफिस्ट	150/– रुपये
4.	समाचार बुलेटिनों के संपादकीय कार्य के लिए नैमित्तिक आशुलिपिकीय सहायक	125/– रुपये
5.	नैमित्तिक निर्माण सहायक/ पुस्तकालय सहायक/ अनुसंधान सहायक	150/– रुपये
6.	नैमित्तिक टंकक/सामान्य सहायक	75/– रुपये
7.	नैमित्तिक सी.जी. प्रचालक	100/– रुपये
8.	नैमित्तिक ग्राफिक कलाकार	150/– रुपये
9.	नैमित्तिक ई.एन.जी./ वीडियो संपादक	150/– रुपये
10.	नैमित्तिक संपादक/सहायक संपादक–टेलीकास्ट	300/– रुपये

विवरण - II

4.6.94 को दूरदर्शन द्वारा निर्धारित नैमित्तिक कलाकारों की 1.9.93 से प्रभावी संशोधित दरें

क्र.सं.	पद का वेतनमान एवं ब्यौरे	एक माह में अधिकतम 10 कार्यक्रमों सहित प्रति कार्यक्रम भुगतान
1.	1400–2600/– रुपये (निर्माण सहायक/ग्राफिक सहायक, वीडियो/फिल्म संपादक, मेकअप सहायक आदि)	165/– रुपये
2.	1400–2300/–रुपये (लाइटिंग सहायक/लाइटमैन आदि)	155/– रुपये
3.	1200–1800/– (फ्लोर सहायक/फिल्म प्रोजेक्टनिस्ट, कारपेन्टर, पेंटर, टेलर आदि)	रुपये 130/–
4.	950–1500/– रुपये टंकक, सामान्यय सहायक, करेक्टर जनरेटर ऑपरेटर	100/– रुपये

नैमित्तिक आशुलिपिक केवल समाचार स्कंध में नियुक्त किए जाते हैं। समाचार स्कंध दूरदर्शन द्वारा नैमित्तिक आशुलिपिकों के लिए दर 1.9.1993 से संशोधित करके 125/– रुपये कर दी गई है।

[हिन्दी]

बिहार में एस.टी.डी. शुल्क

8176. श्री ललित उरांव :

क्या **संचार मंत्री** 9 मई, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6800 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के रांची व गुमला जिलों के उन टेलीफोन उपभोक्ताओं को जिनसे कि 10 मई, 1994 से पूर्व नियत दिनांक पर क्षेत्रीय कार्यालयों में गलत प्रविष्टि के कारण अग्रिम राशि 8 सैकिन्ड पल्स की दर की बजाय 12 सैकिन्ड पल्स की दर से वसूल की गई थी, उन्हें धनराशि वापस लौटाने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने गलत बिल बनाने के लिए जिम्मेदार पाए गए ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

गांगुली समिति

8177. श्री जगजीत सिंह बरार :

डा. चिन्ता मोहन:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल शोधक कारखानों की कार्य योजनाओं की समीक्षा करने के लिए डा. एस. गांगुली की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो रिपोर्ट कब प्रस्तुत कर दी जाएगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ). रिफाइनरियों की पुनरीक्षा करने, रिफाइनरियों को तकनीकी संस्थानों तथा अनुसंधान विकास केन्द्रों के साथ समेकित करने के लिए समुचित क्रियाविधि की सिफारिश करने के लिए, शोधन प्रचालनों आदि के लिए जरूरी विशिष्ट क्षमता विकास के लिए नीतियों की सिफारिश करने के लिए सरकार ने डा. एस. गांगुली की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। समिति ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

[अनुवाद]

गुजरात में रसाई गैस एजेंसियां

8178. श्री दिलीप भाई संघाणी :

श्री केशी राम राणा

श्री महेश कनोडिया

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में इस समय रसोई गैस की कितनी एजेंसियां हैं;

(ख) राज्य में इस समय रसोई गैस की पूर्ति और मांग की स्थिति क्या है;

(ग) क्या राज्य रसोई गैस की नई एजेंसियां खोलने के संबंध में राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये एजेंसियां कब तक खोली जाएंगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 01 जनवरी, 1995 को गुजरात में 316 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें कार्य कर रही थीं।

(ख) 1994–95 के दौरान गुजरात में एल पी जी की मांग और आपूर्ति निम्नवत् थी:–

मांग – 348181 मी. टन

आपूर्ति – 256522 मी. टन

(ग) और (घ). गुजरात सहित देश के समस्त भागों से और अधिक एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोलने के संबंध में समय–समय पर अनुरोध प्राप्त होते हैं। तदनुसार गुजरात के लिए एल पी जी विपणन योजना 1992–94 में 65 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें तथा एल पी जी विपणन योजना 1994–96 में 64 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें शामिल की गई हैं। एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें आरंभ करने के लिए सामान्यत: विज्ञापन की तारीख से 1–2 वर्ष का समय लगता है।

नेशनल पाइपलाइन नेटवर्क

8179. श्री दत्तात्रेय बंडारू :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नेशनल पाइप लाइन नेटवर्क विकसित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर अनुमानत: कितना खर्च होने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में कार्य कब तक आरंभ होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ). पेट्रोलियम उत्पादों को विभिन्न खपत केन्द्रों तक ढुलाई के लिए समुचित परिवहन नेटवर्क को विकसित करने के लिए एक प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव फिलहाल जांच के आरंभिक चरणों में है।

गांवों में टेलीफोन

8180. श्री के. प्रधानी :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1997 के अन्त तक देश के प्रत्येक गांव में सार्वजनिक टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध करवाने का है;

(ख) यदि हां, तो देश में राज्य–वार ऐसे कितने गांव हैं जहां 30 अप्रैल, 1995 तक टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है;

(ग) क्या वर्ष 1994–95 के दौरान ऐसे और अधिक गांवों में यह सुविधा प्रदान करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) 30.4.1995 की स्थिति के अनुसार 185882 गांवों को सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई है। राज्य–वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ). जी, हां। वर्ष 1994–95 के लिए 50,000 गांवों

को सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसकी तुलना में इसी अवधि के दौरान 47659 गांवों को वास्तविक रूप से सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

विवरण

30.4.1995 की स्थिति के अनुसार ग्राम सार्वजनिक टेलीफोनों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	सर्किल/राज्य	30.4.95 की स्थिति के अनुसार ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन
1.	आंध्र प्रदेश	16152
2.	असम	6454
3.	बिहार	10867
4.	गुजरात, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव सहित	12282
5.	हरियाणा	6156
6.	हिमाचल प्रदेश	3076
7.	जम्मू एवं कमशीर	1302
8.	कर्नाटक	10239
9.	केरल	1530
10.	मध्य प्रदेश	26030
11.	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	19602
12.	पूर्वोत्तर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर सहित	2088
13.	उड़ीसा	8878
14.	पंजाब	8184
15.	राजस्थान	10242
16.	तमिलनाडु (पांडिचेरी सहित)	13349
17.	उत्तर प्रदेश	23771
18.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम सहित)	5434
19.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	55
20.	एम.टी.एन.एल., नई दिल्ली	191
	कुल	185882

रसोई गैस डीलरों के विरुद्ध शिकायतें

8181. श्री राज नारायण :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और हरियाणा में ऐसी रसाई गैस की एजेंसियों की संख्या कितनी है जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान अपने उपभोक्ताओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 5000 से अधिक गैस सिलिंडर आबंटित किए हैं;

(ख) क्या उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु रसोई गैस डीलरों के लिए वर्तमान प्रणाली के अंतर्गत कोई अधिकतम आवश्यकता मात्र निर्धारित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश और हरियाणा में रसोई गैस डीलरों द्वारा अनियमितताएं बरतने के विरुद्ध सरकारी क्षेत्र की तेल कम्पनियों को कितने मामलों की सूचना मिली; और

(ङ) सरकार ने इन डीलरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) उत्तर प्रदेश की उन 473 एल पी जी एजेंसियों तथा हरियाणा की उन 105 एल पी जी एजेंसियों को जो 5000 रीफिल प्रतिमाह की बिक्री की अधिकतम सीमा से अधिक प्रचालन कर रही थीं उन्हें गत तीन वर्षों के दौरान नए कनेक्शन आबंटित किए गए थे।

(ख) और (ग). जी हां। 1995–96 से क्रियान्वयन के लिए एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए अधिकतम सीमाएं नीचे दी गयी हैं:

जनसंख्या वाले शहर/नगर (1991 की जनगणना के आधार पर)	विद्यमान सीमा प्रतिमाह	संशोधित सीमा प्रतिमाह
(1) बम्बई	8000	10000
(2) दिल्ली	6500	9000
(3) मद्रास कलकत्ता तथा 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर	6500	8000
(4) 20 लाख से 40 लाख जनसंख्या वाले शहर	6000	7000
(5) 10 से 20 लाख जनसंख्या वाले शहर	5000	6000
(6) 10 लाख तक जनसंख्या वाले शहर	4000	5000

तथापि, सहकारी सोसाइटियों द्वारा चलायी जा रही रसोई गैस की डिस्ट्रीब्यूटरशिप अधिकतम सीमा से मुक्त हैं।

(घ) और (ङ). गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा में अनेक एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा की गयी अनियमितताओं के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई थीं। शिकायतों के

प्रमाणिक मामलों में डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के अनुसार कार्रवाई की गयी है।

[हिन्दी]

राजस्थान में दूरभाष केन्द्र

8182. श्री शंकरसिंह वाघेला :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में सभी दूरभाष केन्द्रों का आधुनिकीकरण कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो आधुनिकीकरण किए गए दूरभाष केन्द्रों तथा पुरानी प्रणाली पर आधारित दूरभाष केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ग) सभी दूरभाष केन्द्रों का आधुनिकीकरण कब तक कर दिया जाएगा;

(घ) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में दूरभाष केन्द्रों के आधुनिकीकरण के कार्य में विलम्ब हो रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में दूरभाष केन्द्रों का प्राथमिकता के आधार पर आधुनिकीकरण कब तक कर दिया जाएगा?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). 31.3.95 की स्थिति के अनुसार, राजस्थान के कुल 1380 एक्सचेंजों में से 1267 आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज हैं और केवल 13 इलेक्ट्रो–मैकेनिकल एक्सचेंज हैं।

(ग) इलेक्ट्रो–मैकेनिकल एक्सचेंजों की मियाद अभी समाप्त नहीं हुई है। मियाद समाप्त होने पर इन्हें बदल दिया जाएगा, बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हो।

(घ) जी नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों के सभी एक्सचेंज इलेक्ट्रॉनिक किस्म के हैं।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खान बचाव स्टेशन

8183. श्री बसुदेव आचार्य :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सभी क्षेत्रों में खान बचाव स्टेशन (माइन रेसक्यु स्टेशन) बनाए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख). खान बचाव नियम, 1985 के नियम 1 उपनियम 2 के अनुसार ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के सभी भूमिगत खानों वाले क्षेत्र को बचाव–सुविधाएं मुहैया कर दी गई हैं। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के निम्नलिखित क्षेत्र के अंतर्गत बचाव–केन्द्र/बचाव–कक्ष निम्नलिखित स्थानों पर मुहैया कर दिए गए हैं:–

बचाव केन्द्र/कक्ष	निम्नलिखित क्षेत्रों के अन्तर्गत स्थापित किए गए हैं।
बचाव केन्द्र सीतारामपुर	मुगमा सालनपुर सोदेपुर सीतारामपुर श्रीपुर सतग्राम कज़ारा कुनुस्तोरिया
बचाव कक्ष	
केन्डा	केन्डा पाण्डवेश्वर
झांझरा	झांझरा बांकोला
कालिदासपुर	कालिदासपुर

[हिन्दी]

रसोई गैस के प्राथमिकता प्राप्त वाउचरों को पुनः वैधता प्रदान करना

8184. श्री गोविन्द चन्द मुंडा :

श्री राम प्रसाद सिंह:

श्री पीयूष तीरकी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1990–91 और 1992–93 के दौरान भारतीय तेल निगम लिमिटेड, उत्तरी क्षेत्र ने उनके मंत्रालय द्वारा जारी किए गए रसोई गैस के प्राथमिकता प्राप्त वाउचरों को पुनः वैधता प्रदान करने पर रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करायी है और भारतीय तेल निगम लिमिटेड को प्राथमिकता प्राप्त वाउचरों के बदले मं रसोई गैस कनेक्शन देने हेतु कोई निर्देश दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ङ). जी, नहीं। एल पी जी कनेक्शन अग्रता वाउचर जारी करने से 90 दिनों के भीतर ले लेना चाहिए। लेकिन एल पी जी कनेक्शन के लिए अग्रता वाउचरों का

पुनर्विधिमान्यकरण प्रत्येक मामले के गुण दोष के आधार पर किया जाता है। नेमी पुनर्विधिमान्यकरण से कदाचार और अनियमितताएं उत्पन्न होंगी।

[अनुवाद]

नेवेली लिग्नाइट निगम के संयंत्रों को नया रूप देना

8185. डा. पी. वल्लल पेरूमान :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का नेवेली लिग्नाइट निगम लिमिटेड (एन.एल.सी.) के उर्वरक संयंत्र तथा ब्रिकेटिंग एवं कार्बनाइजेशन संयंत्र (बी. एण्ड सी.) को नया रूप देने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(घ) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) वर्तमान में सम्पूर्ण उर्वरक संयंत्र का नवीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। किन्तु उर्वरक संयंत्र की अमोनिया उत्पादन करने वाली यूनिट का नवीनीकरण किए जाने के उपाय किए गए हैं। इसके अलावा नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. के पास ब्रिकेटिंग एवं कार्बनीकरण का पास (बी. एण्ड सी.) संयंत्र का किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) अमोनिया उत्पादन करने वाले यूनिट के लिए पेशकश प्राप्त हुई है, जोकि वर्तमान में नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. में समीक्षाधीन है।

बी. एण्ड सी. संयंत्र के लिए प्रस्तावित नवीनीकरण के लिए उठाए जाने वाले गहन अपेक्षित उपायों का पता दिए जाने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

(ग) और (घ). अमोनिया उत्पादन करने वाली यूनिट की आशय नवीनीकरण अनुमानित लागत लगभग 40 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया है।

ब्रिकेटिंग एवं कार्बनीकरण की नवीनीकरण किए जाने की अनुमानित लागत का पता मांगी गई निविदाओं की प्राप्ति होने तथा जांच किए जाने के बाद ही चल सकेगा।

बाटलिंग प्लांट

8186. श्री राम सिंह प्रसाद सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन आयल कारपोरेशन का बिहार में कोई बाटलिंग प्लांट स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये कहां पर स्थापित किए जाएंगे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) वर्तमान में बिहार राज्य में इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा नया एल पी जी भरण संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अपराध संबंधी वारदातों और अपराधियों के रिकार्ड का कम्प्यूटरीकरण

8187. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपराध संबंधी वारदातों और अपराधियों के बारे में कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली स्थापित करने की परियोजना का कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) परियोजना का समूचा कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (घ). अपराध और अपराधियों के बारे में कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली की कार्यान्वयनाधीन परियोजना के अधीन कम्प्यूटरों के उत्थापन का काम 30 जून, 1995 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है। इसी तिथि से डाटा संग्रहण और डाटा बेस तैयार करने का काम शुरू हो जाएगा।

तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा शेयरों की बिक्री

8188. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड का विचार संसाधन जुटाने हेतु 1995–96 में अपने शेयर बेचने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) तेल और प्राकृतिक गैस निगम के शीघ्र आने वाले सार्वजनिक निर्गमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने हेतु कि इस धन को सावधानी से खर्च किया जाए तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन ओ एन जी सी को सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी के रूप में परिवर्तित करने के सरकार के निर्णय के उपरांत, नयी कम्पनी की विस्तारित इक्विटी के 20 प्रतिशत को आम जनता को आफर करने का निर्णय लिया गया

है। आम जनता को देने के आफर का विवरण तैयार किया जा रहा है।

(घ) ओ एन जी सी द्वारा उपलब्ध निधि को अपनी विकासात्मक योजनाओं के अनुरूप व्यय किया जाएगा। ये सांविधिक लेखापरीक्षा, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा एवं साथ ही आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली के अधीन है।

बम्बई में डाकघर

8189. श्री राम नाईक :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार उत्तरी बम्बई में क्षेत्रवार कितने नए डाकघरों की आवश्यकता थी;

(ख) क्या विभाग द्वारा इस प्रयोजनार्थ परिसर प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या विभाग ने भूमि अर्जन अधिनियम का सहारा लेने के प्रयास किए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) उत्तर बम्बई में 31 मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार नए डाकघरों की क्षेत्र-वार आवश्यकता निम्नानुसार है:-

1. एवरशाइन नगर (मलाड वेस्ट)
2. कस्तूर पार्क (बोरीवली वेस्ट)
3. कुरार विलेज (मलाड वेस्ट)
4. पूनम नगर (जोगेश्वरी ईस्ट)
5. साई बाबा नगर (बोरीवली वेस्ट)
6. वसई रोड ईस्ट (ठाणे वेस्ट)

(ख) और (ग). डाकघर नहीं खोले जा सके, क्योंकि आवास किराए पर नहीं लिया जा सका । इन डाकघरों को खोलने के प्रयोजन से उपयुक्त आवास किराए पर लेने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) और (ङ). अधिग्रहण के लिए कोई उपयुक्त भू-सम्पदा नहीं मिल सकी।

[हिन्दी]

इमामों को दिए जाने वाला वेतन

8190. श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने इमामों को वेतन और भत्ते का भुगतान करने के बारे में कोई निर्णय दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है;

(ग) इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या देश में इमामों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए कोई समिति गठित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख). उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 13.5.1993 के निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ भारत संघ तथा केन्द्रीय वक्फ परिषद को पंजाब तथा हरियाणा में प्रचलित वेतन तथा भत्तों को आदर्श के रूप में लेते हुए देश की विभिन्न प्रकार की मस्जिदों के इमामों को छः महीने के भीतर वेतन तथा भत्तों के भुगतान के लिए एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया था।

(घ) यह परीक्षणाधीन है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्रकाशन विभाग के प्रकाशन

8191. श्री शिव शरण वर्मा :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा कितनी पुस्तकें और अन्य प्रकाशन प्रकाशित किए गए और इन प्रकाशनों की सूची क्या है;

(ख) क्या ये पुस्तकें/प्रकाशन संसद सदस्यों को दिए जाते हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) प्रकाशन विभाग ने पिछले तीन वर्ष के दौरान नीचे दिए अनुसार अंग्रेजी, हिंदी तथा 9 क्षेत्रीय भाषाओं में 397 पुस्तकें प्रकाशित की हैं:-

1992-93	1993-94	1994-95
123	117	157

इन प्रकाशनों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है। उपर्युक्त के अलावा, प्रकाशन विभाग ने 2.10.93 से आरंभ की गई योजना (उड़िया) के साथ-साथ अंग्रेजी, हिंदी और 11 क्षेत्रीय भाषाओं में 21 पत्रिकाएं भी प्रकाशित कीं।

(ख) और (ग). प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित प्रकाशन समूल्य प्रकाशन हैं। प्रभाग अपनी पुस्तकों की बिक्री अपने स्वयं के बिक्री केन्द्रों तथा पुस्तक विक्रेताओं एवं एजेंटों के एक बड़े नेटवर्क के माध्यम से करता है।

विवरण

1992-93 में प्रकाशित पुस्तकों की सूची:

अंग्रेजी :

1. सलेक्टेड स्पीचेज़ एंड राइटिंग्स ऑफ राजीव गांधी वाल्यूम–II
2. सलेक्टेड स्पीचेज़ एंड राइटिंग्स ऑफ राजीव गांधी वाल्यूम–III
3. सलेक्टेड स्पीचेज़ एंड राइटिंग्स ऑफ राजीव गांधी वाल्यूम–IV
4. प्राइम मिनिस्टर पी.वी. नरसिंहराव : सलेक्टेड स्पीचेज एंड राइटिंग्स वाल्यूम–I
5. सलेक्टेड स्पीचेज ऑफ वी.पी. सिंह
6. सलेक्टेड स्पीचेज ऑफ चरण सिंह
7. स्पीचेज ऑफ डॉ. एस. राधाकृष्णन वाल्यूम–III
8. स्पीचेज ऑफ ज्ञानी जैल सिंह वाल्यूम–II
9. स्पीचेज ऑफ डॉ. राधाकृष्णन (1952–59)
10. प्रेसीडेंट एस. राधाकृष्णनंस स्पीचेज एंड राइटिंग (1964–67)
11. जवाहर लाल नेहरू स्पीचेज वाल्यूम - I
12. सेलेक्टेड स्पीचेज आफ एस.सी. बोस

कोटेबल कोट्स

13. आर. एन. टैगोर
14. डॉ. एस. राधाकृष्ण
15. सरदार वल्लभ भाई पटेल

बिल्डर्स ऑफ माडर्न इण्डिया सीरीज़ :

16. आचार्य विनोबा भावे
17. वी. ओ. चिदम्बरम पिल्लै
18. एनी बीसेण्ट
19. सुभाष चन्द्र बोस

कलैक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी :

20. वाल्यूम–I (सप्लीमेंट्री)
21. वाल्यूम–II (–तथैव–)
22. वाल्यूम–III
23. वाल्यूम–10
24. वाल्यूम–30
25. वाल्यूम–40
26. वाल्यूम–70

विविध

27. ए स्टॉर्मी एडवेंचर एंड अदर स्टोरीज़
28. दि स्टोरी ऑफ कालीदास
29. व्हाइट टाइगर
30. आइलैंड्स ऑफ इण्डिया
31. ट्रेजर्स ऑफ नेशनल म्यूजियम
32. मास मीडिया इन इंडिया – 1991
33. इंडियन क्लासिकल डांस
34. सोशल फिलासफर्स
35. एन इंट्रोडक्शन टु इंडियन म्यूजिक
36. फाउंडर्स ऑफ फिलासफी
37. अंबेडकर एंड सोशल जस्टिस वाल्यूम–I
38. अंबेडकर एंड सोशन जस्टिस वाल्यूम–II
39. मानस सैंचुअरी
40. प्रेस इन इंडिया वाल्यूम–I
41. इंडिया, 1992 – ए रेफरेंस एनुअल
42. फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया
43. क्विट इंडिया मूवमेंट
44. गजेटियर ऑफ इंडिया वाल्यूम–II
45. पैनोरम ऑफ इंडियन पेंटिंग्स
46. हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया वाल्यूम–II
47. हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया वाल्यूम–III

कुल : 47

हिन्दी

1. अहिल्याबाई होल्कर
2. कौरवी लोक कथाएं
3. पैगम्बरों की कथाएं
4. हमारे बहादुर बच्चे
5. बाल बोध कथाएं
6. टप–टप–मोती
7. बृज की लोक कथाएं
8. बोलने वाली गुफा
9. मिथिलांचल की लोक कथाएं
10. गणेश शंकर विद्यार्थी
11. बोध कथाएं
12. शापित फल्गु

13. भारत के लोक गाथा भाग -- II
14. भारत की लोक कथाएं
15. पंजाब के मेले और त्यौहार
16. बुंदेलखंड की लोक कथाएं
17. हाडी रानी
18. छत्तीसगढ़ की लोक कथाएं
19. क्रांतिकारियों का बचपन
20. हमारा मौसम
21. भारत के महान शिक्षा शास्त्री
22. अवध की बेगम
23. कभु रानी
24. पन्ना धाय
25. हमारी आंखें
26. और पेड़ गूंगे हो गए
27. आसमान की मेज
28. भोजपुरी लोक कथाएं
29. राजस्थान के नारी रतन
30. बोधा
31. विदेशी यात्रियों की नजर में भारत
32. भारत, 1991
33. महाकवि जायसी
34. आदिकवि महर्षि वाल्मीकि
35. रवींद्र नाथ टैगोर
36. विजय सिंह पाठिक
37. मीरा बहन
38. पंडित देवीदत्त शुक्ल
39. स्वामी दयानन्द सरस्वती
40. क्रांतिदूत अज़ीमुल्ला खान
41. श्रीदेव सुमन
42. मैत्रेयी
43. झलकारी बाई
44. बिहार में स्वतंत्रता संग्राम के प्रेरक प्रसंग
45. भारत छोड़ो आन्दोलन
46. कबूतर
47. नेताजी ने कहा था : उद्धरणीय उद्धरण
48. उद्धरणीय उद्धरण : श्री अरबिन्द ने कहा था
49. कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी – वाल्यूम–32

कुल : 49

क्षेत्रीय भाषाएं

गुजराती

1. जंगल में मोर नाचा
2. अवर नेशनल एम्ब्लेम
3. अवर नेशनल फ्लैग
4. अवर नेशनल सांग
5. बिजुनु परोध
6. अजादिरा अमृत पुत्र
7. चंदू चैम्पियन
8. मुठि उंचेरा वालक
9. जात्रा
10. प्रेरणा पीयूष
11. काटमा ज्योतिर्धारा
12. वडाडतोनी वातो
13. पृथ्वीनि परिक्रमा
14. भामा शानो बिजो फेरो

पंजाबी

1. उत्तोन पाई गई रात – II
2. –तथैव– – III
3. लोक कला
4. पंजाब दियां लोक कथावां
5. उत्तों पाई गई रात – I
6. हरा समुन्दर
7. पंजाब केसरी लाला लाजपत रात
8. सिख शाइन्स इन इंडिया

तमिल

1. कम्प्यूटर कनबोम
2. रमण महर्षि

तेलुगु

1. फ्रीडम मूवमेंट इन हैदराबाद

उर्दू

1. वक्त का मुसाफिर
2. जंगल में मोर नाचा

1993-94 में प्रकाशित पुस्तकों की सूची

अंग्रेजी

1. स्नेक वर्शिप इन इंडिया
2. ग्लिम्पसेस ऑफ इंडियन टेक्नॉलाजी
3. अवर ट्रीज़
4. ए गाइड टू होम गार्डनिंग
5. आर्ट एंड कल्चर ऑफ नार्थ ईस्ट इंडिया
6. अवर स्काउट्स एंड गाइड्स
7. चैलेंज टू द एम्पायर – ए स्टडी ऑफ नेताजी
8. कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी वाल्यूम 15
9. –तथैव– वाल्यूम 16
10. –तथैव– वाल्यूम 9
11. –तथैव– वाल्यूम 14
12. मास मीडिया इन इंडिया – 1992
13. कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी वाल्यूम 20
14. –तथैव– वाल्यूम 3
15. –तथैव– इंडेक्स ऑफ पर्सन्स
16. –तथैव– वाल्यूम 4
17. –तथैव– वाल्यूम 22
18. –तथैव– वाल्यूम 26
19. लाजपत राय – लाइफ एंड वर्क्स
20. प्रेस इन इंडिया – 1992
21. साइंस स्निपेट्स
22. हैण्ड बुक ऑन प्रीपरेशन ऑफ कमर्शियल एकाउण्ट्स ऑफ "ए. आई. आर."
23. स्टोरी ऑफ एट सेंट्स रिफार्मर्स
24. सरदार पटेल मेमोरियल लैक्चर्स – 1991 (सेंटर–स्टेट रिलेशंस)
25. श्यामजी कृष्ण वर्मा
26. फोक टेल्स फ्राम नेपाल
27. सरदार पटेल मेमोरियल लैक्चर्स – 1992
28. प्रेसिडेण्ट आर. वेंकटरमण स्पीचेज – वाल्यूम–II
29. पी. एम. पी.वी. नरसिंह राव स्पीचेज वाल्यूम–II
30. इंडिया 1993 – ए रेफरेंस एनुअल
31. चौरापंचासिका – ए संस्कृत लव लिरिक
32. सम आस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर
33. कांगड़ा पेंटिंग्स ऑन लव
34. चन्द्र शेखर : सलेक्टेड स्पीचेज
35. दि लाइफ ऑफ कृष्ण इन इंडियन आर्ट
36. जगदीश चन्द्र बोस
37. साउथ इंडियन पेंटिंग्स
38. दयाल सिंह मजीठिया
39. चेतक एंड प्रताप
40. डॉ. एस. राधाकृष्णन
41. कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी वाल्यूम I
42. " वाल्यूम II
43. " वाल्यूम III
44. " वाल्यूम VI
45. " वाल्यूम VII
46. " वाल्यूम VIII
47. " वाल्यूम XI
48. " वाल्यूम XXIV
49. " वाल्यूम XXV
50. " वाल्यूम XXIX
51. " वाल्यूम XLII
52. " वाल्यूम XLV
53. " वाल्यूम XLVI
54. " वाल्यूम XLIX
55. " वाल्यूम LIII
56. " वाल्यूम LIV
57. " वाल्यूम LVI
58. " वाल्यूम LXIII
59. " वाल्यूम LXXI
60. " वाल्यूम LXXIV

60

हिन्दी

1. सिस्टर निवेदिता

2. बुग्याल के देश में
3. कम्प्यूटर सब के लिए
4. कार्बन कापियों की करामात
5. आकाशवाणी विविधा
6. बज्जिका की लोक कथाएं
7. हमारा पर्यावरण
8. राजस्थान के भूले बिसरे पत्रकार
9. कोटेबल कोट्स – स्वामी दयानन्द ने कहा था
10. प्रेस इन इंडिया वाल्यूम II (भांग I और II)
11. सिख साइन्स इन इंडिया
12. भारत के दुर्ग
13. सांस्कृतिक एकता का गुलदस्ता
14. भारत 1992
15. तुम्हें गुस्सा आ रहा है
16. समय के दर्पण में
17. भारत के समाचार–पत्र – 1992
18. जे.सी. बोस – बी.एम.आई.
19. काका साहेब गाडगिज
20. समता की ओर
21. एक खम्भा सभागृह
22. भारतीय जल जीवन चिन्तन के दर्पण में वाल्यूम।
23. आदिवासी कला
24. बाल कृष्ण शर्मा नवीन
25. सुबह का सपना
26. करतबी जानवर
27. सीता
28. भारतीय संस्कृति झांकी
29. हंसी हंसी में
30. रसिक प्रिया
31. भारत 1993
32. पिंकू के कारनामे

32

क्षेत्रीय भाषाएं

उड़िया

1. कोटेबल कोट्स : डॉ. बी.आर. अम्बेडकर
2. अली मालिका

मराठी

1. कोटेबल कोट्स : डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

पंजाबी

1. पिंकू के कारनामे

उर्दू

1. रफी अहमद किदवई
2. हज़रत मोहानी
3. पहेलियां

3

असमिया

1. गोपीनाथ बारडोलोई

गुजराती

1. चले रमन्ना
2. वार्ता नमुन नगर
3. रंग और सुगन्ध
4. मुठि धूल की पूजा
5. स्मित नु मुल्या
6. खगोल यात्रा
7. मोत नो मुकाबलो
8. अकाल नो एजारो
9. फुल्दा नी फागुन
10. विरुल विभूतियां

10

तेलुगु

1. शार्ट स्टोरीज़
2. रिड्डल्स
3. बंगारुन कुन्देलू
4. फेस्टीवल्स
5. रानी रुद्रम्मा देवी
6. एमिनेण्ट सेंट पोएट्स

7. अवर फेमस टेम्पल्स

1994-95 में प्रकाशित पुस्तकों की सूची

अंग्रेजी

1. कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी – वाल्यूम 41
2. - - - - - - 61
3. - - - - - - 67
4. - - - - - - 68
5. - - - - - - 69
6. - - - - - - 75
7. - - - - - - 50
8. - - - - - - 5
9. मास मीडिया इन इंडिया – 93
10. प्रेस इन इंडिया – 93
11. कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी वाल्यूम 17
12. - - - - - - 18
13. - - - - - - 28
14. - - - - - - 43
15. - - - - - - 62
16. - - - - - - 58
17. - - - - - - 59
18. बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स एंड मॉनुमेंट्स
19. कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी वाल्यूम 27
20. - - - - - - 64
21. - - - - - - 65
22. - - - - - - 66
23. - - - - - - 72
24. - - - - - - 73
25. एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन म्यूजिक
26. गोविन्द बल्लभ पन्त
27. फोक आर्ट्स एंड सोशल कम्यूनिकेशन
28. नेता राजा
29. आल आर ईक्वल इन दि आइज़ ऑफ गॉड
30. महात्मा गांधी – हिज़ लाइफ इन पिक्चर्स
31. गांधी एलबम
32. कोटेबल कोट्स गांधी
33. सिग्निफिकेंस ऑफ गांधी एज़ ए मैन एंड थिंकर
34. गांधी एन वैल्यूज़ एंड ट्वेंटिएथ सेंचुरी चैलेंज
35. लेट अस नो गांधीजी
36. गांधी इन चम्पारण
37. एपीग्राम्स फ्राम गांधी
38. महात्मा गांधी – ए क्रोनोलॉजी
39. महात्मा गांधी एज़ ए स्टूडेंट
40. मैसेज ऑफ महात्मा गांधी
41. बुद्धिस्ट साइन्स इन इंडिया
42. महात्मा गांधी एंड वन वर्ल्ड
43. प्रेस इन इंडिया
44. कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी वाल्यूम 21
45. - - - - - - 23
46. - - - - - - 19
47. - - - - - - 32
48. - - - - - - 33
49. - - - - - - 35
50. - - - - - - 36
51. - - - - - - 37
52. - - - - - - 38
53. - - - - - - 47
54. - - - - - - 10
55. - - - - - - 51
56. - - - - - - 52
57. - - - - - - 56
58. - - - - - - 57
59. - - - - - - 60
60. - - - - - - 94
61. - - - - - - 95
62. - - - - - - 96
63. - - - - - - 97
64. - - - - - - 100
65. लैंग्वेज़ ऑफ म्यूजिक

66. प्रॉमिनेंट मिस्ट्रिक पोएट्स ऑफ पंजाब

67. योगा – इर्लस्ट्रेटेड

68. ए थॉट फार द डे

69. नल दमयन्ती

70. कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी वाल्यूम 34

71. 40

72. 55

73. 70

74. 78

75. 79

76. 80

77. 81

78. 82

79. 86

80. 87

81. 88

82. 89

83. गांधी एन इंडियन पैट्रियट इन साउथ अफ्रीका

84. गोपाल भांड – दि जेस्चर फ्राम बंगाल

85. एसएसआई – इंसेंटिव्स एंड फेसिलिटीज फार डेवलपमेंट (मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री)

86. दि वे ऑफ बुद्धा

87. दि टेल ऑफ दि टेलर बर्ड एंड अदर स्टोरीज़

88. कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी वाल्यूम 2

89. 12

90. 13

91 31

92. 39

93. 48

94. 76

95. 83

96. 84

97. 85

98. 90

99. कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी वाल्यूम 91

100. 92

101. 93

102. 98

103. 99

103

हिन्दी

1. अपनी हिन्दी सुधारें

2. सन सत्तावन के भूले बिसरे शहीद भाग III

3. मध्य भारत के लोक गाथा गीत

4. अजन्ता का वैभव

5. आदर्श विद्यार्थी बापू

6. तुलसी का ब्याह

7. सब्बू सतपत

8. भैसोन का राजकुमार

9. हुंडी साहित्यकार : एलबम

10. बेताल कथाएं

11. खीर की गुड़िया

12. मणिमाला

13. भारत के बुद्ध तीर्थ स्थल

14. प्रवासी क्रांतिकारी

15. भारत में जनसंवाद

16. प्रेस इन इंडिया (हिंदी)

17. गांधी शतदल

18. महात्मा गांधी का संदेश

19. मोहनदास करमचन्द गांधी

20. ऐसे थे बापू

21. महात्मा गांधी – चित्र में जीवन गाथा

22. गांधी जी एक महात्मा की संक्षिप्त जीवनी

23. वैज्ञानिकों की जीवन कथाएं

24. हीरों का व्यापारी

25. कमल और केतकी

26. सम्राट अशोक

27. प्राचीन कथाएं

28. चिड़ियों का दरबार
29. मैथिली शरण गुप्त
30. ज्ञानी चूहा
31. शेर का दिल
32. राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह स्पीच वाल्यूम।।
33. क्रांतिजोति सावित्री बाई फुले
34. भारतीय जल जीवन – चिंतन के दर्पण में
35. भारतीय हाथी
36. मौलाना अबुल कलाम आजाद
37. जवाहर लाल नेहरू के भाषण वाल्यूम।।
38. भारत – 1994
39. दूर देश के नन्हे मुन्ने
40. बिहार की लोक कथाएं – II
41. बिहार की लोक कथाएं – I
42. रोचक ऐतिहासिक कहानियां

42

क्षेत्रीय भाषाएं

बंगला

1. बिपिन चन्द्र पाल

उर्दू

1. सैयद अहमद खां
2. काश्मीर की लोक कहानियां
3. काघ्यी है परिवहन

गुजराती

1. सुखने सुराज
2. माघ घनुष
3. हमारा देश भारत

तेलुगु

1. मण्यामला मयूरम
2. स्त्री रत्नालु
3. ए. पी. लो पुष्करंदुलु
4. बाला दीपिकलु

उड़िया

1. पुण्यपिथा कपिलाश

दूरभाष केन्द्र

8192. श्री सैयद शहाबुद्दीन :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य–वार उन उपमंडलों/तहसील मुख्यालयों की संख्या कितनी है जहां दूरभाष केन्द्र नहीं है;

(ख) राज्यवार ऐसे स्थानों की संख्या कितनी है जहां केन्द्रों में 500 से कम लाइनें हैं; और

(ग) राज्यवार ऐसे स्थानों की संख्या कितनी है जहां 500 से अधिक लाइनों के केन्द्र हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

फोटो पहचान पत्र

8193. श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का बंगला देश से होने वाली घुसपैठ रोकने हेतु सीमावर्ती राज्यों के सभी नागरिकों को फोटो पहचान–पत्र जारी करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए राज्यवार कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(ग) फोटो पहचान–पत्र जारी करने के लिए क्या समय–सीमा निर्धारित की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) सरकार ने सीमा पार से होने वाली घुसपैठ को रोकने की दृष्टि से राजस्थान, गुजरात, पंजाब, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा बिहार सीमावर्ती राज्यों में परिचय पत्र योजना लागू करने का निर्णय लिया है।

(ख) उक्त स्कीम लागू करने के लिए इन राज्यों को निम्नलिखित धनराशि जारी की जा चुकी है:–

(रुपये लाखों में)

राजस्थान	279.00
गुजरात	158.00
पंजाब	150.00
असम	225.00
मिजोरम	72.00
मेघालय	60.00
त्रिपुरा	148.00
पश्चिम बंगाल	25.00
बिहार	100.00

(ग) घुसपैठ प्रवण सीमावर्ती क्षेत्रों में परिचय पत्र योजना के कार्यान्वयन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

[हिन्दी]

अर्द्ध-सैनिक बल

8194. श्री एन.जे. राठवा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य में अर्द्ध-सैनिक बलों के ग्रुप हैडक्वार्टर कहां-कहां हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार कुछ राज्यों से कुछ हैडक्वार्टरों को स्थानान्तरित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों में, केवल केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के पास ही ग्रुप मुख्यालय उपलब्ध हैं। इन ग्रुप मुख्यालयों की राज्यवार अवस्थिति नीचे दर्शाई गई है:-

क्र.सं.	अवस्थिति	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम
1.	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
2.	चंडीगढ़	चंडीगढ़
3.	मद्रास	तमिलनाडु
4.	कोचीन	केरल
5.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
6.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश
7.	बम्बई	महाराष्ट्र
8	गुवाहाटी	असम
9.	अहमदाबाद	गुजरात
10.	पटना	बिहार
11.	कलकत्ता	पश्चिम बंगाल

(ख) और (ग). उपर्युक्त किसी भी ग्रुप मुख्यालय को वहां से स्थानान्तरित करने के किसी भी प्रस्ताव पर सरकार द्वारा विचार नहीं किया जा रहा है।

[अनुवाद]

केरल में टेलीफोन एक्सचेंज

8195. श्री थाइल जॉन अंजलोज

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल में विशेष रूप से अलेप्पी जिले में इस समय कौन-कौन से स्थानों पर पृथक-पृथक रूप से स्वचालित और यांत्रिक टेलीफोन एक्सचेंज काम कर रहे हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : केरल सर्किल में 727 टेलीफोन एक्सचेंज हैं और वे सभी स्वचालित हैं। इनमें से 632 इलैक्ट्रॉनिक हैं और 95 इलैक्ट्रो-मैकेनिकल हैं। अलेप्पी जिले में काम कर रहे 38 टेलीफोन एक्सचेंजों में से केवल 6 एक्सचेंज इलैक्ट्रो-मैकेनिकल हैं और 32 इलैक्ट्रानिक हैं। अलेप्पी जिले में इलैक्ट्रो-मैकेनिकल एक्सचेंजों के नाम इस प्रकार हैं:-

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम
1.	अलैप्पी
2.	अलेप्पी यूनिट-2
3.	हरिपाद
4.	कालमकुलम यूनिट-1
5.	कुठिमाथोडे
6.	मावालिक्कारा यूनिट-1

रसोई गैस के मूल्यों में असमानता

8196. श्रीमती वसुंधरा राजे :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में रसोई गैस के मूल्य अलग-अलग हैं;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों में इस समय यह किस-किस दर पर बेची जाती है; और

(ग) देश में रसोई गैस के मूल्य एक समान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). सभी रिफाइनरियों के संबंध में एल पी जी का भंडार बिन्दू पर मूल्य एक जैसे स्तर पर नियत किया जाता है। विभिन्न राज्य/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा लगाए गए राज्य बिक्री कर, चुंगी जैसे विविध स्थानीय उद्ग्रहणों समेत रिफाइनरी से भरण संयंत्रों तथा वहां से अंतिम बाजारों तक परिवहन घटक विभिन्न राज्यों के अंतर्गत एल पी जी के अंतिम विक्रय मूल्य को प्रभावित करते हैं। विभिन्न राज्य राजधानियों में एल पी जी (घरेलू) के खुदरा विक्रय मूल्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

विभिन्न राज्य राजधानियों में एल पी जी (घरेलू) के खुदरा बिक्री मूल्य

स्थान	राज्य	एल पी जी रु0/ 14.2 कि.ग्रा. सिलेंडर
1	2	3
महानगर		
बम्बई	महाराष्ट्र	91.94

1	2	3
कलकत्ता	पश्चिम बंगाल	106.49
दिल्ली	संघ राज्य	93.28
मद्रास	तमिलनाडु	97.55
राज्य/राजधानियां		
उत्तरी क्षेत्र		
लखनऊ	उ.प्र.	99.12
कानपुर	उ.प्र.	98.37
चंडीगढ़	संघ राज्य क्षेत्र	101.75
शिमला	हि. प्रदेश	93.72
जयपुर	राजस्थान	99.36
श्रीनगर	जम्मू–कश्मीर	94.67
पूर्वी क्षेत्र		
भुवनेश्वर	उड़ीसा	105.53
पटना	बिहार	99.06
एजवाल	मिजोरम	98.69
गुवाहाटी	असम	96.58
शिलांग	मेघालय	98.74
इम्फाल	मणिपुर	95.89
कोहिमा	नागालैंड	95.00
गंगटोक	सिक्किम	94.10
पोर्ट ब्लेअर	अंडमान निकोबार	95.08
पश्चिमी क्षेत्र		
भोपाल	मध्य प्रदेश	105.23
अहमदाबाद	गुजरात	105.58
पणजी	गोवा	96.15
दक्षिणी क्षेत्र		
हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	107.93
त्रिवेन्द्रम	केरल	110.13
बंगलौर	कर्नाटक	104.90
पांडिचेरी	संघ राज्य क्षेत्र	90.62

गैर-सरकारी क्षेत्र के रसोई गैस उद्योग की समस्याएं

8197. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पंजाब हरियाणा–दिल्ली वाणिज्य और उद्योग मंडल (पी एच डी सी सी आई) ने एक ज्ञापन दिया है जिसमें गैर सरकारी क्षेत्र के रसोई गैस उद्योग को सरकारी क्षेत्र की तेल कम्पनियों का मुकाबला करने के लिए समान सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सरकार के विचारार्थ अनेक उपायों का सुझाव दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र की तेल कम्पनियों की तुलना में गैर–सरकारी क्षेत्र के रसोई गैस उद्योग की समस्याओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में पी एच डी सी सी आई द्वारा दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इन सुझावों पर क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ). ऐसा कोई ज्ञापन मंत्रालय के अभिलेख में उपलब्ध नहीं है। समानान्तर विपणनकर्ताओं द्वारा कथित रूप से उठायी जा रही मुख्य परेशानियां यह हैं कि समानान्तर विपणनकर्ताओं को अपना उत्पाद बाजार निर्धारित मूल्यों पर बेचना होता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियां अपने उत्पाद प्रशासित मूल्य पर बेचती हैं, जिसमें राजसहायता का तत्व शामिल होता है। समानान्तर विपणनकर्ताओं के पास आवश्यक मूलभूत सुविधाएं भी नहीं होतीं। कुछ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अभी भी समानान्तर विपणन योजना के अंतर्गत एल पी जी के विपणन के संबंध में अपने विनियमों को संशोधित करना है। सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं, जैसे सीमा शुल्क को कम करना, उत्पाद के आयात के लिए समानान्तर विपणनकर्ताओं को सहायता देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों को अनुमति देना और समानान्तर विपणनकर्ताओं की सुविधा के लिए राज्य सरकारों को उनके विनियमों में उचित रूप से संशोधन करने का परामर्श देना।

फिल्मों का चुनाव

8198. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न मानकों/वर्गों की फीचर फिल्मों/ टेलीफिल्मों/ ब्लैक एण्ड व्हाइट फिल्मों/रंगीन फिल्मों/बाल फिल्मों के चयन और खरीद हेतु वर्तमान में क्या प्रक्रिया/मानदण्ड अपनाए जा रहे हैं और वर्ष 1994–95 के दौरान देश में दूरदर्शन नेटवर्क पर अलग–अलग प्रसारण/पुनः प्रसारण हेतु इनकी खरीद हेतु क्या दरें निर्धारित की गई थीं;

(ख) प्रसारण हेतु कितनी फिल्मों की पेशकश की गई थी और इनमें से कितनी फिल्में अस्वीकृत की गई थीं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1994–95 के दौरान दूरदर्शन नेटवर्क पर दिखाई

गई फिल्मों के नाम क्या हैं और इनके निर्माता/वितरक के नाम क्या हैं जिन्हें भुगतान किया गया और प्रत्येक फिल्म के प्रसारण/पुनः प्रसारण हेतु कितना भुगतान किया गया तथा इसके आवेदन की तिथियां क्या थीं और इनका प्रसारण किन–किन तिथियों को किया गया; और

(घ) प्रसारण हेतु फिल्मों की समीक्षा करने वाली समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) राष्ट्रीय नेटवर्क के ब्यौरे संलग्न विवरण–1 और 2 में दिए गए हैं।

(ख) और (ग). ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं तथा सभा पटल पर रख रख दिए जाएंगे।

(घ) ब्यौरे संलग्न विवरण–3 में दिए गए हैं।

विवरण - I

राष्ट्रीय नेटवर्क

क - हिन्दी फिल्में

शुक्रवार - रात्रि 9 बजे

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा फिल्में प्राप्त की जाती हैं। गैर–सरकारी सदस्यों वाली समिति द्वारा फिल्मों का पूर्वदर्शन किया जाता है। फिल्में प्रायोजकता आधार पर प्रसारित की जाती हैं।

शनिवार-अपराह्न 4.45 बजे

सार्वजनिक सूचना के जरिए फिल्मों के प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। सरकारी सदस्यों वाली समिति द्वारा फिल्मों का प्रारंभिक चयन किया जाता है। चयनित फिल्मों का गैर–सरकारी सदस्यों वाली समिति द्वारा पूर्वदर्शन किया जाता है। फिल्में प्रायोजकता/रायल्टी आधार पर प्रसारित की जाती हैं।

ख - क्षेत्रीय फिल्में

रविवार-अपराह्न 1.30 बजे

प्रस्ताव स्वतःस्फूर्त प्राप्त होते हैं। जिस क्रम में प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, उसके आधार पर अलग–अलग मामलों पर विचार किया जाता है। फिल्में, वर्णानुक्रम आधार पर भाषावार प्रसारित की जाती हैं। गैर–सरकारी सदस्यों वाली समिति द्वारा फिल्मों का पूर्व–दर्शन किया जाता है। फिल्मों का प्रसारण रायल्टी आधार पर किया जाता है।

विवरण - II

दर-सूची

फीचर फिल्म के प्रसारण हेतु रायल्टी का दर ढांचा

	राष्ट्रीय नेटवर्क
1. हिन्दी/क्षेत्रीय (रंगीन)	क 8,00,000/– रुपये
	ख (प्लस) 6,00,000/– रुपये
	ख 4,00,000/– रुपये

2. बाल फिल्मों हेतु रायल्टी के भुगतान दर ढांचा

(पुरस्कार विजेता फिल्मों के अलावा)

वर्ग	90 मिनट तक तथा उससे ऊपर	60 मिनट तक
क	4,00,000/– रुपये	2,65,000/– रुपये
ख (प्लस)	3,00,000/– रुपये	2,00,000/– रुपये

3. पुरस्कार विजेता रंगीन बाल फिल्मों की दर निम्न प्रकार से होगी :

	अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के पेनोरमा/मुख्य धारा में शामिल पुरस्कार विजेता बाल फिल्में	
	ए ग्रेड	बी + ग्रेड
(क) 90 मिनट तथा अवधि की फिल्में	6.50 लाख रुपये	5.00 लाख रु.
(ख) 60 मिनट की अवधि की फिल्में	4.35 लाख रुपये	3.35 लाख रु.

4. देर रात्रि फीचर फिल्म 3.50 लाख रुपये

राष्ट्रीय नेटवर्क पर तथा क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा प्रसारित 90 मिनट से कम अवधि की रंगीन बाल फिल्मों हेतु दर को फिल्म की अवधि के संदर्भ में आनुपातिक दर आधार पर कम किया जाएगा।

किसी फिल्म के पहली बार पुनः प्रसारण हेतु प्रथम प्रसारण के लिए देय दर 75 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा। दूसरी बार तथा तत्पश्चात पुनः प्रसारण के लिए प्रथम प्रसारण हेतु देय दर के 50 प्रतिशत की दर से भुगतान किया जाएगा।

श्याम तथा श्वेत फिल्मों के लिए रंगीन फिल्मों की निर्धारित दरों का 75 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा।

प्रायोजक फिल्मों हेतु वाणिज्यिक दर

शुक्रवार : हिन्दी फीचर फिल्म रात्रि 9.00 बजे
प्रायोजकता शुल्क
(प्रत्येक आधे घंटे के लिए) : 5 लाख रुपये
न्यूनतम गारन्टी मार्च, 95 से लागू :
35 लाख रुपये
(सकल)
स्पॉट खरीद दर रात्रि 9.00 से पूर्व
(दस सैकन्ड हेतु) : 90,000/– रुपये केवल

रात्रि 10.30 के पश्चात : 75,000/– रुपये केवल
(दस सैकन्ड हेतु)

शनिवार : हिन्दी फीचर फिल्म

स्पाट खरीद (दस सैकन्ड हेतु) : 1.10 लाख रुयये

प्रायोजकता शुल्क (प्रत्येक आधे घंटे हेतु)	: 6.00 लाख रुपये
एफ.सी.टी.	: 90 सैकन्ड
बीच का स्पाट (दस सैकन्ड हेतु)	: 1.60 लाख

शनिवार को आधे घंटे के 5 स्लाटों की अनुमति है।

विवरण - III

फीचर फिल्मों के लिए चयन समिति में गैर-सरकारी सदस्यों के रूप में नियुक्ति हेतु सरकार द्वारा अनुमोदित व्यक्तियों की सूची

1. श्री जग मोहन	पत्रकार, लेखक, कला समीक्षक, फिल्मोलोजिस्ट।
2. श्री रघुनाथ रैना	फिल्म समारोह तथा आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग के पूर्व निदेशक।
3. श्री मोहम्मद शमीम	टाइम्स ऑफ इंडिया के विशेष संवाददाता तथा फिल्म आलोचक भी।
4. श्रीमती विजय मूले	प्रतिष्ठित शिक्षाशास्त्री फिल्म निर्माता तथा मीडिया व्यक्ति।
5. श्री के.सी. शर्मा	पूर्व महानिदेशक, आकाशवाणी, प्रतिष्ठित लेखक मीडिया समीक्षक।
6. श्री शैलेन्द्र शंकर	पूर्व महानिदेशक, दूरदर्शन फिल्मों से संबद्ध तथा मीडिया व्यक्ति।
7. श्री गौतम कौल	प्रमुख फिल्म समीक्षक तथा फिल्म सोसाइटी मूवमेंट से घनिष्ठ रूप से संबद्ध।
8. श्री पंकज भटालिया	पत्रकार, लेखक तथा प्रतिष्ठित फिल्म समीक्षक।
9. श्री जी.एस. खोसला	नाट्य लेखन तथा रंगमंच निर्देशक।
10. सुश्री सुन्दरी श्रीधरणी	निर्देशक, त्रिवेणी कला संगम।
11. श्रीमती मीनाक्षी	म्यूजिक एवं फाइन आर्ट विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय।
12. श्री मणि मधुकर	लेखक, निर्देशक।
13. श्री बृजेन्द्र राही	लेखक, निर्देशक।
14. श्री डी.पी. रे	लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता।
15. श्री राजेन्द्र बगेर्डिया	लेखक।
16. श्रीमती इन्दु जैन	कवियित्री।
17. श्री अजय कौशिश	फिल्म समीक्षक, लेखक।
18. सुश्री पद्मा सचदेव	फिल्म समीक्षक, लेखक।
19. श्री जी. के. धवन	फिल्म समीक्षक, लेखक।
20. श्री विनोद दुआ	
21. सुश्री रंजना गोहर	नर्तकी।
22. श्री कमल भसीन	3–ए (18 फलैट्स) फ्रेन्ड्स कालोनी, नई दिल्ली–110065
23. सुश्री ऊषा जोशी	
24. श्रीमती जयश्री साठे	
25. श्रीमती जॉय माइकेल	अंग्रेजी नाट्यशाला
26. श्री वैरी जॉन	अंग्रेजी नाट्यशाला
27. सुश्री कुमकुम चद्दा	लेखक तथा पत्रकार
28. सुश्री विजय दर्क्ष	सामाजिक कार्यकर्ता, 220, प्रकाश नगर, रेलवे रोड, खुर्जा (उत्तर प्रदेश)
29. श्री वेद प्रताप वैदिक	पी.टी.आई. भाषा दिल्ली के प्रमुख
30. श्री केशव कोठारी	सचिव, संगीत नाटक अकादमी।
31. डा. सतीश चन्द्रा	प्रतिष्ठित शिक्षाशास्त्री।
32. श्री इदरीस देहलवी	फिल्म पत्रकार, संपादक सुषमा।
33. श्री एम.एन. रॉय चौधरी	पूर्व उप महानिदेशक, आकाशवाणी।
34. श्रीमती तारा अली बेग	सामाजिक कार्यकर्ता।
35. प्रो. इन्द्र नाथ चौधरी	सचिव, साहित्य अकादमी।
36. श्रीमती गायत्री राय	सामाजिक कार्यकर्ता।
37. श्रीमती दीपा कौल	

तेल और प्राकृतिक गैस निगम को जहाज पट्दे पर देना

8199. श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस्सार जहाज कम्पनी तेल और प्राकृतिक गैस निगम को "कास्ट–प्लस" आधार पर जहाज पट्टे पर दे रही है;

(ख) यदि हां, तो "कास्ट–प्लस" पट्टे तथा पट्टों की चालू बाजार दरों में क्या अन्तर है; और

(ग) इन "कास्ट–प्लस" मानदण्डों का निर्धारण किन शर्तों पर किया गया है और तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा इसे स्वीकार किए जाने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन **सतीश कुमार शर्मा**) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

जनजातीय क्षेत्रों में आश्रम स्कूल

8200. श्री खेलन राम जांगड़े :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की योजना को कार्यान्वित किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य–मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में अब तक राज्यवार क्या प्रगति हुई है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी हां।

(ख) आदिवासी उप योजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की योजना 1990–91 से कार्यान्वित की गई है। यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जहां निर्माण लागत केन्द्र तथा राज्य के बीच 50:50 के आधार पर शेयर की जाती है। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के मामले में शत–प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। आश्रम स्कूल प्राथमिक, मिडिल तथा सैकेण्डरी कक्षाओं के छात्रों के लिए होते हैं।

(ग) निर्मुक्त की गई धनराशि तथा उन स्कूलों की राज्यवार संख्या को जिनके लिए अभी तक इसे निर्मुक्त किया गया है, संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

1990-91 से 1994-95 तक आश्रम विद्यालयों की स्थापना के लिए निर्मुक्त (राज्यवार) केन्द्रीय सहायता

(रुपये लाख में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राशि	विद्यालयों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	166.30	20
2.	गुजरात	40.28	45
3.	कर्नाटक	90.56	07
4.	केरल	142.69	10 + 3*
5.	महाराष्ट्र	261.18	39 + 38*
6.	उड़ीसा	154.85	18 + 2**
7.	सिक्किम	36.52	03
8.	तमिलनाडु	79.75	24
9.	त्रिपुरा	54.44	07 + 1**
10.	उत्तर प्रदेश	97.76	06
11.	राजस्थान	24.50	02
12.	दमन और दीव	10.00	01
		1158.93	226

*41 स्कूलों का द्वितीय चरण का निर्माण

**03 स्कूलों का उन्नयन

[अनुवाद]

भारत-बंग्लादेश सीमा

8201. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत–बंग्लादेश सीमा का पुनर्निर्माण करने हेतु सीमा सुरक्षा बल को निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने व्यापारियों की कठिनाइयों को कम करने हेतु सड़कों को चौड़ा करने, पार्किंग टर्मिनल का निर्माण करने और वैकल्पिक मार्ग खोलने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे सीमा तस्करी को रोकने और दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने में भी कितनी सहायता मिलेगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) भारत बंगलादेश सीमा पर घुसपैठ और अन्य विपरीत क्रियाकलापों को रोकने की दृष्टि से अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें शामिल हैं – सीमा चौकियों के बीच की दूरी को कम करने के लिए सीमा सुरक्षा बल की विस्तार योजना के अधीन अतिरिक्त बटालियनें खड़ी करना, भूमि और तटीय दोनों ही सीमाओं पर गश्त बढ़ाना, सीमा सड़कों एवं बाड़ के निर्माण कार्य में तेजी लाना, ओ.पी. टावरों की संख्या में वृद्धि करना, निगरानी के उपकरण आदि उपलब्ध कराना।

(ग) और (घ). पेट्रोपोल/बेनापोल पर स्थिति को ठीक करने के लिए और भारत–बंगलादेश व्यापार को बढ़ाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वयन हेतु विभिन्न उपायों की खोज की गई है। इन उपायों में शामिल हैं – पेट्रापोल स्थित सीमा चैकपोस्ट स्थलीय सीमा शुल्क स्टेशन पर भवन एवं अन्य सुविधाओं का निर्माण करना, पेट्रापोल चैक पोस्ट/स्थलीय सीमा शुल्क स्टेशन को जाने वाली सड़क के लगभग 1.5 कि.मी. के हिस्से को चौड़ा करके इसे 2 लेन मार्ग बनाना, पेट्रापोल तक रेलवे सम्पर्क का विस्तार करना, राष्ट्रीय राज मार्ग सं. 35 का विस्तार करना, पेट्रापोल पर ट्रकों और कंटेनरों के पार्किंग की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक ट्रक टर्मिनल का निर्माण करना तथा बैंकिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना।

जासूसी के मामले

8202. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों के लिए जासूसी करने के आरोप में कुछ सरकारी कर्मचारियों तथा गैर–सरकारी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग). दूसरे देशों के लिए जासूसी करने के आरोप में अनेक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। तथापि, इस बारे में अन्य ब्यौरे प्रकट करना जनहित में नहीं होगा।

[हिन्दी]

कोयले की मांग

8203. श्री जगमीत सिंह बराड़ :

श्री गुमान मल लोढ़ा :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में मंगलौर स्थित विद्युत परियोजना के उपयोग के लिए कोयला मांगा गया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के लिए कोयले की वार्षिक मांग कितनी है; और

(ग) सरकार इस विद्युत परियोजना की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग). हाल ही में एक निजी कम्पनी ने एक 1000 मे.वा. के ग्रहीत विद्युत संयंत्र के लिए कोयले का संयोजन किये जाने का अनुरोध किया है जिसे कि कर्नाटक में मंगलौर के समीप नन्दीकर के स्थान पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है और जिसके लिए प्रति वर्ष 5 मि.टन कोयले की मांग की जा रही है। कोयले के संयोजन के प्रश्न पर उक्त पक्ष से और सूचना प्राप्त होने तथा अन्य संगत ब्यौरे प्राप्त होने पर ही विचार किया जाएगा।

अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा

8204. श्री सत्यदेव सिंह :

श्री प्रभू दयाल कठैरिया :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 मई, 1995 के "दैनिक हिन्दुस्तान" में "अति विशिष्ट लोगों की हत्या के उद्देश्य से प्रशिक्षित आतंकवादी दिल्ली में" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं; और

(ग) आतंकवादियों की गतिविधियों पर नियंत्रण पाने और अति विशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). संरक्षित व्यक्तियों की सुरक्षा के खतरे संबंधी आसूचना रिपोर्टों का आदान प्रदान संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ किया जाता है। दिल्ली में संरक्षित व्यक्तियों की सुरक्षा में तैनात पुलिस कार्मिकों को आतंकवादियों द्वारा सम्भावित किसी भी कार्रवाई से बचने के लिए सुग्राही बनाया गया है, उन्हें ब्रीफ किया गया है तथा सचेत किया गया है। आतंकवादियों की हरकतों का मुकाबला करने के लिए भी आवश्यक उपाय किए गए हैं।

[अनुवाद]

हिमाचल प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन

8205. श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1994–95 के दौरान हिमाचल प्रदेश में मंत्री के स्वविवेकाधिकार कोटे से टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किए गए थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला–वार ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

हिमाचल प्रदेश में 1994-95 के दौरान संचार राज्य मंत्री के विवेकाधिकार के तहत मंजूर किए गए जिलावार टेलीफोन कनेक्शन

क्रमांक	जिले का नाम	मंजूरियों की संख्या
1.	कांगड़ा	1268
2.	चम्बा	105
3.	हमीरपुर	354
4.	ऊना	303
5.	बिलासपुर	260
6.	मण्डी	1657
7.	कुल्लू	934
8.	लाहौल स्पीति	4
9.	सोलन	165
10.	सिरमौर	35
11.	शिमला	2310
12.	किन्नौर	33

दोषपूर्ण रसोई गैस सिलिंडरों की आपूर्ति

8206. श्री राम कापसे :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा बम्बई में दोषपूर्ण रसोई गैस सिलिंडरों की आपूर्ति के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले के संबंध में कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे; और

(घ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ). हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने माह अप्रैल, 1995 में बम्बई स्थित हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. के संयंत्र से संबद्ध कुछ विशिष्ट डीलर स्थानों के माध्यम से 19 कि.ग्रा. वाले खराब सिलिंडरों की आपूर्ति के संबंध में शिकायत प्राप्त की थी। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा जांच पड़ताल किए जाने पर शिकायत साबित नहीं हुई थी।

पंचायत डाक सेवा

8207. श्री शोभनादीश्वर राव वाड्डे :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पंचायत डाक सेवा योजना को कार्यान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत ई. डी. कर्मचारियों की सेवा ली जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां। ग्राम पंचायतों के माध्यम से कुछ मूलभूत डाक सुविधाएं मुहैया कराने का प्रस्ताव है।

(ख) से (घ). योजना के ब्योरे को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

कच्चे तेल की कीमतें

8208. डा. चिन्ता मोहन :

श्री नवल किशोर राय :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कच्चे तेल की घरेलू कीमतों का आयातित कच्चे तेल की कीमतों के बराबर लाने लिए सहमत हो गई है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या घरेलू कच्चे तेल की उत्पादन लागत आयातित कच्चे तेल के परिवहन व्यय सहित उसकी कुल औसत लागत की तुलना में कम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर घरेलू कच्चे तेल की औसत उत्पादन लागत कितनी रही; और

(च) देश में अधिकतम और न्यूनतम उत्पादन लागत वाली परियोजनाओं का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). सरकार ने उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं के अंतर्गत प्राप्त देशी क्रूड की कीमत को अन्तर्राष्ट्रीय कीमत पर रखने का निर्णय लिया है।

(ग) से (च). 1.4.93 की प्रभावी तिथि से रायल्टी तथा उपकर सहित कच्चे तेल का घरेलू बिक्री मूल्य अनन्तिम रूप से 3296 रुपये प्रति मी. ट. तय किया गया है। 1994-95 के दौरान आयातित कच्चे तेल की भारित औसत एफ ओ बी दर करीब 3692 रुपये प्रति मी.ट. है।

[अनुवाद]

तेल की खोज

8209. श्री पी.सी. थामस :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्राकृतिक गैस और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की खोज और सफाई के लिए अनेक गैर सरकारी एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ अनुबंध किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो कम्पनियों द्वारा किए गए कार्यों और अन्तर्निहित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलिम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). भारत सरकार ने निजी तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ 4 अन्वेषण करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। बम्बई में पाइपलाइनों के जरिए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (गेल) तथा ब्रिटिश गैस ने एक संयुक्त उद्यम बनाने के लिए सहमति दी है तथा गेल ने इस परियोजना पर अब तक लगभग 15 करोड़ रुपये का निवेश किया है। गेल, राव्वा क्षेत्र से गैस खरीदने के लिए कमांड-मेरुबेनी-विडियोकान के परिसंघ के साथ वार्ता कर रहा है तथा पन्न मुक्ता एवं ताप्ती क्षेत्रों से गैस के क्रय के संबंध में एनरान रिलायंस के साथ वार्ता कर रहा है। किए गए अन्वेषण करारों का विवरण संलग्न है।

विवरण

अन्वेषण संविदाओं का विवरण

ब्लाक	परिसंघ जिसके साथ हस्ताक्षर किए गए	हस्ताक्षर की तिथि	अनुमानित पूंजीगत व्यय
1	2	3	4
1) के जी-ओ एस-90/1	1) अल्बियन इंडिया इंक, यू एस ए 2) काप्लेक्स (इंडिया) लि., आस्ट्रेलिया 3) नीको रिसोर्स, कनाडा 4) हिन्दुस्तान आयल एक्स्प्लोरेशन कं., भारत (एच ओ ई सी)	19.2.93 को हस्ताक्षरित	7 अन्वेषणों की अवधि दौरान 22.65 मिलियन अमरीकी डालर

1	2	3	4
2) जी एन–ओ एन–90/3	1) एच ओ ई सी, इंडिया 2) मफतलाल इंडस्ट्रीज	29.3.93 को हस्ताक्षरित	7 वर्षों की अन्वेषण अवधि के दौरान 13.95 मिलियन अमेरीकी डालर
3) सी वाई–ओ एस–90/1	1) वाल्को एनर्जी इंक, यूएसए 2) एच ओ ई सी, भारत 3) टाटा पेट्रोडाइल इंक, भारत 4) ओ एन जी सी	30.12.94 को हस्ताक्षरित	मूल्यांकन अवधि के दौरान 300,000 अमेरीकी डालर
4) आर जे–ओ एन–90/1	1) शेल इंडिया प्रोडक्शन डेवलपमेंट बी वी, नीदरलैंड्स	15.5.95 को हस्ताक्षरित	15 मिलियन अमेरीकी डालर।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए छात्रावास

8210. डा. साक्षीजी :

श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए कितने–कितने छात्रावास हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, प्रति वर्ष इन छात्रावासों से कितने–कितने छात्र लाभान्वित हुए;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य–वार इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार वर्ष 1995–96 के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए नए छात्रावासों का निर्माण करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्य–वार, किन–किन स्थानों पर उनका निर्माण किया जाएगा?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख). राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए लड़के/लड़कियों के होस्टल की केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत 90 करोड़ रुपये का कुल आबंटन किया गया है। राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है तथा इसके बदले में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की उनके प्रस्तावों के आधार पर तथा उनकी समान आधार पर बजट समर्थन की वचनबद्धता के आधार पर केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

(घ) और (ङ). जी हां, इस प्रयोजन के लिए वर्ष 1995–96 के दौरान 24 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव मांगे गए हैं।

[हिन्दी]

उपकरणों का उत्पादन

8211. श्री रामेश्वर पाटीदार :

श्री बलराज पासी :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दूर संचार कारखानों द्वारा निर्मित उपकरणों का कुल मूल्य कितना है;

(ख) इन वर्षों के दौरान उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ग) क्या उदारीकरण की नीति के दृष्टिगत इन कारखानो की लागत और लाभ के संबंध में कोई विश्लेषण किया गया है;

(घ) क्या निजी क्षेत्र को भी मंत्रालय के अधीन कारखानों द्वारा उत्पादित उपकरणों का उत्पादन करने की अनुमति दी जा रही है और यदि हां, तो इन कारखानों को किस सीमा तक यह अनुमति दी जा रही है; और

(ङ) निजी कारखानों की तुलना में इन कारखानों का लाभ और उत्पादन–लागत कितनी है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). पिछले तीन वर्षों के दौरान दूरसंचार फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादित

उपस्करों के उत्पादन और वास्तविक मूल्य के लिए निर्धारित लक्ष्य इस प्रकार हैं:–

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धियां (करोड़ रुपये में)
1992–93	150	135.24
1993–94	165	117.72
1994–95	149	139.66

(ग) दूरसंचार फैक्ट्रियों के मुख्य उत्पादों अर्थात् सी.टी. बाक्स, माइक्रोवेव–टावर, ट्यूब्स, मुख्य वितरण फ्रेम (एम.डी.एफ) डी.पी. बाक्सों, स्थानीय पे–फोन्स आदि, प्राइवेट सप्लाईकर्ताओं की लागत के समतुल्य हैं। प्रौद्योगिकी के विकास के कारण पुरानी हो गई उत्पाद–मदों का उत्पादन समाप्त कर दिया गया था और वर्तमान आधारभूत संरचना तथा संसाधनों के उपयोग को ध्यान में रखते हुए, 1994–95 के उत्पादन कार्यक्रम में मध्यम तथा बड़े एक्सचेंजों के लिए टुबुलर–टावरों/मस्तूलों, लाइन जैक यूनिटों, एन्टिना, कनेक्टरों आदि को शामिल किया गया है। मुख्य महाप्रबंधकों को यह अधिकार दिया गया है कि वे दूरसंचार/गैर–दूरसंचार उत्पादों का विनिर्माण–कार्य अपने हाथ में ले सकते हैं और उन्हें प्रतियोगी लागत और गुणवत्ता पर बेच सकते हैं। यह महसूस किया गया है कि उदारीकृत नीति के परिणामस्वरूप प्रतियोगी वातावरण में भी दूरसंचार–फैक्ट्रियां व्यवहार्य (उपयोगी) यूनिट के रूप में चलाई जा सकती हैं।

(घ) किसी विनिर्माता कंपनी पर दूरसंचार फैक्ट्रियों की उत्पादन श्रंखला में सम्मिलित मदों के उत्पादन पर रोक नहीं है। सामान्यतः दूरसंचार फैक्ट्रियों के उत्पादन के अतिरिक्त, मांग की पूर्ति बाहरी साधनों से भी की जाती है।

(ङ) लागत तथा गुणवत्ता के संबंध में दूरसंचार फैक्ट्रियों के प्रमुख उत्पाद, प्राइवेट सप्लाईकर्ताओं के समतुल्य है।

[अनुवाद]

प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा जारी फीचर

8212. श्री प्रेम चन्द राम :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रेस आसूचना ब्यूरो द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितने फीचर जारी किए गए;

(ख) इनमें से हिन्दी फीचर कितने हैं; और

(ग) सरकार द्वारा और अधिक हिन्दी फीचर जारी करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) पत्र सूचना कार्यालय ने वर्ष 1992, 1993 और 1994 के दौरान क्रमशः कुल 1100, 1610 एवं 2000 फीचर जारी किए।

(ख) 1992, 1993 और 1994 के दौरान जारी किए गए फीचरों की कुल संख्या में से पत्र सूचना कार्यालय द्वारा जारी किए गए हिन्दी फीचरों की संख्या क्रमशः 221, 478 और 410 थी।

(ग) पत्र सूचना कार्यालय का विचार है कि भविष्य में और अधिक हिंदी फीचर प्रकाशित करने हेतु बाहरी एजेंसियों से फीचरों को अनुवाद करवाने के अलावा हिंदी में मूल फीचरों को लिखने में विभागीय अधिकारियों की सहायता ली जाए।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याण योजनाएं

8213. श्री उपेन्द्रनाथ वर्मा :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कोई नई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां। सरकार ने आठवीं योजनावधि (1992–97) के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों हेतु निम्नलिखित नई योजनाएं तैयार की हैं:–

(1) कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए विशेष शैक्षिक विकास कार्यक्रम की केन्द्रीय क्षेत्र योजना 1992–93 से आरम्भ।

(2) बाजार से उधार लेने के संबंध में वित्त एवं विकास निगम के ऋण लेने की लागत तथा ऋण देने की लागत के बीच अन्तर को पूरा करने की ब्याज आर्थिक सहायता योजना (1995–96 से आरम्भ)।

(3) लघु वन उत्पाद कार्यों के लिए राज्य आदिवासी विकास सहकारी निगमों को सहायतानुदान की केन्द्रीय क्षेत्र योजना (1992–93 से आरम्भ)।

(4) आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की केन्द्रीय क्षेत्र योजना (1992–93 से आरम्भ)।

(5) आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की साक्षरता के विकास के लिए कम साक्षरता वाले पॉकटों में शैक्षिक परिसर की केन्द्रीय क्षेत्र योजना (1993–94 से आरम्भ)।

(ख) उपर्युक्त योजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	योजना	8वीं योजना आवंटन	1992–93		1993–94		1994–95		1995–96
			परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.*	कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए विशेष शैक्षिक विकास कार्यक्रम की केंद्रीय क्षेत्र योजना	20.00	4.00	शून्य	6.00	शून्य	0.01	शून्य	0.60
2.+	बाजार से उधार लेने के संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के ऋण लेने की लागत तथा ऋण देने की लागत के बीच अंतर को पूरा करने की ब्याज आर्थिक सहायता योजना	–	–	–	–	–	–	–	4.25
3.	लघु वन उत्पाद कार्यों के लिए राज्य आदिवासी विकास सहकारी निगमों को सहायतानुदान की केन्द्रीय क्षेत्र योजना	10.00	2.00	2.00	2.00	3.50	3.50	3.50	4.00
4.	आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की केन्द्रीय क्षेत्र योजना	9.00	1.00	1.00	1.90	1.90	2.40	2.38	3.0
5.	आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की साक्षरता के विकास हेतु कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षिक परिसर की केन्द्रीय क्षेत्र योजना	10.00	1.00	–	1.25	1.25	1.85	1.87	2.00

* क्रम सं. 1 पर उल्लिखित योजना सिद्धांत रूप से योजना आयोग द्वारा स्वीकृत की गई और 8वीं योजना के लिए 20 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई लेकिन इस योजना की रूपरेखा अभी तक योजना आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं की गई है और इसलिए इस योजना के अंतर्गत कोई व्यय नहीं हुआ।

+ क्रम सं. 2 पर दी गई योजना चालू वर्ष 1995–96 से योजना आयोग द्वारा अनुमोदित की गई है और 4.25 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों को वितरण संबंधी अधिकार

8214. श्री राम निहोर राय :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों को कितने पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र/रसाई गैस एजेंसियां तथा मिट्टी के तेल के वितरण संबंधी अधिकार दिए गए;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आवंटियों को इस संबंध में भूमि और अन्य आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने की सरकार की नीति है; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त अवधि के दौरान भूमि और अन्य अपेक्षित आधारभूत सुविधाएं कितने आवंटियों को प्रदान की गई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान देश में 366 पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र, 77 मिट्टी के तेल की डीलरशिपें और 205 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबद्ध व्यक्तियों को आबंटित की गई हैं।

(ख) और (ग). जी, हां। 153 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों, 29 एस के ओ/एल डी ओ डीलरशिपों और 47 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए वित्तीय सहायता दी गई है।

[हिन्दी]

तेल चयन बोर्ड

8215. श्री नीतीश कुमार :

श्री नवल किशोर राय :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रीय तेल चयन बोर्ड के स्थान पर राज्य स्तरीय तेल चयन बोर्डों का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में विशेषज्ञ समिति की कोई सिफारिश प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्षेत्रीय तेल चयन बोर्ड तथा राज्य स्तरीय तेल चयन बोर्ड में गठन संबंधी अंतर का ब्यौरा क्या है;

(च) फरवरी, 1995 तक देश के किन-किन राज्यों में राज्य स्तरीय तेल चयन बोर्ड कार्यरत थे तथा इनके सदस्यों के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार द्वारा बोर्डों के कार्यकरण के बारे में भी मार्ग निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ङ). पिछली विपणन योजनाओं से लंबित चले आ रहे अधिसंख्य स्थानों तथा चालू विपणन योजनाओं में सम्मिलित स्थानों के संबंध में चयन करने में शीघ्रता करने के लिए तत्कालीन 6 क्षेत्रीय चयन बोर्डों के प्रति देश में विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों को शामिल करते हुए जनवरी, 1993 में सरकार द्वारा 18 राज्य/क्षेत्र स्तरीय तेल चयन बोर्ड गठित किए गए थे। तत्संबंधी ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। प्रत्येक तेल चयन बोर्ड एक अध्यक्ष जो उच्च न्यायालय का अवकाशप्राप्त न्यायाधीश होता है तथा दो अन्य सदस्यों जो सुविख्यात व्यक्ति होते हैं जिनमें एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य कमजोर वर्गों का होता है, को सम्मिलित करके गठित किया जाता है। इस संबंध में कोई विशेषज्ञ समिति गठित नहीं की गई है। 28 फरवरी, 1995 को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा के सिवाय 14 तेल चयन बोर्ड कार्य कर रहे थे। तत्कालीन छः क्षेत्रीय तेल चयन बोर्डों अर्थात तेल चयन बोर्ड उत्तर-1, उत्तर-2, पश्चिम-1, पश्चिम-2, दक्षिण एवं पूर्व का गठन निम्नवत् था :-

(1) उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत न्यायाधीश – अध्यक्ष-1
(2) एक सेवानिवृत सिविल अधिकारी – सदस्य
(3) समाज का एक सुविख्यात व्यक्ति – सदस्य-2

(छ) और (ज). सरकार द्वारा तेल चयन बोर्डों को जारी दिशानिर्देश निम्नवत हैं :-

(1) कम से कम दो व्यक्ति बोर्ड के लिए कोरम होंगे। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य कमजोर वर्ग से संबद्ध सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

(2) सभी चयन सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्रों, एस के ओ/एल डी ओ डीलरशिपों और एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का विपणन योजनाओं के अनुसार होंगे। डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए चयन करते समय बोर्ड सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित आरक्षण आदि से संबंधित नीति द्वारा शासित होगा।

(3) तेल चयन बोर्ड, जहां तक संभव हो, आरक्षित वर्गों में बैकलाग को देखते हुए, इन वर्गों के लिए निर्धारित डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के चयन को पूरा करने के लिए प्राथमिकता देंगे।

(4) ऐसे सभी लम्बित मामलों को चयन प्रक्रिया पूरी करने के लिए संबंधित राज्य स्तर बोर्डों को अंतरित किया जाएगा, जिनके संबंध में पिछले बोर्ड अपनी अवधि की समाप्ति के पूर्व चयन को अंतिम रूप नहीं दे सके।

विवरण

तेल चयन बोर्डों का अधिकार क्षेत्र - राज्यवार

क्रम सं.	स्वतन्त्र
1.	आंध्र प्रदेश
2.	बिहार
3.	हरियाणा
4.	हिमाचल प्रदेश
5.	जम्मू और कश्मीर
6.	कर्नाटक
7.	मध्य प्रदेश
8.	उड़ीसा
9.	पंजाब
10.	राजस्थान
11.	उत्तर प्रदेश
12.	पश्चिमी बंगाल
क्रम सं.	**सम्मिलित/संयुक्त**
1	2
13.	अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा
14.	चंडीगढ़ और दिल्ली
15.	गुजरात, दादर और नगर हवेली

1	2
16.	केरल और लक्षद्वीप
17.	महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव
18.	तमिलनाडु, पांडिचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

नेप्था का आबंटन

8216. श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने पेट्रोरसायन काम्प्लेक्स विकसित करने के लिए नेप्था का आवंटन करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न रसायनों के लिए नेप्था की कितनी–कितनी मात्रा की मांग की गई है;

(ग) यह मांग कब से की जा रही है तथा मांग पूरी न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार राज्य सरकार द्वारा की गई इस मांग को पूरा करेगी, और

(ङ) यदि हां, तो कब तक?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं। किसी पेट्रोरसायन परिसर को विकसित करने के लिए नैप्था के आवंटन हेतु राजस्थान सरकार से कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

स्नेहकों का उत्पादन

8217. श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्नेहकों की वर्तमान मांग की तुलना में कितना उत्पादन किया जाता है;

(ख) उत्पादन और मांग में अन्तर को कैसे पूरा किया जाता है; और

(ग) सरकार द्वारा स्नेहकों के आयात में कमी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). वर्ष 1994–95 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों द्वारा ल्यूब आयल बेस स्टाक का घरेलू उत्पादन तथा तैयार स्नेहकों की बिक्री क्रमशः 504 टी एम टी तथा 684 टी एम टी थी। ल्यूब आयल बेस स्टाक तथा तैयार स्नेहकों की शेष जरूरत को आयातों द्वारा पूरा किया गया।

(ग) ल्यूब बेस आयल्स के आयात को कम करने के लिए सरकार ने विद्यमान ल्यूब रिफाइनरियों की विस्तार परियोजनाओं को अनुमोदित कर दिया है।

बंगलौर दूरदर्शन पर कन्नड़ समाचार

8218. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर दूरदर्शन केन्द्र में क्षेत्रीय समाचार (कन्नड़) के लिए कितना समय आवंटित किया गया;

(ख) क्या सरकार का इस समाचार के प्रसारण में वृद्धि करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) दूरदर्शन केन्द्र, बैंगलूर से कन्नड भाषा में 15 मिनट का एक दैनिक समाचार प्रसारित किया जा रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी क्षेत्र में रसोई गैस एजेंसियां

8219. श्री महेश कनोडिया :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को गैर–सरकारी क्षेत्र में स्वीकृत गैस एजेंसियों के कार्यकरण के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार को इस संबंध में कितनी सफलता मिली है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति एवं संवितरण का विनियमन) आदेश, 1993 के अनुसरण में सरकार ने, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के कुछ अधिकारियों को प्रबंध, खोज–बीन तथा जब्त करने के अधिकार का प्रयोग करने के लिए अधिसूचित करने के अतिरिक्त संबद्ध राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के खाद्य/नागरिक पूर्ति विभागों को समानांतर विपणनकर्ताओं के यथावश्यक पूर्ववृत्त एवं व्यवसाय आदि के बारे में ऐसी जानकारी तथा विवरण प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को उन व्यक्तियों/एजेंसियों

की सत्यता, पूर्ववृत्त तथा क्षमता की जांच करने का भी सुझाव दिया गया है जो समानांतरण विपणन प्रणाली के अंतर्गत कार्यकलाप के लिए इच्छुक हैं तथा उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई करने का भी सुझाव दिया गया है जो धोखाधड़ी तथा कदाचार में लिप्त पाए जाते हैं।

[अनुवाद]

मनी आर्डर

8220. श्री एस. एम. लालजान बाशा :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मनी आर्डर भेजने की लागत में कमी करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). डाक विभाग ने मनीआर्डरों के त्वरित पारेषण के लिए निम्नलिखित 6 स्टेशनों पर वेरी स्माल अपर्चर टर्मिनल (वीएसएटी) नेटवर्क की एक प्रोयोगिक परियोजना शुरू की है:–

1. दिल्ली
2. पटना
3. शिमला
4. मद्रास
5. बेंगलूर
6. लखनऊ

इस नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है और 1995–96 के अन्त तक, ऐसी संभावना है कि देश में कुल 75 स्टेशनों को इस नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। तथापि, ऐसे मनीआर्डरों का वितरण, जैसाकि पहले होता था, डाकिये द्वारा ही किया जाता रहेगा। अतः मनीआर्डरों की वितरण लागत में कोई कमी नहीं आएगी।

[हिन्दी]

समाचारों की अवधि

8221. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद के सत्र के दौरान दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले सायंकालीन हिंदी/अंग्रेजी समाचार बुलेटिनों की अवधि में 10 मिनट की कटौती कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस अवधि को बढ़ाने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) 2 जून, 1995 से परिचालित होने वाली डी.डी.–1 चैनल की संशोधित कार्यक्रम अनुसूची में राष्ट्रीय सायंकालीन समाचार बुलेटिन की अवधि 20 मिनट होगी जिसके बाद दिन के मुख्य समाचारों पर 10 मिनट का समसामयिक कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। संसद सत्रों के दौरान, संसद के समाचारों सहित समाचार बुलेटिनों की अवधि 30 मिनट होगी।

(ख) यह प्रस्तावित परिवर्तन इस उद्देश्य से किया गया है कि समसामयिक खण्ड में शामिल किए गए विषय को और अच्छी तरह से समझने में दर्शकों को सहायता मिल सके।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तेल योजनाएं/परियोजनाएं

8222. डा. अमृतलाल कालिदास पटेल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात की विभिन्न तेल योजनाएं/परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये कितने समय से लम्बित पड़ी हैं;

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन योजनाओं/परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दे दी जायेगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ). गुजरात में तेल क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित परियोजनाएं/योजनाएं मंत्रालय में संसाधन के विभिन्न चरणों में हैं:–

परियोजना का नाम	प्रस्तुति की तारीख
1. आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन की बलोल (मुख्य) में इनसीटू कंबस्चन का व्यापिज्यीकरण।	25.2.1994
2. आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन की संथाल चरण–।। में इनसीटू कंबस्चन का अनुप्रयोग	6.6.1994
3. गुजरात रिफाइनरी के विस्तारण के संबंध में इंडियन आयल कारपोरेशन का प्रस्ताव	10.2.1992
4. सिक्का में विपणन टर्मिनल के निर्माण तथा एमएस,	28.1.1994

एसकेओ तथा एचएसडी का सिक्का से कांडला तक परिवहन के लिए उत्पाद पाइपलाइन बिछाने के लिए भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन का प्रस्ताव	
5. वादिनार में कच्चे तेल का टर्मिनल स्थापित करने के लिए बी पी सी एल का प्रस्ताव	अक्तूबर, 1994

इस समय यह बताना संभव नहीं होगा कि उपर्युक्त परियोजनाएं/योजनाएं कब तक अनुमोदित होंगी क्योंकि केन्द्रीय/राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियां इस प्रक्रिया में संलग्न हैं।

डाक विभाग पर जुर्माना

8223. श्री जगतवीर सिंह द्रोण:

क्या **संचार मंत्री** दिनांक 12 दिसम्बर, 1994 के अतारांकित प्रश्न सं. 845 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 दिसम्बर, 1994 को प्राप्त निर्णय के संबंध में सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्थिति में सुधार अर्थात रजिस्टर्ड पत्रों के शीघ्र वितरण हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम, दिल्ली–110054 द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार शिकायतकर्ता को 5.1.1995 को मुआवजे के बतौर 1029/– रुपये अदा किए गए।

(ग) विभाग पंजीकृत पत्रों के पारेषण और वितरण की ध्यानपूर्वक मॉनीटरिंग करता है और जहां आवश्यक होता है, सुधारात्मक कार्रवाई करता है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में टेलेक्स/फैक्स कनेक्शन

8224. श्री दत्ता मेघे :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994–95 के दौरान महाराष्ट्र में जारी किए गए टेलीफोन, टेलेक्स और फैक्स कनेक्शनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस वर्ष के दौरान इन कनेक्शनों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो जिले–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 1994–95 के दौरान प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या इस प्रकार है :–

1. टेलीफोन	155758
2. टेलेक्स	96
3. फैक्स (जारी किए गए लाइसेंस)	254

(ख) जी, हां।

(ग) 1995–96 के दौरान प्रदान किए जाने वाले प्रस्तावित कनेक्शनों की संख्या इस प्रकार है:–

(i) टेलीफोन 285000

जिलेवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं, जिसमें बम्बई भी शामिल है।

(ii) टेलेक्स कनेक्शन मांग होने पर उपलब्ध कराए जाते हैं। इसकी कोई प्रतीक्षा सूची नहीं है। तथापि, उपभोक्ताओं द्वारा फैक्स तथा अन्य सुविधाओं का सहारा लेने के कारण मांग में गिरावट आई है।

(iii) फैक्स : दूरसंचार विभाग फैक्स मशीनों के संस्थापन/उपयोग के लिए केवल लाइसेंस जारी करता है। फैक्स मशीनें उपभोक्ता स्वयं संस्थापित करवाते हैं।

विवरण

1995-96 के दौरान बढ़ाए जाने वाले टेलीफोन कनेक्शनों के ब्यौरे

1.	टी डी ई रायगढ़	1936
2.	टी डी ई जलगांव	6728
	जी एम गोवा	13666
	जी एम कल्याण	24717
	जी एम कोल्हापुर	8500
	जी एम कोल्हापुर (क्षेत्र)	
1.	रतनगिरी	3128
2.	सांगली	5722
3.	सतारा	1915
4.	सोलापुर	3632
जी एम नागपुर		20421
जी एम नानदेड़		
1.	बीड	1419
2.	जालना	904
3.	लातूर	4428
4.	नानदेड़	3525
5.	परभनी	524
6.	अहमदनगर	5667

7.	औरंगाबाद	6059
8.	नासिक	16604
9.	धुले	2797
जी एम पुणे		35346
1.	अकोला	5287
2.	अमरावती	1729
3.	भंडारा	1588
4.	बुलढाना	1665
5.	चन्द्रपुर	3346
6.	वर्धा	1694
7.	यवतमाल	2061
	बम्बई	100000

[अनुवाद]

रसोई गैस एजेंसियों और खुदरा पेट्रोल बिक्री केन्द्रों का आबंटन

8225. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि 1994–95 के दौरान स्वैच्छिक कोटे के अंतर्गत कितने खुदरा पेट्रोल–डीजल बिक्री केन्द्र और रसोई गैस एजेंसियां आवंटित की गई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : वर्ष 1994–95 के दौरान अनुकंपा आधार पर सरकार की स्वविवेक शक्तियों के अंतर्गत 78 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें तथा 61 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें आवंटित की गई थीं।

कांडला-भटिंडा पाइपलाइन

8226. श्री चेतन पी. एस. चौहान :

डा. पी. वल्लल पेरूमान :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांडला–भटिंडा पाइपलाइन कब तक शुरू हो जाएगी;

(ख) क्या सरकार का विचार इस पाइपलाइन की क्षमता बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) परियोजना के जनवरी, 1996 तक भटिंडा तक शुरू हो जाने की संभावना है।

(ख) और (ग). वर्तमान समय में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

रसोई गैस वितरकों द्वारा गैस सिलिंडर रखे जाने संबंधी सीमा

8227. श्री भगवान शंकर रावत :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रसोई गैस वितरकों द्वारा प्रति माह गैस सिलिंडर रखे जाने संबंधी कोई सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसमें समानता लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). सरकार ने हाल ही में एल पी जी रीफिल की बिक्री की अधिकतम सीमा को संशोधित कर निम्नानुसार कर दिया है:

जनसंख्या वाले शहर/नगर (1991 की जनगणना के आधार पर)		संशोधित सीमा प्रतिमाह (संख्या)
1.	बम्बई	10000
2.	दिल्ली	9000
3.	मद्रास/कलकत्ता तथा 40 लाख वाले/इससे अधिक जनसंख्या वाले शहर	8000
4.	20 लाख से 40 लाख जनसंख्या वाले शहर	7000
5.	10 से 20 लाख जनसंख्या वाले शहर	6000
6.	10 लाख तक जनसंख्या वाले शहर	5000

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गंगा से भू-क्षरण

8228. डा. असीम बाला :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की गंगा से भूक्षरण के संबंध में 1980 में तैयार की गई प्रीतम सिंह समिति की रिपोर्ट को लागू करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) :

(क) और (ख), बाढ़ नियंत्रण तथा कटावरोधी योजनाओं का अन्वेषण, आयोजना और क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व मुख्यतः राज्य सरकारों का है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रीतम सिंह समिति का गठन किया गया था और यह राज्य सरकार पर है कि वह समिति की रिपोर्ट में उसके द्वारा की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करे।

टेलीफोन बिलों पर प्रभार

8229. श्री अमर राय प्रधान :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन बिलों पर सेवा शुल्क/प्रभार लगाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण और औचित्य क्या है, जबकि टेलीफोन कॉल उन निःशुल्क कालों की सीमा के अन्दर ही किए गए हों, जो किराया–प्रभार में अनुयत हों;

(ग) क्या सरकार का विचार टेलीफोन बिल पर से ऐसी स्थिति में प्रभार वसूल न करने का है, यदि कॉल निःशुल्क की सीमा के अंदर ही हों; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) टेलीफोन बिलों पर सेवा कर तथा अधिभार की उगाही की जा रही है।

(ख) सेवा कर, टेलीफोन बिलों की राशि पर वित्त अधिनियम, 1994 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार वसूल किया जाता है।

"निर्धारित भुगतान तिथि" अर्थात् बिल जारी होने के 21 दिन के भीतर भुगतान न होने के मामले में अधिभार की उगाही की जाती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वी राज्यों में पिछड़ापन

8230. श्री गोपी नाथ गजपति :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी राज्यों में पिछड़ापन बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पिछड़े राज्यों के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये/उठाये जाने का विचार है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (ग). प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद के आंकड़े यह नहीं बताते हैं कि पूर्वी राज्यों में पिछड़ापन बढ़ रहा है। बहरहाल, राज्यों की योजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता के वितरण के लिए प्रयोग किए जाने वाले फार्मूले में पिछड़ेपन के लिए उचित महत्व प्रदान किया जाता है।

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन संबंधी योजना परिव्यय

8231. डा. पी. बल्लल पेरूमान :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष में योजना आयोग द्वारा नेवेली लिग्नाइट कापोरेशन के लिए कितने योजना परिव्यय की स्वीकृति दी गई तथा इसके खान और विद्युत क्षेत्रों में वास्तव में कितनी धनराशि खर्च हुई?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : पिछले तीन वर्षों तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के खनन तथा विद्युत क्षेत्र के संबंध में अनुमोदित परिव्यय को नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	खनन क्षेत्र	विद्युत क्षेत्र	जोड़
1992–93			
बजट अनुमान	123.00	278.00	401.00
संशोधित अनुमान	117.18	262.21	379.39
1993–94			
बजट अनुमान	162.00	233.00	395.00
संशोधित अनुमान	124.00	191.00	315.00
1994–95			
बजट अनुमान	211.40	117.28	328.68
संशोधित अनुमान	121.01	100.75	221.76
1995–96			
बजट अनुमान	387.24	179.14	566.38

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान खनन तथा विद्युत क्षेत्र में वास्तविक व्यय नीचे दिया गया है:–

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	खनन क्षेत्र	विद्युत क्षेत्र	जोड़
1992–93	43.37	147.64	191.01
1993–94	43.24	94.25	137.49
1994–95 (अनन्तिम)	108.21	63.26	171.47
1995–96 (अप्रैल, 1995)	1.76	1.25	3.01

प्रयोक्ताओं द्वारा टेलीफोन लगाया जाना

8232. श्री राम नाईक :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस निर्णय की जानकारी है, जिसके अंतर्गत प्रयोक्ताओं द्वारा 1 अप्रैल, 1995 से अपना टेलीफोन खरीदकर लगाया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या टेलीफोन सलाहकार समिति ने इस योजना का विरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्तमान में यह योजना किस चरण में है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (घ). नए टेलीफोन कनेक्शनों के मामले में उपभोक्ताओं से अपने परिसर उपस्कर की स्वयं व्यवस्था, संस्थापन तथा उसका रख–रखाव अपेक्षित करने संबंधी स्कीम बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास के 4 महानगरों में 1.7.1995 से लागू होगी।

(ख) जी, नहीं। बम्बई में टेलीफोन परामर्शदात्री समिति के एक सदस्य ने 12.11.1994 को हुई बैठक के दौरान यह इच्छा जाहिर की थी कि ग्राहक को स्वयं अपना उपकरण खरीदने या इसे एम टी एन एल/दूरसंचार विभाग से ही लेते रहने का विकल्प दिया जाए।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

संस्कृत कार्यक्रमों के दर्शक

8233. श्री सैयद शहाबुद्दीन :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** 27.4.1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3612 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपरोक्तानुसार दूरदर्शन पर संस्कृत में राष्ट्रीय एवं स्थानीय कार्यक्रमों के दर्शकों की अनुमानित संख्या क्या है;

(ख) इस उद्देश्य से कितने कर्मचारी लगाए गए हैं; और

(ग) प्रत्येक मामले में इसकी अवधि के वाणिज्यिक मूल्य के परिप्रेक्ष्य में कार्यक्रम की राष्ट्रीय लागत कितनी है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) दूरदर्शन से इस संदर्भ में कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

(ख) इस उद्देश्य के लिए अलग से कोई स्टाफ उदिदष्ट नहीं किया गया है।

(ग) दूरदर्शन द्वारा प्रासंगिक समय पर प्रायोजकता की वर्तमान दरों के आधार पर तैयार की गई नोशनल लागत निम्न प्रकार से है :–

दिल्ली	–	4000/– रुपये
लखनऊ	–	1500/– रुपये
बंगलौर	–	3000/– रुपये
जयपुर	–	3000/– रुपये

गुजरात में अ०जा०/अ.ज.जा. के पद

8234. श्री एन.जे. राठवा :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1995 को गुजरात में विशेषतः जनजातीय जिलों में कितनी डाकघर शाखाएं तथा डाकघर कार्य कर रहे थे;

(ख) क्या इन डाकघरों में अ0जा0/अ0ज0जा0 के लिए आरक्षित पदों को आरक्षण नीति के अनुरूप भरा गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) गुजरात में, दिनांक 01.04.1995 की स्थिति के अनुसार 7456 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों सहित 8897 डाकघर कार्य कर रहे हैं, जिनमें से 1626 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों सहित 1763 डाकघर, जनजातीय जिलों में कार्य कर रहे हैं।

(ख) से (घ). विभागीय पदों के मामले में ही अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण रखा जाता है। अतिरिक्त विभागीय पदों के मामले में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई भी पद आरक्षित नहीं है।

गैस सिलिंडर आर्डर बाक्स

8235. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में, जहां गैस उपभोक्ताओं को गैस रिफिलिंग के लिए आर्डर दर्ज कराने के लिए आसपास टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं है, गैस आर्डर बाक्स स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 ने सरकार को इस संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ): बी पी सी एल ने विभिन्न मुख्य स्थानों पर गैस रीफिल आदेश बाक्स लगाने के लिए दिल्ली सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है, जिनमें उपभोक्ता डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा उन्हें दी जाने वाली इंडेंट स्लिपों पर अपने रीफिल अनुरोध डाल सकते हैं, जिन्हें रीफिल आपूर्ति करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटरों के प्रतिनिधियों द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एन डी एम सी) ने आरम्भ में इंडेंट बाक्स लगाने के लिए 11 (ग्यारह) स्थान आवंटित कर दिए हैं।

इन्चम्पल्ली बहु-उद्देश्यीय परियोजना

8236. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्चम्पल्ली बहु-उद्देश्यीय परियोजना संबंधी कोई कार्यदल गठित किया गया है;

(ख) क्या इस दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ग). जल संसाधन मंत्रालय द्वारा 18.2.1993 को आयोजित अन्तर्राज्यीय बैठक में अध्ययन करने और वर्तमान प्रस्ताव के दो अथवा तीन विकल्पों का सुझाव देने और अन्वेषण प्रारंभ करने के लिए एक कार्य दल के गठन के लिए सहमति हुई थी जिसमें अधीक्षण इंजीनियर, सिंचाई परियोजना अन्वेषण परिमंडल, वारंगल (आंध्र प्रदेश) (समन्वयक), कार्यपालक इंजीनियर, अन्तर्राज्यीय संयुक्त परियोजना प्रभाग, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश), कार्यपालक इंजीनियर, सिंचाई परियोजना अन्वेषण प्रभाग, चन्द्रपुर (महाराष्ट्र) और कार्यपालक इंजीनियर, सर्वेक्षण अन्वेषण, दुर्ग (मध्य प्रदेश) (सदस्य) शामिल होंगे। कार्यदल की बैठक हैदराबाद में 8.11.1993 को आयोजित की गई थी और सर्वसम्मति से निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुंचा गया था :-(1) यदि वर्तमान प्रस्ताव के स्थान पर कई परियोजनाओं/संरचनाओं के बारे में सोचा जाता है तो जलमग्न होने वाला वन क्षेत्र बहुत अधिक होगा और उनके लाभ पर्याप्त रूप से कम हो जाएंगे जबकि लागत असामान्य रूप से बढ़ जाएगी।

(2) जिन स्थानों की जांच पहले ही की जा चुकी है उन्हें छोड़कर, ऐसा कोई स्थान नहीं है और व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

(3) इन्चम्पल्ली में चयन किए गए वर्तमान स्थल सर्वाधिक उपयुक्त एवं आदर्श स्थान है।

(घ) कार्य दल के निष्कर्ष महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकारों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेज दिए गए हैं।

कोयले की कमी

8237. श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 मई, 1995 के "फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में प्रकाशित "बी.सी.सी.एल. मैनेजमेंट एक्यूज्ड आफ कोल थेफ्ट" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) आर.एन. मिश्रा समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित मालडिब्बों में कम माल भरने तथा ग्राहकों को पत्थर भेजकर अधिक उत्पादन पर रोक लगाने तथा कोल इण्डिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) तथा बी.सी.सी.एल. दोनों के प्रबंधन द्वारा कोयला भंडारण की कमी दूर करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है या किये जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में स्टाक की कमी होने की जांच किए जाने के लिए 27.7.1992 को एक सरकारी समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति ने 1991-92 तक की अवधि के सूचित स्टाक की कमी के संबंध में 24.12.1993 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर उत्तरदायी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही आरम्भ की गई है।

(घ) कोल इन्डिया लिमिटेड तथा भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने कोयला उत्पादन तथा कोयला स्टाक के मापन की रिपोर्ट करने के संबंध में दिए गए संहिताबद्ध निर्देशों को कड़ाई से कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है ताकि उत्पादन तथा स्टाक संबंधी आंकड़ों को सही रूप में सूचित करने का सुनिश्य किया जा सके। प्रेषण से पूर्व कोयले का शत-प्रतिशत भार सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रेषण स्थलों पर इलैक्ट्रॉनिक्स वे-ब्रिज स्थापित करने के लिए एक कार्य योजना भी बनाई गई है। इसी तरह से ग्राहकों को पत्थरों के प्रेषण पर रोक लगाए जाने के लिए कोयला रख-रखाव संयंत्र तथा फीडर ब्रेकर स्थापित किए जा रहे हैं। कोयले की चोरी रोकने के लिए भूमिगत ढेर को चारों ओर घेराबंदी किए जाने संबंधी आर.एन. मिश्रा समिति की सिफारिश को भी को.ई.लि. ने स्वीकार कर लिया है।

हिमाचल प्रदेश में केबल बिछाने के लिए दिए गए ठेके

8238. श्री कृष्ण दत्त सुल्ताणपुरी :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश में केबल बिछाने, टेलीफोन लगाने आदि के लिए जिलेवार कितने ठेके दिए गए; और

(ख) ठेके देने के संबंध में क्या मानदंड अपनाए गए तथा क्या ठेकेदारों द्वारा कार्य संतोषजनक ढंग से निष्पादित किए गए?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) पिछले एक वर्ष (1994-95) के दौरान हिमाचल प्रदेश में केबल बिछाने, टेलीफोनों के संस्थापन आदि से जुड़े निष्पादन-कार्यों के लिए दिए गए ठेकों की जिलावार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) ठेके, सामान्यतया दूरसंचार विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार खुली निविदाओं के जरिए दिए जाते हैं। इस संबंध में जो कार्य पूरे हुए हैं, उनका निष्पादन संतोषजनक है।

विवरण

क्र.सं.	जिला	केबल बिछाने के लिए दिए गए ठेकों की संख्या	टेलीफोन संस्थापन कार्यों के लिए दिए गए ठेकों की संख्या
1.	मण्डी	31	6
2.	कुल्लू	15	4
3.	कांगड़ा	44	8
4.	चम्बा	4	2
5.	शिमला	29	15
6.	किन्नौर	3	–
7.	हमीरपुर	20	10
8.	ऊना	7	2
9.	बिलासपुर	47	5
10.	सोलन	2	2
11.	सिरमौर	1	2

टी.वी. कार्यक्रमों के दुष्प्रभाव

8239. श्री राम कापसे :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को टेलीविजन पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के दुष्प्रभावों के विषय में भारतीय बाल कल्याण अकादमी की रिपोर्ट की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) ऐसी कोई रिपोर्ट इस मंत्रालय या दूरदर्शन के नोटिस में नहीं आई है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

रसोई गैस डीलरों की नियुक्ति

8240. डा. चिन्ता मोहन :

श्री नीतीश कुमार :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 अप्रैल, 1995 के दैनिक "फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में "आई.ओ.सी. लूजिंग रूपीज 100 करोर्स एनुअली ओवर रांग डीलर रिक्रूटमेंट पालिसी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान रसाई गैस डीलरों की नियुक्ति हेतु व्यवस्था और नीति में व्यापक परिवर्तन किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या वर्तमान मनोनयन व्यवस्था के अंतर्गत राज्यस्तर पर "ऑयल सलेक्शन बोर्ड" का गठन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो इस बोर्ड के गठन हेतु सदस्यों का चयन किस आधार पर किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) रिपोर्ट सही नहीं है।

(ग) जी, नहीं। विद्यमान निर्देशों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च). पेट्रोलियम उत्पादों के डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा जनवरी, 1993 में 18 राज्य/क्षेत्र स्तर के तेल चयन बोर्डों का गठन किया गया है। प्रत्येक तेल चयन बोर्ड में एक अध्यक्ष होते हैं जो उच्च न्यायालय के अवकाशप्राप्त न्यायाधीश होते हैं तथा दो अन्य सदस्य होते हैं जो सुविख्यात व्यक्ति होते हैं जिनमें से एक अ.ज./अ.ज.जा./समाज के अन्य कमजोर तबके के सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों को सरकार द्वारा उनकी क्षमता एवं उपयुक्तता को ध्यान में रखकर नियुक्त किया जाता है।

[अनुवाद]

मुल्लापेरियार बांध

8241. श्री पी. सी. थामस :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में मुल्लापेरियार बांध से जल के उपयोग के संबंध में कोई अंतर्राज्यीय विवाद है;

(ख) यदि हां, तो संबंधित राज्यों द्वारा जल के हिस्से के संबंध में किए गए दावों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या मुल्लापेरियार बांध से जल के बंटवारे के संबंध में केरल और तमिलनाडु राज्य के बीच कोई समझौता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां। दो पृथक समझौते हैं नामशः पेरियार जल विद्युत परियोजना पर समझौता (29.5.1970) पेरियार सिंचाई परियोजना पर समझौता (29.10.1886, 29.5.1970 को यथा संशोधित)।

(घ) उपर्युक्त दो समझौतों की मुख्य शर्तें निम्न प्रकार हैं:

1) पेरियार जल-विद्युत परियोजना पर समझौता :

तमिलनाडु को यह स्वतंत्रता होगी कि वह पेरियार नदी के जल से पेरियार जल विद्युत घर पर किसी भी प्रयोजन के लिए जल विद्युत शक्ति का अपनी स्वयं की लागत पर और सिर्फ अपने लाभ के लिए विकास करे।

केरल के सीमा क्षेत्र में कुल 42.17 एकड़ भूमि, संरचनाओं के निर्माण, सम्प्रेषण प्रयासों के लिए तमिलनाडु सरकार को हस्तांतरित कर दी गई है।

तमिलनाडु केरल सरकार को समझौते में उल्लिखित कुछ विनिर्दिष्ट दरों पर संगणित राशि का सालाना भुगतान करेगा। केरल इस बात से भी सहमत है कि वह समझौते में उल्लिखित किसी भी प्रयोजन के संबंध में तमिलनाडु से कोई टैक्स नहीं लेगा।

(2) पेरियार सिंचाई परियोजना पर समझौता :
(29.10.1886, 29.5.1970 को यथा संशोधित)

केरल, परियोजना के निर्माण के लिए तथा केरल की सीमा क्षेत्र में उसका प्रयोग करने के लिए तमिलनाडु को पूरा अधिकार, शक्ति और स्वतंत्रता देने के लिए सहमत है। इस उद्देश्य के लिए पेरियार नदी के पास पड़ी तथा बांध स्थल पर 155 फुट लम्बी एक कन्टूर लाइन से घिरी लगभग 8000 एकड़ भूमि तथा इसके बिल्कुल नजदीक में दूसरी 100 एकड़ भूमि तमिलनाडु को पट्टे पर दी गई है। तमिलनाडु उक्त हस्तांतरित भूमि में अथवा उसके जरिए बहने वाले सारे जल को व्यपवर्तित करेगा और उसका प्रयोग करेगा।

तमिलनाडु केरल को हस्तांतरित भूमि के प्रत्येक एकड़ के लिए 30 रुपये सालाना दर पर किराये का भुगतान करेगा और मई, 1970 से 30 वर्षों में एक बार उक्त किराये में संशोधन किया जा सकेगा।

केरल को हस्तांतरित भूमि में मछलियां पकड़ने का अधिकार होगा।

पट्टा समझौता 1886 से 999 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा।

[हिन्दी]

संगठनों पर प्रतिबंध

8242. श्री प्रेम चन्द राम :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में कुछ संगठनों पर लगे प्रतिबंध को हटाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

टेलीफोन डायरेक्टरी की छपाई

8243. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय भाषा में टेलीफोन डायरेक्टरी छपवाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समय कौन-कौन सी भाषाओं में टेलीफोन डायरेक्टरी छापी जा रही है;

(ग) क्या दक्षिण की प्रमुख भाषाओं, तमिल, तेलुगु तथा कन्नड़ में टेलीफोन डायरेक्टरी छापे जाने के निर्देश जारी किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में उक्त तीनों भाषाओं में कुल कितनी प्रतियां छापी गई; और

(ङ) दिल्ली में टेलीफोन डायरेक्टरी किन भाषाओं में छापी जाती है तथा इनमें से किस भाषा में अधिकतम प्रतियां छापी जाती हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग). क्षेत्रीय भाषाओं में टेलीफोन डायरेक्टरियों के प्रकाशन के लिए अनुदेश विद्यमान हैं बशर्ते कि जिला/प्रभाग में टेलीफोन डायरेक्टरियों की कुल आवश्यकता की 15 प्रतिशत मांग हो।

(घ) मांग न होने के कारण तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में कोई टेलीफोन डायरेक्टरी प्रकाशित नहीं की गई है।

(ङ) दिल्ली में मुख्य टेलीफोन डायरेक्टरी अंग्रेजी और हिन्दी में प्रकाशित की जाती है। प्रकाशित प्रतियों में अंग्रेजी की प्रतियों की संख्या अधिक है।

[अनुवाद]

पेट्रोल के खुदरा बिक्री केन्द्रों का आवंटन

8244. श्री राम निहोर राय :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नीति उस डीलर के परिवार के अन्य सदस्यों को पेट्रोल/डीजल/रसोई गैस डीलरशिप मंजूर न करने की है जिसके पास पहले से ही डीलरशिप है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही के वर्षों में इस नीति के उल्लंघन संबंधी कुछ मामले सरकार के ध्यान में आए हैं; और

(घ) इन मामलों में क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). जी, हां। तेल चयन बोर्डों के माध्यम से की जाने वाली डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए विद्यमान नीति के अनुसार उस व्यक्ति को नयी डीलरशिप नहीं दी जाएगी जिसके निकट संबंधियों में से किसी के पास किसी भी तेल कम्पनी की एल पी जी/मिट्टी के तेल/एलडीओ/एचएसडी/एमएस/स्नेहक तेल अथवा किसी अन्य पेट्रोलियम उत्पाद की डीलरशिप पहले से हो अथवा डीलरशिप का आशय पत्र हो:-

"शारीरिक विकलांग" श्रेणी में "शारीरिक विकलांग" अभ्यर्थियों को छोड़कर, स्वतंत्रता सेनानी, डी ई एफ, अ.जा./अ.ज.जा. तथा खुली

(i) पति या पत्नी

(ii) पिता/माता/सौतेला पिता/सौतेली माता

(iii) भाई/बहन/सौतेला भाई/सौतेली बहन

(iv) बेटा/बेटी/सौतेला बेटा/सौतेली बेटी

(v) दामाद/पुत्रवधु

(vi) श्वसुर/सास

केवल शारीरिक विकलांग श्रेणी के लिए

(i) पति या पत्नी

(ii) पिता/माता/सौतेला पिता/सौतेली माता

(iii) पुत्र/पुत्रवधु/सौतेला पुत्र

(ग) और (घ). उपर्युक्त अनेक डीलरशिप मानकों के उल्लंघन की रिपोर्ट मिलने पर, संबद्ध तेल कम्पनी द्वारा एक मामले में आशय पत्र वापस ले लिया गया था।

उत्तर प्रदेश के गांवों में टेलीफोन

8245. श्री शिव शरण वर्मा :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के कितने गांवों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी; और

(ख) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 1995-96 के दौरान, उत्तर प्रदेश के 34000 गांवों को टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की योजना है।

(ख) उपरोक्त प्रयोजन हेतु 206 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है।

एन.आई.एल.ई. टेलीविज़न के साथ दूरदर्शन का समझौता

8246. श्री एस.एम. लालजान वाशा :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने यूरोप में भारतीय कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु एन.आई.एल.ई. टेलीविजन के साथ कोई समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री(श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नही उठता।

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर राज्यों में दूरसंचार सेवाएं

8247. श्रीमती भावना चिखलिया :

श्रीमती शीला गौतम :

श्री अरविन्द त्रिवेदी :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर राज्यों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रियायती दरों पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये सेवाएं कब तक शुरू कर दी जाएंगी; और

(घ) आठवीं पचवर्षीय योजना के अन्त तक पूर्वोत्तर राज्यो में कितने शहरों और गांवों में ये सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने का संबंध है, पूर्वोत्तर राज्यों को देश के शेष भागों के समान समझा जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए किसी विशिष्ट रियायती दर की परिकल्पना नहीं है।

(ख) से (घ). उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

मराठी कार्यक्रमों के लिए आवंटित समय

8248. श्री दत्ता मेघे :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन और आकाशवाणी पर मराठी कार्यक्रमों के लिए कितना समय आवंटित किया गया है; और

(ख) जनजातीय लोगों की क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार किए गए कार्यक्रमों सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए आवंटित समय का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख). आकाशवाणी और दूरदर्शन अपने चैनलों पर समय का भाषा/बोली-वार आवंटन नहीं करता।

[अनुवाद]

गोवा तट के आस-पास तेल तथा प्राकृतिक गैस

8249. श्री हरीश नारायण प्रभु झाट्ये :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा तट के आस–पास तेल तथा प्राकृतिक गैस का कितना भंडार है;

(ख) इस भंडार का दोहन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) आगामी दो वर्षों में इस संबंध में कितना निवेश किए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) गोवा के तट के परे का क्षेत्र केरल–कोंकण अपतटीय बेसिन का भाग है। उपसतही आंकड़ों के भूवैज्ञानिक विश्लेषण के माध्यम से क्षेत्र का अध्ययन किया गया है। अब तक इस बेसिन में किन्हीं हाइड्रोकार्बन भंडारों का पता नहीं चला है।

(ख) और (ग). इस बेसिन की हाइड्रोकार्बन संभाव्यता का मूल्यांकन करने के प्रयास जारी हैं। अगले दो वर्षों (1995–97) के दौरान इस बेसिन में 95.39 करोड़ रुपये (पूंजी अधिप्राप्ति के बिना) के योजना परिव्यय से 4 कूपों के वेधन की योजना बनाई गई है।

चौथे दौर में 12 ब्लाकों और पांचवें दौर में 6 ब्लाकों को भी अन्वेषण के लिए निजी पार्टियों को प्रस्तावित किया गया, लेकिन कोई बोली प्राप्त नहीं हुई। 1993 के दौरान, संभावना भूकम्पीय सर्वेक्षणों के लिए 7 ब्लाकों को प्रस्तावित किया गया। संयुक्त उद्यम अन्वेषण कार्यक्रम के अंतर्गत हाल ही में 2 ब्लाकों को प्रस्तावित किया गया है।

पश्चिम बंगाल में कमरहाटी कुएं में तेल की खोज

8250. डा. असीम बाला :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में कमरहाटी कुएं में तेल पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुएं में कोई अन्य तैलीय पदार्थ भी पाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस मुहाना क्षेत्र में तेल की खोज की प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ङ) पश्चिम बंगाल के अंतर्गत कमरहाटी में हाइड्रोकार्बनों के संबंध में कोई वेधन नही किया गया है। तथापि, कमरहाटी में पानी के लिए खोदे गए एक कूप में, कूप से तैलीय तरल पदार्थ रिसते देखा गया था, लेकिन एकत्र किए गए नमूनों के विश्लेषण से कच्चे तेल की विद्यमानता की पुष्टि नहीं हुई। इसे देखते हुए वर्तमान में कमरहाटी में हाइड्रोकार्बनों के अन्वेषण की कोई योजना नहीं है।

टेलीफोन एक्सचेंज

8251. श्री अमर राय प्रधान :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश भर मे राज्य/संघ राज्य–वार कुल कितने टेलीफोन एक्सचेंज घाटे में चल रह हैं,

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 31.3.1995 की स्थिति के अनुसार, देश में लगभग 20,000 टेलीफोन एक्सचेंज हैं। टेलीफोन एक्सचेंज–वार लाभ–हानि लेखे नहीं रखे जाते हैं।

(ख) और (ग). उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय फिल्म नीति

8252. श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोई राष्ट्रीय फिल्म नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (ग). वर्तमान में, राष्ट्रीय फिल्म नीति तैयार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। चूंकि फिल्मों का वित्तपोषण, निर्माण, वितरण और प्रदर्शन अधिकांशतः निजी क्षेत्र में है इसलिए फिल्मों संबंधी नीति सतत रूप से प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों और निवेश वातावरण में परिवर्तनों से विकसित होती है। सरकार का यह अनुभव है कि फिल्म उद्योग को पीड़ित करने वाली विभिन्न समस्याओं को यथा अपेक्षानुसार विभिन्न समितियों/कार्य दलों की स्थापना के माध्यम से प्रभावी एवं सुचारु रूप से सुलझाया जा सकता है। भविष्य में भी आवश्यकतानुसार इसी प्रकार के कदम उठाए जाएंगे। विभिन्न मामलों/समस्याओं पर विचार करने तथा उन्हें हल करने हेतु अर्थोपायों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा फिल्म उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ आवधिक आधार पर बैठकें भी की जाती हैं।

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन

8253. डा. पी. बल्लल पेरुमान :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड से लिग्नाइट विद्युत उत्पादन यूरिया और कोक का लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन क्या रहा;

(ख) क्या 1994–95 के दौरान इन वस्तुओं के उत्पादन में कोई उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड में पिछले तीन वर्षों के दौरान लिग्नाइट उत्पादन, विद्युत उत्पादन, यूरिया तथा कोक उत्पादन के लक्ष्य तथा वास्तविक उत्पादन को नीचे दर्शाया गया है:–

उत्पादन	1992–93		1993–94		1994–95	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
लिग्नाइट ला.ट.	133	133.11	145	141.51	150	154.10
विद्युत उत्पादन (सकल) मी.यू.	8358	8324.12	9923	9395.18	10457	10890
यूरिया टन	129200	108591	129200	111015	122400	105543
कोक टन	262000	172606	262000	226998	240000	241942

(ख) 1994–95 में लिग्नाइट उत्पादन, विद्युत उत्पादन तथा कोक उत्पादन में 1993–94 की तुलना में क्रमशः 8.89 प्रतिशत, 15.91 प्रतिशत तथा 6.58 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। इन्हीं मदों में 1992–93 की तुलना में 1993–94 में क्रमशः 6.31 प्रतिशत, 12.86 प्रतिशत तथा 31.51 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है।

(ग) अन्य बातों के साथ–साथ वृद्धि निम्न के कारण हुई है :–

(i) जून, 1993 में टी.पी.एस. II के सातवीं यूनिट (210 मे.वा.) को आरम्भ करने तथा 1991–92 तथा 1992–93 के दौरान आरम्भ किये गये सभी एककों का प्रगामी रूप से अच्छा कार्य का होना।

(ii) 1992–93 की तुलना में कार्बोनाइजर्स की उपलब्धता में सुधार।

सरदार सरोवर परियोजना

8254. श्री राम नाईक :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विस्थापितों का पुनर्वास करने में आनाकानी किए जाने के कारण सरदार सरोवर परियोजना के "स्पिल वे" भाग का निर्माण कार्य 80.3 मीटर के बाद रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश में विस्थापितों का शीघ्र पुनर्वास किया जाना सुनिश्चित कराने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) परियोजना अधिकारियों के समक्ष पेश आ रही कठिनाइयों को दूर करने तथा परियोजना का कार्य निर्धारित समय के अन्दर पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

(घ) सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति और नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण समय–समय पर परियोजना की समीक्षा कर रहे हैं तथा आवश्यक बजट संबंधी प्रावधान करने एवं पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों सहित पुनर्वास व पुनर्स्थापन कार्य करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को सलाह दे रहे हैं ताकि इस परियोजना को सन् 2000 ई. तक पूरा किया जा सके।

शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923

8255. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 की पुनरीक्षा करने और इसमें संशोधन की आवश्यकता के संबंध में गहन अध्ययन कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग). इस संबंध में प्राप्त सुझावों/सिफारिशों के आधार पर सरकार इसमें शामिल मुद्दों की जांच सावधानीपूर्वक करती रही है। चूंकि मामला संवेदनशील और जटिल दोनों ही प्रकार का है इसलिए इसका सावधानीपूर्वक और सम्पूर्ण विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है। इस मामले में अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

असुरक्षित कोयला खदानें

8256. श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने रानीगंज में 34 असुरक्षित कोयला खदानों की भराई हेतु केन्द्रीय सहायता की मांग का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार के उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (घ). जी, हां। रानीगंज कोयला क्षेत्र के धंसाव बहुल क्षेत्रों में धंसाव नियंत्रण उपायों को किए जाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने कोयला मंत्रालय को लिखा है।

जैसाकि सर्वविदित है कि धंसाव की समस्या कोयला खदानों का राष्ट्रीकरण किए जाने से पहले की अवधि में छिछले सतह पर अवैज्ञानिक तरीके से खनन किए जाने के कारण उत्पन्न हुई है। धंसाव द्वारा प्रभावित क्षेत्र, जिसमें धंसाव बहुत क्षेत्र शामिल है, पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है और धंसाव–विरोधी उपाय को शुरू करना पड़ेगा।

धंसाव नियंत्रण उपायों के वास्तविक क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकारों/जिला प्राधिकारियों का सक्रिय रूप से सम्बद्ध होंना अनिवार्य है, जोकि अन्य बातों के साथ–साथ पुनः स्थापित किए जाने की समस्या से निपटने तथा असुरक्षित क्षेत्रों में रहने वाली आबादी के पुनः बसाए जाने से संबंधित है। यह इस पृष्ठभूमि में है कुल और समस्या से समग्र रूप से निपटने के लिए एक संस्थानात्मक व्यवस्था बनाए जाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से यह निवेदन किया गया था कि विद्यमान आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण (ए.डी. डी.ए.) जिसे कि पश्चिम बंगाल की कस्बा एवं ग्रामीण (आयोजन तथा विकास) अधिनियम, 1979 के तहत स्थापित किया गया था, को सुदृढ़ीकृत किया जाए और इसे पुनर्वास कार्यों क़े लिए अधिशासी अभिकरण के रूप में प्राधिकृत किया जा सकता है। यह भी सुझाव दिया गया कि सर्वेक्षण, योजना, डिजाइनिंग और योजनाओं /परियोजनाओं को तैयार किए जाने के लिए ए.डी.डी.ए. में तकनीकी कार्मिकों को कोल इंडिया लि./ईस्टन कोलफील्ड्स लि. द्वारा प्रतिनियुक्ति पर मुहैया किया जा सकता है।

ए.डी.डी.ए. को सुदृढ़ीकृत किए जाने के संबंध में निर्णय लिए जाने तक, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. ने धंसावग्रस्त क्षेत्रों को सुदृढ़ीकृत किए जाने के लिए जलीय न्यूमेटिक रेत भराई का प्रयोग करते हुए एक उपयुक्त प्रौद्योगिकी को विकसित किए जाने हेतु दो प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की हैं। इन्हीं के अनुसरण में अन्य दो परियोजनाओं पर भी विचार किया जा रहा है। ये प्रौद्योगिकी को विकसित किए जाने के लिए केवल प्रयोगात्मक परियोजनाएं हैं। वर्तमान में शेष 34 क्षेत्रों को इसके अंतर्गत लाए जाने की कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

कोयला कम्पनियों को लाभ

8257. श्री प्रेम चन्द राम :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993–94 और 1994–95 के दौरान विभिन्न कोयला कम्पनियों द्वारा कम्पनी–वार अर्जित किए गए लाभ का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 1993–94 और 1994–95 के दौरान बिहार को रॉयल्टी की कुल कितनी धनराशि दी गई है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) कोल इंडिया लि. (को.इं.एल.) की सहायक कम्पनियों द्वारा वर्ष 1994–95 के दौरान कमाए गए लाभ अथवा उठाए गए घाटे के संबंध में ब्यौरा लेखों को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। को.इं.लि. और इसकी सहायक कम्पनियों द्वारा 1993–94 के दौरान कमाए गए लाभ/उठाए गए घाटे के संबंध में ब्यौरे को (कोयला कीमत विनियमन लेखे के समायोजन के बाद) नीचे दर्शाया गया है:–

कम्पनी	(करोड़ रुपये में) (+) लाभ/(–) घाटा
1. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	(–) 70.40
2. भारत कोकिंग कोल लि.	(+) 21.56
3. सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.	(+) 62.06
4. नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	(+) 225.23
5. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	(+) 31.50
6. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	(+) 139.84
7. महानदी कोलफील्ड्स लि.	(+) 21.27
8. केन्दीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि.	(+) 2.64
9. कोल इंडिया लि. (दानकुनी कोयला काम्पलेक्स)	(–) 33.47
जोड़	(+) 400.32

(ख) को.इं.लि. की ग्रुप की कम्पनियों द्वारा बिहार सरकार को वर्ष 1993–94 और वर्ष 1994–95 के दौरान अदा की गई रायल्टी की राशि को नीचे दर्शाया गया है:–

वर्ष	(करोड़ रु. में)
1993–94	555.05
1994–95	588.12

नदी जल परियोजनाएं

8258. प्रो. उन्नारेड्डि वेंकटेसवरलु :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नदी जल परियोजनाओं के संबंध में कोई बिल्ट आपरेट–लीज–ट्रान्सफर स्कीम तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आदिवासी क्षेत्रों का विकास

8259. श्री एन. जे. राठवा :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को आदिवासी क्षेत्रों के विकास के संबंध में राज्यों से कोई प्रस्ताव/योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है/करने का विचार है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). 1994–95 के दौरान की गई कार्रवाई तथा प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1994-95 के दौरान अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत प्राप्त हुए प्रस्ताव

(रु. लाख में)

क्रम सं.	राज्य	प्रस्तावित राशि	स्वीकृत राशि	कमियों के कारण
1.	आंध्र प्रदेश	692.00	334.68	
2.	असम	1015.06	17.28	
3.	गुजरात	419.36	200.00	सीमित
4.	हिमाचल प्रदेश	661.90	88.20	प्रस्तावों
5.	केरल	77.00	–	के आवंटन
6.	मध्य प्रदेश	698.18	336.39	के कारण
7.	उड़ीसा	2502.00	210.00	
8.	राजस्थान	570.4.	40.00	
9.	तमिलनाडु	186.00	48.53	
10.	त्रिपुरा	113.00	99.92	
	कुल	6934.50	1375.00	

1994-95 के दौरान लघु वन उत्पाद कार्य हेतु राज्य आदिवासी विकास सहकारी निगमों के लिए सहायतानुदान के अंतर्गत प्राप्त हुए प्रस्ताव

(रुपये लाख में)

क्रम सं.	राज्य	प्रस्तावित राशि	निर्मुक्त राशि	कमी का कारण
1.	गुजरात	63.01	30.00	
2.	केरल	105.00	36.00	
3.	मणिपुर	10.86	10.00	350.00 लाख रु.
4.	मध्य प्रदेश	3767.93	124.00	के बजट संबंधी
5.	महाराष्ट्र	500.00	30.00	सीमा के कारण
6.	मेघालय	29.00	15.00	
7.	उड़ीसा	400.00	75.00	
8.	राजस्थान	100.00	30.00	
	कुल	4975.80	350.00	

1994-95 के दौरान अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए छात्रावास हेतु प्राप्त हुए प्रस्ताव

(रुपये लाख में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रस्तावित राशि	निर्मुक्त राशि	कमी का कारण
1.	आंध्र प्रदेश	50.00(5एच.)	50.00(5एच.)	पूर्ण
2.	गुजरात	4.73(4एच.)	4.73(4एच.)	पूर्ण
3.	केरल	20.00(2एच.)	20.00(3एच.)	पूर्ण
4.	मध्य प्रदेश	321.67(38एच.)	115.83(10एच.)	बजट संबंधी सीमाएं
5.	मेघालय	11.00(4एच.)	11.00(4एच.)	पूर्ण
6.	उड़ीसा	44.00(12एच.)	44.00(12एच.)	पूर्ण
7.	त्रिपुरा	19.44(1एच.)	19.44(1एच.)	पूर्ण
8.	दादर और नगर हवेली	37(2 एच.)	37.00(2एच.)	पूर्ण
9.	दमन और दीव	31.50(1एच.)	03.00(1एच.)	बजट संबंधी सीमाएं
	कुल	539.34(70 एच.)	305.00(42एच.)	

एच. – होस्टल

1994-95 के दौरान आदिवासी क्षेत्र में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए प्राप्त हुए प्रस्ताव

(रुपये लाख में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रस्तावित राशि	निर्मुक्त राशि	कमी का कारण
1.	आंध्र प्रदेश	217.50(13एच.)	58.47(6एच.)	बजट सीमाएं
2.	असम	16.00(32एच.)	16.00 (32एच.)	पूर्ण
3.	गुजरात	6.44(3एच.)	6.44(3 एच.)	पूर्ण
4.	जम्मू तथा कश्मीर	86.02(4एच.)	86.02(4एच.)	पूर्ण
5.	केरल	20.00(3एच.)	20.00 (3एच.)	पूर्ण
6.	मध्य प्रदेश	16.90(2एच.)	16.90 (2एच.)	पूर्ण
7.	मेघालय	11.00(4एच.)	11.00(4 एच.)	पूर्ण
8.	उड़ीसा	36.00(9एच.)	36.00(9एच.)	पूर्ण
9.	त्रिपुरा	29.17(2एच.)	29.17 (2एच.)	पूर्ण
10.	दमन और दीव सीमा	31.50(1एच.)	26.82(1एच.)	बजट
	कुल	470.53 (73 एच.)	306.82 (66 एच.)	

एच.– होस्टल

1994-95 के दौरान आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों तहत प्राप्त हुए प्रस्ताव

(रुपये लाख में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रस्तावित राशि	निर्मुक्त राशि	कमी का कारण
1.	आंध्र प्रदेश	233.85 (14)	66.80 (4)	बजट संबंधी सीमाएं
2.	कर्नाटक	67.50 (5)	67.50 (5)	पूर्ण
3.	महाराष्ट्र	60.17 (17)	1.76 (1)	बजट संबंधी सीमाएं
4.	उड़ीसा	60.00 (4)	60.00 (4)	पूर्ण
5.	राजस्थान	24.50 (2)	24.50 (2)	पूर्ण
6.	त्रिपुरा	19.44 (1)	19.44 (1)	पूर्ण
7.	दमन और दीव	30.00 (1)	10.00 (1)	बजट संबंधी सीमाएं
कुल		495.29 (44)	250.00 (18)	

कोष्ठक के आंकड़े आश्रम स्कूलों की संख्या बताते हैं।

1994-95 के दौरान आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए प्राप्त हुए प्रस्ताव

(रुपये लाख में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रस्तावित राशि	निर्मुक्त राशि	कमी का कारण
1.	बिहार	58.92 (4 वी.टी.सी.)	44.34 (3 वी.टी.सी.)	बजट संबंधी सीमाओं के कारण
2.	गुजरात	73.90 (5 वी.टी.सी.)	21.595 (5 वी.टी.सी.)	1995–96 में निर्मुक्त 52.305 रु. का बकाया
3.	महाराष्ट्र	131.14 (10 वी.टी.सी.)	54.12 (4 वी.टी.सी.)	बजट सबंधी सीमाओं के कारण
4.	उड़ीसा	88.68 (5 वी.टी.सी.)	88.68 (5 वी.टी.सी.)	पूर्ण
5.	तमिलनाडु	14.78 (1 वी.टी.सी.)	10.05 (1 वी.टी.सी.)	1993–94 की सस्वीकृति का बकाया
6.	पश्चिम बंगाल	14.78 (1 वी.टी.सी.)	6.215 (1 वी.टी.सी.)	1993–94 की संस्वीकृति का बकाया
7.	दमन और दीव	13.18 (1 वी.टी.सी.)	13.18 (1 वी.टी.सी.)	पूर्ण
	कुल	395.36 (27 वी.टी.सी.)	238.18 (20 वी.टी.सी.)	

*वी.टी.सी. : वोकेशनल ट्रेनिंग सेन्टर

1994-95 के दौरान अनुसंधान तथा प्रशिक्षण (आदिवासी अनुसंधान संस्थाओं को अनुदान) के अंतर्गत प्राप्त हुए प्रस्ताव

(रुपये लाख में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रस्तावित राशि	निर्मुक्त राशि	कमी का कारण
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	52.20	14.70	संबद्ध मदों के लिए
2.	असम	18.00	12.00	–वही–
3.	बिहार	16.43	10.00	–वही–

1	2	3	4	5
4.	गुजरात	9.50	5.30	–वही–
5.	केरल	15.00	10.00	–वही–
6.	मध्य प्रदेश	34.00	11.04	–वही–
7.	महाराष्ट्र	31.50	23.75	–वही–
8.	मणिपुर	4.00	2.00	केवल केंद्रीय हिस्से के लिए
9.	उड़ीसा	12.80	6.39	–वही–
10.	राजस्थान	5.00	5.00	–वही–
11.	तमिलनाडु	60.50	6.83	केवल संबद्ध मदों के लिए
12.	त्रिपुरा	20.00	10.00	केवल केंद्रीय हिस्से के लिए
13.	उत्तर प्रदेश	10.00	–	उपयोग प्रमाण पत्र
14.	पश्चिम बंगाल	5.00	–	की मांग के कारण निर्मुक्त नहीं हुई।
	कुल	293.93	117.01	

[अनुवाद]

बिहार में टेलीफोन एक्सचेंज

8260. श्री सैयद शहाबुद्दीन :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कुल कितने टेलीफोन एक्सचेंज हैं;

(ख) 3 मार्च, 1995 तक इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों की कुल संख्या कितनी थी ;

(ग) वर्ष 1995–96 के दौरान कुल कितने गैर–इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों को इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों में परिवर्तित किया जाएगा;

(घ) वर्ष 1995–96 के दौरान कुल कितने अतिरिक्त इलैक्ट्रानिक और/या इलैक्ट्रो मैकेनिकल एक्सचेंजों को चालू किया जाएगा;

(ङ) 31 मार्च, 1995 को स्थापित किए गए टेलीफोनों की कुल क्षमता क्या थी; और

(च) 31 मार्च, 1995 को वास्तविक उपभोक्ताओं की संख्या कितनी थी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 31.3.1995 की स्थिति के अनुसार बिहार में 776 टेलीफोन एक्सचेंज हैं।

(ख) 31.3.1995 की स्थिति के अनुसार 771 (3.3.95 की स्थिति के अनुसार 764)।

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान, कुल पांच इलेक्ट्रो–मैकेनिकल एक्सचेंज में से दो एक्सचेंजों को बदल दिया जाएगा,बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हो।

(घ) 30

(ङ) 325483

(च) 247316

तेल शोधनशालाओं का रख-रखाव

8261. श्री एस.एम. लालजान बाशा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल शोधनशालाओं के उचित रख–रखाव के लिए जिम्मेदार अधिकारी कौन है;

(ख) क्या सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि मितव्ययता उपायों के रूप में शोधनशालाएं सफाई और मरम्मत कार्यों के लिए बन्द नहीं की जानी चाहिएं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) रिफाइनरियों के स्वामित्व वाली तेल कम्पनियां रिफाइनरियों के रख–रखाव के लिए उत्तरदायी हैं।

(ख) और (ग). किन्हीं अन्य अनवरत संसाधन संयंत्रों की तरह सभी रिफाइनरियों से उपचारी अनुरक्षण के लिए आवधिक योजनाबद्ध शटडाउन्स अपेक्षित हैं। न्यूनतम शटडाउन अवधि तथा कार्यक्रम के अंतर्गत टर्न एराउण्ड पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए टर्न एराउण्ड कार्यक्रम काफी पहले से आकलित किए जाते हैं।

रसोई गैस की आवश्यकता

8262. श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी तीन वर्षों के लिए गुजरात में रसाई गैस की कुल कितनी आवश्यकता है;

(ख) क्या गुजरात में ही होने वाले उत्पादन से इस आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) गुजरात राज्य में विद्यमान ग्राहकों तथा 1995–96 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों द्वारा

कर्ज होने हेतु प्रस्तावित ग्राहकों की एल पी जी की जरूरत का अनुमान 290 टी एम टी (अनन्तिम) के आस–पास है। आगामी 2 वर्षों के लिए जरूरत का आकलन नहीं किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा पंजीकृत/पंजीकृत होने हेतु प्रस्तावित ग्राहकों की मांग स्वदेशी उत्पादन स्रोतों तथा आयातों के माध्यम से पूरी की जा रही है। केवल एक राज्य के अंतर्गत उत्पादित एल पी जी को उसी राज्य के लिए नियत करने का कोई प्रावधान नहीं है।

[हिन्दी]

आतंकवादी संगठन

8263. श्री दत्ता मेघे :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का विवरण क्या है; और

(ख) उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं/करने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) संलग्न विवरण में सूचना दी गई है।

(ख) संविधान की सातवीं अनुसूची के अधीन, "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं। यह संबंधित राज्य सरकार का कार्य है कि वह इस संबंध में विभिन्न उपाय सुझाए और ठोस कदम उठाए। विभिन्न राज्यों द्वारा चलाए जा रहे आतंकवाद–विरोधी अभियानों को समन्वित करने तथा राज्यों के बीच आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए लाभप्रद सूचना के आदान–प्रदान को सुचारू बनाने के लिए केन्द्रीय स्तर पर कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, पुलिस का आधुनिकीकरण करने, संबंधित हथियारों की आपूर्ति करने, अर्द्ध–सैनिक बलों की तैनाती, इत्यादि करने के लिए वित्तीय मदद देकर राज्य सरकारों को सहायता मुहैया कराई जाती है।

विवरण

भाग (क)

देश में आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का विवरण

नाम	कार्य क्षेत्र
1	2
नक्सलवादी ग्रुप	
1. सी.पी.एम.एल. पीपुल्स वार ग्रुप	आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक और तमिलनाडु के भाग।
2. सी.पी.एम.एल. – विनोद मिश्रा	बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम और उत्तर प्रदेश के भाग
3. कम्यूनिस्ट आर्गेनाइजेशन आफ इंडिया (मार्किट–लेनिनवादी)	पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, और राजस्थान के भाग
4. सेंट्रल आर्गेनाजिंग कमेटी–सी.पी. एम.एल. – पार्टी यूनिट	बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के भाग
5. मार्क्सवादी कम्यूनिष्ट सेंटर	बिहार और पश्चिम बंगाल के भाग
6. सी.पी.एम.एल.–संतोष राणा (भाईजी)	बिहार और पश्चिम बंगाल के भाग
7. सी.पी.एम.एल.–सी.पी. –रेड्डी पी.बी.	आंध्र प्रदेश
8. सी.पी.एम.एल. –सी.पी.आर.–के.आर.	बिहार और पश्चिम बंगाल के भाग
9. सी.पी.एम.एल.–संतोष राणा	असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, बिहार और दिल्ली के भाग
10. सी.आर.सी.–सी.पी.एम.एल.	पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के भाग
जम्मू और कश्मीर संगठन	
1. जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट	जम्मू और कश्मीर
2. हिजबुल मुज्जाहिदीन	जम्मू और कश्मीर
3. हिज्बे इस्लामी	जम्मू और कश्मीर
4. इखवान–उल–मुसलमीन	जम्मू और कश्मीर
5. अल–जेहाद	जम्मू और कश्मीर
6. मुस्लिम जांबाज फोर्स	जम्मू और कश्मीर
7. हरकतुल अंसार	जम्मू और कश्मीर
8. मुस्लिम मुजाहिदीन	जम्मू और कश्मीर
9. हिजबुल मोमीनीन	जम्मू और कश्मीर
10. जमायत–उल–मुजाहीदीन	जम्मू और कश्मीर
11. हिज्बुल्लाह	जम्मू और कश्मीर
12. अल–बर्क	जम्मू और कश्मीर

1	2
13. अल–उमर मुजाहीदीन	जम्मू और कश्मीर
14. अल्लाह टाईगर्स	जम्मू और कश्मीर
15. तहरीक उल–मुहाहिदीन	जम्मू और कश्मीर

सिख संगठन

1. खालिस्तान कमाण्डो फोर्स	जफ्फरवाल पंजाब
2. खालिस्तान कमाण्डो फोर्स.	पंजवार पंजाब
3. खालिस्तान लिबरेशन फोर्स	पंजाब
4. भिंडरवाले टाइगर फोर्स आफ खालिस्तान	पंजाब
5. बब्बर खालसा इन्टरनेशनल	पंजाब
6. फौज–ए–खालिस्तान	पंजाब
7. दशमेश खालिस्तान कमाण्डो फोर्स	पंजाब
8. सिख स्टूडेण्ट फेडरेशन–मेहता–चावला ग्रुप	पंजाब
9. सिख स्टूडेण्ट फडरेशन बिट्टू	पंजाब

पूर्वोत्तर के संगठन

नाम	सक्रियता वाला क्षेत्र
1	2
1. यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट आफ असम	समस्त असम (बराक घाटी और करबी आंगलोंग जिले को छोड़कर)
2. बोडो सिक्योरिटी फोर्स	असम के दारांग, कोकराझार, बारपेटा और सोनितपुर जिले और अरुणाचल प्रदेश
3. आंचिक लिबरेशन मातग्रिक आर्मी	मेघालय का पूर्व एवं पश्चिम गारो पहाड़ी जिला।
4. पीपुल्स लिबरेशन आर्मी	मणिपुर के इम्फाल, बिशमपुर और योंबल
5. यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट	मणिपुर के इम्फाल, बिशमपुर और योंबल
6. हमार पीपुल्स कन्वेंशन	उत्तरी मिजोरम, चूडाचादपुर (मणिपुर) और असम की उत्तरी कछार पहाड़ियां
7. नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड	(जून्हे बोटो जिला, नागालैंड (आई जैक सुव) पश्चिमी सीमा क्षेत्र, दीमापुर क्षेत्र, कोहिमा जिला और वोरवा जिले का पारेन उप मंडल), मणिपुर (मुख्यत उखरूल, चंदेल और सेनापति जिलों सहित मणिपुर के पहाड़ी जिले)
8. नगा नेशनल काउंसिल (खोदाओ यांथन)	वोखा, मोकोकचुंग और नगालैंड के तेनसांग जिले के कुछ क्षेत्र
9. नगा नेशनल काउंसिल (अदीन्हो)	नागालैण्ड के कोहिमा और फेम जिले
10. नगा फैडरल गवर्नमेंट	नागालैंड के कोहिमा और फेम जिले
11. नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल आफ नगालैण्ड (खापलोंग)	नागालैण्ड, मोन मिला, मोकोकचुंग जिले के कुछ हिस्से, तेनसांग जिले के लोंगलांग और पुगरो किफिरी क्षेत्र और भेलूरी जिला मणिपुर : चंदेल जिला–म्यामार (पंगमाई और हेइमी, नागा बहुल क्षेत्र)
12. आल त्रिपुरा ट्राइबल फोर्स	त्रिपुरा पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी जिले
13. नेशनल लिबरेशन फ्रंट आफ त्रिपुरा	दक्षिण त्रिपुरा जिला

तमिल संगठन

1. लिब्रेशन टाईगर्स आफ तमिल ईलम	तमिलनाडु

[अनुवाद]

लिग्नाइट ईंधन तथा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान की स्थापना

8264. डा. पी. बल्लल पेरूमान :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यू.एन.आई.डी.ओ. ने तमिलनाडु के नेवेली स्थित लिग्नाइट ईंधन तथा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान की स्थापना' नामक परियोजना को कोई सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख). जी, हां। 'लिग्नाइट ईंधन तथा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान की स्थापना' नामक एक परियोजना, जोकि नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन की है, उसे संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यू.नि.डी.) की सयहायता से उक्त परियोजना को यू.नि.डी. से 1,266,400 अमेरिकी डालर की अनुमानित लागत से शुरू किया गया है। इस परियोजना की समयावधि 3 वर्ष की है, जोकि मार्च, 1995 से शुरू हुई है।

शराब के छद्म विज्ञापन

8265. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में शराब के छद्म विज्ञापनों पर रोक लगाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा इससे किन उद्देश्यों की पूर्ति होगी;

(ग) क्या यह तथ्य है कि मूल प्रतिबंध को लागू करने में ढील रही है;

(घ) यदि हा, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ङ) शराब के छद्म या अन्य विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाए जाने से अनुमानित राजस्व घाटे का ब्यौरा क्या है; और

(च) शराब के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने में पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए तथा नीति के अंतर्गत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) इस मंत्रालय ने इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) प्रश्न नही उठता।

(ग) और (घ). आकाशवाणी और दूरदर्शन ने अपनी वाणिज्यिक संहिता के प्रावधान जिसके अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ शराब एवं अन्य मादक पदार्थों से संबंधित या इन्हें प्रोत्साहित करने वाले किसी विज्ञापन के प्रसारण/टेलीकास्ट की अनुमति नहीं दी है, का पालन करने में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं दिखाई है।

(ङ) इस संबंध में कोई अनुमान लगाना संभव नहीं है।

(च) आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा अपनी संबंधित वाणिज्यिक संहिता के प्रावधानों का ईमानदारी से पालन करना जारी रखा जाएगा।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, मुम्बई के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र

8266. श्री राम नाईक :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग की एक समिति ने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, मुम्बई के क्षेत्राधिकार का विस्तार करके इसके अंतर्गत मुम्बई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एम एच ए डी ए) के क्षेत्र को शामिल करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो समिति ने उपरोक्त प्रस्ताव पर क्या निर्णय लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एमटीएनएल के क्षेत्राधिकार में विस्तार करने के संबंध में विभिन्न पक्षों से प्राप्त अनुरोधों की विभाग ने, विधिवत् जांच की लेकिन, वर्तमान नीति के अंतर्गत, इसे अव्यवहार्य पाया है।

[हिन्दी]

रसोई गैस की मांग और पूर्ति

8267. श्री प्रेम चन्द राम :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रसोई गैस की राज्य-वार मांग और पूर्ति कितनी-कितनी थी; और

(ख) देश में रसोई गैस की सुचारु रूप से पूर्ति हेतु क्या प्रयास किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). देश में उन वर्तमान एल पी जी उपभोक्ताओं की मांग कमोबेश पूर्णतया पूरी की जा रही है, जो सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों के यहां पंजीकृत हैं। कभी-कभार होने वाले अस्थायी बैकलागों को बढ़ाए गए घंटों के दौरान और अवकाश के दिनों में भरण संयत्रों के प्रचालन के माध्यम से एल पी जी की आपूर्तियों में वृद्धि करके और समीपवर्ती क्षेत्रों के भरण संयंत्रों से आपूर्तियों की व्यवस्था करके निपटाया जा रहा है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान एल पी जी की खपत/बिक्री को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

एल पी जी की खपत/बिक्री : 1992-93, 1993-94 और 1994-95

आंकड़े मीट्रिक टन में

राज्य	1992-93	1993-94	1994-95 (अनन्तिम)
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	213139	234647	245047

1	2	3	4
अरुणाचल प्रदेश	2084	2450	2957
असम	44849	47304	50158
बिहार	78601	90191	96681
गोवा	14304	15593	16730
गुजरात	258079	268318	254450
हरियाणा	88073	93076	104382
हिमाचल प्रदेश	14259	17259	24911
जम्मू और कश्मीर	23625	26208	31748
कर्नाटक	135035	149463	163907
केरल	90965	100003	90176
मध्य प्रदेश	141004	154331	170848
महाराष्ट्र	520674	553550	557574
मणिपुर	5439	5893	5966
मेघालय	3883	4309	4539
मिजोरम	2878	3512	3569
नागालैंड	2838	3310	3856
उड़ीसा	25490	31041	33661
पंजाब	117829	129361	138577
राजस्थान	106030	121179	125718
सिक्किम	1084	1180	1432
तमिलनाडु	238071	256847	270306
त्रिपुरा	3323	3555	4165
उत्तर प्रदेश	322182	355341	359514
पश्चिम बंगाल	147695	158760	171171
संघ राज्य क्षेत्र			
अंडमान और निकोबार	576	754	929
चडीगढ़	15839	16208	17474
दादरा एंड नगर हवेली	408	392	396
दिल्ली	238854	258864	282595
दमन और दीव	545	598	923
लक्षद्वीप	0	51	65
पांडिचेरी	6906	7712	5047

अर्द्धसैनिक बलों के जवानों का मारा जाना

8268. श्री एन. जे. राठवा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों, विशेषतः गुजरात में आतंकवादी हिंसा में विभिन्न अर्द्धसैनिक बलों के कितने जवान मारे गए;

(ख) क्या पीड़ित व्यक्तियों के निकटतम संबंधियों को कोई मुआवजा दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) आज की तिथि तक ऐसे कितने मामले लम्बित पड़े हैं; और

(च) इन मामलों का निपटारा कब तक कर दिया जाएगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान हुई आतंकवादी हिंसा के दौरान गुजरात में मारे गए एक जवान सहित देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न अर्द्धसैनिक बलों के 581 जवान मारे गए हैं।

(ख) से (घ). उनके निकटतम संबंधियों को अनुग्रह राहत, बीमा तथा एल.पी.ए. आदि जैसे भुगतान किए जा रहे हैं।

(ङ) और (च). फिलहाल 101 मामले प्रक्रियाधीन हैं। चूंकि प्रत्येक मामले की जटिलता भिन्न होती है इसलिए उनके निपटान के लिए कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित करना कठिन है।

[अनुवाद]

दूरदर्शन चैनलों को पट्टे पर दिया जाना

8269. श्री एस.एम. लालजान वाशा :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कम्पनियों के संवर्धन के लिए चैनलों को पट्टे पर देने से दूरदर्शन को कितनी वार्षिक आय हुई; और

(ख) पट्टे पर देने से 1995–96 के दौरान दूरदर्शन को कितनी अनुमानित आय होगी?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) दूरदर्शन ने किसी अन्य संगठन को अपने चैनल पट्टे पर नहीं दिए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आश्रय स्थल

8270. श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में निराश्रितों, विकलांगों तथा वृद्धों के लिए राज्यवार कितने आश्रय स्थल (शेल्टर होम्स) स्थापित किये गये हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष इन पर राज्यवार कितनी धनराशि खर्च की गई है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख). राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

तेल आयात पर प्रतिबंध

8271. श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीका द्वारा ईरान से तेल के आयात पर लगाए गए प्रतिबंध का भारत के तेल आयात पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन के क्या परिणाम निकले हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). ईरान ने भारत को जून, 1994 से मई, 1995 के मध्य 3 मि.मी.टी. कच्चे तेल की आपूर्ति करने की संविदात्मक बाध्यता को पूरा कर दिया है।

सिंचाई परियोजनाओं संबंधी निगम की स्थापना

8272. प्रो. उम्मारेड्डि वैंकटेस्वरलु :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनराशि की अत्यधिक कमी की वजह से सिंचाई परियोजनाओं के पूरा होने में अनावश्यक विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण कार्य को जारी रखने के लिए एक निगम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां। सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने में विलम्ब के लिए उत्तरदायी कारणों में निधियों की कमी भी एक कारण है।

(ख) और (ग). सिंचाई क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक वित्त निगम की स्थापना के लिए प्रस्ताव जल संसाधन मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस प्रस्ताव को योजना आयोग द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई है।

डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप का चयन

8273. श्री राम निहोर राय :

श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

श्री राजनारायण :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 1993 और 1994 के दौरान उत्तर प्रदेश तेल चयन बोर्ड द्वारा पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्रों, रसोई गैस एजेंसियों के लिए डीलरशिप तथा मिट्टी के तेल की डिस्ट्रीब्यूटरशिप के चयन में की गई अनियमितताओं के संबंध में संसद सदस्यों/ विधायकों की शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश के तेल चयन बोर्ड के असंतोषजनक कार्यनिष्पादन के संबंध में सरकार को कुछ शिकायतें मिली थीं। तदनुसार तेल चयन बोर्ड (उ. प्र.) के अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल को समयपूर्व ही दिनांक 2.3.1994 को समाप्त कर दिया गया था। दिनांक 9.3.1994 को निम्नलिखित स्वरूप के साथ तेल चयन बोर्ड (उ. प्र.) का पुनर्गठन कर दिया गया था :–

1. न्यायमूर्ति श्री एच आबिदी – अध्यक्ष
2. रिक्त – सदस्य – I
3. श्री जे.एन. तिवारी – सदस्य–II

नागरिकता प्रदान करना

8274. श्रीमती दिलकुमारी भंडारी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम का भारतीय संघ में विलय के पश्चात हजारों लोग राज्य की नागरिकता से वंचित हो गये;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) नागरिकता प्रदान किए जाने संबंधी काफी आवेदन इस समय लम्बित पड़े हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ). 26.4.1995 को भारत में सिक्किम के विलय के बाद, नागरिकता अधिनियम, 1995 की धारा 7 के अंतर्गत 16.5.1975 को जारी किए गए सिक्किम (नागरिकता) आदेश 1975 द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 को सिक्किम में लागू किया गया था। सिक्किम (नागरिकता) 1975 के अनुसार जो व्यक्ति सिक्किम नागरिक विनियमन 1961 के अंतर्गत 26.4.70 से तुरन्त पहले सिक्किम का नागरिक था, उसे उस दिन को भारत का नागरिक मान लिया गया था। तथापि बाद में यह बात जानकारी में आई कि सिक्किम नागरिक विनियमन 1961 के

अनुसार, भारत में सिक्किम के विलय होने से पूर्व सिक्किम में बड़ी संख्या में ऐसे व्यक्ति रह रहे थे, जिन्हें भारतीय नागरिक नहीं माना गया। ऐसे व्यक्तियों को भारतीय नागरिक के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। ऐसे वास्तविक व्यक्तियों के मामलों की जांच करने के लिए एक समिति गठित की गयी थी जो 1946 से सिक्किम में रह रहे थे लेकिन जिनके नाम छूट गए थे और जिन्हें सिक्किम (नागरिकता) आदेश 1975 के अंतर्गत भारतीय (नागरिकता) नागरिक घोषित नहीं किया गया था। समिति की सिफारिशों पर 73,431 व्यक्तियों को 1990 में भारतीय नागरिक घोषित किया गया था। 1290 अन्य व्यक्तियों को 10.1.94 को भारतीय नागरिक घोषित किया गया था। नागरिकता प्रदान करने के लिए कोई अन्य आवेदन केन्द्र सरकार के पास लम्बित नहीं है।

आतंकवाद के अभियुक्तों के साथ अधिकारियों की सांठ-गांठ

8275. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :

श्री मोहन सिंह (देवरिया) :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 अप्रैल, 1995 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "ऐसोसिएशन आफ ईस्ट-वेस्ट एयरलाइंस अफिसियल्स विद अक्यूज्ड आफ टेरारिज्म" के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). समाचार रिपोर्ट में संदर्भित मामला इस समय नामित न्यायालय, शाहदरा, दिल्ली की अदालत में विचारणाधीन है। अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ दिनांक 18.4.1994 को नामित न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किया गया है। न्यायालय ने सात अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आरोप लगाए हैं तथा जांच पड़ताल के कार्य को पूरा करने के आदेश दिए हैं। जांच-पड़ताल अभी जारी है।

वर्दी के वस्त्र की खरीद

8276. श्री मोहन रावेल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने अपने नियंत्रण के अधीन उपक्रमों/तेल कम्पनियों और अन्य विभागों को अपने कर्मचारियों के लिए वर्दी के लिए आवश्यक वस्त्र की राष्ट्रीय वस्त्र निगम से खरीद करने हेतु अनुदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन उपक्रमों/तेल कम्पनियों के नाम क्या हैं जो अपनी जरूरत के लिए वस्त्र की खरीद राष्ट्रीय वस्त्र निगम से नहीं कर रहे हैं;

(घ) इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). जी, हां। वस्त्र मंत्रालय द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार इस मंत्रालय ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपनी वस्त्र की जरूरत को एन टी सी सहित सरकार की वस्त्र कम्पनियों से पूरा करने के लिए निर्देश जारी किए हैं।

(ग) से (ङ). इस मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वस्त्र की अपनी जरूरत को निविदाओं के माध्यम से पूरा करते हैं। एन टी सी सहित सार्वजनिक उद्यम जो वस्त्र बनाते है उन्हें खुली निविदाओं में भाग लेना होता है तथा वे सरकार के निर्देशों के अनुसार क्रय अधिमान के हकदार हैं।

रसोई गैस की खपत

8277. प्रो. सुशांत चक्रवर्ती :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्षों की तुलना में रसोई गैस की खपत में भारी कमी आई है;

(ख) क्या हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि. की 1992-93 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इस प्रकार की कोई टिप्पणी की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो रसोई गैस की खपत में इस कमी के तकनीकी कारण क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं। देश में एल पी जी की खपत कई वर्षों से प्रगामी रूप से बढ़ रही है। गत तीन वर्षों की खपत प्रवृत्तियां निम्नवत् हैं :-

आंकड़े हजार मी. टन में

वर्ष	एल पी जी खपत
1992-93	2866
1993-94	3113
1994-95 (अनन्तिम)	3446

(ख) जी, हां।

(ग) कोचीन रिफाइनरी लि. से उत्पादित होने वाली एल पी जी में प्रोपीलीन की परिवर्तनशील मात्रा होती है तथा प्रोपीलीन हिन्दुस्तान आरगेनिक केमिकल्स लि. (एच.ओ.सी.) में निकाला जाता है तथा शेष एल पी जी कोचीन रिफाइनरी लि. को लौटा दी जाती है। एच ओ सी के लिए एल पी जी आपूर्ति की पठन भिन्नता के अनुसार

बिल बनाया जाता है और सी आर एल में वापस भेजी गई एल पी जी की निगरानी और देखरेख की जाती है।

[हिन्दी]

भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा जमाराशि

8278. श्री नवल किशोर राय :

श्री गुमान मल लोढ़ा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण द्वारा सिटी बैंक की निवेश प्रबंधन योजना के अंतर्गत जुलाई, 1991 में दस करोड़ रुपये की राशि जमा कराई गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या उक्त कम्पनी के पास यह राशि अधिशेष है;

(घ) यदि हां, तो उक्त खाते में यह राशि कितनी अवधि के लिए जमा कराई गई थी;

(ङ) क्या बैंक द्वारा उक्त राशि का भुगतान निर्धारित अवधि के समाप्त हो जाने के बाद किया गया था; और

(च) यदि हां, तो कम्पनी द्वारा उक्त राशि का उपयोग किस क्षेत्र में किया गया और बैंक द्वारा कम्पनी को ब्याज सहित कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). गैस अथारिटी ऑफ इण्डिया लि. द्वारा त्रैमासिक "रेस्ट" आधार पर 18.7% प्रति वर्ष की निश्चित आय सहित 22.7.1991 को सिटी बैंक में 10 करोड़ रुपये की राशि जमा की गयी थी।

(ग) जी, हां।

(घ) यह राशि एक वर्ष के लिए जमा की गयी थी तथा पुनः इस अवधि को और छः माह के लिए बढ़ा दिया गया।

(ङ) और (च). गैस अथारिटी आफ इंडिया लि. ने दिनांक 17 तथा 19 मार्च, 1993 को 10 करोड़ रुपये के साथ-साथ 18.7% की ब्याज की दर से ब्याज के 3,51,79,147 रुपये की राशि वापस प्राप्त की। गैस की अन्य निधियों के साथ-साथ इस राशि को भी इसके प्रचालनों एवं परियोजनाओं के लिए प्रयोग किया गया है।

12.07 म.प.

सुन्दरलाल बहुगुणा द्वारा टिहरी बांध के सम्बन्ध में अनशन करने के बारे में

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही मानवीय सवाल की तरफ सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं। देश के एक गांधीवादी नेता, श्री सुन्दरलाल बहुगुणा की भूख-हड़ताल का आज 23वां दिन है। जिस जगह वे धरने पर बैठे हैं, वहां से हमें जो खबर मिली है, हमें मालूम हुआ है कि वे बहुत कमजोर हो गये हैं और उनका 8 किलो, वजन घट गया है। मैं इस सवाल को इसलिये उठा रहा हूं क्योंकि उनकी जिन्दगी खतरे में है। हम संसद् में बैठे सभी लोग जानते हैं और अध्यक्ष जी, आपने भी उसमें हाथ बंटाया था, जब 1992 में वे 44 दिन की भूख-हड़ताल पर बैठे थे, उनके बैठने के बाद, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया था कि टिहरी डैम का काम रोक दिया जायेगा और उसके बाद ही उन्होंने अपनी हड़ताल वापस ली थी। अब फिर से उसका काम शुरू हो जाने के कारण, वे भूख-हड़ताल पर बैठ गये हैं। आज उनकी भूख-हड़ताल का 23वां दिन है।

उनकी मांग है कि टिहरी डैम के बारे में सरकार पुनः समीक्षा कराये, मौजूदा काम को रोक कर पुनः समीक्षा कराये। यह सवाल बहुत मानवीय है, क्योंकि टिहरी डैम को लेकर कुछ मतभेद रहे हैं लेकिन ऐसा कोई नहीं कह सकता कि सुन्दर लाल बहुगुणा जी जिद्दी हैं और वे किसी अच्छी चीज को भी सुनने के लिये तैयार नहीं हैं। जैसा मैं जानता हूं, उनका कहना है कि विशेषज्ञों को शामिल करके एक कमेटी बना देनी चाहिए जो उस डैम के बारे में पुनः समीक्षा करे और जैसी रिपोर्ट वह कमेटी देगी, उसे सारे लोग मान जायेंगे । आज यहां सदन में सरकारी पक्ष के लोग भी बैठे हैं और सभी दलों के माननीय सदस्य बैठे हैं। आज से दो दिन बाद यह सदन मुल्तवी हो जायेगा। मैं इस सवाल को इसलिये उठा रहा हूं कि जिस तरह 1992 में सरकार ने अपनी सूझ-बूझ से काम लिया, अपने दिमाग से काम लिया और उनके फास्ट को छुड़वाया और कहा था कि डैम के बारे में पुनर्विचार करेंगे, पुनः समीक्षा करेंगे, मैं चाहूंगा कि अब जबकि उनकी जिन्दगी खतरे में है, हम आपके जरिये सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार इस मामले में अच्छी तरह से सोचकर किसी निर्णय पर पहुंचे क्योंकि आज 23वें दिन में उनकी भूख-हड़ताल पहुंच गयी है, हमें कुछ इस तरह के कदम उठाने चाहिये, ताकि 1992 की तरह वे इस बार भी अपनी भूख-हड़ताल को वापस ले सकें। इस अहम सवाल पर, जिस पर बहुत मतभेद है, मैं चाहूंगा कि सरकार विचार करके यहां कोई बयान दे ताकि उनकी भूख-हड़ताल खत्म हो सके। यही मैं आपके जरिये सरकार से निवेदन करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : महोदय, हम उनका समर्थन करते हैं।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द खण्डूरी (गढ़वाल) : अध्यक्ष जी, मैं माननीय रवि राय जी की बातों का मैं समर्थन करता हूं और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि थोड़े दिन पहले भी मैंने इस बात को यहां उठाया था। अब दो चीजें मुख्य हैं, जो तुरन्त कर देनी चाहिये – पहली यह है कि माननीय सुन्दरलाल बहुगुणा का अनशन जिस प्रकार भी हो, खत्म होना चाहिए।

वे पहले सहारनपुर और लखनऊ की जेलों में ले जाए गए थे। वे वहां वापस भेज दिए गए हैं। वे बराबर अनशन पर हैं। इसलिए

उनका अनशन तुड़वाने की एक खास कोशिश होनी चाहिए।

दूसरी बात क्षेत्र के लोगों की बड़ी जायज है कि पुनर्वास की व्यवस्था अभी तक ठीक प्रकार से नहीं हो रही है। उस समस्या के कारण लोग आंदोलित हैं। एक तरफ डैम का काम कभी चलता है और कभी रुकता है, इससे भी लोग दुखी हैं। इसके अंदर भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि उसके कारण भी लोग डैम के खिलाफ आवाज उठाते हैं। लोगों के मन में शंका पैदा हो गई है कि डिजाइन के अलावा यह जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसकी वजह से डैम कितना सेफ है कितना नहीं है, यह बात बराबर कही गई है।

अध्यक्ष महोदय, एक तो अनशन तुड़वाने की कोशिश की जाए। दूसरे पुनर्वास के लिए ठोस कदम उठाए जाएं और उसकी व्यवस्था करें और तीसरे वहां पर जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसे समाप्त किया जाए और चौथी बात जैसी मैंने पहले भी कही है कि जो एक निर्विवाद सैसमोलीजिस्ट हैं, उनकी राय एक बार लेकर इसको पक्का कर दिया जाए। इसको फायनल कर दिया जाए और वहां की जनता को समझा दिया जाए। इसको लटकाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। केन्द्र सरकार इसको बार–बार लटका रही है। यदि सर्वसम्मति से निर्णय करके जनता को समझा दिया जाए और यदि डैम की हाइट कम करनी है, तो उसके ऊपर विचार किया जाए। इस पर और विलम्ब करने से अब कोई फायदा होने वाला नहीं है।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष जी, सौभाग्य से संसार का सबसे ऊंचा पहाड़ हिमालय हमारे मस्तक पर है और कितना भी सूखा रहेगा, लेकिन वहां बर्फ जमेगी और पिघल कर पानी आएगा और जो ऊर्जा का हाल है वह आपको पता ही है। कोयले के भंडार 50–60 सालों में समाप्त हो जाने वाले हैं। इस हालत में देश के विकास के लिए पानी की ऊर्जा, पनबिजली सबसे अच्छा और सबसे सस्ता स्रोत हमारे लिए है। इससे एक साथ बाढ़–नियंत्रण, विद्युत उत्पादन, सिंचाई और पर्यावरण का काम होगा। जितनी नहरें निकलेंगी, उनके दोनों तरफ हम वृक्ष लगा दें, तो हमारा सारा देश बागान बन जाएगा। कोई नर्मदा प्रोजेक्ट को रोकने और कोई टेहरी प्रोजेक्ट का काम रोकने का प्रयास करते हैं, यह ठीक नहीं है। इससे हमारा देश पिछड़ा रह जाएगा। हमारा देश कंगाल रहेगा। इसलिए किसी भी हालत में टेहरी परियोजना के कार्य को न रोका जाए। जो अनशन की गई है, उसे तुड़वाने के लिए हम काम करें और हमारे मित्र ने जैसा अभी बताया कि कोई त्रुटि है, उसे दूर किया जाए, लेकिन देश के पिछड़ेपन को कायम करने के लिए, आदिवासी को आदिवासी बनाए रखने का काम न किया जाए। आदिवासियों को झोंपड़ी की जगह पक्का मकान नहीं मिले, ऐसा काम न किया जाए। उनको भी नया पक्का मकान मिले, नया जीवन मिले। उनके पिछड़ेपन को बनाए रखने के लिए, उनकी बरबादी के रास्ते को बनाए रखने के लिए काम नहीं किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, आजकल हालत यह हो गई है कि आए दिन ऐसी परियोजनाओं का विरोध होता है। चाहे वह बिहार की कोइलकारो हो या कोई और हो। यह बीमारी है। इसलिए मेरा आंपके माध्यम से अनुरोध है कि इस बीमारी को समाप्त करने के लिए सब तरफ से आवाज आनी चाहिए। टेहरी का काम पूरी तेजी से चले। धीमापन आया है। उन्होंने अनशन किया है। हम लोग जाएं उनसे आग्रह करें कि वे अपने अनशन को समाप्त करें। गांधी जी ने भी कहा है कि ऐसा अनशन "दुराग्रह" होगा "सत्याग्रह" नहीं। यह जनहित के खिलाफ होगा और देश–हित में बाधा पहुंचाएगा। यही मेरा आग्रह है। संसद से इस प्रकार की आवाज जानी चाहिए।

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, जिस विषय पर मैंने सूचना दी है वह है .....

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इस पर बोलने जा रही हैं। अन्यथा मैं उन्हें बोलने की अनुमति दूंगा।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : इस पर मुझे कुछ कहना है।

अध्यक्ष महोदय : तब आपको दो बार अवसर नहीं मिल सकता।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, इस पर समीक्षा समिति बैठाना आवश्यक है क्योंकि हर कोई यह सोचता है कि इस योजना में कुछ कमी है। अतः इस पर तुरन्त समीक्षा समिति गठित की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री हरि केवल प्रसाद (सलेमपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपके अध्यक्ष बनने से पूर्व की बात है कि इसी सदन की सर्वसम्मत राय बनी थी और सर्वसम्मति की राय का संदेश लेकर तत्कालीन रेल मंत्री जार्ज साहब यहां से टेहरी गए थे। मैं भी उनके साथ था। आदरणीय सुन्दरलाल बहुगुणा के अनशन का जब रूप बदल गया और जब एक ऐसी परिस्थिति आई कि इस सदन ने चिन्ता व्यक्त की और उनसे एक स्वर से मांग की थी कि उनका अनशन समाप्त कराया जाए।

हम लोग जब वहां गये और वहां से जब चल रहे थे तो मैंने अपनी राजनीतिक जिन्दगी में पहला अवसर ऐसा देखा था कि वहां काम करने वाली जो टीम है, जो फर्म है, उस फर्म ने इस तरह से तमाम माफिया सरगना को लगाकर जार्ज साहब के ऊपर हमला करने का प्रयास किया। रात के 11 बजे हम लोग किसी तरह से जार्ज साहब को लेकर निकल कर वापिस आये। उस समय भी आदरणीय सुन्दर लाल बहुगुणा की यही मांग थी कि जो डैम बन रहा है, उसे जो फर्म बना रही है, उसके द्वारा व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। उस इलाके में उस डैम के बन जाने से लोग बेघर हो जायेंगे। उन लोगों की भी एक मांग यह थी कि उसकी तकनीकी जांच कराई जाये लेकिन भारत सरकार के जो मंत्री हैं, जो जल संसाधन विभाग है, उसने इस मामले को उलझाकर रखा था। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने उस प्रक्रिया को भी चालू किया है। आज जो अनशन चल रहा है, मैं आपके माध्यम से सदन के तमाम साथियों से यह मांग करना चाहता हूं कि गांधीवादी विचारधारा का जो आदमी है, वह इस बात को लेकर अनशन पर बैठा हुआ है। इस अनशन के प्रति हमें चिन्ता व्यक्त करनी चाहिए। भोगेन्द्र झा जी ने जिस बात की तरफ इशारा किया था, उसको मैं नहीं मानना चाहता। बहुत से डैम केवल खाने–पीने के लिए बनाये जाते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यह सदन उनका अनशन तुड़वाने का प्रयास करे।

श्री बलराज पासी (नैनीताल) : अध्यक्ष महोदय, इस पर जो विरोध हुआ, उस विरोध के पीछे बहुत बड़ा कारण था। वह कारण यह है कि सारे पर्वतीय क्षेत्रों की वर्षों से बहुत उपेक्षा हो रही है। उस योजना के अन्दर जो मजदूर काम कर रहे हैं, वे पर्वतीय क्षेत्र के नहीं हैं। वहां के लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। लोगों के मन में यह भाव है कि इससे सारा लाभ मैदानी क्षेत्रों को होगा।

पिछले काफी सालों से पर्वतीय क्षेत्रों की बहुत उपेक्षा हो रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार भी पर्वतीय क्षेत्रों की बहुत उपेक्षा कर रही है। उसने पर्वतीय क्षेत्र के सारे फण्ड्स को रोक दिया है तथा केन्द्र द्वारा SRY के अंतर्गत जो पैसा मिलता है, उसमें भी भारी कटौती की है। इस सब कारणों से पूरे पर्वतीय क्षेत्र के लोगों के अन्दर बहुत आक्रोश है।

अध्यक्ष महोदय : अगर कुछ जोड़ने या तोड़ने की बात हो तो कहिये।

श्री बलराज पासी : अध्यक्ष महोदय, उस क्षेत्र के लिए जो बांध बन सकते हैं, उनको भी नहीं बनाया जा रहा है। जैसे जमरानी बांध है। उस बांध के बन जाने से वहां के लोगों को पीने का पानी व सिंचाई के लिए काफी लाभ हो जाएगा लेकिन सरकार उस पर कोई विचार नहीं कर रही है। अगर इस पर काई व्यावहारिक दृष्टिकोण लेकर वहां के जन प्रतिनिधियों को शामिल कर कोई निर्णय लिया जायेगा तो निश्चित रूप से वहां इसको सहयोग मिलेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार इस बारे में किसी प्रकार कुछ कहना चाहती है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय हम माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त भावनाओं को उन तक पहुंचा देंगे।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री को इस मामले को देखने दें और यदि वह वक्तव्य देना चाहेंगे तो वह ऐसा कर सकते हैं।

12.18 म.प.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को पदोन्नति में आरक्षण दिए जाने के बारे में

अध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि हम अन्य मद लें मैं एक बात कहना चाहता हूं। सीताराम केसरी जी ने मुझे एक आवेदन दिया है और मैं जानना चाहता हूं कि उस पर आपके क्या विचार हैं और हम आपकी इच्छाओं के अनुसार निर्णय लेंगे। संविधान छियासीवां (संशोधन) विधेयक, 1995 पुरःस्थापित कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि सरकार इसे समाज कल्याण संबंधी स्थायी समिति के पास भेजना आवश्यक नहीं समझती। अतः समाज कल्याण संबंधी स्थायी समिति के पास भेजे बिना वह चाहते हैं कि इसे ....

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं – इस विधेयक का नहीं। लेकिन यह विधेयक जिस तरह से कल लाया गया था और आज जिस तरह से इसको जल्दी पास कराने की कोशिश की जा रही है, उसका मैं विरोध कर रहा हूं। यह मामला केवल विधेयक का नहीं है, यह सरकार इस सदन को, इस संसद को किस तरह से चलाना चाहती है? विधेयक आते हैं लेकिन वे अधूरे पड़े रहते हैं। हमने पेटेंट बिल पास करा दिया लेकिन वे राज्य सभा में धक्के खा रहा है। कुख्यात टाडा खत्म हो गया मगर उसका स्थान लेने वाला कोई बिल या कानून कौन सा है, इसका कुछ पता नहीं है? सरकार विभाजित है, सरकार अपना दिमाग नहीं बना सकती है और ऐन वक्त पर सरकार सदन में विधेयक लेकर उपस्थित हो जाती है। अगर उस पर आपत्ति की जाती है तो यह प्रश्न खड़ा कर दिया जाता है कि उनका समाज के कल्याण में विश्वास नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि सदन के साथ इस तरह से बर्ताव नहीं होना चाहिए। सरकार अपना दिमाग नहीं बना सकती, सरकार योजनापूर्वक संसद का कोई कार्यक्रम तय नहीं कर सकती। हमने एक दिन बढ़ाने का फैसला कर लिया है। जब आपके कक्ष में बैठक हुई थी तब भी इस विधेयक के बारे में कोई सूचना नहीं थी। कल आपने कल्याण मंत्री जी को इजाजत दे दी। उसपर सदन में 60–70 मिनट तक कोलाहल मचता रहा। उस विधेयक के विरोध में कोई नहीं है लेकिन जिस ढंग से काम हो रहा है, वह आपत्तिजनक है।

नेहरू जी ने एक बार कहा था कि लोकतंत्र केवल जनहित में चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, वह इस बात का भी ध्यान रखती है कि कदम–कदम पर लोकतंत्र के जो नियम हैं, लोकतंत्र की जो मर्यादा है, उसका पालन होना चाहिए। हम सारे नियम ताक पर रखकर सरकार को अधिकार दे सकते हैं। लेकिन यह सरकार कैसी है? यदि ये नहीं चला सकते तो अध्यक्ष महोदय, आप इनकी मदद मत कीजिए। इन्हें तो जाना है।

मैंने एक व्यापक सवाल खड़ा किया है। सीताराम जी, केवल आपसे संबंधित नहीं है, आप तो ऐन वक्त पर टोपी में से कबूतर निकाल ही देते हैं। लेकिन यह सदन किस तरह से चलेगा, एक बार इसका निर्णय हो जाना चाहिए।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, अटल जी ने जो कहा, मैं उनकी इस भावना से बिल्कुल सहमत हूं कि सरकार किसी भी कार्य को पहले भी ला सकती है लेकिन फिर भी ऐन मौके पर लाती है। अनुसूचित जाति, जनजाति के मामले ऐसे हैं जिनका सदन में किसी पक्ष के लोगों द्वारा कभी विरोध नहीं होता। लेकिन

उन मद्दों को भी जानबूझकर ऐसे समय में लाकर सरकार कंट्रोवर्सी खड़ी कर देती है जिससे बाहर के लोगों के मन में संदेह हो जाता है कि कोई पार्टी विरोध में है, कोई पार्टी समर्थन में है। यह मामला आज से नहीं, 1992 से चल रहा है। जब से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ तब से हम मांग कर रहे थे कि इस मामले में पूरा सदन एकमत है, आप नोटिफिकेशन के बजाए सीधे कौन्सटीट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाइए। लेकिन तब सरकार इसे नहीं लाई, ऐन मोके पर लाई। यह कोई नया मामला नहीं है, कोई नया विधेयक नहीं है। यह केवल इतना ही है कि पहले अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को प्रमोशन में जो रिजर्वेशन मिल रही थी, उसपर सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय के द्वारा टिप्पणी दी। यह भी नहीं कहा कि तुम नहीं ला सकोगे।

अध्यक्ष महोदय : वह टिप्पणी कब लागू होगी?

श्री राम विलास पासवान : उन्होंने 1997 तक की डेट दी है।

अध्यक्ष महोदय : अभी तो उसमें समय है।

श्री राम विलास पासवान : हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि सरकार इसे पहले भी ला सकती थी। लेकिन सरकार की जो हालत है, पता नहीं अगले सैशन में हम मिलेंगे या नहीं, भविष्य में क्या होगा, इसलिए हम इसके लिए बहुत चिन्तित हैं। एस.सी., एस.टी., पार्लियामेंट्री फोरम, हर तरफ के लोगों ने यह फैसला लिया है और सरकार इसे अंडर प्रेशर ला रही है, यह बात भी सही है। परसों हमने बैठकर निर्णय लिया कि यदि सरकार नहीं करेगी तो जनता दल, बी.जे.पी., इनक्लूडिंग कांग्रेस, सरकारी कामों का बॉय–काट करेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, ये धमकी में काम कर रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : हमने प्रेशर डाला है। लेकिन मैं अटल जी से आग्रह करना चाहता हूं, चूंकि यह मामला दलितों से संबंधित है, समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित हैं और इसे सिर्फ रैस्टोरेशन किया गया है। अभी नहीं होगा तो भविष्य में क्या होगा, कोई नहीं जानता। इसलिए हम सरकार से आग्रह करना चाहेंगे, भले ही सरकार ने गलत काम किया हो लेकिन कम से कम अन्त में तो इसे लाई है। यह बहुत छोटा विधेयक है लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। हम अटल जी से भी आग्रह करेंगे, आपने जो मुद्दा उठाया है, वह टेक्नीकली बिल्कुल सही है लेकिन इन मुद्दों पर विचार खड़ा न करके विशेष परिस्थिति में पास करने की इजाजत दें।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मेरी भी यही राय है। अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों को पदोन्नति में आरक्षण देने के मामले पर सभी राजनैतिक दल एकमत हैं। अतः इस मद को लिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : सर्वसम्मति कहां है?

श्री बसुदेव आचार्य : सर्वसम्मति है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, सदन में ऐसा नहीं लगता।

श्री बसुदेव आचार्य : सर्वदलीय बैठक में इस पर सभी दल सहमत थे।

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, इसे गलत रूप से पेश नहीं किया जाना चाहिए। आप सर्वसम्मति के लिए अपील कर सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि विधेयक पर चर्चा की जाए तथा इसे इसी सत्र में पास किया जाए। हम सब इसका समर्थन करते हैं और अनुरोध करते हैं कि इसे तुरन्त लिया जाए।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदय, कल मंत्री महोदय यहां बिल लायें और सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इसमें सबकी सहमति थी। उस वक्त चेयर पर आदरणीय शरद दिघे जी बैठे थे, उन्होंने कहा कि यह डिबेट नहीं है, इसलिए हमने उसमें उस वक्त पार्टीसिपेट नहीं किया। उसमें जिन्होंने विरोध करना था, उन्होंने विरोध किया। आज हमारा इस विधेयक से विरोध है। जिस वक्त इण्ट्रोडक्शन पर डिबेट होगी, उस वक्त हम हमारी भावना प्रकट करेंगे। इससे फ्रस्ट्रेशन आ सकता है, ऐसी हमारी भावना है। जिन लोगों को आप प्रमोशन देने जा रहे हैं, हम पिछड़े वर्ग के खिलाफ नहीं हैं .... **(व्यवधान)**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : आप पिछड़े वर्ग के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन विरोध करेंगे। ..... **(व्यवधान)**

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, हमें बोलने का मौका दीजिए। आप विरोध कीजिए। हम अपनी भावना प्रकट करते हैं। उसमें पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आप उसमें SC रहने दो, ST रहने दो, लेकिन अगर किसी स्टूडेण्ट को मेडीकल में एडमीशन दिया जाता है तो उस समय मेडीकल का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसको मैरिट के ऊपर पास होना पड़ता है। अगर उसको आप प्रमोशन देने जायेंगे तो .... **(व्यवधान)**

श्री राजेश कुमार (गया) : जो मेडीकल कालेज डोनेशन पर चलते हैं, उनमें क्या है?

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का मौका दीजिए। आप उसका विरोध कीजिए, गवर्नमेंट को वह पास नहीं करना चाहिए। ....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उनको बोलने का अधिकार है, उनको बोलने दीजिए।

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, अगर यह भावना लोगों में पैदा हो जायेगी कि 5–5, 10–10 वर्ष सर्विस करके हमको प्रमोशन नहीं मिलता है, जैसे पुलिस में ऐसी भावना है, एयर इण्डिया या इण्डियन एयरलाइंस में है, बैंक्स में है, वहां अगर प्रमोशन दिया जाता है तो उसका एग्जाम लिया जाता है तो मैरिट के ऊपर ही उसका प्रमोशन होना चाहिए, यह मेरी मांग है। यह जो विधेयक लायेंगे, मंत्री महोदय ने जो बयान दिया, वह गलत है, यही मैं आपको बताना चाहता हूं।

श्री भोगेन्द्र झा : अध्यक्ष जी, जहां तक कायदे की बात है, माननीय वाजपेयी जी ने उठाई है। जैसा रामविलास जी ने कहा, मैं भी उससे सहमत हूं और सरकार की बुद्धि अभी जो बंटी हुई बुद्धि है, इसलिए निर्णय लेने में कठिनाई हो रही है, उससे देश में उलझन है। ऐसा ही कश्मीर में चुनाव का मामला था, कई मामले हैं, यह सब आलोचना सही है, मगर यह मामला समाज के उस तबके के बारे में है, जो हर मायने में दबा कुचला रहा है, इसलिए यह परम्परा नहीं बन जाय, लेकिन अपवाद के रूप में अनुमति देकर हम लोग काम चला लें, यही मेरा आग्रह है।

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : मान्यवर, अटल जी ने यह कहा कि सरकार विभक्त है। मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं कि तीन मीटिंग हमने विपक्ष के दलों के नेताओं और प्रतिनिधियों से की। तीन मीटिंग हुई हैं, 14 जनवरी को, 28 अप्रैल को और चार मई को। मैं कहना चाहता हूं कि शैड्यूल्ड कास्ट, शैड्यूल्ड ट्राइब्स के संबंध में किसी ने भी ....**(व्यवधान)** सब ने एक मत से कहा कि यह ....**(व्यवधान)** अटल जी ने भी यह कहा कि यह जल्दी जो जाएगा, हम साफ कहते हैं, हम यह नहीं कहते हैं, अटल जी ने जो उस दिन चार तारीख को यह कहा कि देखिये, जल्दी में बिल मत लाइये। मगर जिन भाइयों ने, जैसे कि चन्द्रजीत यादव जी ने कहा कि जल्दी में बिल लाया गया है, मुझे कहना नहीं चाहिए, मगर कंसेंसस में चूंकि क्वश्चन यहां चेलेंज कर दिया है, उन्होंने कहा था कि इसी सत्र में लाना चाहिए। मैं आपको इतना ही नहीं कहना चाहता हूं, और लोगों ने भी कहा कि इसी सत्र में लाना चाहिए ...**(व्यवधान)**

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : और अन्तिम दिन अन्तिम समय में लाना चाहिए।

श्री सीताराम केसरी : मेरी बात सुनिये। अब जहां तक अटल जी की बात है, मैं उससे इंकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बताता हूं। इसके अन्दर चूंकि महत्व है, हमेशा जब कभी प्रश्न पार्लियामेंट में शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के रिजर्वेशन इन प्रमोशन के संबंध में उठा है, इसी हाउस में हमेशा हमने आश्वासन दिया है कि साहब आप लोगों की आम सहमति के अनुसार निश्चित रूप से चूंकि हमारा भी कमिटमेंट शैड्यूल्ड कास्ट, शैड्यूल्ड ट्राइब्स के हित में है, तदनुसार हमें चार तारीख के बाद यह बिल बनाने में कुछ समय लगा और कल तो हम 12 बजे से बैठे हुए थे, जो कहते हैं कि शीघ्रता से लाये,

जो भी इनका कहना है हमारी नीयत पर ...**(व्यवधान)** हम यह नहीं कहते हैं कि हमारी नीयत पर आप विश्वास मत कीजिए, अविश्वास कीजिए। मगर मैं साफ कहता हूं, इस सत्र में मैं इसी लिए लाया कि सभी लोगों का एम्फैसिस था कि इसी सत्र में लिया जाए, अटल जी का नहीं ... **(व्यवधान)** मेरा था ....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे दो बातों की जानकारी चाहिए। एक, सुप्रीमकोर्ट का जजमेंट कब से लागू हो रहा है?

श्री सीताराम केसरी : यह सच है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 1997 से लागू होगा।

अध्यक्ष महोदय : अभी उसके लिए समय है।

श्री सीताराम केसरी : मेरी बात सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का प्रभाव अनुसूचित जाति की नौकरियों पर पड़ा रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, जो मैं कहना चाहता हूं। इसीलिए मैं चाहता हूं ....**(व्यवधान)** मैं एक चीज बताना चाहता हूं। देखिए, बात यह है कि सदन के सामने जो साफ है ...

अध्यक्ष महोदय : वह बोलना चाहिए और मैं आपको मौका दे रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कैसा एप्लाई हो रहा है?

श्री सीताराम केसरी : एक असर पड़ गया है, अनुसूचित जाति और जनजाति के दिमाग पर कि हमें जो अधिकार मिला था ..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

डा. आर. मल्लू (नगर कुरनूल) : महोदय, ऐसी बातें हो रही हैं ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

डा. आर. मल्लू : महोदय, हो यह रहा है कि मंत्रालय से निर्देश दिए जाने के बाद अधिकारी इस निर्णय को अभी क्रियान्वित कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कैसे हो सकता है।

डा. आर. मल्लू : महोदय, ऐसा किया जा रहा है। यह हमारा देश है। वे महसूस करते हैं कि उन्हें आरक्षण क्यों दिया जाए जबकि हर कोई नहीं दे रहा है। वे महसूस करते हैं कि चर्चा क्यों की जाए और इस आदेश अथवा निर्णय अथवा संशोधन पर विचार क्यों किया जाए ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें। मुझे इससे निपटने दीजिए।

डा. आर. मल्लू : महोदय, आप हमारी भावनाओं को समझें।

अध्यक्ष महोदय : आपकी भावनाएं क्या हैं। मुझे बताएं।

डा. आर. मल्लू : महोदय, हमारी भावना यह है कि अनेक अधिकारी मंत्रालय के आदेशों की प्रतीक्षा किए बिना ही इस निर्णय को क्रियान्वित कर रहे हैं और वे पदोन्नतियां नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि वे इसे क्रियान्वित कर रहे हैं ...

(व्यवधान)

डा. आर. मल्लू : महोदय, यह सच है। वे इसे क्रियान्वित कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपा करके मुझे सुने। यदि वे इसे क्रियान्वित कर रहे हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों तथा कानून के विरुद्ध है तो मैं सरकार से आशा करता हूं कि वह उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी।

डा. आर मल्लू : महोदय, मैं नहीं चाहता कि पहले क्षति कर दी जाए और बाद में कार्यवाही की जाये क्योंकि उसमें कुछ गुंजाइश होती है।

अध्यक्ष महोदय : आपका क्या मतलब है? क्या आपका यह मतलब है कि वहां कानून है, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है और वे इसे क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं।

डा. आर. मल्लू : महोदय, सरकार कानून लाने का प्रयास कर रही है। वह विधेयक ला रही है। इसे पास किया जाना चाहिए .... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपा करके बैठ जायें।

मंत्री महोदय दूसरी बात यह है कि मैं जानना चाहता हूं कि इसको अन्तिम क्षणों में सभा में लाने के क्या कारण हैं।

[हिन्दी]

श्री सीताराम केसरी : जैसा मैंने पहले कहा, इसका व्यापक प्रभाव अनुसूचित जाति और जनजाति की सर्विसेज पर पड़ा है और उनके दिमाग पर भी पड़ा है और कई जगहों पर मुझे इस तरह का एक्शन लेना पड़ा है, जो उन्होंने इम्पलीमेंटेशन में. . . . . विलम्ब किया कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसलिए में कहता हूं कि आप इस बिल के पक्ष में थे और सब लोगों की राय है। विपक्ष की राय को देखते हुए

अध्यक्ष महोदय : सब लोगों की नहीं है, कुछ लागों की है।

श्री सीताराम केसरी : सब लोगों की है, सिवाय BJP के। देखिए . . . **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इसे अन्तिम क्षण में क्यों लाए हैं?

[हिन्दी]

श्री कालकादास (करोलबाग) : इस तरह से गलतफहमी होगी। सबाल प्रक्रिया का है। BJP ने प्रक्रिया से सवाल के बारे में कहा है और BJP इसके विरोध में नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे डील करने दीजिए। अटल जी ने कह दिया है, फिर आपको बोलने की क्या जरूरत है।

श्री कालकादास : देखिए, प्रक्रिया का सवाल है। बिल लाए हैं, बहुत पहले लाना चाहिए था। भाजपा यह कहती रही है कि पहले लाना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय : मैं वही पूछ रहा हूं।

[अनुवाद]

मंत्री महोदय आप को बताना होगा कि आप इसे अन्तिम क्षण में क्यों लाए हैं।

[हिन्दी]

श्री सीताराम केसरी : मैंने आपसे निवेदन किया है कि सब लोगों ने कहा है और इसका प्रभाव पड़ा है शैड्युल्ड कास्टस और शैड्युल्ड ट्राइब्स पर . . . **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय आप इस सभा के समाप्त होने से पर्याप्त समय पूर्व क्यों नहीं लाए।

. . . . **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सीताराम केसरी : मान्यवर, मैं कुछ दिन तक देखता रहा कि जो प्रभाव डाला जा रहा है वह वास्तव में पड़ा है या नहीं। मैंने देखा और अनुभव किया कि व्यापक प्रभाव पड़ा है। दूसरा, विपक्ष के सभी नेताओं और उनके प्रतिनिधियों से बात करना अनिवार्य था, इसलिए हमने समयानुसार सभी लोगों से बात की। .... **(व्यवधान)** जैसे अभी कहा कि शैड्यूल्ड कास्ट्स के दिमाग में असुरक्षा का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा और उसी प्रभाव के कारण कठिनाइयां उपस्थित हो रही हैं। तदनुसार हमने विपक्ष के नेताओं से जनवरी से बात करनी शुरू की तो अंत में सभी लोगों ने कहा कि इस सत्र में ही होना चाहिए।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तोड़गढ़) : महोदय, मैं केवल यह निवेदन करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सन् 1992 में आया, तब यह सरकारी थी। ....**(व्यवधान)** हमारे मित्रों ने यह भी कहा कि सन् 1992 से जजमेंट आ गया है। मंत्री जी कहते हैं कि सन् 92 से बहुत ज्यादा मानसिक प्रभाव पड़ना शुरू हुआ । सरकार की नींद नहीं जगती है जब तक चुनावों की दस्तक दरवाजे पर सुनाई नहीं देती है। महोदय, यही बात हो रही है। हर चीज में सरकार की चुनावी प्रेरणा हो गई है। हमें प्रक्रिया के तौर पर कहना जरूर है लेकिन आप जो अनुमति देंगे उसे सदन मानेगा, जो चाहेंगे वह सदन करेगा उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप जो चाहें, वह हम करने को तैयार हैं लेकिन सरकार की गलतियां माफ करके, अनदेखा करके सरकार हमसे जो चाहे वह हम कर लें यह तो संभव नहीं होगा। हम सन् 1992 से चुपचाप बैठे हैं। आखिरी बैठक 4 मई को हुई और आज तो 1 जून हो गई है। सरकार महीने भर से क्या कर रही थी? सरकार 1992 से 1995 तक बैठी रही और फिर उसके बाद मई से लेकर जून तक बैठी रही। इससे हम तो संतुष्ट नहीं हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे अब समाप्त करूंगा।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, यह जो केसरी जी आज लाए हैं अगर इसको पहले लाए होते तो बेहतर होता, लेकिन इतना जरूर है कि इस आदेश के आने के बाद सर्विसेस में जो प्रमोशन का मामला कई विभागों में बिगड़ा है, जो लोग इस मूवमेंट से रिश्ता रखते हैं उनको व्यापक पैमाने पर पत्र लिखा, डेपुटेशन लेकर सारे लोग मिलते रहे। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने मंत्रीजी पर कम दबाव नहीं डाला, उनसे भी मिल करके हम बार-बार इस सवाल को कहते रहे। उनसे जो कुछ भी संभव था वह उन्होंने किया। उसके लिए मीटिंग बुलाई, उसमें सारी बातें हुई। पिछली बार वह जो जवाब दे रहे थे मैं उस विवाद में उनको नहीं डालना चाहता, लेकिन विस्तारपूर्वक जो बातें हुई थीं उसमें सभी

तरह के प्रमोशंस थे। शायद उस समय सब लोग चले गए थे, उस वक्त मैंने बोला था और आपने कहा भी था कि बहुत गलती हो गई, आपको पहले बुलाना चाहिए था।

महोदय, इस समय इस मामले में कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन यह इसका टाइम नहीं है। इसमें सीधा सवाल यह है कि कुछ लोग, कुछ वर्ग बहुत सेंसटिव हैं और ये अधिकार उन्हें बहुत कठिनाई से मिले हैं। उनको यह अधिकार मिलने के बावजूद भी आप जानते हैं कि बैकलॉग कितने हैं, यानी बैकलॉग तो रखे ही नहीं जा सकते। यदि यह कानून नहीं है तो बैकलॉग सब जगह क्यों हैं? सर्विसेस में बैकलॉग का मामला नहीं होना चाहिए था। यदि यह समाज, राष्ट्र और उसका तंत्र ईमानदार होता, चाहे हम बैठे हों या वे बैठे हों, लेकिन यह जो तंत्र है वह समाज से आया हुआ है इसमें कठिनाइयां हैं। जब लोकतंत्र के जरिए परिवर्तन होता है तो वह धीरे–धीरे होता है, लेकिन "देर आयद दुरुस्त आयद।" इस विधेयक के आने से हिन्दुस्तान के गरीबों को एक अच्छा मैसेज जाएगा। यह जल्दबाजी जरूर है मैं अटल जी की बात से महसूस करता हूं, ऐसे गभीर मामलों को आप अचानक लाए, यह ठीक नहीं है। यह वाजिब होते हुए भी इस बात से हिन्दुस्तान के दलित लोगों के मन में एक विश्वास पैदा होता है और इससे राष्ट्र मजबूत होता है।

यह कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन बैकलॉग अभी तक पूरा नहीं किया गया है। जब आरक्षण में बैकलाग पूरा नहीं हो सका तो प्रमोशंस के मामले में भी नियमों का उल्लंघन और दुरुपयोग क्यों नहीं हो सकता, यह मैं कहना चाहता हूं।

श्री नीतीश कुमार (बाढ) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहता था, मैं समझता हूं कि इस बिल को इसी सत्र में पारित किया जाना चाहिए, लेकिन मंत्री जी की एक बात से कुछ गलतफहमी पैदा हो सकती है, इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। मंत्री जी ने हमारे दल के नेता चन्द्रजीत यादव जी के बारे में कहा कि उन्होंने जल्दबाजी की बात कही है। चन्द्रजीत यादव जी ने कहा कि एससीएसटीज के साथ–साथ यदि ओबीसीज के प्रमोशन का मामला भी इसके साथ जोड़ दिया जाता और संविधान संशोधन लाया जाता, जो उचित होता। इस संदर्भ में उन्होंने यह बात कही थी। एससीएसटीज के लिए विधेयक लाने में हम लोगों को कोई ऐतराज नहीं है, इस विधेयक को लाया जाए और इसी सत्र में पास किया जाए। मंत्री जी की बात से एक गलतफहमी पैदा हो सकती है, जिस तरह से उन्होंने इस कथन को उद्धृत किया, उससे गलतफहमी पैदा हो सकती है। इस तरह की बातें अवाइड करनी चाहिए।

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी कंसल्टेटिव कमेटी का सदस्य हूं और बताना चाहता हूं कि इसमें मंत्री जी का कोई दोष नहीं है। कुछ दिन फाइल केबीनेट अप्रूवल के लिए पड़ी रही। कुछ दिन तो डिपार्टमेंट में पड़ी रही।

अध्यक्ष महोदय : नहीं अब आप बिलावजह कांप्लीकेशन पैदा कर रहे हैं। आप बैठ जाइए।

श्री अनादि चरण दास : मैं सफाई देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी स्वयं अपने को डिफेंड कर लेंगे, आप बैठ जाइए।

श्री अनादि चरण दास : जो मुझे मालूम है, मैं बताना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपको मालूम होने का कोई कारण नहीं है, आप बैठ जाइए।

श्री अनादि चरण दास : कंसल्टेटिव कमेटी में इस विषय पर चर्चा हुई थी।

अध्यक्ष महोदय : देखिए इस तरह से व्यर्थ बातें रिकार्ड पर आ जाती हैं, आप बैठ जाइए। आप क्यों कह रहे हैं, मंत्री जी स्वयं कह लेंगे।

श्री अनादि चरण दास : आप मेरी बात तो सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आपको दूसरी बात के लिए समय दिया था।

श्री अनादि चरण दास : मैं इसी विषय पर कुछ कहना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें जल्दबाजी कुछ नहीं हुई है। जो हो गया है, उसको तुरंत करना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूं। इसमें मंत्री जी का खास दोष नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : वैरी गुड। मुझे ऐसा लगता है कि मंत्री जी बहुत कोशिश करके इसको लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, जो वक्त पर हो नहीं सकती हैं और वक्त पर नहीं हुई हैं, इसके लिए सदस्यों ने जो रोष व्यक्त किया है, वह वाजिब है। यदि यह पहले आ जाता तो बहुत अच्छी बात थी। इसके बाद भी सब लोगों की यह राय है कि यह जो कानून है, आना चाहिए और इसको लेना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूं कि इस मुख्य राय को देखते हुए, वाजपेयी जी हम समझते हैं कि इसको आने दिया जाए। सब चर्चा करेंगे और यह हो जाएगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जो आना है उसको आने दीजिए, मगर जिन्हें जाना है, उनको जाने दीजिए। (व्यवधान)

श्री शिव शरण वर्मा (मछली शहर) : अध्यक्ष महोदय, पुलिस अधिकारियों द्वारा सांसदों की पिटाई हो रही है और इस सर्वोच्च सभा के सदस्य होने के बावजूद अधिकारियों को बढ़ावा मिल रहा है और सांसदों को किसी प्रकार की सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है।

12.45 म.प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

जिन अधिकारियों के खिलाफ आरोप होते हैं वे अन्य अधिकारियों से मिलकर मामले को तय करवा लेते हैं। सांसदों के साथ दुर्व्यवहार की तमाम घटनाएं घटी हैं, लेकिन उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।

मैं शिवशरण वर्मा सांसद संसदीय क्षेत्र–मछली शहर जौनपुर उत्तर प्रदेश से हूं। मैंने अपने क्षेत्र में एक 33 के.वी. का पावर हाउस स्वीकृत करवाया था। मेरे प्रयास द्वारा इसके लिए 58 लाख रुपये की धनराशि भी 'पूर्वांचल विकास निधि' द्वारा आवंटित करवाई थी। क्षेत्रीय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं तथा जनता ने यह तय किया कि क्षेत्रीय सांसद ने इसको स्वीकृत करवाया है और सांसद श्री वर्मा जी के द्वारा ही इसका शिलान्यास होना चाहिए। शिलान्यास की तारीख

2 सितम्बर, 1994 निश्चित की गई। मैंने 2 सितम्बर, 1994 को 15–20 हजार कार्यकर्ताओं के साथ शिलान्यास करने के लिए प्रस्थान किया।

आगे बढ़ने पर जिला प्रशासन के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ मुझ पर कातिलाना हमला किया। जिलाधिकारी राजाराम और पुलिस अधीक्षक रामसिंह मीणा दोनों वहां मौजूद थे। इन दोनों अधिकारियों ने बर्बर अधिकारियों को संकेत देकर मुझे तथा अन्य कार्यकर्ताओं को मारने के लिए निर्देशित किया। एडीएम (वित्त एवं राजस्व) वी राम तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दलबीर सिंह यादव ने स्वयं मुझे मारकर तथा पूर्व विधायक श्री केशरी प्रसाद पाण्डेय को लाठियों से मारकर गिरा दिया तथा अन्य अधिकारियों को भी हम लोगों को लाठियों द्वारा बुरी तरह मरवाकर पंगु बना दिया और इन अधिकारियों ने मुझे भद्दी–भद्दी गालियां देकर अपमानित किया।

सुनील कुमार सिंह,सी.ओ. मछलीशहर, सो.ओ. बदलापुर, हरिशंकर यादव, सी.ओ. मडियाहूं, थानाध्यक्ष सुजानगंज–विश्वनाथ तिवारी, सुरजनराम दीवान थाना सुजानगंज, थानाध्यक्ष, महाराजगंज छेदीलाला यादव, थानाध्यक्ष–पंवारा–अशोक कुमार तिवारी थानाध्यक्ष–बख्शा पी.एन. यादव तथा थानाध्यक्ष बदलापुर थानाध्यक्ष मुं. बादशाहपुर आर.के.सिह ने हम लोगों को बुरी तरह निर्दयता के साथ मारा, एस. पी. और डी.एम. निकट में खड़े होकर बराबर संकेत देते रहे। मैं बेहोश होकर गिर पड़ा, फिर भी मेरे ऊपर लाठियां गिरती रहीं।

इन बर्बर अधिकारियों ने मोतीलाल गुप्त मंडल कांग्रेस अध्यक्ष बदलापुर, तारा सिंह महिला अध्यक्ष, कमलीखरवार–सिंगराभऊ, दिनेश दुबे व राजेश दुबे पुत्रगण पूर्व विधायक स्व. रामशिरोमणी दुबे, श्री सूर्यनाथ उपाध्याय अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी, देवेश उपाध्याय, उपाध्यक्ष, सुरेन्द्र नाथ जिला प्रवक्ता, कमलाशंकर मिश्र पूर्व ब्लाक प्रमुख, ब्रह्मदेव शुक्ल तथा शेषधर शुक्ल, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को भी भद्दी–भद्दी गालियां देते हुए लाठियों से बुरी तरह मारकर गम्भीर चोटें पहुंचाई।

सैकड़ों व्यक्तियों को लाठी से मारकर हाथ–पैर तोड़ डाले हैं। ऐसे लोग पुलिस की हिरासत में सिविल अस्पताल जौनपुर में भर्ती थे। इनके अतिरिक्त अन्य सैंकड़ों कार्यकर्ताओं को भी लाठी की मार से गम्भीर चोटें आई हैं। किसी भी घायल व्यक्ति की स्वास्थ्य परीक्षा नहीं करवाई गई है। एकत्रित कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच पुलिस अधिकारियों ने आंसू गैस छोड़ी तथा सैंकड़ों बंदूकों की फायरिंग की गई। पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर ईंट–पत्थर फैंककर घायल किया।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दलबीर सिंह यादव ने मेरी महेंद्रा नं. डीएलसीसी–711 तथा बुलट साइकिल डीआईटी 3434 को भी तोड़वा कर नष्ट कर दिया।

पुलिस ने लोगों के घरों में घुसकर मनमानी लूट की तथा औरतों की इज्जत भी लूट ली। यह घोर अत्याचार का प्रतीक है। सभी घायल कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके जनपद के अलग–अलग थानों पर रखा गया। उनकी स्वास्थ्य परीक्षा नहीं करवाई गई और न तो दवा की व्यवस्था की गई। लोगों ने स्वयं अपना इलाज करवाया। कुछ लोग जिला अस्पताल में भर्ती किए गए। उनके हाथ–पैर बुरी तरह तोड़ दिए गए हैं। ऐसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रधान मंत्री राहत कोष से, प्रत्येक कार्यकर्ता को पांच हजार रुपये की दर से, अनुग्रह धनराशि देना उचित होगा।

महोदय, मुझे तथा केशरी प्रसाद पाण्डे, पूर्व विधायक को पुलिस ने गिरफ्तार करके एवं गाड़ी में बैठाकर थाना मडियाहूं तथा कई थानों में हत्या करने के उद्देश्य से रात भर घुमाते रहे। मैंने कई बार अनुरोध किया कि मैं अस्वस्थ हूं मेरा स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर दवा करवाई जाए। पीने का पानी मांगा तो नहीं दिया गया। यह कहा गया कि साले तुम लोगों को पेशाब पिलायेंगे। गिरफ्तारी के दिन 2 सितम्बर, 1994 को सायं 4 बजे से 3 सितम्बर, 1994 को साढ़े आठ बजे रात तक हमें किसी प्रकार का अन्न–जल नहीं दिया गया।

थाना पुलिस सुजानगंज–जौनपुर पुलिस ने हम 53 आदमियों के खिलाफ गम्भीर दफाओं के अंतर्गत मु.सं. 153/94 कायम किया है। मुकदमे की धाराएं 147/148/194/307/436/337/333/आई.पी. सी. सी–4 एक्ट के अन्तर्गत मुकदमे दायर किए हैं और वे फर्जी मुकदमे वापस नहीं लिए गए हैं। कांग्रेस के घायल कार्यकर्ता परेशान हैं और अभी तक मुकदमे वापस नहीं लिए गए हैं। तत्काल मुकदमा वापस लिया जाए। महोदय, यहां लोक सभा की भी गरिमा का प्रश्न है। खेद तथा लज्जाजनक बात है कि इस गंभीर मामले पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अतः कृपया दोषी जिला अधिकारी राजाराम, पुलिस अधीक्षक राम सिंह मीना, ए.डी.एम. वित्त एवं राजस्व पी. राम, अपर पुलिस अधीक्षक दलबीरसिंह यादव तथा अन्य उपरोक्त लिखित अधिकारियों को तत्काल निलंबित करके उन्हें सेवा से वंचित करने की प्रभावी कार्यवाही करें। साथ ही फर्जी कायम किया गया मुकदमा वापस लिया जाए। घायल व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को पांच हजार की दर से अनुग्रह धनराशि के रूप में प्रधान मंत्री के राहत कोष से भुगतान किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, हमें मालूम हुआ है कि सारे अधिकारी जो अपराधी हैं, * मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां लोकतंत्र है और मैं एक स्वतंत्रता सेनानी हूं और कुरबानी देकर देश को हम लोगों ने आजाद किया है लेकिन जिस जनता ने हम लोगों को चुनकर लोक सभा में भेजा है, उसकी आवाज नहीं सुनी जा रही है। सब तरफ अधिकारियों का बोलबाला है। आज लोकतंत्र में जनता जमीन पर बैठायी जाती है और अधिकारी कुर्सी पर बैठता है। लोकतंत्र बिगड़ चुका है, इससे गरीब का कल्याण नहीं हो सकता है। अधिकारी लोग तो सेवक हैं। जनता की समस्या का समाधान करने के लिए होते हैं। लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि वहां के अधिकारी यहां के अधिकारियों से मिले हैं। कहा है कि उस समय अध्यक्ष महोदय ने इसको स्वीकार किया था कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप रहे हैं। यह 02.09.1994 का मामला है लेकिन आज तक इस मामले में कार्यवाही नहीं हुई है। मैंने आजादी की लड़ाई के दौरान अंग्रेजों की लाठी खायी है। इसलिये आज अल्टीमेटम देता हूं कि यदि इस मामले में न्याय नहीं किया गया तो यहां लोक सभा में आत्महत्या कर लूंगा। मैं इसलिए कहता

*अध्यक्षपीठ के अनुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

हूं कि सांसदों के साथ जो अपमानजनक व्यवहार किया जाता है या उनकी हत्या की कार्यवाही की जाती है, उससे उसकी रक्षा करें और लोक सभा की गरिमा को बचायें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वर्मा जी ने जो मामला उठाया है, वह अत्यंत ही गम्भीर है। यह मेरी कास्टीट्यंसी के करीब हैं और जहां से मेरा क्षेत्र खत्म होता है, वहां से इनका शुरू होता है। जिस अधिकारी की निर्ममतापूर्वक कार्यवाही का वर्णन किया है, मैं उस अधिकारी को मैं जानता हूं। बात केवल पावर हाउस की थी जिसे इन्होंने सैंक्शन कराया था और लोग चाहते थे कि उसका उद्घाटन वर्मा जी करें लेकिन उत्तर प्रदेश के जो आला अफसर हैं, वे नहीं चाहते थे कि वर्मा जी उसका उद्घाटन करें बल्कि वे चाहते थे कि चीफ मिनिस्टर करें। चूंकि उक्त जिलाधिकारी का नाम यहां आ गया है, इसलिए उसका नाम न लेते हुए यह कहूंगा कि तत्कालीन जिलाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री की बिरादरी का था और उनका रिश्तेदार था। उसने जानबूझकर वर्मा जी पर हमला करवाया और यह जानते हुए भी कि वे सांसद हैं, उनके ऊपर लाठी चलायी गयी। इनके बगल के समर्थकों के घर पर पुलिसकर्मियों ने घुसकर अत्याचार और व्याभिचार किया।

इतना ही नहीं, वहां के भूतपूर्व विधायक पर लाठी चार्ज हुआ, वहां के वर्तमान विधायक पर लाठी चार्ज हुआ। वहां के दूसरे जो लोकल सैल्फ गवर्नमेंट के प्रतिनिधि हैं, उनके ऊपर अत्याचार हुआ। लेकिन अफसोस की बात है कि वहां का वह पुलिस अधिकारी आज भी वहीं पर मौजूद है और आज भी वर्मा जी की हत्या करने के लिए, इनके कार्यकर्ताओं की हत्या करने के लिए ये लोग निरंतर ऐसा कर रहे हैं। श्रीमन्, जान–बूझकरकर वहां पर जन प्रतिनिधियों को तंग किया जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस मामले की गंभीरता को समझा जाए। मैं इस पर बहुत बड़ा भाषण नहीं देना चाहता। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उन अधिकारियों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला लाया जाए जिनका नाम वर्मा जी ने लिया है। वर्मा जी ने कहा है कि ऐसा न करने पर वे लोक सभा में अनशन करेंगे, अपनी आत्महत्या तक कर सकते है। हम सब लोग वर्मा जी की मांग का समर्थन करते हैं। .... **(व्यवधान)**

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, वर्मा जी ने अपनी वेदना सुनायी है। उनके साथ जो कुछ हुआ है, इसकी चर्चा उन्होंने सदन में 24 दिसंबर, 1994 को भी की थी और इसके बाद यह मामला वहीं अटका हुआ है। उनके आज के कथन से दो बातें सामने आती हैं। एक तो उनका कहना है कि मामले को उन्होंने दिसंबर में भी उठाया था। आज तक इस पर क्या कार्रवाई हुई है, उनको जानकारी नहीं है और . . . . * लेकिन हम आपसे जरूर आग्रह करेंगे कि चूंकि एक सांसद की प्रतिष्ठा का सवाल है और उनके विशेषाधिकार का सवाल है, और जिस घटना का बयान किया है, वह काफी है कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को जांच और कार्रवाई के लिए सौंपा जाए। हम आपसे आग्रह करेंगे कि इस पूरे प्रसंग को विशेषाधिकार समिति को जांच और कार्रवाई के लिए सौंपा जाए।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : उपाध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश की स्थिति आज यह हो गई है कि वहां सांसदों का ये हाल है, विधायकों का ये हाल है कि उनकी पिटाई हो रही है तो साधारण व्यक्ति का जीवन क्या होगा। वहां कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। उत्तर प्रदेश के शासन में सबसे दुखद स्थिति यह हुई है। गुण्डों का राज हो जाए तो कोई आपत्ति नहीं की जा सकती, उसका मुकाबला किया जा सकता है। मगर अगर ब्यूरोक्रेसी, पुलिस और प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एस.पी. इस प्रकार की गुण्डागर्दी का साथ दें तो क्या होगा। गुण्डों को तो पुलिस के माध्यम से रोका जा सकता है, मगर पुलिस मुख्य मंत्री के कहने पर आज बिल्कुल निर्जीव स्थिति में पड़ी हुई है। वहां बदमाशी हो रही है, लूट हो रही है। मैं आपके माध्यम से इस सदन से और सरकार से मांग करना चाहता हूं कि वह इस प्रकार सांसदों और विधायकों के अपमान का बदला लें, संबंधित सरकार के खिलाफ कार्रवाई करें। इस पर विशेषाधिकार का जो प्रस्ताव उन्होंने रखा है, उसे विशेषाधिकार समिति को दे दिया जाए। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक इस मामले का संबंध है मैं रिकार्ड देखूंगा और मामले की विषय वस्तु भी देखूंगा। क्या कार्यवाही की जानी है इसका निर्णय लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। हम इस बारे में आपको बतायेंगे।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी (शिमला) : माननीय अध्यक्ष जी, जो विचार विपक्ष के लोगों ने और वर्मा जी ने रखे हैं, मैं उनसे सहमत हूं। मैं यह कहना चाहूंगा कि वर्मा जी पर जो अन्याय हुआ है, ज्यादती हुई है, उन पर हमला किया गया है, उनके रिश्तेदारों को पीटा गया है, मैं कहता हूं कि ऐसी सरकार के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।

1.00 म.प.

होम मिनिस्टर को यह जवाब देना चाहिए कि इस मामले पर कार्यवाही की जाएगी। इसको प्रिविलेज कमेटी को दिया जाना चाहिए, ताकि जो दोषी अधिकारी हैं उनको सजा मिल सके। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा की यह इच्छा है कि जम्मू कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन को जारी रखने संबंधी चर्चा को 3 जून को लिया जाए?

(व्यवधान)

1.01 म.प.

(इस समय श्री शिव शरण वर्मा तथा श्री एस.पी. यादव आए और सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गए)

उपाध्यक्ष महोदय : इस संबंध में जबकि माननीय सदस्य गम्भीर रूप से घायल हुए सारा सदन क्षुब्ध है। अतः मैं रिकार्ड देखूंगा और अन्य चीजे देखूंगा और हम वह सब करेंगे जो हम कर सकते हैं। निश्चय ही सभा इसकी उपेक्षा नहीं करेगी। इस संबंध में क्या कार्यवाही की जानी है इसकी घोषणा कल सभा में की जाएगी।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बैंच ने यह निर्णय किया ....**(व्यवधान)** मैं पूछना चाहता हूं कि सिविल कोड के बारे में आप क्या करने जा रहे हैं। ..... **(व्यवधान)** प्रधानमंत्री ने मुस्लिम लीडर्स को कह दिया है कि हम कोई कार्यवाही करने वाले नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं मानेंगे। ..... **(व्यवधान)** यह गंभीर मामला है।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला किसी मिनिस्ट्री का नहीं है ....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जम्मू व कश्मीर के विषय पर चर्चा 3 जून को की जाएगी। क्या सभा की इच्छा है कि यह मामला 3 जून को लिया जाए।

(व्यवधान)

श्री गुमान मल लोढा : यह बहुत गम्भीर मामला है। इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिए। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने इस मामले को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले पर पूरी सभा क्षुब्ध है। इस मामले में क्या कार्यवाही की जानी है इसकी घोषणा कल की जाएगी। यह इस सभा का कर्तव्य है कि वह माननीय सदस्यों के हितों तथा सम्मान की रक्षा करे। पीठासीन अधिकारी इसकी घोषणा करेंगे।

(व्यवधान)

1.03 म.प.

इस समय श्री शिव शरण वर्मा तथा श्री एस.पी. यादव अपने अपने स्थान पर वापस चले गये

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : इस मामले में कार्यवाही होनी चाहिए। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आपने नोटिस दिया है। यहां पर चर्चा हुई है। कल इसके बारे में क्या एक्शन होता है यह चेयर तय करेगी। इसके लिए चेयर को थोड़ा समय दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय मंत्री खड़े हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि बचपन में मैं भी जेल गया था, जेल का स्वाद मुझे भी मालूम है। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही यहां पर आ गए हैं।

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : महोदय, यह गम्भीर मामला है और हम इसके सभी पहलुओं पर विचार करेंगे **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री खड़े हैं। ....**(व्यवधान)**

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, मामला गम्भीर है और हम इसके सभी पहलुओं पर विचार करेंगे और इस बारे में पूरा ब्यौरा देंगे। कल जो भी निर्णय लिया जाएगा, हम आपके आदेश मानेंगे .... **(व्यवधान)**

1.06 म.प.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1995 के वर्ष 1992 के वार्षिक प्रतिवेदन,

इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब दर्शाने वाला विवरण

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : मैं श्री सीताराम केसरी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 15क की उपधारा (4) के अंतर्गत सिविल अधिकारी संरक्षण अधिनियम, 1955 के बारे में वर्ष 1992 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल.टी. 7814/95)

(3) (एक) केन्द्रीय वक्फ परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय वक्फ परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय वक्फ परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7815/95)

दूर-संचार विभाग के वर्ष 1993-94 के लाभ हानि का खाता और तुलन पत्र (प्रोद्भवन आधार पर)

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : मैं दूर-संचार विभाग के वर्ष 1993-94 के लिए लाभ और हानि खाते तथा तुलन पत्र (प्रोद्भवन आधार पर) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल.टी. 7816/95)

पन्ना और मुक्ता तेल क्षेत्र के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के बारे में भारत सरकार तथा तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड तथा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एवं एनरोन ऑयल एण्ड गैस इंडिया लिमिटेड के बीच उत्पादन सहभागिता आदि।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : मैं कैप्टन सतीश कुमार शर्मा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) पन्ना और मुक्ता तेल क्षेत्र के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के बारें में भारत सरकार तथा तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड तथा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एवं एनरोन ऑयल एण्ड गैस इंडिया लिमिटेड के बीच उत्पादन सहभागिता संविदा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7817/95)

(2) ब्लाक सीवाई-ओएस-90/1 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के बारे में भारत सरकार तथा तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड तथा वाल्को एनर्जी इनकारपोरेटिड-हिन्दुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कम्पनी लिमिटेड-टाटा पेट्रोडाइन प्राइवेट लिमिटेड के बीच उत्पादन सहभागिता संविदा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 7818/95)

इलैक्ट्रोनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नालोजी डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : मैं श्री एडुआर्डो फेलेरो की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) इलैक्ट्रोनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलाजी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण

(दो) इलैक्ट्रोनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलाजी डेवलमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7819/95)

लोक सभा में विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : मैं श्री मुकुल वासनिक की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न आश्वासनों, वायदों, वचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

आठवीं लोक सभा

(1) विवरण संख्या 37 – तेहरवां सत्र, 1989
(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 20/95)

नौवीं लोक सभा

(2) विवरण संख्या 35 – दूसरा सत्र, 1990
(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7821/95)

(3) विवरण संख्या 31 – तीसरा सत्र, 1990
(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7822/95)

(4) विवरण संख्या 26 – सातवां सत्र, 1991
(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7823/95)

दसवीं लोक सभा

(5) विवरण संख्या 28 – पहला सत्र, 1991
(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7824/95)

(6) विवरण संख्या 24 – दूसरा सत्र, 1991
(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7825/95)

(7) विवरण संख्या 23 – तीसरा सत्र, 1992
(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7826/95)

(8) विवरण संख्या 21 – चौथा सत्र, 1992
(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7827/95)

(9) विवरण संख्या 18 – पांचवां सत्र, 1992
(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7828/95)

(10) विवरण संख्या 17 – छठा सत्र, 1993
(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7829/95)

(11) विवरण संख्या 13 – सातवां सत्र, 1993
(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7830/95)

(12) विवरण संख्या 12 – आठवां सत्र, 1993 दसवीं लोक सभा
(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7831/95)

(13) विवरण संख्या 10 – नौवां सत्र, 1994
(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7832/95)

(14) विवरण संख्या 7 – दसवां सत्र, 1994
(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7833/95)

(15) विवरण संख्या 5 – ग्यारहवां सत्र, 1994
(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7834/95)

(16) विवरण संख्या 4 – बारहवां सत्र, 1994
(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7835/95)

(17) विवरण संख्या 1 – तेरहवां सत्र, 1995
(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7836/95)

राष्ट्रीय महिला आयोग (वार्षिक लेखा विवरण तथा वार्षिक प्रतिवेदन) नियम, 1995

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवा राजेश्वरी) : मैं राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 17 की उपधारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग (वार्षिक लेखा विवरण तथा वार्षिक प्रतिवेदन) नियम, 1995, जो 10 जनवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 22(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा उसका एक शुद्धि पत्र जो 27 मई, 1995 की अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 452(अ) में प्रकाशित हुआ था की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

(ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 7837/95)

दि नेशनल इंस्टिट्यूट आफ इण्डस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुम्बई के वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा, तथा इसके कार्यकरण की पुनरीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब को दर्शाने वाला विवरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:–

(1) (एक) दि नेशनल इंस्टिट्यूट आफ इण्डस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुम्बई के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) दि नेशनल इंस्टिट्यूट आफ इण्डस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुम्बई के वर्ष 1993–94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) दि नेशनल इंस्टिट्यूट आफ इण्डस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुम्बई के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7838/95)

(3) (एक) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1992–93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1992–93 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1992–93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7839/95)

(5) (एक) खुदा बक्श ओरियण्टल पब्लिक लाईब्रेरी अधिनियम, 1969 की धारा 21 के अंतर्गत खुदा बक्श ओरियण्टल पब्लिक लाईब्रेरी, पटना के वर्ष 1992–93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) खुदा बक्श ओरियण्टल पब्लिक लाईब्रेरी, पटना के वर्ष 1992–93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7840/95)

(7) (एक) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने

में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7841/95)

(9) (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 18 के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7842/95)

(11) (एक) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, इटानगर के वर्ष 1983–84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षत लेखे।

(दो) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, इटानगर के वर्ष 1983–84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7843/95)

(13) (एक) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, इटानगर के वर्ष 1984–85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और प्राद्योगिकी संस्थान, इटानगर के वर्ष 1984–85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7844/95)

(15) (एक) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, इटानगर के वर्ष 1985–86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, इटानगर के वर्ष 1985–86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7845/95)

(17) (एक) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, इटानगर के वर्ष 1986–87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और प्राद्योगिकी संस्थान, इटानगर के वर्ष 1986–87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7846/95)

(19) (एक) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, इटानगर के वर्ष 1987–88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और प्राद्योगिकी संस्थान, इटानगर के वर्ष 1987–88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7847/95)

(21) (एक) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, इटानगर के वर्ष 1988–89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और प्राद्योगिकी संस्थान, इटानगर के वर्ष 1988–89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7848/95)

(23) (एक) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, इटानगर के वर्ष 1989–90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और प्राद्योगिकी संस्थान, इटानगर के वर्ष 1989–90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7849/95)

(25) (एक) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, इटानगर के वर्ष 1990–91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और प्राद्योगिकी संस्थान, इटानगर के वर्ष 1990–91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7850/95)

(27) (एक) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, इटानगर के वर्ष 1991–92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और प्राद्योगिकी संस्थान, इटानगर के वर्ष 1991–92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7851/95)

(29) (एक) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, सिल्चर के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, सिल्चर के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7852/95)

(31) (एक) डा. बी.आर. अम्बेडकर क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, जालंधर के वर्ष 1993–93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डा. बी.आर. अम्बेडकर क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, जालंधर के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7853/95)

(33) राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1992–93 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7854/95)

(35)(क) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7855/95)

(ख) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानुपर के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7856/95)

(36) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के वर्ष 1993–94 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7857/95)

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 1993–94 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(37) उपर्युक्त (35) तथा (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7858/95)

1.07 म.प.

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है:–

(i) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 29 मई, 1995 को हुई अपनी बैठक में पारित वक्फ विधेयक, 1995 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।

(ii) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 31 मई, 1995 को हुई अपनी बैठक में पारित कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, 1995, की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।

1.07½ म.प.

राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक

महासचिव : मैं राज्य सभा द्वारा क्रमशः 29 मई, 1995 और 31 मई, 1995 को यथापारित वक्फ विधेयक, 1995 तथा कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक सभा पटल पर रख रहा हूं।

1.08 म.प.

वित्त संबंधी स्थायी समिति सोलहवां, सत्रहवां और अठारहवां प्रतिवेदन

श्री पी.सी. चाको (त्रिचूर) : महोदय, मैं वित्त संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:–

(1) अनुसंधान और विकास उपकर (संशोधन) विधेयक, 1995 के संबंध में सोलहवां प्रतिवेदन

(2) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड विधेयक, 1995 के संबंध में सत्रहवां प्रतिवेदन।

(3) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का मामला) (संशोधन) विधेयक, 1995 के संबंध में अठाहरवां प्रतिवेदन।

1.09 म.प.

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर संशोधन विधेयक*

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : मैं प्रस्ताव करता हूं –

"कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री कमल नाथ : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।**(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप जानते हैं कि मैंने इसको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। सभा में बहुत शोर था इसलिए शायद सभी सदस्य सुन नहीं सके। नेताओं की बैठक में यह निर्णय हुआ है कि इसे 3 जून को लिया जाएगा। माननीय मंत्री मामले को लेने के लिए तैयार हैं। मुझे उम्मीद है कि सभा इस पर सहमत होगी।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब आपका नाम लिया गया था तब आप बोले नहीं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी आवाज सुनी नहीं जा सकी। अब कुछ नहीं हो सकता।

(व्यवधान)

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : यह सभा के विशेषाधिकार हनन का मामला है। प्रधान मंत्री को आज सभा में आना चाहिए और इस बारे में बताना चाहिए कि वह समान सिविल संहिता पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बारे में क्या करना चाहते हैं।

[हिन्दी]

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में प्रधान मंत्री जी ने बहुत खेदजनक टिप्पणी की है, जिसे मैं इस सदन की कन्टैम्प मानता हूं। ऐसे मामले को उठाने की भी आप इजाजत नहीं देते हैं तो हम इसे कहां उठायें।

[अनुवाद]

श्री दत्तात्रेय बंडारू (सिकन्दराबाद) : महोदय, आपने मुझे बुलाया है।

---

*दिनांक 1 जून, 1995 को भारत के असाधारण राजपत्र भाग–2, खण्ड–2 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरः स्थापित ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम अब अलग विषय पर आ गये हैं। अब नियम 377 के अधीन मामले लिए जाएंगे। जब आपको बुलाया था, तो आप बोले नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता।

(व्यवधान)

श्री दत्तात्रेय बंडारू : जब मेरा नाम लिया गया तब सभा में बहुत शोर था।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका स्थान कौन सा है। अपने स्थान पर जाइये। जब आपका नाम लिया गया था, तब आप खड़े नहीं हुए और न ही उत्तर दिया। हम कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए मुझे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। पीठासीन को इस के लिए कभी भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। सभा में शिष्टाचार बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : जब मेरा नाम लिया गया तब सभा में बहुत शोर था। मैंने बोलना शुरू कर दिया था... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने मित्रों से अनुरोध करें कि वे सभा में शिष्टाचार बनाये रखें।

(व्यवधान)

श्री दत्तात्रेय बंडारू : एक महत्वपूर्ण मामले पर बोलने के लिए आपने मेरा नाम लिया था। यदि आपने मुझे नहीं बुलाया होता तो मैं इस पर जोर नहीं देता।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे साथ तर्क से कोई फायदा नहीं।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : महोदय, आपको मुझे अवसर देना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको आज अवसर नहीं मिल सकता। यह असम्भव है। शून्यकाल समाप्त हो गया है। अनेक आवेदन हैं। अनेक व्यक्तियों ने नोटिस दिए हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं तर्क करना नहीं चाहता। अब हमने दूसरा विषय ले लिया है। आप अपनी सीमा जानते हैं। आप अपनी सीमा जाने बिना नहीं बोल सकते। मुझे खेद है।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने स्थान पर बैठें और सभा को कार्य करने दें। श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही नियम 377 के अधीन मामला उठायेंगे।

1.12 म.प.

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) तलचर में गुरु जल संयंत्र पुन : चलाये जाने की आवश्यकता

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : तलचर में इस समय गुरु जल संयंत्र के बन्द होने से कर्मचारियों की कठिनाइयों में वृद्धि हुई है। यह परियोजना पास ही स्थित उर्वरक संयंत्र पर निर्भर है। अधिकारियों ने उर्वरक संयंत्र को नया रूप देने का निर्णय लिया है और इसे चला रहे हैं। इसलिए अधिकारियों के लिए गुरु जल संयंत्र को अनिश्चित समय के लिए बन्द रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु जल रक्षा विभाग की आवश्यकता है। अतः इसे सुचारु रूप से चलाने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिएं।

(दो) देशी रेशम उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री के.एच. मुनियप्पा (कोलार) : भारत में रेशम उत्पादन में कर्नाटक का कुल योगदान 80 प्रतिशत है। कर्नाटक के रेशम उत्पादन में कोलार जिले का योगदान 30 प्रतिशत है। आजकल कर्नाटक के गैर–परम्परागत ज़िलों ने भी रेशम का उत्पादन शुरू कर दिया है।

परन्तु रेशम उत्पादकों का दुर्भाग्य है कि इसके मूल्यों में निरन्तर उतार चढ़ाव रहता है। इसका कर्नाटक राज्य के सभी किसानों पर प्रभाव पड़ा है।

चीन से रेशम के आयात के कारण भी उत्पादकों पर प्रभाव पड़ा है। भारत में चीन के रेशम को सस्ते मूल्यों अर्थात् 600 रुपये प्रति किलोग्राम बेचा जा रहा है जबकि देशी रेशम 1000 रुपये प्रति किलोग्राम पड़ता है। अतः देशी रेशम के लिए कोई बाजार नहीं है। चीन का रेशम घरेलू रेशम व्यापार को नष्ट कर रहा है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि कर्नाटक के रेशम उत्पादकों को तबाही से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएं:–

बिना विलम्ब के चीन से रेशम के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाए और सरकार रेशम काकून्स की दर निर्धारित करे और यह कम से कम 150 रुपये प्रति किलोग्राम होनी चाहिए।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस दिशा में सुधारात्मक कार्यवाही करे।

(तीन) गुजरात के छोटा उदयपुर क्षेत्र में भारी उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री एन. जे. राठवा (छोटा उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात का छोटा उदयपुर संसदीय क्षेत्र अत्यंत ही पिछड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में बेरोजगार नवयुवक हैं और इनकी जीविका का कोई साधन नहीं है। केन्द्र सरकार की नीति पिछड़े हुए क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर उद्योग स्थापित करने की रही है किन्तु छोटा उदयपुर क्षेत्र में अब तक किसी बड़े उद्योग की स्थापना सरकारी अथवा गैर सरकारी क्षेत्र में नहीं हो सकी है, जिस कारण यहां के लोगों में काफी रोष व्याप्त है। मैं समझता हूं कि यदि केन्द्र सरकार इस पिछड़े हुए इलाके में सरकारी अथवा गैर सरकारी क्षेत्र में कोई बड़ा उद्योग स्थापित कर देती है तो फिर इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को तो दूर किया ही जा सकेगा, साथ ही मेरे क्षेत्र के बेरोजगार नवयुवकों को भी रोजगार उपलब्ध हो सकेगा और वहां के लोगों में जो रोष व्याप्त है, वह भी दूर हो सकेगा।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि गुजरात के पिछड़े हुए क्षेत्र छोटा उदयपुर में सरकारी अथवा गैर सरकारी क्षेत्र में एक उद्योग की स्थापना करने पर शीघ्र विचार करके वहां पर अविलम्ब इसकी स्थापना की जाये। यह जनहित में आवश्यक है।

1.16 म.प.

जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाये जाने संबंधी संकल्प

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह आपके ध्यान में लाये जाने के लिए एक घोषणा है। माननीय मंत्री निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करना चाहते हैं :–

"कि यह सभा जम्मू–कश्मीर के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जारी की गई 18 जुलाई, 1990 की उद्घोषणा को 18 जुलाई, 1995 से और छह माह की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

यह माननीय मंत्री का अनुरोध है। यदि सभा सहमत हो तो जम्मू व कश्मीर में और छः महीने के लिए राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने संबंधी संकल्प पर चर्चा कर सकते हैं।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : नहीं महोदय, हम इससे सहमत नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, हमने पहले बताया था कि 3 जून को इस पर सारे दिन चर्चा होगी लेकिन इसे आज लंच के बाद लेने की बात कर रहे हैं, यह बिल्कुल उपयुक्त नहीं है।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : कार्यसूची में इसके बारे में कुछ भी नहीं है ... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे सुने। राजनैतिक नेताओं की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि इस संकल्प पर 3 जून को चर्चा हो सकती है – 1 जून अथवा 3 जून।

श्री राम नाईक : महोदय, हम इसे 3 जून को चर्चा कर सकते हैं परन्तु 1 जून को नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके ध्यान में यह बात लाई गई है।

(व्यवधान)

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : महोदय, इसे 3 जून को ही लेने की बात थी।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, इसे 3 जून को ही लिया जाएगा। इसे 3 जून की कार्यसूची में शामिल किया जाएगा।

प्रो. रासा सिंह रावत : जी हां, हम इसे 3 जून को ले सकते हैं परन्तु आज नहीं।

श्री राम नाईक : महोदय, कल भी कोई समस्या नहीं है। परन्तु आज दोपहर खाना खाने के बाद नहीं। बोलने वालों को भी चर्चा के लिए तैयार होना होता है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, बहुत अच्छा। अतः सभा के ध्यान में यह बात आई है।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : महोदय, जैसाकि हम सभी जानते हैं, कार्य मंत्रणा समिति में विरोधी पक्ष के सभी नेताओं ने इस बारे में निर्णय लिया था। अतः इसे 3 जून को लेने की कोई बात नहीं है। संकल्प को यथासंभव शीघ्र लिया जाना आवश्यक है। अगर आज नहीं तो कल अवश्य लिया जाना चाहिए।

श्री राम नाईक : महोदय, इसे कल लिए जाने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। यदि नेता सहमत हों, तो हमें कोई आपत्ति नहीं हैं। आप हमें बता रहे थे कि इसे लंच के तुरन्त बाद लिया जाएगा। यह कैसे संभव हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : तो क्या हम इस पर कल चर्चा करें।

श्री राम नाईक : यदि सभी सहमत हों तो इस पर कल चर्चा की जा सकती है।

परन्तु इसे सदा सभा में ही शुरू किया जाना चाहिए जब नेता उपस्थित हों। परन्तु कार्य मंत्रणा समिति में जो उपस्थित थे उनमें से कोई भी इस समय यहां उपस्थित नहीं है। यदि इस पर अचानक चर्चा शुरू कर दी जाती है तो बोलने वाले कैसे आयेंगे। इस अर्थपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए वे स्वयं को किस प्रकार तुरन्त तैयार करेंगे। इन सभी बातों पर विचार किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : नेताओं की बैठक में जो भी निर्णय लिया गया था वह विभिन्न दलों के सदस्यों को बता दिया गया है, ऐसा माना जाता है।

श्री राम नाईक : हम इस पर आज चर्चा करने के लिए सहमत नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, हम इसे कल ले लेंगे।

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, आप किसी भी चीज पर चर्चा कर सकते हैं। परन्तु यह कार्य मंत्रणा समिति में लिए गए निर्णय के अनुसार था। वहां पर सभी दलों के नेता थे। यह सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय था कि इस पर गुरुवार को ही चर्चा की जाए क्योंकि शुक्रवार को हमें गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर ध्यान तथा समय देना होता है। अतः कोई भी विधेयक विशेष तौर पर इतना महत्वपूर्ण विधेयक शुक्रवार को नहीं लिया जा सकता क्योंकि हमारे पास पर्याप्त समय नहीं होगा। इसे आज लिया जा सकता है अन्यथा फिर इसे शनिवार को ही लेना होगा ... **(व्यवधान)** मैं पीठासीन के निर्णय को चुनौती नहीं दे रहा हूं। मैं तो जो उचित है वही कह रहा हूं। कल बहुत ही महत्वपूर्ण मद अर्थात गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयक हैं। हमें उन्हें लेना होगा। यदि हम संकल्प को शुक्रवार को लेते हैं तो हम इसके साथ न्याय किस प्रकार कर सकते हैं।

श्री राम नाईक : आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। हम सरकार को गैर सरकारी सदस्यों के कार्य का समय लेने की अनुमति नहीं देंगे। *परन्तु साथ ही सभा की कार्यवाही चलाने का यह कोई तरीका नहीं है।* अचानक यह घोषणा करना उचित नहीं है कि हम लंच के बाद संकल्प पर चर्चा करेंगे। यह इसलिए भी उचित नहीं है क्योंकि इस संकल्प के लिए ही सत्र को एक दिन के लिए बढ़ाया गया है।

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, यदि सदस्य इस संकल्प पर लंच के तुरन्त बाद चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हैं तो हम इसे चार बजे ले सकते हैं ताकि हम इस पर आज दो घंटे चर्चा कर सकें और इसे कल पारित किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि 4 बजे चर्चा शुरू करना सभा के लिए उपयुक्त होगा क्योंकि उस समय विपक्ष के नेता भी सभा में उपस्थित होंगे।

श्री पी.सी. चाको (त्रिचूर) : महोदय, यह ठीक है। मैं महसूस करता हूं कि हमें इसे चार बजे ले लेना चाहिए। कल गैर–सरकारी सदस्यों का दिन है। शनिवार को चर्चा में भाग लेना अनेक सदस्यों के लिए असुविधाजनक होगा। केवल इस कारण कि कुछ सदस्य कार्य मंत्रणा समिति में लिए गए निर्णय से अवगत नहीं हैं, हमें इसे आज नहीं लेना चाहिए, ठीक नहीं है। जहां तक इस संकल्प के महत्व का प्रश्न है इस पर कोई मतभेद नहीं है। यदि इसे लंच के तुरन्त बाद लिया जाना संभव नहीं है तो हम 4 बजे ले सकते हैं। हम इसे जितनी जल्दी खत्म करें उतना ही अच्छा है। इसे कल लेना होगा परन्तु कल गैर–सरकारी सदस्यों का दिन है अतः मामला शनिवार तक जा सकता है जोकि अनेक सदस्यों के लिए सुविधाजनक नहीं है।

श्री राम नाईक : जम्मू व कश्मीर संबंधी संकल्प के लिए सत्र एक दिन के लिए बढ़ाया गया है। यदि माननीय सदस्य शनिवार तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते तो वे जा सकते हैं।

श्री ई. अहमद : यह उचित नहीं है। मैं भी कह सकता हूं कि इसे 4 बजे लिया जाए और जो सदस्य तब तक नहीं ठहर सकते वे चर्चा में भाग लिए बिना जा सकते हैं। (व्यवधान)

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : महोदय, मैं केवल आधा मिनट लूंगा। सभा में कोई चीज अचानक नहीं लाई जानी चाहिए। हम इस प्रभाव में थे कि जम्मू व कश्मीर संबंधी संकल्प को लेने के लिए ही सत्र एक दिन के लिए बढ़ाया गया है। हम उसके लिए तैयार हैं। अब जबकि पुनरीक्षित कार्यसूची हमारे पास है और हम उसके लिए तैयार होकर आए हैं तो लंच के तुरन्त बाद अथवा 4 बजे जम्मू व कश्मीर संबंधी संकल्प को लेने का कोई कारण नहीं है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि हम इस पर कल चर्चा शुरू करके शनिवार तक ले जा सकते हैं। इसे कल पहली मद के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है।

जल संसाधन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय, सभा में इसे अचानक नहीं लाया जा रहा है। नेताओं की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि 1 जून को किसी भी समय राष्ट्रपति के हस्ताक्षर प्राप्त होने के पश्चात सभा में इस पर चर्चा की जा सकती है। यदि हस्ताक्षर प्राप्त नहीं किए जा सके अथवा हस्ताक्षर समय पर प्राप्त नहीं हुए तो इसे 3 जून को लेने का निर्णय लिया गया था क्योंकि शुक्रवार गैर–सरकारी सदस्यों का *दिन है। बैठक में यह निर्णय लिया गया था और इस समयसूची पर* भा.ज.पा. सहित सभी नेता सहमत थे। अब राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो गई है। अतः हम नेताओं की सलाह पर तथा नेताओं की बैठक में हुई सहमति के अनुसार कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सभा अथवा विभिन्न दलों के नेता इस बात को नहीं जानते थे। हम सभी जानते हैं कि यह पहला महत्वपूर्ण कार्य है जिसे हमें निपटाना है। इसके बाद हम कार्यसूची की अनेक मदों को ले सकते हैं। क्योंकि यह पहला महत्वपूर्ण कार्य है जिसे दोनों सदनों को निपटाना है, हमें इसे शीघ्र लेना चाहिए। इस विषय पर हमने कश्मीर बजट पास करते समय, राष्ट्रपति शासन बढ़ाने पर चर्चा करते समय तथा चरारे–शरीफ पर चर्चा करते समय चर्चा की थी। यह चौथा अवसर होगा जब सभा इस पर अपने विचार व्यक्त करेगी। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि हम किसी को निश्चित रूप से नहीं ले रहे हैं और न ही किसी को आश्चर्यचकित कर रहे हैं। हम इसे प्राथमिकता देना चाहते हैं और इस महत्वपूर्ण कार्य को इस प्रकार सुविधाजनक बनाना चाहते हैं कि सभी को समय मिले। यह भी सत्य है कि 3 जून को अनेक सदस्य रुक न सकें और उन्हें जाना पड़ जाए ..... **(व्यवधान)** हमने इस विधेयक के लिए चार घण्टे का समय नियत किया है।

कल गैर–सरकारी सदस्यों का दिन है। कल हमारे पास चार घण्टे का समय नहीं है। यदि हम गैर–सरकारी सदस्यों का कार्य नहीं छोड़ते तो यह सम्भव नहीं है। यदि आप गैर–सरकारी सदस्यों का कार्य छोड़ने के लिए तैयार हैं तो हम इसे कल ले लेंगे। परन्तु कल दोनों अर्थात् गैर–सरकारी सदस्यों के कार्य तथा इस संकल्प को नहीं लिया जा सकता।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : परन्तु कल लंच के तुरन्त बाद आप इसे ले सकते हैं और फिर शनिवार तक बढ़ा सकते हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं नहीं समझता कि यह संभव है। पहले लिए गए निर्णय के अनुसार ...**(व्यवधान)**। ऐसा करना उचित नहीं है। इस सभा के सभी दलों के नेताओं द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाते हैं। मेरा निवेदन है कि निर्णय को बदला न जाए।

श्री राम नाईक : हम उस निर्णय से अवगत नहीं हैं। आप कह रहे थे कि क्या इस कार्य को अब लिया जा सकता है अथवा नहीं। हम कह रहे हैं कि इसे अब नहीं लिया जा सकता क्योंकि हमें उस निर्णय का पता नहीं है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : श्री नाईक जी, यदि आपको उस निर्णय का पता नहीं है तो आप अपने नेताओं से पूछें।

श्री राम नाईक : महोदय, मामलों पर इस सभा में चर्चा की जा रही है। सभा में हम जो चाहते हैं और जो महसूस करते हैं वह कहते हैं। जब नेता यहां है तो वे कहेंगे। परन्तु लंच के तुरन्त बाद हम कोई बोलने वाला नहीं ला सकते और न ही उसे जम्मू व कश्मीर जैसे महत्वपूर्ण बिषय पर जिसके लिए चार घंटे का समय रखा गया है बोलने के लिए कह सकते हैं। विपक्ष का एक जिम्मेदार दल होने के नाते हमें उस पर एक उचित वक्ता को आगे लाना होगा। हम इस प्रकार कार्य करने की अनुमति नहीं दे सकते।

श्री विद्याचरण शुक्ल : आपके पास तैयारशुदा भाषण तथा वक्ता हैं। **(व्यवधान)**

श्री राम नाईक : तब फिर आप 4 घण्टे का समय क्यों दे रहे हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : आपके पास बोलने वाले अनेक व्यक्ति हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपा करके आप इस पर राजनैतिक नेताओं के साथ चर्चा करें।

(व्यवधान)

श्री ई. अहमद : महोदय, यह एक ऐसा महत्वपूर्ण मामला है कि ...**(व्यवधान)**

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, हम इसे आज चार बजे ले सकते हैं।

प्रो. पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, इसे आज लिया जाना चाहिए। सभा की यह प्रथा रही है कि ऐसे महत्वपूर्ण कार्य को सत्र के अन्तिम दिन नहीं लिया जाता। सभा की प्रथा है। मुझे यह देखकर बहुत हैरानी हुई है कि ऐसे महत्वपूर्ण मामले ....**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : इस बारे में आप अपने नेताओं से बात करें।

श्री राम नाईक : महोदय, अभी हम 'नहीं' कह रहे हैं। हम अपने नेताओं से बात करेंगे। परन्तु अभी हम इससे सहमत नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामले लेंगे।

प्रो. रासा सिंह रावतः मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सभा में गणपूर्ति नहीं है। इसके बिना हम निर्णय कैसे ले सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : घंटी बजाई जा रही है।

अब सभा में गणपूर्ति है। अतः हम नियम 377 के अधीन मामलों को जारी रखेंगे, श्रीमती भावना चिखलिया।

नियम 377 के अधीन मामले - जारी

1.31 म.प.

(चार) गुजरात में कच्छ सीमा से आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती भावना चिखलिया (जूनागढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में मछुआरे के रूप में सीमा पार से घुसपैठ की घटनाएं बढ़ रही हैं। इस माह के पूर्वार्ध (15 दिन पहले) कच्छ के अखाद में पैट्रोलिंग करते वक्त BSF के वाटर विंग को दो पाकिस्तानी लावारिस नौकायें भारतीय सरहद में मिलीं। अब अगले चार मास बारिश के मौसम के कारण मच्छीमारी बन्द रहेगी। सारा दरियाई मैदान पाकिस्तान के लिए मुक्त रहेगा। पाकिस्तान मोरेन टाईम एजेंसी, पैट्रोलिंग के बहाने प्रशिक्षित आतंकवादियों को भारतीय सरहद में भेजने के प्रयास को नकारा नहीं जा सकता। मैं सरकार से मांग करती हूं कि पाकिस्तान के नापाक इरादे का पर्दाफाश करने के लिए उचित कदम, बिना विलम्ब उठाने का प्रावधान करें।

(पांच) उत्तर प्रदेश के बरेली में बेहतर दूरभाष सेवायें उपलब्ध किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, बरेली उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक महानगर है। इसकी उपयोगिता को देखते हुए केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत इसको सम्मिलित कर काउन्टर मैगनेट सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। बरेली के कई प्रमुख उद्योग जैसे इफ्को उर्वरक कारखाना, सिन्थेटिक कैमिकल्स, कैम्फर एलाइड प्रा., आई. टी.आर. आई.डब्ल्यू.पी. सहित पांच चीनी मिलें हैं तथा बरेली में जाट रेजीमेंट सेंटर एवं वायुसेना का आधुनिकतम हवाई अड्डा भी है, परन्तु इसके बाद भी बरेली की टेलीफोन व्यवस्था खराब है। इस कारण व्यापार एवं नागरिकों की कार्य क्षमता प्रभावित हो रही है। इस संबंध में पूर्व में कई बार मैंने उपयुक्त सुधार की मांग की है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि बरेली की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बरेली की संचार व्यवस्था में सुधार हेतु निम्न कदम उठाये जायें। वर्तमान स्ट्राउजर प्रणाली के एक्सचेंज को रद्द घोषित कर अतिरिक्त दस हजार लाइनों के इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज की घोषणा की जाए। जिला प्रबंधक दूर संचार की नियुक्ति की जाए एवं बरेली को देहरादून परिमंडल के स्थान पर लखनऊ परिमंडल से जोड़े जाने के निर्देश दिए जाएं, जो बरेली के लिए सुविधाजनक है।

(छह) उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में बेहतर रेल सुविधायें उपलब्ध किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राम पूजन पटेल (फूलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इलाहाबाद तथा वाराणसी और आस पास की आबादी बहुत ही सघन है। जहां के लाखों–लाखों लोग दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता में रहकर अपना कारोबार कर रहे हैं। परन्तु खेद है कि उन्हें यात्रा करने के लिए समुचित व्यवस्था न होने के कारण अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इलाहाबाद में आरक्षण कराना टेढ़ी खीर है।

अतः मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इलाहाबाद से बम्बई तथा कलकत्ता तक के लिए तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी शीघ्रातिशीघ्र चलायी जाए।

वाराणसी से इलाहाबाद होते हुए नई दिल्ली तक के लिए तेज रफ्तार की रेलगाड़ी चलायी जाए, क्योंकि अभी तक वाराणसी – नई दिल्ली चलने वाली गाड़ियां लखनऊ–मुरादाबाद होकर आती हैं, जिसमें भीड़ तो अधिक है ही, साथ–ही–साथ अधिक दूरी होने के कारण अधिक समय लगता है।

(सात) अन्तर्राष्ट्रीय सीमा में और उसके आसपास 10 किलोमीटर की पट्टी में आने वाले अधिसूचित वन ग्रामों को बोडोलैंड परिषद क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सत्येन्द्रनाथ ब्रह्म चौधरी (कोकराझार) : महोदय, मैं बोडो समझौते के उद्देश्यों को पूरा न किए जाने के गम्भीर प्रभावों की ओर केन्द्रीय सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

बोडो समझौते का उद्देश्य बोडो लोगों को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक प्रगति के लिए भारत के संविधान के

अंतर्गत अत्यधिक स्वायत्तता देना था। समझौते पर 20 फरवरी, 1993 को हस्ताक्षर हुए थे परन्तु वहां के लोगों को स्वायत्तता के लाभों से वंचित रखा जा रहा है क्योंकि चुनाव में स्वायत्तता की भावना निहित है। गत दो वर्षों से अन्तरिम परिषद वहां कार्य कर रही है। परिषद के चुनाव न कराने में मुख्य बाधा बोडोलैंड परिषद क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा तथा उसके आसपास की 10 किलोमीटर पट्टी में आने वाले अधिसूचित गांवों को शामिल न करना है, जिसके लिए पर्यावरण तथा वन मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय से मंजूरी आवश्यक है। इस क्षेत्र को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि इसमें रहने वाले 90 प्रतिशत लोग जनजातीय हैं। 13 जून, 1994 को आसाम सरकार के अनुरोध के बाद भी, जो सभी संबंधित पक्षों के बीच हुए सर्वसम्मत निर्णय के अनुसरण में किया गया था, आवश्यक मंजूरी देने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है जिससे उन लोगों को दी गई स्वायत्तता का महत्व ही समाप्त हो जाता है। अतः मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में तुरन्त ठोस कदम उठाए।

(आठ) ईराक-कुवैत युद्ध के कारण प्रभावित भारतीयों के दावों को शीघ्र निपटाए जाने की आवश्यकता

***श्री बी.एस. विजयराघवन** (पालघाट) : ईराक–कुवैत युद्ध में हजारों भारतीयों को भारी वित्तीय हानि उठानी पड़ी है। भारतीयों ने लगभग 1,46,000 दावे मुआवजे के लिए संयुक्त राष्ट्र में पेश किए हैं। उनमें से 31,000 दावे केरल के लोगों के हैं। परन्तु संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने अब तक केवल 19,000 दावों को ही स्वीकार किया है। प्रेस में छपी खबरों से पता चलता है कि प्रत्येक को पहली किस्त के रूप में 75,000 रुपये दिए जाएंगे। परन्तु यह निश्चित नहीं है कि यह रुपया कब दिया जाएगा।

अतः मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले को उचित अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाए ताकि सभी लम्बित दावों को शीघ्र निपटाया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.40 म.प. तक के लिए स्थगित की जाती है।

1.36 म.प.

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.40 म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

2.49 म.प.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.49 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : महोदय, जम्मू व कश्मीर संबंधी बात को स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले को हम 4 बजे के आसपास लेंगे।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : नहीं महोदय, हम इससे सहमत नहीं हो सकते। जम्मू व कश्मीर संबंधी संकल्प को 4 बजे नहीं लिया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले को 4 बजे लिया जाएगा। आप सहमत हैं अथवा नहीं इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : नहीं महोदय, हमें अब तक जो कुछ बताया गया है वह यह है कि इस मामले को 4 बजे लिया जाएगा। हम इस प्रकार इसे शुरू नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदयः मेरा कहना यह है कि इस मामले को आपके समक्ष रखा जाएगा कि इसे 4 बजे लिया जाए अथवा कल।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : नहीं महोदय, मेरा कहना यह है कि क्या 4 बजे यह निर्णय लिया जाएगा कि क्या इसे शुरू करें? तब क्या आप इसे शुरू करने जा रहे हैं? हमें अब निर्णय ले लेना चाहिए। हम नहीं कह सकते कि पांच मिनट बाद हम जम्मू व कश्मीर संकल्प पर चर्चा शुरू कर देंगे। हमारे पास कोई संकल्प ही नहीं है। क्या सरकार इस बात से सहमत है? सत्र को शनिवार तक बढ़ा दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मेजर जनरल खण्डूरी, इस विषय को आज 4 बजे लिया जाएगा। पीठासीन अधिकारी यह जानने को उत्सुक हैं कि इस विषय को आज लिया जाए अथवा कल।

(व्यवधान)

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : महोदय, मैं आपके समक्ष अपनी समस्या रखना चाहता हूं। मेरी समस्या यह है कि हमें उन माननीय सदस्यों को तैयार करना है जो इस विषय पर बोलेंगे। हमें यह देखना है कि क्या बोलना है। हम एकदम खड़े होकर इस विषय पर नहीं बोल सकते। हमें इसके लिए कुछ समय चाहिए। **(व्यवधान)**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने विस्तार से बता दिया है कि माननीय अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई नेताओं की बैठक में क्या चर्चा हुई थी। यह स्पष्ट सहमति थी कि राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त होने के बाद हम आज ही संकल्प पर चर्चा करेंगे। यह सभी राजनैतिक दलों के नेताओं में आम सहमति थी जिन्होंने इस बैठक में भाग लिया था। इस निर्णय के आधार पर ही, क्योंकि अन्य सभी औपचारिकताओं को पूरा किया जाना है, यह प्रस्ताव किया गया है कि हम आज ही इस पर चर्चा शुरू करेंगे। यह सझाव दिया गया था कि हम आज 4 बजे चर्चा शुरू करके आज ही इस विषय को समाप्त कर सकते हैं ...**(व्यवधान)**

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे किसी नेता के साथ परामर्श नहीं किया गया है। हमारे दल के लोग इस पर सहमत नहीं हैं और मैं नहीं जानता कि संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने यह वक्तव्य कैसे दिया है । हम इस पर सहमत नहीं हैं। इस मामले पर हमसे चर्चा नहीं की गई है। अतः हमें यह न बताइए कि इस चीज को चर्चा के लिए शामिल किया गया है। आपने किस नेता के साथ इस पर चर्चा की है? कृपया उस नेता का नाम बताएं **(व्यवधान)**

श्री मुकुल वासनिक : माननीय अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई नेताओं की बैठक में इस पर चर्चा की गई थी और मेरे विचार में विस्तार में जाना उचित नहीं होगा कि बैठक में क्या चर्चा हुई थी। अतः मैं एक बात करता हूं। हम इस मामले पर अलग से चर्चा कर सकते हैं और फिर मैं बताऊंगा ... **(व्यवधान)**

---

*मूलतः मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द खण्डूरी : महोदय मैंने अपने नेता से पता किया है। वह इस बात से अवगत नहीं हैं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अब हमें सभा का नियमित कार्य लेना चाहिए।

2.52 म.प.

असम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक

(राज्य सभा द्वारा यथापारित)

उपाध्यक्ष महोदय : विचार तथा पास करने हेतु विधेयक। कुमारी शैलजा असम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत करेंगी।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं –

"कि असम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1989, में संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया विधेयक की कुछ मुख्य–मुख्य बातें बताएं।

कुमारी शैलजा : उपाध्यक्ष महोदय, असम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक असम विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार को निम्नलिखित पांच जिलों तक सीमित करने हेतु है। कछार, हेलामंडी, कर्बी अंगलोंग, करीमगंज और नार्थ कछार हिल्स।

असम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि असम विश्वविद्यालय की स्थापना से पूर्व राज्य सरकार द्वारा स्थापित अन्य विश्वविद्यालयों को किसी प्रकार कोई हानि न हो। राज्य सरकार तथा बैठक में असम के सभी दलों के संसद सदस्यों ने इसका समर्थन किया है जोकि मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा बुलाई गई थी। अतः मैं यह संशोधन विधेयक लाई हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि असम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1989 में संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

इस विधेयक के लिए एक घंटे का समय नियत किया गया है। प्रत्येक राजनैतिक दल के लिए समय आबंटित किया गया है। राजनैतिक दलों के सचेतक पर्चियां भेजें। स्वतंत्र रूप से पर्ची भेजने से पीठासीन अधिकारी के लिए कठिनाई उत्पन्न होगी। समय–सीमा महत्वपूर्ण है।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : सचेतकों को छोड़कर सदस्य सीधे आपके पास आ रहे हैं क्योंकि वे सचेतकों से मुक्त होना चाहते हैं ... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री पुरकायस्थ बोलेंगे।

श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ (सिल्चर) : महोदय, असम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1989 के संशोधन को यहां विधेयक के रूप में लाया गया है। मैं इस विधेयक के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

1989 में असम विश्वविद्यालय अधिनियम के अधिनियमन के बाद विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के बारे में कुछ विवाद उत्पन्न हो गया था। तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री ने असम सरकार तथा असम राज्य के संसद सदस्यों की एक बैठक बुलाई थी। हम सबने चर्चा में भाग लिया था और अन्ततः इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि इस परिवर्तन को स्वीकार कर लिया जाए। अतः यह विधेयक लाया गया है और इसलिए इसका विरोध करने का कोई प्रश्न नहीं है। इस विधेयक को असम सरकार तथा असम से संसद सदस्यों की सहमति से लाया गया है।

परन्तु इस संबंध में कुछ और बातें मैं कहना चाहता हूं विशेषकर असम विश्वविद्यालय के बारे में। भाग्यवश असम विश्वविद्यालय मेरे चुनाव क्षेत्र में है। पिछले वर्ष जनवरी में विश्वविद्यालय ने कुछ कक्षाएं शुरू की थीं। इस बीच एक वर्ष का समय गुजर गया है। इन कक्षाओं को क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज की इमारत में शुरू किया गया था न कि विश्वविद्यालय के भवन में। अतः आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी संस्थान को, बिना अपने भवन के, अपनी गतिविधियों को जारी रखने में कितनी कठिनाई होती होगी। कुछ समय पूर्व सभा में इस विषय पर चर्चा करते समय मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उप मंत्री ने यह घोषणा की थी कि असम विश्वविद्यालय के लिए 70 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इस समय मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि इस प्रयोजनार्थ अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है और विश्वविद्यालय के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है।

मेरी जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय भवन के निर्माण के संबंध में अब तक कुछ नहीं किया गया है। यह बहुत आवश्यक है कि विश्वविद्यालय भवन के निर्माण हेतु केन्द्र सरकार सभी आवश्यक कदम शीघ्र उठाये। जब तक ऐसा नहीं किया जाता यह निश्चित है कि विश्वविद्यालय की गतिविधियों को शुरू नहीं किया जा सकता अथवा उन्हें उचित ढंग से जारी नहीं रखा जा सकता।

मेरी जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय में अब तक केवल छः विषयों को ही शुरू किया गया है और सुना है कि कुछ अन्य विषयों को शीघ्र शुरू किया जाएगा। परन्तु आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय में अनेक विषय होते हैं और सभी विषयों को शुरू करना वांछनीय है और विश्वविद्यालय में इनको पढ़ाया जाना भी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार को पता है कि विश्वविद्यालय में कितने विषय शुरू किए जा रहे हैं और कितने विषयों के लिए सरकार ने पहले ही मंजूरी दे दी है?

जहां तक विश्वविद्यालय के अध्यापक वर्ग का संबंध है मेरी जानकारी के अनुसार वहां कुछ ही अध्यापक हैं। वहां पर अध्यापकों की कमी है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या कदम उठाए गए हैं जिससे कि आवश्यकतानुसार अध्यापक नियुक्त किए जा सकें और विश्वविद्यालय अपेक्षित विषय शुरू कर सके।

3.00 म.प.

जहां तक मैं जानता हूं कि विश्वविद्यालय के लिए कोई निगरानी

प्रणाली नहीं है। यदि विश्वविद्यालय की गतिविधियों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा उचित निगरानी नहीं रखी जाती तो विश्वविद्यालय का उचित विकास नहीं होगा। अतः मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस विश्वविद्यालय के लिए किस प्रकार की निगरानी प्रणाली अपनाई है।

मुझे पता लगा है कि नियुक्तियों के मामले में भी कुछ कमियां हैं।.कुछ महत्वपूर्ण पदों को, जिन्हें पहले भरा जाना चाहिए था, जैसे कि वित्त अधिकारी, परियोजना इंजीनियर, कालेज की विकास परिषद के निदेशक और परीक्षा नियंत्रक, अभी तक नहीं भरा गया है। इस विश्वविद्यालय ने कार्य करना शुरू कर दिया है और इसने परीक्षाएं लेने का प्रबंध भी किया है। परन्तु विश्वविद्यालय में कोई परीक्षा नियंत्रक नहीं है। बिना परीक्षा नियंत्रक के विश्वविद्यालय परीक्षा कैसे लेगा। यह बड़े आश्चर्य की बात है।

शुरू से ही इस विश्वविद्यालय में कुछ कमियां रही हैं। कुछ प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करने और प्रश्न बनाने की पद्धति दोषपूर्ण है। सरकार ने इस बारे में क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं और क्या सरकार जानती है कि अभिभावकों तथा विद्यार्थियों में तैयार किए गए पाठ्क्रम और पिछली परीक्षा में किए गए प्रश्नों को लेकर असंतोष है।

अध्यापकों की नियुक्ति के बारे में सरकार को नियम निर्धारित करने चाहिए। जब केन्द्रीय सरकार ने विश्वविद्यालय स्थापित किया है तो उसे भी यह देखना चाहिए कि वहां पर ख्यातिप्राप्त अध्यापक नियुक्त किए जाएं। यदि प्रथम अवस्था पर ही प्रसिद्ध अध्यापक नियुक्त नहीं किए जाते तो विश्वविद्यालय का स्तर निश्चित रूप से ही कमजोर रहेगा। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस पर विचार करें।

अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति में भी न्याय किया जाना चाहिए। उपयुक्त व्यक्ति नियुक्त किए जाने चाहिएं। नियुक्तियों के मामले में विशेष रूप से शैक्षिक संस्थानों में, पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाया जाना चाहिए। इस पर भी विचार किया जाना चाहिए।

मुझे इस बारे में और कुछ नहीं कहना है। मुझे आशा है कि अपने उत्तर के दौरान माननीय उप मंत्री इन सभी मुद्दों पर प्रकाश डालेंगी।

3.04 म.प.

(श्री तारासिंह पीठासीन हुए)

श्री विजय कृष्ण हान्डिक (जोरहाट) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह विधेयक केवल एक औपचारिकता है। यह विधेयक केन्द्रीय विश्वविद्यालय अर्थात असम विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार को पुनः पारिभाषित करने के लिए लाया गया है। अब इसका क्षेत्राधिकार संक्षिप्त कर दिया गया है। इस क्षेत्र की संचार कठिनाइयों के कारण ऐसा किया गया है। इससे इसका प्रशासन बेहतर तथा बेहतर ढंग से नियोजित हो सकेगा। तथ्य यह है कि इस विश्वविद्यालय में बहुत सम्भावनाएं तथा क्षमताएं हैं।

यह विश्वविद्यालय पिछड़े क्षेत्र विशेषकर नार्थ कछार तथा कर्बी अंगलोंग के पर्वतीय जिलों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। अतः शैक्षिक जरूरतों को इन दो जिलों की आवश्यकताओं के अनुसार ही बनाया जाता है। यदि हम यह नहीं चाहते कि यह विश्वविद्यालय भी अन्य विश्वविद्यालयों की तरह ही हो तो यह अनिवार्य है कि इस पहाड़ी क्षेत्र के राष्ट्रीय संसाधनों के विकास के लिए एक उपयुक्त नीति बनानी होगी।

वहां पर सीमेंट, रबड़ और खाद्य परिष्करण विशेषकर फलों के परिष्करण संबंधी पाठ्यक्रमों की आवश्यकता है। अभी कुछ वर्ष पहले तक असम सरकार का एक निगम जोकि नार्थ कछार हिल्स में किसी स्थान पर था, तत्कालीन सोवियत संघ को परिरक्षित अनन्नास का निर्यात करता था। अतः इस विश्वविद्यालय को अनुसंधान और विकास की ओर ध्यान देना चाहिए जहां कि प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं। पढ़ाई के साथ साथ हाथ से चलाने वाली मशीनों पर भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि लोगों को अनुभव प्राप्त हो। यह सब कार्यक्रम का भाग होना चाहिए। तकनीकी विशेषता के साथ विपणन, निर्यात आदि वाणिज्यिक पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसे विषय चाहे वे डिग्री पाठ्यक्रम में हों अथवा डिप्लोमा पाठ्यक्रम में, स्थानीय युवाओं को आकर्षित करेंगे क्योंकि ये पाठ्यक्रम आय पैदा करने वाले कार्यक्रम हैं विशेषकर सीमेंट और रबड़ प्रौद्योगिकी। ये इस विश्वविद्यालय के विशेष विषय होने चाहिएं।

जब तक यह विश्वविद्यालय पुरानी घिसी पिटी लाइनों को नहीं छोड़ता और स्थानीय संसाधनों के विकास तथा स्थानीय योग्यता का पता लगाने के कार्यक्रम नहीं बनाता तब तक मुझे डर है कि यह मूल वास्तविकताओं से स्वयं को दूर कर लेगा। स्थानीय युवाओं की क्षमताओं और योग्यता को उद्देश्य तथा दिशा देने का यह एक निश्चित रास्ता है ताकि वे इस धरती पर आश्वस्त स्थान बना सकें।

इस समय लोगों में निराशा व्याप्त है और यह निराशा उन्हें दूर ले जाती है और संघर्ष को जन्म देती है। इस विश्वविद्यालय के समक्ष यह एक चुनौती है और मुझे आशा है कि वह इस चुनौती को पूरा करेगा और ऐसी स्थिति में एक नई दिशा देगा।

इन टिप्पणियों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। मेरे मित्र पुरकायस्थ जी ने अनेक कठिनाइयों का उल्लेख किया है। परन्तु ये कठिनाइयां महत्वपूर्ण नहीं हैं। विश्वविद्यालय अभी शुरू हुआ है। जैसे ही यह अपना कार्य शुरू करेगा सभी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। मैंने अभी कहा कि यदि हम यह नहीं चाहते कि यह विश्वविद्यालय भी अन्य विश्वविद्यालयों की भांति हो तो हमारा ध्यान अन्य पहलुओं पर होना चाहिए। इसमें नए विषय पढ़ाए जाने चाहिएं न कि अन्य विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले विषय। इसमें कुछ विशेष विषय पढ़ाने चाहिए जोकि आवश्यकता पर आधारित हों और विशेषकर विश्वविद्यालय के पिछड़े क्षेत्र को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

मैं एक बार फिर इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि यह विश्वविद्यालय मौके पर खरा उतरेगा और चुनौती को स्वीकार करेगा।

श्री उद्धव बर्मन (बारपेटा) : सभापति महोदय, मैं असम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह

पहले ही बताया जा चुका है कि यह विधेयक एक औपचारिकता है क्योंकि विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार संबंधी राज्य के लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि, असम राज्य सरकार और असम के संसद सदस्य तथा कुछ शिक्षा शास्त्री पहले ही मिल चुके हैं।

सिल्चर स्थित असम विश्वविद्यालय जोकि एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है, के क्षेत्राधिकार के बारे में गुवाहाटी विश्वविद्यालय तथा विधान सभा में बहुत असंतोष है। इस बात पर सभी सहमत थे कि इस विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र को कुछ क्षेत्रों तक सीमित किया जाए और पूरा असम राज्य इस अधिकारक्षेत्र में नहीं होना चाहिए। क्योंकि असम में डिबरूगढ़ और गुवाहाटी विश्वविद्यालय जैसे अनेक विश्वविद्यालय हैं। तेजपुर में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के बारे में सभी संबंधित लोगों की दिल्ली में एक बैठक हुई थी और सभी इस बात पर सहमत थे कि इस विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार को कछार, करीमगंज, हेलामंडी, नार्थ कछार हिल्स तथा अंगलोंग जिलों तक सीमित किया जाए। अतः हम इस संशोधन विधेयक का समर्थन करते हैं।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय की योजना असम में उस समय विद्यमान परिस्थितियां को देखकर बनाई गई थी क्योंकि उस समय असम में एक बड़ा आन्दोलन चल रहा था और अल्पसंख्यक छात्रों को परेशान किया जा रहा था। अतः छात्रों के हितों की रक्षा तथा उन्हें उच्च शिक्षा देने के लिए यह विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि उस पिछड़े क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि यह एक आदर्श विश्विद्यालय हो जोकि न केवल वर्तमान बल्कि भावी आवश्यकताओं को भी पूरा करे।

महोदय, केन्द्रीय सरकार को उस क्षेत्र के लोगों तथा युवा पीढ़ी की भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए। इसे एक आदर्श विश्वविद्यालय बनाने हेतु प्रारम्भिक अवस्था से ही केन्द्र सरकार को इसकी उचित आयोजना पर ध्यान देना चाहिए। मुझे आशा है कि केन्द्रीय सरकार इन सभी पहलुओं पर ध्यान देगी और उचित ढंग से विश्वविद्यालय के निर्माण में सहायता देगी। जैसाकि सभा में पहले बताया जा चुका है वहां पर कोई भवन नहीं है और तकनीकी तौर पर आज भी कोई कैम्पस नहीं है। पाठ्यक्रम तथा नियुक्तियां के बारे में भ्रम है। इन सभी चीजों को उचित ढंग से तय किया जाना चाहिए।

इस क्षेत्र में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं को भी इस विश्वविद्यालय में स्थान दिया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि केन्द्रीय सरकार इस पर ध्यान देगी। केन्द्रीय सरकार को न केवल इस विश्वविद्यालय के सुधार पर ध्यान देना चाहिए बल्कि तेजपुर में स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि उसका भी समान रूप से विकास हो सके। सरकार को उस विश्वविद्यालय में अध्यापन तथा अन्य सभी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। केन्द्र ने धन आबंटित किया है परन्तु वह विश्वविद्यालय के विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। असम राज्य में विश्वविद्यालय वित्तीय संकट में हैं। वहां तेजपुर में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है, गुवाहाटी विश्वविद्यालय है तथा डिबरूगढ़ विश्वविद्यालय है। ये विश्वविद्यालय उस क्षेत्र की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। डिबरूगढ़ तथा गुवाहाटी विश्वविद्यालयों को भारी वित्तीय संकट से ग्रस्त हैं और वे लेक्चरारों के वेतन का नियमित भुगतान करने की स्थिति में नहीं हैं।.उनकी वित्तीय स्थिति बहुत खराब है। न केवल केन्द्रीय विश्वविद्यालय को वित्तीय स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए बल्कि सरकार को गुवाहाटी और डिबरूगढ़ विश्वविद्यालयों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। गुवाहाटी विश्वविद्यालय असम राज्य का एक प्रमुख विश्वविद्यालय है।

इसके अलावा विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में विभिन्न विषय शामिल किए जाने चाहिए ताकि उस क्षेत्र की युवा पीढ़ी को अनुसंधान तथा अन्य विषयों में भी व्यापक अवसर मिल सके। उस क्षेत्र के लोग अभी यह महसूस करते हैं कि अनेक मामलों में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप लोगों में निराशा फैल रही है। इस निराशा से वहां विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गई है। केन्द्रीय सरकार को इस समस्या को हल करने के लिए उचित उपाय करने चाहिए। मैं इस सभा तथा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इस क्षेत्र के सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक विकास पर उचित ध्यान दें।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती गिरिजा देवी (महाराजगंज) : सभापति महोदय, आसाम लम्बे समय से सामाजिक, भाषागत एवं आर्थिक कारणों से ज्वालामुखी पर बैठा हुआ है और इन सारे समयों में केन्द्र सरकार से दंडात्मक कार्रवाइयां तो हुई हैं, लेकिन वहां शांति व्यवस्था कायम करने के लिए वहां के लोगों को विश्वास में लेने के लिए या वहां के नवयुवकों के भविष्य के बारे में कोई ठोस कदम उठाने के लिए कोई एकमात्र अगर काम हुआ है, तो वह सिलचर में असम विश्वविद्यालय की स्थापना कर के हुआ है। यह विश्वविद्यालय राज्यस्तरीय विश्वविद्यालय नहीं बना है बल्कि केन्द्रीय स्तर का विश्वविद्यालय बना है। यह बड़ी ही खुशी की बात है और इसी कारण इस बिल में जो फेरबदल किया गया है, वह विश्वविद्यालय के दायरे का जो परिसीमन किया गया है, मैं उसका तहेदिल से समर्थन करती हूं।

सभापति महोदय, इस विश्वविद्यालय की स्थापना के पहले असम की जो स्थिति थी, वहां पर भाषागत लड़ाइयां थीं और संस्कृति में बहुत से विभेद होने के कारण वहां रोज–ब–रोज गृह–युद्ध की स्थिति हो गई थी। इस असम विश्वविद्यालय की स्थापना कर के इस दिशा में एक ठोस कदम उठाया गया है, लेकिन हम अन्य केन्द्रीय विद्यालयों की ओर देखें, तो दिल्ली के अंदर तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं और उन पर जो खर्च हो रहा है, उनमें पढ़ने वालों की संख्या, उनकी सीमा का परिसीमन करें और असम के इस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आने वाले विद्यार्थियों की संख्या, वहां पढ़ने के इच्छुक लोगों की संख्या और उसकी सीमा का परिसीमन करें, तो जो कुछ दिया गया है, वह बहुत कम है।

बहुत टोले मुहल्ले में कालेज खोलने की आज आम बात है। उसी तरह से हमने केन्द्रीय विद्यालय खोल दिया, लेकिन आज तक उसके भवन का निर्माण नहीं किया है। केन्द्रीय विद्यालय का मतलब

यह होता है कि वह देश के पैमाने पर, अपने यहां विद्यार्थियों को ले आएगा, लेकिन यह देश के पैमाने पर कैसे लाएगा, असम में जितनी विधाओं की पढ़ाई होनी चाहिए उनमें से केवल छः विषयों की पढ़ाई की व्यवस्था विश्वविद्यालय में है, यह अत्यन्त ही हास्यस्पद है। मुझे लगता है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय में सबसे अच्छी स्थिति उन विश्वविद्यालयों की है, जो केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं हैं लेकिन असम विश्वविद्यालय में ऐसा सुनने में आता है कि वहां केवल 6 ही विषय हैं। इन विषयों में भी शिक्षकों की जितनी नियुक्ति है, वह टीचर और स्टूडैंट के रेशो के हिसाब से नहीं की गयी है, यह अत्यंत ही हास्यस्पद बात है तथा उस क्षेत्र के लागों के साथ क्रूर मजाक है।

महोदय, मैं धन्यवाद करती हूं कि आज मंत्री के रूप में श्री अर्जुन सिंह जी यहां नहीं बैठे हैं। उनसे मैंने कई बार कहा है कि शिक्षा में गिरावट यदि विस्फोटक स्थिति पर जायेगी तभी क्या आप केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलेंगे, जैसा कि असम में हो गया है। इस हेतु मैंने बार–बार मांग ही है कि हिन्दुस्तान में जितने भी पुराने विश्वविद्यालय हैं, उन सबको केन्द्रीय विश्वविद्यालय बना दिया जाये। आपके कहने के अनुसार यदि स्टेट वाले नहीं संभाल सकते तो उसकी बागडोर, शिक्षा की बागडोर आप अपने हाथों में ले लीजिये और जितने भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं, उनके स्लेबस यदि इस दिल्ली में बैठकर तैयार न हो तो आप चार जोन, पांच जोन या छः जोन में पूरे देश को बांटे दीजिये। केन्द्रीय विश्वविद्यालय में जो भी स्लेबस बनाया जाये, उस पर हमारी बागडोर हो, जो पैसा देते हों, उसकी बागडोर हो। इससे हमारे यहां नेशनल इंटीग्रेटी में भी कसाव आयेगा लेकिन इस सारी बातों को विश्वास में नहीं लिया गया और बहुत ही जल्द–बाजी में यह विश्वविद्यालय खोला गया। 1971 से हमारे सामने यह आ रहा था कि यहां पर एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय होना चाहिए लेकिन उसकी ओर धयान नहीं दिया गया। उस पर ध्यान तब दिया गया जब वहां की स्थिति बिल्कुल विस्फोटक हो गयी, तो बहुत जल्द–बाजी में एक किराये के मकान में केन्द्रीय विश्वविद्यालय का खोला जाना अपने आप में एक हास्यास्पद बात है।

मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहती हूं कि इस केन्द्रीय विश्वविद्यालय को जल्दी से जल्दी भवन मुहैया कराया जाये और एक बार केन्द्रीय विश्वविद्यालय की मुतल्लिक बैठक बुलाकर वहां कितने विषय की पढ़ाई होनी चाहिए, कैसे स्लेबस बनने चाहिए, टीचर की एपाइंटमेंट के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए आदि पर विचार होना चाहिए जिससे जातिवाद, क्षेत्रवाद का बोलबाला इस असम विश्वविद्यालय पर भी न हो जाये, इससे बचाना है। केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद जो असम आज विखंडन के कगार पर है, वहां असंतोष है, इसको समाप्त करने का एक ही तरीका हो सकता है कि असम की जो अपनी संस्कृति है, वहां के जो रस्मो–रिवाज हैं, उनका संरक्षण करते हुए हम वहां पर सुधार लावें।

एक दुखद बात यह है कि भारत के किसी भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय का माध्यम केवल अंग्रेजी कभी नहीं होना चाहिए। आप चाहे त्रिभाषीय फार्मूला अपनायें लेकिन कम से कम दो भाषा, हिन्दी के साथ–साथ अंग्रेजी को जरूर जोड़ा जाना चाहिए, ऐसी मेरी गुजारिश है। अंत में मैं आपको धन्यवाद अर्पित करते हुए पुनः इस बिल का अनुमोदन करती हूं।

[अनुवाद]

श्री किरिप चलिहा (गुवाहाटी) : सभापति महोदय, मैं असम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1994 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

इस बारे में कुछ विशेष कहने को नहीं है क्योंकि इस विधेयक का उद्देश्य विश्वविद्यालय के विशिष्ट क्षेत्राधिकार को चिन्हित करने का है जिसके अंतर्गत इस केन्द्रीय विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेज कार्य करेंगे।

यह विधेयक इसलिए लाया गया है क्योंकि छात्रों तथा वहां के लोगों के मन मे यह शंका थी कि बराख घाटी में सिल्चर में स्थित यह केन्द्रीय विश्वविद्यालय ब्रह्मपुत्र घाटी के गुवाहाटी तथा डिबरूगढ़ विश्वविद्यालयों के कालेजों में अतिक्रमण न करें क्योंकि बराख घाटी और ब्रह्मपुत्र घाटी की भाषाओं में कुछ अन्तर है। इस संशोधन द्वारा इस शंका को दूर कर दिया गया है। जैसाकि माननीय मंत्री ने ठीक ही कहा है कि मुख्य मंत्री के साथ इस बारे में कई बार चर्चा हुई है और सभी राजनैतिक दलों और संसद सदस्यों और मंत्रियों के बीच व्यापक बातचीत हुई है जिसके फलस्वरूप सर्वसम्मति हुई और यह विधेयक यहां लाया गया। मैं इस शंका को दूर करने के लिए अपने युवा मंत्री को धन्यवाद दे रहा हूं। देखने में यह संशोधन बहुत छोटा और महत्वहीन लगता है परन्तु एक समय इससे अनेक राजनैतिक मतभेद उत्पन्न हो गए थे जिन्होंने भाषाई और जातिवादी रूप धारण कर लिया था। वहां पर पढ़ाई के माध्यम का प्रश्न उत्पन्न हो गया था। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में मतभेद उत्पन्न हो गए थे। इन सभी मतभेदों को हल किया जा सका है। यह बड़े ही संतोष की बात है कि हमारे माननीय मंत्री युवा हैं पृष्ठभूमि पर बोलते हुए अनेक वक्ताओं ने सिल्चर में असम विश्वविद्यालय की स्थापना की पृष्ठभूमि पर बोलते हुए तेजपुर केन्द्रीय विश्वविद्यालय का भी उल्लेख किया है। यह सच है कि असम में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना मुख्य रूप से हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की सद्भावना के कारण हुई है जिन्होंने क्षेत्र के पिछड़ेपन के बारे में आन्दोलन कर रहे छात्र नेताओं की मांगों को स्वीकार किया था। वास्तव में हमारे प्रधान मंत्री तब मानव संसाधन विकास मंत्री भी थे और चूंकि बराख घाटी में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित हो चुका था, एक नया विवाद शुरू हो गया और जैसाकि प्रधान मंत्री ने ठीक ही कहा है असम के लोगों को एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के स्थान पर दो केन्द्रीय विश्वविद्यालय मिल गए। यद्यपि श्रीमती गिरिजा देवी ने इसका कोई उल्लेख नहीं किया है यह सच है कि असम को राज्य में दो केन्द्रीय विश्वविद्यालय रखने का अनूठा स्थान प्राप्त है। एक विश्वविद्यालय सिल्चर में है और दूसरा तेजपुर में है। मैं नहीं समझता कि अनेक राज्यों को यह गौरव प्राप्त है। असम के लोगों के लिए जो कुछ किया गया है उसके लिए मैं केन्द्रीय सरकार को धन्यवाद देता हूं।

युवा पीढ़ी को शिक्षा देने के लिए विश्वविद्यालय सर्वोच्च स्थान है। आजकल मंत्रालय को मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहा जाता है न कि शिक्षा मंत्रालय। यह मानव संसाधन विकास का प्रश्न

है और विश्वविद्यालयों को जनशक्ति आयोजन में बहुत ही निर्णायक माडल बनना है।

इस बात पर मैं अपने साथियों श्री विजय कृष्ण हान्डिक, श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ, श्री उद्धव बर्मन से सहमत हूं और मैं इस विश्वविद्यालय के जनशक्ति आयोजन के पहलू पर जोर देना चाहूंगा। विषयों के बारे में कहा गया है। यदि विषयों का सावधानीपूर्वक चयन किया जाता है तो मैं बुरा नहीं मानता। मैं इसका भी बुरा नहीं मानता यदि चयन प्रक्रिया थोड़ी धीमी ही क्यों न हो। परन्तु विषय ऐसे होने चाहिएं जिनसे उस क्षेत्र के लोगों को लाभ हो। कालेजों और विश्वविद्यालयों की अन्धाधुन्ध वृद्धि, जोकि आज आम बात है, से हमारी शिक्षा पद्धति को कोई बढ़ावा नहीं मिलता। मैने एक युवा अध्यापक के रूप में कालेज में अनेक वर्षों तक कार्य किया और फिर निराश होकर प्रोफेसर की नौकरी से त्याग पत्र दे दिया क्योंकि मैंने इसे बोर करने वाला कार्य पाया। मैं समझता हूं कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय, विशेष रूप से इस क्षेत्र में, लोगों को शिक्षा देने की नयी दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि जैसाकि मेरे एक साथी द्वारा बताया गया है, उनके जिले में जनजाति के छात्र बड़ी संख्या में हैं। कछार में बंगाली बोलने वाले और जनजाति के बहुत से छात्र हैं और चूंकि इन विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय सरकार का विशेष समर्थन प्राप्त है यह वांछनीय है कि चुने गए विषय लोगों की जरूरतों को पूरा करें और भविष्य में रोजगार अवसरों के लिए भावी क्षमता के सृजन के लिए प्रशिक्षण स्थल के रूप में कार्य करें।

मेरे एक साथी ने सीमेंट यूनिटों और रबड़ बागान के विकास का उल्लेख किया है, मैं भी यह कहना चाहता हूं कि विभिन्न जड़ी बूटियों, बागानों और उस क्षेत्र के दुलर्भ पौधों और विभिन्न अज्ञात खनन सामग्रियों के विकास के लिए शोध केन्द्र स्थापित किया जाए। वहां ये सभी क्षमताएं हैं। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इन क्षमताओं का दोहन करें। वास्तव में ऐसा करने के लिए हम सरकार से अनुरोध करते रहे हैं। मुझे याद है स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने हमें बताया था कि असम में इन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का एक विशिष्ट स्वरूप होगा। हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री जो उस समय मानव संसाधन विकास मंत्री थे इस बारे में बहुत विशिष्ट थे। उन्होंने कहा था कि इन दो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का एक अलग रूप होगा और वे इन अर्थो में सामान्य विश्वविद्यालयों की तरह नहीं होंगे कि कुछ कालेज उनसे सम्बद्ध हैं, कुछ डिग्रियों दे रहे हैं और न ही वे बेरोजगार युवा पैदा करने वाले होंगे बल्कि उनका एक अलग रूप होगा और वे मेरे क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे।

यहां पर जो समस्याएं बताई गई हैं वे अध्यापकों के चयन की कसौटी के बारे में है। मुझे पूरा विश्वास है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय केन्द्रीय सिद्धान्तों का अनुसरण करेगा और मैं इसमें सन्देह का कोई कारण नहीं देखता।

[हिन्दी]

ऐसा नहीं होता है, मैं नहीं मानता हूं कि जाब सिलैक्शन वगैरह में कोई डिस्क्रीमिनेशन हो, नार्म्स को फोलो किया जा रहा है। लेकिन हां, मैं सहमत हूं और मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे जैसे बैकवर्ड रीजन में भारत के नामी अध्यापक, शिक्षाविद् खुद जाएं और युनिवर्सिटी में अगर उन लोगों को एब्जोर्ब किया जाए तो उनके लिए भी यह मार्गदर्शक होगा। हमारे लोगों के लिए यह उत्साहजनक स्थिति होगी।

[अनुवाद]

अभी तक विश्वविद्यालय की गतिविधियों को अस्थायी तौर पर चलाया जा रहा है। अनेक वर्षों तक कार्य करने के बाद भी यह पूर्णरूपेण विश्वविद्यालय नहीं बना है, विश्वविद्यालय को अभी बहुत आगे जाना है। हम विश्वविद्यालयों की सफलता की कामना करते हैं। हम आशा करते हैं कि हमारे युवा मंत्री के अधीन और सभी के सहयोग से यह विश्वविद्यालय अपना मार्ग बनाएगा और मेरे क्षेत्र के युवाओं को ठीक प्रकार की शिक्षा प्रदान करेगा।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर सभाप्रतिजी, मैं असम विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 1995 का हार्दिक स्वागत करता हूं।

जैसा इस विश्वविद्यालय के नामकरण से विदित होता है, यह असम के उस भाग में जिन 5–6 जिलों का प्रतिनिधित्व करता है, कछार, करीमगंज, उत्तरी कछार, पर्वतीय क्षेत्र, करबी आंगलांग और हेलाकण्डी, वहां इसके ज्यूरिस्डिक्शन का, अधिकारिता का संस्कृति को राष्ट्रीयता के परिप्रेक्ष्य में प्रतिबिम्बित करने के लिए और वहां के युवकों को राष्ट्रीय मूल धारा में जाने के लिए ही केन्द्रीय सरकार ने वहां पर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि जिन उद्देश्यों को लेकर इस केन्द्रीय विश्वविद्यालय में विषम भौगोलिक परिस्थिति वाले सात बहनों के बीच में जो स्थान है और जो देश की राजधानी से काफी दूर पड़ता है, देश के एक कोने में म्यांमार की सीमा के ऊपर और जहां पर बंगलादेश से भी लोग घुस आए हैं, जहां पर बंगलाभाषी लोग भी बहुत संख्या में रहते हैं, असमी लोग भी रहते हैं, माइनोरिटीज और मेजोरिटीज के बीच भी कभी–कभी तनाव पैदा हो जाता है। जहां पहाड़ियों के अन्दर, जंगलों के अन्दर आदिवासी नस्ल के लोग रहते हैं, तो ऐसी विषम सामाजिक परिस्थितियों के परिवेश में और विभिन्न भाषाभाषियों के बीच में उन लोगों को, वहां के नौजवानों को देश की मुख्य धारा में आने के लिए और सुशिक्षित बनाने के लिए, उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने के लिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है।

मैं समझता हूं, जैसे शिक्षा की जो परिभाषा भी है कि :

[अनुवाद]

शिक्षा बच्चे के व्यक्तित्व का सम्पूर्ण, सन्तुलित और समेकित विकास है।

[हिन्दी]

तो ऐसे नौजवानों का भी सर्वांगीण और सर्वतोप्रकारेण वहां पर विकास हो, इस बात की व्यवस्था विश्वविद्यालय में होनी चाहिए।

मैं एक बात यह कहना चाहूंगा कि सरकार की लापरवाही इसमें झलक रही है। संसद के द्वारा अधिनियम 1989 के अन्दर पास हुआ,विश्वविद्यालय की स्थापना क्रियान्वित होते–होते 1994 में हुई और उसके बाद 1995 में यह संशोधन लाया जा रहा है। पांच वर्ष क्या इस विश्वविद्यालय की कार्य योजना बनाने के अन्दर लग गए अथवा स्थान उपलब्ध नहीं हुआ अथवा पैसा उपलब्ध नहीं हुआ? क्या बाधा आ गई, किस कारण से विश्वविद्यालय इतनी देर बाद स्थापित हुआ?

1994 में स्थापित हुई और जैसा हमारे मित्र ने कहा, उसके लिए 70 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान रखा गया है। जब इतना प्रावधान रखा गया है, तो भवन क्यों नहीं बन पाया। मैं जानना चाहूंगा, इस केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए भवन निर्माण करने हेतु क्या भूमि का चयन कर लिया गया है, भूमि की पहचान कर ली गई है और अगर कर ली गई है, तो क्या निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है? एक विश्वविद्यालय जो स्वयं भी पढ़ाई का वातावरण उपलब्ध कराए और साथ में एफिलिएटेड कालेजेज इन पांच–छः जिलों के उन स्थानों के जो संबंधित महाविद्यालय होंगे, उन महाविश्वविद्यालयों को शैक्षणिक दृष्टि से उनका नियंत्रण, उनका निरीक्षण, उनका परीक्षण, उनकी परीक्षा वगैरह का काम भी यह विश्वविद्यालय करेगा। इसके साथ अधीनस्थ महाविद्यालय के ऊपर भी नियंत्रण रखेगा, तो वहां रजिस्ट्रार के लिए, चांसलर के लिए, वाइसचांसलर के लिए, प्रोक्टर के लिए, रीडर के लिए, हैड–ऑफ–दि–डिपार्टमेंट के लिए, विभिन्न कमेटियों के लिए, विभिन्न सब्जैक्ट निर्धारण करने वाली बैठकों के लिए या पुनश्चर्या कार्यक्रम के लिए या विश्वविद्यालयों के छात्रों के सम्मेलन आदि के लिए, अगर वहां ओडिटोरियम, अगर वहां खेलने के मैदान, अगर वहां पढ़ने के कमरे, अगर समृद्ध पुस्तकालय यानि रिच–लायब्रेरी, क्योंकि विश्वविद्यालय, केन्द्रीय विश्वविद्यालय और वहां के विभिन्न कालेजों में पढ़ने वाले छात्र पीएचडी, एमफिल तक की परीक्षाएं, विश्वविद्यालय है तो विश्वविद्यालय लेगा ही। इसके अलावा ग्रेजुएशन, पोस्टग्रेजुएशन और अभी जिन विषयों को प्रारम्भ किया गया है और अन्यान्य विषय या वहां की विशेष परिस्थितियों के संदर्भ में या वहीं की जो असमी और बंगला भाषाएं हैं, उनके अन्दर भी रिसर्च करने के लिए या वहां की संस्कृति और इतिहास के बारे में राष्ट्र को जानकारी प्रदान करने के लिए, वहां पर अनुसंधान केन्द्र और समृद्ध पुस्तकालय भी उस विश्वविद्यालय में होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि वे जब उत्तर दें, तो मेरे इन प्रश्नों के बारे में जानकारी देने का कष्ट करें। इसके साथ ही वहां पर कितने कालेज हैं? वहां पर परीक्षाओं का स्तर बना हुआ है या नहीं और पेपर आउट तो नहीं होते हैं। देश में कई विश्वविद्यालय और भी हैं, जैसे राजधानी के अन्दर दिल्ली विश्वविद्यालय है, जे.एन.यू. है, जामिया–मिलिया है और एक और केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। अन्य स्थानों पर भी विश्वविद्यालय हैं, ए.एम.यू., बी. एच.यू. और एक तेजपुर में है या लखनऊ के अन्दर है और राज्यों के अन्दर जो और विश्वविद्यालय हैं, वहां की स्थिति भी ऐसी है। वहां पर आए दिन हड़ताल होती है और आए दिन युवाओं में असंतोष पैदा होता है। कारण यह है कि वहां पर पढ़ाई का वातावरण ठीक नहीं है। योग्य प्राध्यापकों की नियुक्ति नहीं होती है या वहां भाई–भतीजावाद चलता हो, तो ये चीजें विद्यार्थियों में असंतोष को जन्म देंगी। मैं चूंकि शिक्षा विभाग से संबंधित रहा हूं इसलिए मैं कह सकता हूं जब तक फिजिकल, एकेडमिक और कोकैरिकुलर एक्टिविटीज, इन तीनों चीजों के लिए उचित वातारण नहीं होगा, तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों में असंतोष पैदा होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार को इस तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके साथ ही अभी जैसा कहा गया है कि बहुत से स्थान रिक्त पड़े हैं, तो उन स्थानों को भी शीघ्र भरने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए।

मैं एक प्रार्थना और करना चाहूंगा। केन्द्रीय विश्वविद्यालय है, तो केन्द्र सरकार की राजभाषा नीति के अनुरूप अंग्रेजी के साथ–साथ हिन्दी का भी उपयोग हो, चाहे वह आवेदन पत्रों में हो और चाहे प्रवेश पत्रों में हो या दूसरे प्रकार की जितनी भी स्टेशनरी काम में आती है, इन सब जगहों पर होना चाहिए। इसके साथ–साथ वहां की भाषाओं का भी समुचित सम्मान हो। उनकी भाषायों के अन्दर भी कई पहाड़ी भाषाएं हैं, जिनकी अपनी कोई लिपि नहीं है, तो उन लिपियों को वहां के पुरातत्व की सामग्री संजोने की बात या वहां की विशिष्टताओं को पहचानने की बात हो, यह भी इस विश्वविद्यालय के माध्यम से हो, तो बहुत अच्छा रहेगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं, लेकिन जैसा मैंने कहा केन्द्रीय विश्वविद्यालय है, तो राष्ट्रीय परिवेश में और राष्ट्रीयता की मुख्य धारा में वहां के लोगों को लाने के लिए और असम में उल्फा आदि के कारण युवाओं में जो असंतोष व्याप्त हो रहा है, पृथकतावादी प्रवृत्तियां पनप रही हैं, इनको दूर करने के लिए सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए। हालांकि उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप असम के टुकड़े–टुकड़े करके अलग–अलग राज्य बनाकर, जैसे मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम आदि बनाकर उनकी राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास किया है।

यह जो असम का इलाका है, जिसके एक तरफ मिजोरम है, एक तरफ मणिपुर और त्रिपुरा आदि हैं, बीच में सिल्चर का इलाका है। इस सिल्चर के इलाके में यह विश्वविद्यालय शिक्षा का महत्वपूर्ण केन्द्र बने, यहां के विद्यार्थी पढ़–लिखकर राष्ट्र के उपयोगी नागरिक बने, राष्ट्र की सेवा करें। जनजातीय क्षेत्र के इस विश्वविद्यालय राष्ट्रीयता और देश की अस्मिता को बढ़ाने का काम हो। इस विश्वविद्यालय में जाब ओरिएंटेड कोर्सेस की स्थापना की जाए, ताकि युवकों में जो बेरोजगारी बढ़ रही है, वह दूर हो सके। यहां पर जंगल की अधिकता है, जहां पर बांस आदि उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। इन चीजों से संबंधित जाब ओरिएंटेड कोर्सेस चलाए जाएं।

इन शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदय, असम विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 1995 का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं। इसका जो कार्यक्षेत्र निर्धारित किया गया है, वह पहाड़ी क्षेत्र है, जिसमें 6 जिले हैं। इस विश्वविद्यालय के माध्यम से इन जिलों का विकास किया जा सकेगा और यहां पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों

का उपयोग किया जा सकेगा। इस विश्वविद्यालय को अपने पैरों पर खड़ा करने का प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि युवा वर्ग में आए असंतोष को समाप्त किया जा सके और इनको राष्ट्र की मुख्य धारा में लाया जा सके। इसके अंदर रोजगारोन्मुखी शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि लोगों को काम मिल सके और बेरोजगारी दूर हो सके। तभी इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सकता है। आज हम देखते हैं कि देश के कई क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर के में गिरावट आई है, जिसके बहुत दुष्परिणाम हो रहे हैं, इस बारे में भी यहां पर सावधान रहने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, शिक्षा देश के लिए सर्वोपरि चीज है और बहुत से देश सर्वाधिक राशि शिक्षा पर खर्च करते हैं। हमारे देश में भी शिक्षा पर अधिक खर्च करने की आवश्यकता है। शिक्षा के माध्यम से ही लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा में रखा जा सकता है, अपनी संस्कृति की रक्षा की जा सकती है, देश के स्ट्रक्चर को ठीक रखा जा सकता है। इसलिए शिक्षा का बहुत महत्व है।

सभापति महोदय, यह विश्वविद्यालय पहाड़ी इलाके में बनाया जा रहा है, इस बात को ध्यान में रखकर सारे कार्य करने की आवश्यकता है। वैसे तो कांग्रेस सरकार ने इस तरह के पर्याप्त कार्य वहां पर किए हैं, जिससे वहां पर जन–असंतोष उत्पन्न हुआ है और लोग राष्ट्रीय धारा से अलग–थलग होते जा रहे हैं। आज मणिपुर, असम तथा पूर्वांचल के अन्य राज्यों में इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है, जिसका नतीजा स्वयं सरकार को भोगना पड़ रहा है।

3.44 म.प.

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

इस असंतोष का मुख्य कारण पहाड़ी, जनजातीय और दलित लोगों की उपेक्षा करना है। अपनी कुर्सी को बचाने के चक्कर में इन वर्गों की सरकार ने उपेक्षा की है, जिसके परिणामस्वरूप यह स्थिति उत्पन्न हुई है। आप वहां पर इस विश्वविद्यालय की स्थापना करने जा रहे हैं, यह महत्वपूर्ण बात है और इसके माध्यम से वहां के लोगों का और युवा वर्ग का असंतोष दूर किया जा सकता है। इसका प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि राष्ट्रीय एकता कायम रह सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : असम विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक–1994 का मैं अपने दल की ओर से समर्थन करता हूं। इसमें कोई नयी बात कहने के लिए नहीं है। असम विश्वविद्यालय अधिनियम–1989 में एक संशोधन आपने प्रस्तुत किया है जिसमें इस विश्वविद्यालय की अधिकारिता का विस्तार किया गया है। यह वहां के लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया गया है। इसलिए इसके ऊपर टिप्पणी करने का समय नहीं है। हमारे देश की मजबूरी यह रही है कि विश्वविद्यालय–दर–विश्वविद्यालय इस देश में बनते जा रहे हैं। जहां पर राज्य सरकार नहीं खोल सकती है वहां पर केन्द्र सरकार खोल रही है पिछले साल हम लोगों ने यह विधेयक पास किया कि नार्थ–ईस्ट में कृषि विश्वविद्यालय खोलना होगा। डा. भीमराव अम्बेडकर के नाम पर केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलना होगा। हम एक के बाद एक विश्वविद्यालय खोलते जाएं लेकिन उनकी गुणवत्ता की ओर हमारा ध्यान न हो तो जो हमारा मकसद है वह पूरा नहीं होगा। मुझे इस बात की खुशी है कि विश्वविद्यालय के आगे नाम रखने की परम्परा आपने शुरू की है। पहले काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जगह के नाम पर थे। लेकिन पहली बार व्यक्ति के नाम से जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय खोला गया। उसके बाद रीवा में अवधेश नरायण सिंह विश्वविद्यालय खोला गया। मैं समझता हूं कि उसकी जो भावना है उसको हम सीमित करने का काम करने लगते हैं। इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन इसके साथ–साथ जिन विश्वविद्यालयों को आप खोल रहे हैं उनकी गुणवत्ता बढ़े और उनमे नए शोध की धारा पैदा हो, इसके लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है? वहां का वातावरण पढ़ने और पढ़ाने का बने, इसके ऊपर एक गंभीर विचार की आवश्यकता है। आज विश्वविद्यालयों में एक मांग निरन्तर बढ़ रही है कि स्थानीय विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय की मान्यता दे दी जाए।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय 110 वर्ष पुराना है तथा दो प्रधान मंत्री भी इस विश्वविद्यालय से निकले। इसकी भी यह मांग है कि इसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए या केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मान लिया जाए। मैं इस मांग का समर्थक हूं। सरोज दूबे जी ने एक विधेयक सदन के सामने पेश किया। मैं इस बात का आग्रह करना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय खोलने के साथ–साथ विश्वविद्यालय में पठन–पाठन का अधिक से अधिक वातावरण किस प्रकार बनाया जाए सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करे। तभी मैं समझता हूं कि इस तरह के विश्वविद्यालयों की सार्थकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

कुमारी शैलजा : सर्वप्रथम इस संशोधन विधेयक का समर्थन करने वाले सभी सदस्यों का मैं धन्यवाद करती हूं। श्री पुरकायस्थ, श्री हान्डिक, श्री बर्मन, श्रीमती गिरिजा देवी, श्री किरिप चलिहा, प्रो. रावत और श्री मोहन सिंह सभी ने इस विधेयक का समर्थन किया है।

जैसा मैंने शुरू में कहा था यह मूल असम विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करने वाला छोटा सा विधेयक है अर्थात् यह विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार को पांच जिलों तक सीमित करने के लिए है। जब राज्य सरकार और असम राज्य के सभी दलों के संसद सदस्यों द्वारा दलगत नीति से परे हटकर केन्द्रीय सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई तो लोगों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक लाया गया है।

यहां चर्चा के दौरान कुछ मुद्दे सामने आए हैं। जहां तक मैं समझ सकी हूं सदस्यों की मुख्य चिन्ता भवन तथा पाठ्यक्रमों के बारे में है। यह सच है कि हम अब तक भवन का निर्माण नहीं कर पाए हैं। उचित स्थान अथवा भूमि का टुकड़ा चुनने में विलम्ब हुआ है। अब असम राज्य सरकार द्वारा स्थल का चयन कर लिया गया है और लगभग 600 एकड़ भूमि इस विश्वविद्यालय को दे दी गई है। दो सदस्यों अर्थात श्री पुरकायस्थ और प्रो. रावत ने 70 करोड़ रुपये का उल्लेख किया है। यह परियोजना की अनुमानित लागत थी जो अधिकारियों द्वारा उस समय आंकी गई थी। उस समय से अब बहुत

रिवर्तन हो गए हैं और बहुत समय भी गुजर गया है। मुझे विश्वास इसमें वृद्धि करनी होगी। विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान ायोग को एक प्रस्ताव भेजा है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सकी जांच कर रहा है। मुझे आशा है कि अगले वर्ष तक इसका हिसाब किताब बना लिया जाएगा और भवन निर्माण का कार्य शुरू ो जाएगा।

यह सच है कि कुछ पाठ्यक्रम अलग से चलाए जा रहे हैं। वे सिल्चर स्थित क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज में चलाए जा रहे हैं और श्वविद्यालय में अंग्रेजी, बंगाली, इतिहास, अर्थशास्त्र, वाणिज्य और णित के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं और आगामी ैक्षिक वर्ष में 'स्कूल आफ हुमैनिटीज' स्थापित करने का प्रस्ताव ।

अन्य पाठ्यक्रमों के बारे में सभी सदस्यों ने कहा है कि ये ाठ्यक्रम स्थानीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप होने ाहिएं और जनशक्ति को तैयार करने वाले होने चाहिएं। इस संबंध में मैं विधेयक के उद्देश्यों से उद्धृत करना चाहती हूं। धारा 4 कहा गया है:

"विश्वविद्यालय के उद्देश्य विधा की ऐसी शाखाओं में, जिन्हें यह ुचित समझे, अनुदेशात्मक तथा शोध सुविधाओं द्वारा ज्ञान का सार करना तथा उसको बढ़ावा देना है और मानवता, प्रकृति ौतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, और शैक्षिक कार्यक्रमों के समेकित ाठ्यक्रमों के प्रावधान द्वारा अपने कैम्पस जीवन को एक उदाहरण नाये, विश्वविद्यालय में अन्तर–विषयक अध्ययन और शोध को ढ़ावा देने हेतु उचित उपाय करना, असम राज्य के विकास के लिए ानशक्ति को शिक्षित एवं प्रशिक्षित करना, उस राज्य के लोगों की ामाजिक, आर्थिक स्थिति तथा कल्याण की ओर विशेष ध्यान देना था बौद्धिक, शैक्षणिक और संस्कृति का विकास करना है।

.53 म.प.

(श्री तारा सिंह पीठासीन हुए)

विश्वविद्यालय के ये उद्देश्य हैं और शैक्षणिक परिषद, आयोजना र्ड, जो विश्वविद्यालय के लिए पाठ्यक्रम बनायेगा, इस पर उचित ध्यान देंगे।

सम्बद्ध किए गए कालेजों के बारे में भी मुद्दा उठाया गया था। स विश्वविद्यालय से लगभग 20 कालेज सम्बद्ध किए गए हैं। जहां क कुछ पदों का संबंध है, उप– कुलपति, रजिस्ट्रार, वित्त धिकारी के पद भर लिए गए हैं और शेष फैकलटी का ध्यान स्वयं श्वविद्यालय रखेगा। वे इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के बारे में कुछ सामान्य बातें प्रकाश में ाई हैं। श्री मोहन सिंह और श्रीमती गिरिजादेवी ने इसके बारे में हा है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के बारे में हम उनसे सहमत है।

अब नीति यह है कि हमें केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का विस्तार हीं करना चाहिए बल्कि विद्यमान विश्वविद्यालयों पर ध्यान देना ाहिए। हमें विद्यमान विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता पर ध्यान देना ाहिए। इसका हम प्रयास कर रहे हैं। मैं श्री मोहन सिंह जी से हमत हूं कि हमें इस पर ध्यान देना चाहिए और हम इसका प्रयास कर रहे हैं। इन विश्वविद्यालयों की स्थापना असम के लोगों की आकांक्षाओं को देखते हुए की गई थी और यह असम समझौते का भाग थी और उस समय छात्र नेताओं के साथ हुई बातचीत का भी यह भाग थी। इस प्रकार ये विश्वविद्यालय स्थापित हुए।

हम अन्य विद्यमान विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं।

महोदय, मैं समझती हूं कि मैंने माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है और इस चर्चा में अपना योगदान देने वाले सभी सदस्यों का मैं एक बार पुनः धन्यवाद करती हूं।

मुझे आशा है कि यह विश्वविद्यालय शीघ्र ही स्थापित हो जाएगा और यह अपना कार्य शुरू कर देगा।

डा. असीम बाला (नव द्वीप) : महोदय, मैं एक बात कहना चाहती हूं। आजकल विश्वविद्यालयों जैसी अधिकांश शैक्षिक संस्थाओं को धन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा राज्य विश्वविद्यालयों को धन दिया जा रहा है। बिना धन के कोई भी विश्वविद्यालय उचित ढंग से चल नहीं सकता। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि उचित शिक्षा पाने के लिए कितनी अनुदान सहायता की राशि मिली है।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री इस बारे में पहले बता चुकी हैं।

डा. असीम बाला : नहीं, महोदय, उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया है।

कुमारी शैलजा : मैं इस विश्वविद्यालय के बारे में बताऊंगी। गत वर्ष हमने 2.3 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में दिए थे और इस वर्ष 1995–96 में हमने इस विश्वविद्यालय को 5 करोड़ रुपये देने का अनुमान है।

डा. असीम बाला : यह ठीक है। परन्तु यह राशि पर्याप्त नहीं है। उन्हें केन्द्र से और धन दिए जाने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि असम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1989, में संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्ड–वार विचार करेगी। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड–1, अधिनियमन मूल विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

कुमारी शैलजा : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं

"कि विधेयक पारित किया जाये"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.59 म.प.

दिल्ली किराया विधेयक

- राज्य सभा द्वारा यथापारित

सभापति महोदय : अब हम कार्यसूची की मद संख्या 14 पर विचार करेंगे।

मैं श्रीमती शीला कौल से अनुरोध करूंगा कि वह विधेयक प्रस्तुत करें।

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : मैं प्रस्ताव *करती हूं :

"कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में परिसरों से संबंधित किराये, मरम्मत और अनुरक्षण तथा बेदखली और होटलों तथा वास–गृहों की दरों के विनियमन का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय तथा प्रतिष्ठित सदस्यो, दिल्ली किराया विधेयक को राज्य सभा ने 29.5.95 को अपनी स्वीकृति दे दी थी। उस सदन में 26.8.94 को यह विधेयक पुरःस्थापित किया गया था। शहरी तथा ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति ने, जिसे यह विधेयक सौंपा गया था, 15 मार्च, 1995 को संसद को अपना प्रतिवेदन दे दिया था। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्यों ने प्रतिवेदन को देख लिया होगा।

दिल्ली किराया अधिनियम, 1958 में, जिसमें 1988 में व्यापक परिवर्तन किए गए थे, और संशोधन करने हेतु मालिकों, किरायेदारों के अनेक ग्रुपों तथा अन्य लोगों से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

4.00 म.प.

इस मांग ने जुलाई, 1992 में संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रीय आवास नीति सभा पटल पर रखे जाने से और जोर पकड़ा। संसद ने इस बीच इस नीति को स्वीकार कर लिया है। इसका एक मुख्य उद्देश्य सामान्य रूप से आवासों के विकास तथा विशेष रूप से किराये के आवासों की वृद्धि में आने वाली अड़चनों को दूर करना है।

सर्वोच्च न्यायालय ने भी किराया नियंत्रण कानूनों में परिवर्तन का सुझाव दिया है ताकि इन्हें युक्तियुक्त, मानवीय, निश्चित तथा तुरन्त क्रियान्वित करने योग्य बनाया जा सके। इस संदर्भ में केन्द्रीय सरकार ने एक आदेश किराया नियंत्रण विधान बनाया था और इसे राज्यों को भेजा था जिससे कि वे प्रचलित किराया कानूनों में आवश्यक संशोधन कर सकें। आदर्श किराया नियंत्रण विधान में आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग और शहरीकरण संबंधी राष्ट्रीय आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को भी शामिल किया गया है।

- वर्तमान विधेयक में निम्नलिखित प्रावधान करने का विचार है :
- परिसरों और किरायेदारो के कतिपय वर्गो को प्रस्तावित विधान के क्षेत्राधिकार से छूट
- करार द्वारा किरायेदार रखना तथा उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करना
- किरायेदार की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों द्वारा प्राप्त रिहायशी किरायेदारी को सीमित करना।
- निर्दिष्ट ढंग से किराये में वृद्धि करना।
- जिन मामलों में किराये पर सहमति नहीं है उनमें निर्माण लागत तथा भूमि के बाजार भाव पर आधारित मानक किराया नियत करना।
- किरायेदार द्वारा स्टेण्डर्ड किराये के अतिरिक्त रखरखाव शुल्क अथवा सम्पत्ति कर के रूप में आनुपातिक राशि का भुगतान किया जाना।
- परिसरों में किए गए सुधारों के लिए स्टैण्डर्ड किराये का पुनरीक्षण किया जाना।
- भू–स्वामी को किराया बढ़ाने के लिए नोटिस देना होगा।
- किराया प्राधिकरण स्टेण्डर्ड किराया नियत करेगा।
- भू–स्वामी तथा किरायेदार परिसरों को अच्छी रहने योग्य स्थिति में रखेंगे।
- भू–स्वामी तथा किरायेदार आवश्यक सप्लाई अथवा सेवाओं की बिना उचित और पर्याप्त कारणों के न तो काटेंगे और न ही रोकेंगे।
- किराया प्राधिकरण किराये की बकाया राशि का भुगतान न करने, किराये पर ली गई सम्पत्ति के भाग/सम्पूर्ण को आगे किराये पर देने के आधार परिसर के कब्जे को वापस लेने के आदेश भू–स्वामी की सलाह के बिना दे सकता है।
- यदि भू–स्वामी उन शर्तों को पूरा नहीं करता जिनके अंतर्गत उसे कब्जा वापस लेने की अनुमति दी गई थी तो किरायेदार वापस आ सकता है और मुआवजा मांग सकता है।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

- मरम्मत और/अथवा पुनःनिर्माण हेतु कब्जा वापस लेना तथा किरायेदार को पुनः कब्जा देना।
- ऐसे भू–स्वामी को कब्जा तुरन्त वापस लेने का अधिकार है जिसके पास सरकारी अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा दिया गया आवास है और उसे यह आवास सरकार/स्थानीय प्राधिकरण के सामान्य अथवा विशेष आदेशों के अनुसार खाली करना है।
- सशस्त्र बलों से मुक्त होने वाले/सेवा–निवृत्त होने वाले जवान अथवा सशस्त्र कार्यवाही में मारे जाने वाले जवान के आश्रित को, अथवा सशस्त्र सेवा के ऐसे जवान को, जिस बल से सेवानिवृत्ति में एक वर्ष से कम की अवधि रह गई है, अपने परिसर पर कब्जा तुरन्त वापस लेने का अधिकार है।
- केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के कर्मचारी को जो सेवानिवृत्त हो चुका है या एक वर्ष से कम अवधि में सेवानिवृत्त होने वाला है, अपने परिसर का कब्जा तुरन्त वापस लेने का अधिकार है।
- विधवाओं, विकलांगों और बूढ़े लोगों को अपने अथवा परिवार अथवा उसके साथ रहने वाले किसी व्यक्ति के रिहायशी अथवा गैर–रिहायशी प्रयोग हेतु परिसर का कब्जा तुरन्त वापस लेने का अधिकार है।
- सीमित अवधि की किरायेदारी और अवधि समाप्त होने पर कब्जे की वापसी तथा किरायेदारी की समाप्ति पर कब्जा वापस न देने पर क्षतिपूर्ति की व्यवस्था।

कब्जा वापस देने संबंधी का आदेश अनिवार्य रूप से लागू होगा।

किरायेदार अथवा भू–स्वामी द्वारा अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने पर भारी दण्ड का प्रावधान।

कुछ ऐसी भावना है, जोकि अपर्याप्त जानकारी के कारण है, कि यह विधेयक भू–स्वामियों के पक्ष में है। वास्तव में ऐसा नहीं है। विधेयक एक लाभकारी विधान है जोकि अनुचित बेदखली और मांग से किरायेदार की रक्षा करता है। साथ ही हम यह भी महसूस करते हैं कि आवास बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। ऐसा तभी सम्भव है जबकि मालिक मकान अच्छे किराये के प्रति आश्वस्त हो। अन्ततः यही एक तरीका है जिससे मकानों की उपलब्धता में वृद्धि होगी और जिससे मांग और सप्लाई के अन्तर में कमी आएगी। फलतः अन्य वस्तुओं की तुलना में किराये में कमी होगी। उन सभी आधारों को जिनपर किरायेदार को बेदखल किया जा सकता है विनिर्दिष्ट कर दिया गया है और ऐसा बना दिया गया है कि उनकी आसानी से पुष्टि हो सकती है। दुरुपयोग को रोकने के लिए अनेक सुरक्षोपाय रखे गए हैं। उदाहरण के तौर पर यदि मरम्मत, पुनर्निर्माण अथवा ऐसे ही कार्य के लिए मालिक को परिसर वापस किया जाता है तो सभी अनुमोदन प्राप्त करने पर ही उसे वास्तविक कब्जा दिया जाएगा। इसी प्रकार ऐसे कार्य के पूरा होने पर किरायेदार को पुनः कब्जा देने संबंधी प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है।

जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं वर्तमान दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत किराये संबंधी मुकदमेबाजी में बहुत समय लगता है। हजारों मामले विभिन्न न्यायिक मंचों पर जमा पड़े हैं। हम इस समस्या को दो तरीकों से हल करना चाहते हैं। पहला यह कि हम दिल्ली किराया न्यायाधिकरण तथा इसके शाखाएं स्थापित कर रहे हैं और सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त अन्य कोई न्यायालय किराये का मामला नहीं ले सकेगा। दूसरा तरीका यह है कि किरायेदार और मालिक के सम्बन्धों को उनके अधिकार तथा कर्तव्यों को परिभाषित कर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। उदाहरण के तौर पर रोजमर्रा की मरम्मत और बदलाव का काम किरायेदार को करना होगा और निर्माण संबंधी सभी कार्य मालिक मकान को करने होंगे। इसी प्रकार स्टेण्डर्ड किराया तय करने तथा उसमें वृद्धि करने के कार्य को सरल और युक्तियुक्त बना दिया गया है। जहां तक संभव होता है निर्धारित कसौटी को उद्देश्यपूर्ण बनाया गया है और गलतफहमी तथा गलत विवेचना की बहुत कम गुंजाइश है। इस स्पष्टता के कारण आशा है कि मुकदमेबाजी पहले की अपेक्षा कम होगी।

मैं इस तथ्य को फिर दोहराना चाहती हूं कि सर्वसम्मति प्राप्त करने में बहुत समय लगा है और बहुत प्रयास भी किए गए हैं। विशेषज्ञों तथा संबंधित ग्रुपों को अपना–अपना दृष्टिकोण पेश करने के लिए व्यापक अवसर दिए गए हैं। मेरा यह सुझाव है कि यह एक उचित विधेयक है और इसका परीक्षण किया जाना चाहिए। इसके वास्तविक कार्यकरण की उचित समय पर समीक्षा की जा सकती है ताकि अनुभव पर आधारित जिस परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हो वह किया जा सके। माननीय सदस्य जानते हैं कि पिछले अधिनियम में भी जिसे 1958 में पास किया गया था, 1960, 1963, 1976, 1984 और 1988 में संशोधन किए गए थे।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में परिसरों से संबंधित किराये, मरम्मत और अनुरक्षण तथा बेदखली और होटलों तथा आवासों की दरों के विनिमय का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में परिसरों से संबंधित किराये, मरम्मत और अनुरक्षण तथा बेदखली और होटलों तथा आवासों की दरों के विनिमय का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री कालकादास (करोलबाग) : सभापति जी, आज हम दिल्ली लैण्ड कट्रोल बिल, 1958, जिसमें अनेक सुधार हुए, उसका स्थान लेने वाले दिल्ली लैण्ड बिल पर चर्चा कर रहे हैं।

सभापति जी, जैसा अभी मंत्री महोदया ने कहा कि दिल्ली में किरायेदार और मकान मालिकों के झगड़े हजारों की तादाद में अदालतों में पड़े हुए हैं, इसलिए यह बात तो सच है कि दिल्ली लैण्ड कंट्रोल एक्ट, 1958 में सुधार की आवश्यकता है। लेकिन जो बिल हमारे सामने आया है, यह बिल दो दिन पहले राज्य सभा में रखा गया था और उसकी प्रतिक्रिया यह हुई है कि आज दिल्ली के बहुत से मार्केट इस बिल के विरोध में बन्द हैं, उनमें हड़ताल है। उसका कारण यह है कि दिल्ली लैण्ड बिल मकान मालिकों का पक्षधर है जबकि यहां दिल्ली में लाखों लोग किरायेदार हैं।

दिल्ली में लाखों लोग किरायेदार हैं और इस बिल के पास हो जाने के बाद किरायेदारों को कोई राहत नहीं मिलेगी बल्कि मकान–मालिकों को यह अधिकार मिल जाता है कि यदि वे अपने मकान को खाली कराना चाहें तो एक छोटा सा एफिडेविट दे दें तो किरायेदार को हटा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा।

दिल्ली में बहुत सारे बाजार हैं, दिल्ली देश की राजधानी है और यहां के बाजारों में पुराने दुकानदार हैं जो काफी पुराने समय से अपनी दुकानें चलाते आ रहे हैं। आपने इस बिल की क्लॉज 5 में यह प्रावधान किया है कि अगर कोई फर्म साझेदारी में चल रही है और उसके किसी पार्टनर की डैथ हो जाती है तो उसे तुरन्त निकाल दिया जाएगा, बेदखल कर दिया जाएगा, जिसे मैं बहुत पक्षपाती प्रावधान मानता हूं। दिल्ली में जितने पुराने मकानों में रहने वाले लोग हैं, मेन किरायेदार के मरने के बाद, उनके बच्चों को तो किरायेदारी अधिकार मिलते हैं लेकिन साझेदारी के आधार पर चलने वाली फर्म के किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाने के बाद, मकान मालिक कभी भी उस फर्म से अपना प्रैमिसेज खाली करा सकता है, उसे सिर्फ एक एफिडेविट देने की आवश्यकता है, उसी के आधार पर फर्म को बेदखल कर दिया जाएगा।

इसलिये मैंने कहा कि जो बिल सदन में लाया गया है वह ज्यादा उलझनें पैदा कर रहा है। चूंकि इसका सम्बन्ध दिल्ली से है, दिल्ली के किरायेदारों से है, मैं समझता हूं कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार मौजूद है, दिल्ली में एक असैम्बली है, यदि इस बिल को यहां पास करने से पहले दिल्ली के चुने हुए प्रतिनिधियों के पास विचार के लिए भेज दिया जाए तो वह ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि अभी मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि इस बिल को लाने से पहले सभी लोगों से राय ली गयी लेकिन स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट जब मैं देखता हूं तो उसमें मकान–मालिकों की एसोएियेशन को तो साक्ष्य के लिए बुलाया गया था लेकिन ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता कि किरायेदारों की एसोसियेशन को भी विटनेस के लिए बुलाया गया हो। इसलिए इस बिल के पीछे मुझे ऐसा लगता है कि सरकार मकान मालिकों की सहायता करनी चाहती है लेकिन दिल्ली में किरायेदारों की जो कठिनाइयां हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है।

मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी स्वयं दिल्ली की स्थिति से भली–भांति परिचित हैं क्योंकि पुरानी दिल्ली में उनका लम्बा निवास रहा है। वे जानती हैं कि यहां कैसे कैसे लोग किराये पर रहते हैं, पुरानी दिल्ली में किरायेदार कैसी मुसीबत में हैं। गरीब लोग 10–10 या 20–20 रुपये माहवार किराये पर रहते हैं लेकिन आपने इस बिल में प्रावधान करके, एक साल में, 25 वर्ग गज तक के क्षेत्रफल में बने मकानों का किराया 25 प्रतिशत और दुकानों आदि का किराया 100 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रावधान कर दिया है, दुकान के लिये कोई क्षेत्रफल की सीमा नहीं रखी गई है, उसका किराया 100 प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाएगा। यदि कोई किराया बढ़ाने से इंकार करेगा या दो महीने का कोई व्यक्ति किराया नहीं देगा, आपने इस बिल की क्लॉज 5 में कहा है, उसे मकान मालिक तुरन्त नोटिस देकर मकान या दुकान खाली करा लेगा, उसे उठाकर बाहर फेंक देगा। इससे ऐसा लगता है जैसे हम किसी वैल्फेयर स्टेट में नहीं रह रहे हैं बल्कि सब कुछ यहां शक्ति के आधार पर चलता है।

इसीलिये मैंने कहा कि इस बिल को बड़ी सावधानी से पास करने की आवश्यकता है, ध्यान से विचार करने की आवश्यकता है और क्योंकि इसका संबंध राजधानी के लाखों लोगों से है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यहां पास करने से पहले इस दिल्ली असैम्बली को भेज दिया जाए, दिल्ली में यहां के लोगों की चुनी हुई सरकार है, वहां दिल्ली के लोगों के प्रतिनिधि हैं जो यहां की जनता के प्रति जवाबदेह हैं, दिल्ली के विधायक यहां की जनता के प्रति जिम्मेदार हैं, इसलिए पहले यह बिल वहां जाना चाहिए, जहां इसकी छान–बीन हो और वे जो सिफारिशें इस बिल के बारे में करें, उन पर यहां विचार किया जाए, यही ज्यादा बेहतर होगा।

जहां तक इस बिल का संबंध है, यह इतना डिफैक्टिव है और इसमें इतने सुधारों की आवश्यकता है कि एक–दो सुधारों से काम नहीं चलेगा बल्कि इसमें आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, इस बिल को देखकर हैरानी होती है कि आखिर यह किस सोच के ऊपर आधारित है? मुझे तो ऐसा लगता है कि यह बड़े–बड़े लैंडलार्ड के हिसाब से बनाया गया है। इस बारे में अखबारों में आया है। यह हैडिंग आया है कि "दिल्ली रेन्ट बिल टिल्टस स्केल्स इन फेवर आफ लैन्डलार्डस" और इसी तरह से अनेक अखबारों में आया है। मुझे ऐसा लगता है कि गरीबों की मुसीबतों को ध्यान में नहीं रखा गया है। आज इसी कारण से बाजार बन्द है। जिस दिन यह बिल लोक सभा में पेश हो रहा हो उसी दिन बाजार बन्द हो, इसी से आपको सोच लेना चाहिए कि लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। यदि यह बिल लोगों के हित में होता, तो आज लोग पार्लियामेंट के बाहर फूलों की मालाएं लेकर खड़े होते कि मंत्री महोदया आएंगी और हम उनको हार पहनाएंगे, लेकिन आज तो बाजार बन्द है। आपको इसी से समझ लेना चाहिए कि यह बिल लोगों के हित में नहीं है।

श्रीमती शीला कौल : मेरे घर पर तो लोग आ रहे हैं।

श्री कालका दास : जो लोग आपके घर पर आ रहे हैं वे लैंडलार्ड होंगे क्योंकि यह बिल कुछ लोगों के पक्ष में जाता है। ज्यादा लोगों के हित का बिल यह नहीं है। जो छोटे–छोटे दुकानदार हैं, जिन्होंने 20–20 और 25–25 साल में लाखों रुपया लगाकर अपनी गुडविल बनाई है, उनका आप शतप्रतिशत किराया बढ़ा देंगे। यदि कोई दो महीने किराया न दे, तो आप उसको कोर्ट के जरिये नोटिस देकर निकाल देंगे। किसी ने पार्टनरशिप चेंज कर ली तो आप निकाल देंगे। ऐसे कैसे चलेगा। फिर आपने इसमें रेजीडेंशियल के लिए अलग कानून रखा है और कर्मिशयल के लिए अलग कानून

रखा है। इससे तो दिल्ली का सारा का सारा व्यापार बन्द हो जाएगा। जो लोग दिल्ली में बाहर से आकर किराए पर रहते हैं, उनका रहना मुश्किल हो जाएगा। उनमें त्राहि–त्राहि मच जाएगी। इसलिए सभापति महोदय, मैं इस बिल का कठोरता से विरोध करता हूं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं कि वे यहां के हालात को देख लें और इस पर फिर से विचार करें और इसको अगले सत्र में ले जाएं। इसकी पहले अच्छी तरह से छानबीन कर लें। दिल्ली की यहां विधान सभा है। वह दिल्ली के लोगों के प्रति सीधी उत्तरदायी है, उसकी राय इस बिल पर ले ली जाए, तो उपयुक्त रहेगा। यहां सभी क्षेत्रों के सांसद हैं, मैं यह नहीं कहता हूं कि उन्हें दिल्ली की समस्याओं की जानकारी नहीं है, उन्हें भी है, लेकिन जो दिल्ली के विधायक हैं, उनकी भी इसमें सलाह ले ली जाए, यदि यह नहीं हो सकता हैं तो जो दिल्ली के सांसद हैं, उनकी बात तो मानी ही जाए। उनसे तो सलाह ली ही जानी चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि इसमें जल्दी नहीं करनी चाहिए।

सभापति महोदय, यह सिर्फ लाखों लोगों का ही सवाल नहीं है बल्कि दिल्ली में रहने वाले सभी लोगों का सवाल है। यहां त्राहि–त्राहि मच जाएगी। इस बिल में कहा गया है कि यह पहले से लागू हो जाएगा। यहां के जितने दुकानदार हैं, उन सब से दुकानों के मालिक दुकानें खाली करवा लेंगे और उन्हें बेदखल कर देंगे। इससे यहां त्राहि–त्राहि मच जाएगी। कितनी मुश्किल से दुकानदार अपनी गुडविल बनाता है। लाखों रुपया लगाकर वह अपनी गुडविल बनाता है और आप उससे इस प्रकार से दुकान खाली करवा लेंगे उसको बेदखल कर देंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि दिल्ली के लोगों ने कांग्रेस सरकार को रिजैक्ट किया है और दिल्ली विधान सभा में केन्द्र में काबिज सरकार को बहुमत नहीं दिया इसलिए केन्द्र सरकार बदले की भावना से इस बिल को लाई है। अतः मैं कहना चाहता हूं कि एक कल्याणकारी राज्य की सोच वाली सरकार को ऐसी बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए। बल्कि सरकार को तो इस प्रकार की भावना से काम करना चाहिए कि लोगों का किस प्रकार से कल्याण हो सकता है। उस प्रकार के विधेयक यहां लाने चाहिए। इस बिल के पास हो जाने के बाद सब मकान मालिक किराएदारों को निकाल देंगे और लोग सड़कों पर आ जाएंगे क्योंकि आपने इसमें प्रावधान ही ऐसे बनाए हैं। दो महीने किराया नहीं देने के बाद किरायेदार से मकान खाली करवाया जा सकता है। कभी–कभी तो मकान मालिक ही कह देता है कि कोई बात नहीं अगले महीने किराया दे देना और यदि किरायेदार झांसे में आ जाए और वह किराया नहीं दे, तो तीन महीने के बाद कोर्ट के माध्यम से उससे मकान खाली करवाया जा सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बिल को लोकहित में और दिल्ली की जनता के हित में वापस ले लिया जाए।

मैं समझता हूं कि 1958 का जो दिल्ली रैंट कंट्रोल एक्ट है, वह दिल्ली के नागरिकों का हित नहीं कर पाया है। इसमें संशोधन की जरूरत है लेकिन आज जो संशोधित रैंट बिल आया है, वह और भी त्रुटिपूर्ण है। यह समय की मांग के अनुसार नहीं है, प्रजातांत्रिक प्रणाली के विरुद्ध है। प्रजातांत्रिक प्रणाली यह है कि जिन लोगों को वह चुनते हैं, उनकी जो असेम्बली है, उस असेम्बली में पहले चर्चा हो। उनके मत को माना जाए, उनके विचार को सुना जाए कि दिल्ली की सरकार क्या कहती है। वहां इस विषय पर विचार किया जाए और उसे यहां बताया जाए। उनकी डिस्कशन के आधार पर यहां निर्णय लिया जाए। मैं समझता हूं कि यह ज्यादा उपयुक्त होगा। आप देखिये कि इसमें इनहैबिलिटी राइट रहना चाहिए लेकिन इसमें इनहैबिलिटी राइट नहीं दिया है, यह रिट्रोसपैक्टिव इफैक्ट से लागू हो। आप इसे आज बनायेंगे लेकिन यह पीछे से लागू होगा।

श्रीमती शीला कौल : अखबार में जो लिखा है, वह इसमें नहीं है।

श्री कालकादास : यह अखबार में नहीं है। आपका जो मेमोरेंडम है, उसकी एक कापी है। उस कापी में कहा गया है:

[अनुवाद]

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उत्तराधिकार के अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए। **(व्यवधान)**

श्रीमती शीला कौल : उसकी रक्षा की गई है। मैं आपको बताऊंगी .... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कालकादास : इसमें कहां है? अगर पिताजी की दुकान है और उस पर बेटा बैठता है तो पिता की मृत्यु होने के बाद उसको निकाल देंगे। अगर पार्टनरशिप में कोई फर्म चलती है और एक पार्टनर के मरने पर दूसरे पार्टनर से मकान खाली करवा लिया जाता है। यह नेचुरल लॉ के भी विरुद्ध है। मान लो एक मकान मालिक ऐफिडैविट देता है। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बातों को दोहरायें नहीं।

[हिन्दी]

श्री कालकादास : मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। मेरा निवेदन है कि जो फंडामेंटल राइट है, वह उसकी अवहेलना करता है, कांस्टिट्यूशनल राइट की अवहेलना करता है। किसी भी व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है लेकिन जिससे मकान खाली करवाना है, पहले उसकी बात तो सुनिये। उससे विटनस मंगाइये। बिना सच्चाई की जांच किए बिना निर्णय ले लेंगे तो यह नेचुरल लॉ के खिलाफ है, देश के कानून के खिलाफ है, लॉ ऑफ लैंड के खिलाफ है। मेरा निवेदन यह है कि इस तरह के प्रोविजन को हटाइये और ऐसा बिल बनाइये जिससे यह न लगे कि आप राजनीतिक बदले की भावना से लाये हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। 1958 का जो एक्ट है, उसमें बहुत खामियां हैं लेकिन अब जो आप यह बिल लाए हैं, उसमें इतनी ज्यादा खामियां हैं। इससे ऐसा लगता है कि हाल में दिल्ली में आपकी सरकार नहीं बन पाई, इस कारण आप यह बिल लाये हैं।

सभापति महोदय : आप सारी बातें पहले दो–तीन दफा कह चुके हैं।

श्री कालकादास : मेरा निवेदन यह है कि इस बिल में बहुत खामियां हैं जिनकी ओर मैंने आपका ध्यान दिलाया है। मेरी जो बेसिक मांग है, वह यह है कि जिनके संबंध में आप निर्णय ले रहे हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं, वह बिल पहले उनकी असेम्बली में जाए। वहां उस पर निर्णय लेने के बाद यहां निर्णय लिया जाए क्योंकि आपने उनको बहुत कम अधिकार दिए हैं। M.L.A. को पूछा ही नहीं जाए, असेम्बली से बातचीत ही न की जाये और आप एकदम निर्णय दे दें तो यह प्रजातांत्रिक प्रणाली की अवहेलना करना जैसा लगता है।

मेरा निवेदन है कि इसको पास करने से पहले दिल्ली असेम्बली में चर्चा के लिए भेजा जाए क्योंकि जल्दी में काम खराब हो, उससे बेहतर तो यह है कि बेशक थोड़ी देर लग जाए लेकिन एक अच्छा काम हो। ऐसा काम हो जिससे लोगों को राहत मिले, आराम मिले, लोग आपकी तारीफ करें, बेशक यह 10 दिन के बाद हो लेकिन अच्छा काम होना चाहिए। मालूम नहीं क्यों आप इसे जल्दी में पास कराना चाहते हैं? पहले आप इस बिल को दिल्ली असेम्बली में भेजिए।

श्रीमती शीला कौल : आपको क्या पता, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं जिनमें वृद्ध पुरुष, वृद्ध महिलाएं, रिटायर्ड लोग, लंगड़े, अपाहिज आदि होते हैं। उनकी बात सुनकर मेरे दिल में तकलीफ हुई इसलिए मैं यह बिल लाई। मैं इसे पोलिटकली नहीं ले जा रही हूं लेकिन आप जरूर पोलीटिकली ले जा रहे हैं।

श्री कालकादास : मैं यह नहीं कह रहा कि नहीं आए होंगे, वे जरूर आए होंगे। लेकिन वे लोग आए होंगे जिन्होंने इस बिल को नहीं पढ़ा है, यदि उन्होंने इस बिल को पढ़ा होता तो नहीं आते। मैं दिल्ली का प्रतिनिधि हूं और यह बिल दिल्ली के नागरिकों से संबंधित है। मैं कह रहा हूं कि आप जांच करवाइए। ... **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आपने ये बातें 4–4 बार कह दी हैं और अपनी भावना एक्सप्रेस कर दी है। यदि कोई नई बात हो तो कहिए।

श्री कालकादास : अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है, इसमें से बहुत सारे क्लॉज़ेज निकालने की आवश्यकता है, इसे पॉपुलर बनाने की आवश्यकता है और सबसे ज्यादा आवश्यकता यह है कि आप इसे सोच–विचार के लिए असैम्बली में भेज दीजिए, उनके कमेंट्स मांगिए। नहीं तो यह एकपक्षीय रह जाएगा।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : सभापति महोदय, जब दिल्ली प्रशासन बन गया है तो फिर इसे यहां पर लाने की क्या जरूरत है।

सभापति महोदय : आपको भी बोलने का समय दिया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री ने यह दिल्ली किराया विधेयक विचार के लिए प्रस्तुत किया है। यह हमारे लोगों की एक मूल समस्या अर्थात आवास से संबंधित है। हमारे देश के लोग एक अर्से से यह मांग करते आ रहे हैं कि आवास के अधिकार को मूल अधिकारों में शामिल किया जाए। खाना, कपड़े और औषधि की तरह आवास भी अति आवश्यक है और यही जानवर और आदमी में अन्तर करती है। यह इतनी महत्वपूर्ण चीज है। परन्तु दुर्भाग्य से हमारे देश में करोड़ों लोग अनेक मूलभूत अधिकारों से वंचित हैं जैसेकि एक यह है। इस पर भी लोग उचित आवास में रहने से वंचित हैं। मकानों का निर्माण जनसंख्या वृद्धि के अनुरूप नहीं हो रहा है और दिल्ली तथा अन्य महानगरों में लोग पूरे देश से नौकरी तथा अन्य कई कारणों से आ रहे हैं और उन्हें आवास की आवश्यकता है परन्तु मकानों का निर्माण लोगों के इन नगरों में आगमन के अनुरूप नहीं है। यह एक गम्भीर समस्या है। इस शताब्दी के अन्त तक हमें देश में लगभग 410 लाख मकानों की आवश्यकता होगी। जिस तरीके तथा जिस दर से सरकार इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही है उसको देखते हुए मेरे विचार में बड़ी संख्या में लोगों को बिना मकानों के रहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

दिल्ली चूंकि देश की राजधानी है इसलिए हर प्रकार के लोग यहां आते हैं। सरकार के अपने कर्मचारी, पुलिस कर्मी, सेना के जवान तथा अन्य काफी संख्या में यहां हैं। दिल्ली में रहने वाले 50 प्रतिशत सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य लोगों के पास अपना आवास नहीं है। उनको गैर–सरकारी आवासों में रहने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। दिल्ली में आवास प्राप्त करना बहुत कठिन है और वह इतना महंगा है कि लोग इसे ले नहीं सकते विशेषकर सरकार के तीसरी तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारी। अनेक लोग आपके पास आ रहे होंगे और आवास के लिए अनुरोध कर रहे होंगे और आप उनके मामलों की शीला जी तथा थुंगन जी को सिफारिश कर रहे होंगे। परन्तु इन सिफारिशों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है। प्रत्येक का यही अनुभव है। अतः यह एक गम्भीर स्थिति है। यद्यपि माननीय मंत्री ने कहा है कि कानून मकान मालिकों तथा किरायेदारों के लिए युक्तिसंगत, मानवीय तथा शीघ्र क्रियान्वित किए जाने वाले होने चाहिएं तथापि आवास के प्रति सरकार का रवैया मानवीय नहीं है। कभी भी हम महसूस करते हैं कि यह अमानवीय है। लोग खुले में रह रहे हैं। उनके पास कोई आवास नहीं है। यदि आप गन्दी बस्तियों और अनधिकृत बस्तियों का दौरा करें तो आप वहां रहने वाले गरीब लोगों की हालत देख सकते हैं। जब कुछ लोगों को जमीन दी भी जाती है तो चोर बाजारी करने वाले वहां पहुंच जाते हैं और अधिक रुपया देकर जमीन ले लेते हैं। ये बड़ी–बड़ी शार्क मछलियां वहां आती हैं और सब कुछ खा जाती हैं। जो कुछ भी आप गरीब लोगों को देते हैं यह बड़े लोग खा जाते हैं। तब उन्हें गंदी बस्तियों तथा अनधिकृत बस्तियों में जाना पड़ता है। उनके लिए कोई संरक्षण नहीं है। सरकार आम आदमी, गरीब लोग, गन्दी बस्तियों में रहने वालों तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की रक्षा करने में विफल रही है। यह इस आवास समस्या पर जोकि बहुत गम्भीर है, ध्यान नहीं दे रही है विशेषकर गरीब लोगों, मध्यम वर्ग के लोगों, निम्न मध्य वर्ग के लोगों तथा गन्दी बस्तियों में रहने वालों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

महोदय, जैसा आप जानते हैं पुरानी दिल्ली तो नरक की तरह है। यदि आप पुरानी दिल्ली की गलियों से गुजरें तो आपको पता

लगेगा कि लोग वहां कैसे रहते हैं। यह राजधानी नगर दिल्ली की एक मुख्य समस्या है जहां अमीरों के लिए स्वर्ग तथा गरीबों के लिए नरक है। अतः दो दिल्ली हैं – एक अमीरों के लिए जो स्वर्ग है और दूसरी गरीबों के लिए जो नरक है। कोई भी जो दिल्ली का दौरा करता है इसके दो रूप देख सकता है।

यह एक मुख्य समस्या है जिसपर हम विचार कर रहे हैं। हमने सोचा था कि सभी वर्गों के लोगों को सुनने के बाद सरकार एक व्यापक विधेयक लाएगी जो गरीबों के पक्ष में होगा। परन्तु यह विधेयक अमीरों तथा भू स्वामियों के पक्ष में है। जो कोई भी इस विधेयक को पढ़ेगा वह देखेगा कि यह पूरी तरह भू–स्वामियों के पक्ष में है। हम जानते हैं कि अनेक खराब भू–स्वामी हैं। कुछ खराब किरायेदार भी हैं। हम यह नहीं कहते कि सभी किरायेदार अच्छे हैं। सभी जगह कुछ खराब लोग होते हैं। परन्तु भू–स्वामी हर प्रकार से धन कमाने का प्रयास कर रहे हैं। विधेयक में यह उपबंध है कि करारों का पंजीकरण होगा और किरायेदारी सीमित अवधि की होगी। यह सीमित अवधि की किरायेदारी बहुत खतरनाक है। जो लोग दिल्ली में सरकारी अथवा गैर–सरकारी नौकरी के लिए आते हैं वे यहां दस, पन्द्रह अथवा बीस वर्ष के लिए काम करेंगे और फिर चले जाएंगे। परन्तु उन्हें प्रत्येक वर्ष अथवा दो वर्ष के बाद करार का नवीकरण करना होगा और नवीकरण करने की शक्ति भू–स्वामी के पास है। उस समय मालिक मकान किराया बढ़ाएगा। वह जो भी चाहे शर्तें रखेगा और यदि शर्तें पूरी नहीं होती तो वह परिसर खाली करायेगा।

श्रीमती शीला कौल : नहीं ऐसा नहीं है। आपने विधेयक को अच्छी तरह नही पढ़ा है।

श्री हन्नान मोल्लाह : हर बार करार का नवीकरण कराना होगा ....**(व्यवधान)** जब आप इसे पास करेंगे और क्रियान्वित करेंगे तब आपको पता लगेगा। जब यह लोगों को चुभेगा और वह आपके पास आकर कहेंगे कि वे दुखी हैं तो आपको उनका सामना करना होगा।

जैसाकि हम समझते हैं करार की अवधि की समाप्ति पर अर्थात करार के नवीकरण के समय किराया बढ़ाया जाएगा। उन्होंने हर तरह से मालिकों के संरक्षण पर ध्यान दिया है। जैसाकि हमने विधेयक को देखा है किरायेदारों को कोई संरक्षण नहीं दिया गया है।

दूसरे हमें डर है कि मकान के नवीनीकरण के समय मालिक मकान किरायेदार को मकान खाली करने के लिए बाध्य कर सकता है।

[हिन्दी]

श्रीमती शीला कौल : नहीं वे ऐसा नहीं कर सकते। आप पहले इस विधेयक को देखो और पढ़ो।

श्री हन्नान मल्लाह : मैंने इसे देखा है। आप उसको फोर्स कर सकते हैं और इसके लिए उसे बाहर जाना पड़ेगा उसकी असुविधा को देखने का कोई प्रावीजन नहीं है। असुविधा होने पर 2–4 महीने ज्यादा भी लग सकते हैं।

[अनुवाद]

यदि उस समय मालिक मकान परिसर खाली कराना चाहता है तो जैसा लगता है वह यह है कि मालिक मकान की बात सुनी जाएगी।

तीसरे जैसाकि मैंने कहा करार के नवीकरण के समय मालिक मकान किरायेदार को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास करेगा। यदि कोई कठिनाइयां आती हैं और यदि मालिक मकान किरायेदार को निकालना चाहता है तो ऐसे किरायेदार को करार के नवीकरण के समय निकाल दिया जाएगा हमारी यह आशंका है। आप किरायेदारों को क्या संरक्षण दे रहे हैं कि उनको मालिक मकान अपनी इच्छा के अनुसार नहीं निकाल सके।

चौथे किरायेदार किराया प्राधिकारी के पास और फिर सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में तथा पास ही है। बस द्वारा सर्वेच्च न्यायालय जाने में केवल 70 पैसे लगते हैं। परन्तु प्रत्येक मुकदमा लड़ने के लिए 700 रुपये अथवा 7000 रुपये लगते हैं। वहां गरीब लोगों की बचत खाने के लिए अन्य शार्क मछलियां हैं। हम उन्हें किराया नियंत्रण न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय भेज रहे हैं। यह कोई छोटा न्यायालय नहीं है। अतः ये समस्याएं भी होंगी। इन पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

हमें डर है कि ऐसा होगा। कानून बनाते समय सभा में चाहे जो भी अच्छी तस्वीर पेश की गई हो परन्तु सदा उल्टा ही हुआ है जैसाकि अन्य कानूनों के बारे में हमने देखा है। आप सदा कहते हैं कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा। गत 50 वर्षों में जब कभी भी आपने कोई बड़ा कानून बनाया है, आपने कहा है कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा परन्तु उसका सदा दुरुपयोग हुआ है। यह हमारे जीवन का पचास वर्ष का अनुभव है। 'टाडा' तथा अन्य ऐसे अनेक मामले हैं। आप कहते हैं कि दुरुपयोग नहीं होगा परन्तु इसे दुरुपयोग के लिए बनाया जाता है न कि लोगों के हित में।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए। इस विधेयक के लिए एक घण्टे का समय नियत किया गया है।

श्री हन्नान मोल्लाह : मैं समाप्त कर रहा हूं। माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह वाणिज्यिक और रिहायशी उपयोग के मामले के अन्तर को और अधिक स्पष्ट करें। अन्तर तो है परन्तु इसे और स्पष्ट किया जाना चाहिए। मकान के उपयोग में अन्तर को स्पष्ट किया जाना चाहिए। मकान गरीब लोगों द्वारा रिहायशी प्रयोग हेतु किराये पर लिया जाता है। परन्तु यदि यह व्यापार के लिए लिया जाता है तो वह इससे कमाई करते हैं। अतः इसका उपयोग करने वाले लोगों के बीच स्पष्ट अन्तर किया जाना चाहिए। कुछ लोग रिहायशी उद्देश्यों हेतु उपयोग करते हैं और अधिकांश ऐसे लोग इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। उन्हें राजधानी में आवास चाहिए।

आवास की कमी ही आप लोगों के उत्पीड़न का मुख्य कारण है। यदि आवास बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं तो लोग एक से दूसरे स्थान में जा सकते हैं। परन्तु अगर आवास कम है तो एक मकान को किराये पर लेने के लिए 20 व्यक्ति आयेंगे। इस पर मालिक सदा 500 रुपये किराया देने वाले से खाली कराने का प्रयास करेगा ताकि वह 700 रुपया किराया देने वाले को दे सके और अगले वर्ष

वह इस व्यक्ति को भी निकाल देगा और 1000 रुपया देने वाले को मकान देगा। ऐसा यहां हो रहा है। दिल्ली के लोगों का यही अनुभव है। वे हमारे पास आते हैं और शिकायत करते हैं। इस विधेयक में उनके लिए कोई संरक्षण नहीं है।

अन्ततः मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह विधेयक की इन कमजोरियों पर ध्यान दें। इस विधेयक में प्रति वर्ष अथवा प्रति दो वर्ष बाद 10 प्रतिशत किराया बढाने का जो प्रावधान है उस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए क्योकि आम आदमी के लिए बहुत अधिक हो जाएगा। आपको यह भी देखना है कि नवीकरण के समय मकान मालिक अपनी इच्छानुसार मकान खाली न करा सके। साथ ही सरकार को यह भी देखना है कि अधिक मकानों की व्यवस्था हो ताकि मकान मालिक इस विधेयक का लाभ उठाकर अधिक काला धन न कमा सके। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इन सभी पहलुओं पर ध्यान देंगी। जैसा मैंने पहले कहा यह विधेयक बहुत अधिक मकान मालिकों के पक्ष में है। इसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए और इसे किरायेदारों के पक्ष में किया जाना चाहिए। एक कल्याणकारी राज्य में सरकार का ध्यान मुख्य तौर पर इसी ओर होना चाहिए तभी इस सरकार द्वारा आम आदमी को दिए गए वचन पूरे हो सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने जो दिल्ली किराया विधेयक यहां पर प्रस्तुत किया है, इसमें बहुत सी खामियां हैं। इतने महत्वपूर्ण विषय पर भारत की संसद में चर्चा हो रही है। यह विषय मुख्यतः दिल्ली निवासियों से संबंध रखता है और जैसा कि मेरे पूर्ववक्ता ने कहा कि यहां की स्थानीय समस्याओं से यहां के स्थानीय विधायक, स्थानीय निकायों के चुने हुए प्रतिनिधि ज्यादा वाकिफ होते हैं, इसलिए वे इस पर बहुत अच्छे ढंग से विचार कर सकते हैं, इसलिए यह मामला यहां की असेंबली में आना चाहिए था, इस सुझाव का मैं समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय, किसी भी लोक–कल्याणकारी राज्य की सबसे अच्छी स्थिति यह है कि हर जरूरतमंद व्यक्ति अपने आवास का स्वयं मालिक हो। कुछ मालिक और कुछ किराएदार, यह एक आदर्श राज्य की स्थिति नहीं हो सकती। दुर्भाग्य से जिस विभाग को माननीय मंत्री महोदया संभालती हैं, उसमें यह स्थिति नहीं है। इस राज्य से हम यह कल्पना नहीं कर सकते कि हर जरूरतमंद व्यक्ति अपने आवास का मालिक हो। इसलिए मकान मालिक और किराएदार के रिश्तों में संतुलन कायम करने के लिए इस विधेयक की आवश्यकता को महसूस किया गया।

यह 1958 का विधेयक है। इसमें 1959, 1960, 1963, 1976, 1984 और 1988 में संशोधन किए गए और अब फिर से इसको यहां पर प्रस्तुत किया गया है। इतनी बार इस विधेयक में संशोधन की आवश्यकता पड़ी, लेकिन मर्ज बढ़ता ही गया, ज्यों–ज्यों दवा की। मेरा निवेदन है कि इस तरह से बार–बार संशोधन करने के बजाए समग्र विचार से एक सुन्दर विधेयक यहां पर नए सिरे से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, जिसका संबंध पूर्वोतर स्थितियों से न हो।

आप कहते हैं कि इस संशोधन की प्रेरणा हमको सरकार की आवास नीति से मिली है। यदि उससे प्रेरणा मिली है तो कुछ नई बात तो इसके अंदर होनी चाहिए थी। उस तरफ कोई पहल नहीं की गई है।

इस विधेयक के कई अंश हैं। इनमें कुछ पर मेरा विरोध है और कुछ का मैं स्वागत करता हूं। जैसे इसमें धारा 9–10 में जो कहा गया है, धारा 11 में उसके खिलाफ कहा गया है। कोई मकान मालिक धारा 9 के अधीन किसी परिसर के किराए में वृद्धि करना चाहता है, तब वह ऐसी वृद्धि के निर्णय की सूचना किराएदार को देगा। फिर कहा गया है कि जहां कहीं भी वह सुधार कर लेगा, उस सुधार के अनुसार जो उस सुधार की कीमत आएगी भाड़ा निर्धारित करते समय उस रकम को ध्यान में रखा जाएगा। यदि इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाए तो कोई भी मकान मालिक, नए सिरे से मकान बनाने में जो कीमत खर्च हुई है, या जीर्णोद्धार में जो राशि खर्च हुई है, उसके ऊपर बैंक सूद दर या बाजार सूद दर के आधार पर किराए का निर्धारण करेगा और किराया वसूल करेगा।

मैं समझता हूं कि किसी भी किरायेदार को मुसीबत में डालने का इसके अलावा कोई जरिया नहीं हो सकता है। यदि मकान में किए गए रिपेयर के आधार पर किसी किराएदार से किराया वसूल किया जाए तो मैं समझता हूं कि यह किराएदार के साथ मजाक है और उसको आसान कीमत पर आवास मुहैया कराने की जो भावना है यह धारा उसके विपरीत जाती है। इसलिए नए सिरे से सरकार को इसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। इसी के साथ आपने दोनों के लिए मुकदमेबाजी के लिए अनेक धाराएं खड़ी कर दी हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि भारत में किरायेदार और मकान मालिक के बीच में एक निजी सहमति होती है और उस सहमति के आधार पर गाड़ी चलती रहती है। आपने नए–नए इतने इसमें प्रोसीजर ले–डाउन कर दिए हैं कि किराएदार को मकान–मालिक को और मकान–मालिक को किराएदार को हर बात पर नोटिस देना पड़ेगा और उनकी जिंदगी नर्क जैसी हो जाएगी। किराएदार को बिना पूंजी लगाए मकान में रहने का जो सुख होता है वह उससे वंचित हो जाएगा। आगे आप कहती हैं कि प्रत्येक किराएदार संविधान द्वारा नियत समय के भीतर उस मास के लिए जिसके लिए किराया देय है ठीक पश्चात परवर्ती मास से 15 दिन के भीतर किराया अदा कर उस किराए की रसीद अवश्य ले। अगर मकान–मालिक रसीद नहीं देता है तो वह उसके खिलाफ मुकदमा कर सकता है। मुकदमा करने के लिए दोनों के लिए आपने बडा लम्बा–चौड़ा एक पैरा 3–4 पेज का दिया है। उसमें एक हजार रुपये तक का जुर्माना होगा, दो महीने तक की उसको सजा होगी। इस तरह से तो यह दोनों लड़ते रहेंगे और इन मुकदमों को देखने वाला कौन होगा? पहले जो मुकदमें अदालतों में पड़े हुए हैं उनका तो निर्णय हो नहीं रहा है। डेढ–दो लाख मुकदमे हाई–कोर्ट, सुप्रीम–कोर्ट में पैंडिंग हैं। मुकदमों की नयी–नयी शुरुआत इस विधेयक के जरिये मकान–मालिक और किराएदार के बीच में आप खड़ी करने जा रही हैं। इस भावना का मैं तीव्र ढंग से विरोध करता हूं।

इसी के साथ–साथ 24वीं धारा जिसमें आप कहती हैं कि किसी सशस्त्र बल से निर्मुक्त या सेवा निवृत्त व्यक्ति, या भारत सरकार

का कोई सेवा–निवृत्त अधिकारी या कर्मचारी या कोई विकलांग या विधवा इस तरह की परिस्थिति में आने के बाद अपने मकान का कब्जा लेना चाहता है तो यह भावना ठीक है, मानवीय है। इसका मैं स्वागत करता हूं और आपको इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन उसी के साथ–साथ ...(व्यवधान)

श्रीमती शीला कौल : 65 साल से ऊपर वालों के लिए भी प्रावधान किया है।

श्री मोहन सिंह : आपकी उम्र वालों के लिए जरूरत पड़ेगी। ठीक है आपने अपनी उम्र वालों का ध्यान रखा है।

श्रीमती शीला कौल : हमारे पास तो मकान है ....(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, जब से मैं इस सदन में आया हूं पहली बार मुझे मजबूरी हो रही है कि इस धारा पर इनको भी धन्यवाद देना पड़ रहा है। इसी के साथ–साथ जो होटलों के संबंध में आपने प्रावधान किया है इसका भी मैं स्वागत करना चाहता हूं। हमारी दिक्कत क्या है? यहां लोग घर बनाते हैं और घर बनाकर उसको दैनिक होटल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, शादी–ब्याह के प्रयोजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, यात्रियों को किराए पर देने का काम करते हैं। किराए पर देते समय क्या किराया लिया जाए इसका निश्चित मापदंड दिल्ली शहर में नहीं है। साधारण आमदनी वाला व्यक्ति जो दिल्ली शहर में आता है उसको दिल्ली में रहने का स्थान नहीं है।

वह मजबूरी में दलालों के जरिये वह कमरा जिसका किराया पचास रुपये से लेकर डेढ़ सौ रुपये तक होना चाहिए, एक हजार से डेढ़ हजार रुपये तक में लेता है।

श्री कालकादास : वह भी 24 घंटे के लिए, एक महीने के लिए नहीं।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : ठीक है। लेकिन उसको भी इन्होंने इस परिधि में शामिल किया है कि इस तरह से निर्धारण किया जाएगा, इस प्रकार की जो मंशा इन्होंने इस विधेयक में उजागर करने की कोशिश की है, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन उसी के साथ–साथ उसको डिटरमिन करने वाली अथारिटी आप तय करने जा रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार अपने अधिसूचना द्वारा जितने लोगों को चाहे अधिकारी नियुक्त कर सकती है। इस मापदंड को तय करने के लिए उनकी शक्ति क्या होगी, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी, क्या केन्द्र सरकार इसको भी अपने पास रखना चाहती है या दिल्ली सरकार को देना चाहती है, अच्छा होगा यदि वह दिल्ली सरकार को दे, इस तरह मानक तैयार करते समय नौकरशाही की जो हमारे देश में स्थिति है, घूसखोरी है, भ्रष्टाचार है, उससे इसे बचाने के लिए एक नए ढंग की जो डेलीगेटिड लेजिस्लेशन पावर दे रहे है। उसमें अच्छे किस्म का माहौल बनना चाहिए। जहां तक न्यायिक प्राधिकरण का सवाल है, उसका भी मैं स्वागत करता हूं।

मैं इतनी ही बात कहकर इस बिल की कुछ बातों का समर्थन करता हूं और कुछ बातों का विरोध करता हूं। मैं चाहता हूं कि एक पूरा विधेयक पेश करने के लिए प्रवर समिति को सौंपे या हाउसिंग की जो संसदीय समिति है उसको दें। वह समिति समग्र विधेयक प्रस्तुत करे और जो मकान मालिक और किरायेदार में झगड़ा चलता रहता है, उसको खत्म करने के लिए एक सुंदर और स्पष्ट नीति बनाए।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, यह विधेयक विद्यमान दिल्ली किराया अधिनियम जोकि 1958 से लागू है, का स्थान लेगा। 1958 से अब लगभग तीन दशक का समय गुजर गया है और इस अवधि में आर्थिक विकास के क्षेत्र में बहुत परिवर्तन हुआ है और अनेक अन्य बातें हुई हैं। बड़ी संख्या में लोग नगरों में आ रहे हैं। आज स्थिति विशेषकर दिल्ली में ऐसी है कि अधिसंख्य जनता, लोगों का एक बड़ा प्रतिशत भाग गन्दी बस्तियों में रह रहा है। कुछ कहते हैं यह 90 प्रतिशत लोग हैं हालांकि मैं इसपर विश्वास नहीं करता। परन्तु कुल आबादी का एक तिहाई भाग, यह उचित भी हो सकता है क्योंकि मैं निश्चित रूप से अथवा जनगणना के आंकड़ों से कुछ नहीं कह सकता – सभी महानगरों में गन्दी बस्तियों में रहता है। अतः गरीब लोगों को मकान देने का अधिक कार्य राज्य प्रशासन द्वारा किया जाता है। मूल आवश्यकता खाद्यान्न की है। परन्तु खाद्यान्न का उपलब्ध होना ही काफी नहीं है क्योंकि उसके लिए उन लोगों के हाथ में न्यूनतम क्रय शक्ति भी होनी जरूरी है। जो भी हो, आवास भी एक मूल आवश्यकता है। इस प्रकार हमारी एक आवास नीति है जिसका सभी ने स्वागत किया था और सभी ओर इसे सराहा गया था। हमारी राष्ट्रीय आवास नीति में अनेक अच्छे खण्ड और उपबंध हैं। परन्तु कस्बों में आवास सुविधा बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। विद्यमान किराया कानून निश्चित रूप से इस क्षेत्र में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। निजी निवेशक आवासों पर अपना धन नहीं लगा रहे हैं। कुछ माननीय सदस्य केवल विरोध करने के कारण ही इसका विरोध कर रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति है। कुछ उपबंधों का स्वागत है और कुछ का विरोध किया जाता है। कुछ माननीय सदस्यों ने पूरे विधेयक को समर्थन दिया है और कुछ ने आंशिक समर्थन दिया है। परन्तु तथ्य यह है कि इस विधेयक को राज्य सभा पहले ही पारित कर चुकी है। हम उस सभा के गठन के बारे में जानते हैं और यह भी जानते हैं कि वहां किस दल के कितने सदस्य हैं। अनेक विधेयक रुके पड़े हैं। दण्ड संशोधन कानून और पेटेन्ट विधेयक इस सदन में रुके पड़े हैं। परन्तु यह विधेयक वहां पारित हो गया है जिससे पता लगता है कि यह कितना अच्छा विधेयक है।

सभापति महोदय : वे आपका समर्थन करेंगे। आप उन्हें बताएं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : कभी समर्थन प्राप्त करने तथा दूसरे पक्ष को विश्वास दिलाने के लिए सदस्य संख्या को भी देखना पड़ता है। मैं जानता हूं कि यह विधेयक ऐसा है कि सभी इसका समर्थन करेंगे। परन्तु केवल विरोध करना है इसलिए भी कभी–कभी विरोध की आवाज आती है।

यह आवास उद्योग वर्तमान कानूनों के संदर्भ में ऐसा है कि कोई भी निवेशक इसमें पूंजी निवेश करने, मकान बनाने, उन्हें किराये पर देने के लिए प्रोत्साहित नहीं होता और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी निर्णय दिया है जिसमें

सरकार को आवास कानून को युक्तिसंगत बनाने का परामर्श दिया गया है। यह एक अन्य बात है। यह विधेयक विभिन्न मंचों पर तथा विभिन्न समूहों के साथ लम्बे विचार विमर्श के बाद लाया गया है। संबंधित स्थायी समिति ने भी विधेयक की विस्तृत जांच की है।

मात्र इस विधेयक का विरोध करने से मामला हल नहीं होगा। पिछले 30 से 40 वर्षों में किसी न किसी बहाने पर किरायों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। इस बारे में कानूनी कमी है। सभी मालिक मकान अमीर नहीं हैं। हमें इस बात को मानना चाहिए। सभी भू–स्वामी, सभी मालिक मकान जो किराये पर भवन देते हैं, बहुत अमीर आदमी नहीं हैं। कुछ लोगों के पास अपनी आजीविका के लिए आय के स्रोत के रूप में मकान होते हैं। अनेक गरीब लोग मकान बनाते हैं और खुद एक कमरे में रहते हैं और दूसरा कमरा किराये पर देते हैं और किराये के रूप में जो आय होती है उसी पर अपनी गुजर बसर करते हैं। यह भी स्थिति है । परन्तु ऐसे भी उदाहरण हैं जहां स्थल का महत्व बढ़ जाता है । तेजी से परिवर्तन होते हैं परन्तु किराया पुराना ही रहता है और इससे भी मकान मालिक को कठिनाई होती है।

5.00 म.प.

इस प्रकार आवास क्षेत्र में यह भी एक अड़चन है। विधेयक का विरोध करते समय सदस्यों को यह नहीं कहना चाहिए कि यह मकान मालिकों के पक्ष में है। लोग अपनी सेवा अवधि के दौरान की गई बचत से मकान बनाते हैं। वे विभिन्न क्षमताओं में सरकारी कार्य करते हुए एक से दूसरे स्थान इस उम्मीद पर जाते हैं कि सेवानिवृत्ति पर जब वे वापस आयेंगे तो अपने घर खाली करा लेंगे और वहां रहेंगे। ऐसे अनेक मामले हैं जहां भरसक प्रयास करने पर भी ऐसे लोग अपने रहने के लिए किरायेदारों से मकान खाली नहीं करा सके। प्रत्येक व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है। मात्र आलोचना करने के लिए यह कहना कि यह मकान मालिकों के पक्ष में है, ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है। यह एक संतुलित विधेयक है और मकान मालिकों तथा किरायेदारों दोनों के हितों की रक्षा करता है। किरायेदारी करार भी अनुपस्थिति में अनेक कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। यह एक अनिवार्य उपबंध है। कुछ लिखित करार भी होंगे।

जहां तक मामलों के लम्बित पड़े रहने का संबंध है आप जानते हैं, महोदय, कि विलम्ब से पूरा उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। देर से दिया गया न्याय न दिए गए न्याय के समान है। हमारी न्यायपालिका में यह बहुत मशहूर कहावत है। हम जानते हैं कि वर्तमान न्यायिक पद्धति में, जहां सीमित संख्या में न्यायालय कार्य कर रहे हैं, हर जगह मामलों की संख्या बढ़ती जाती है। हजारों मामले लम्बित हैं। जब कभी किसी बात की जल्दी होती है तो सभा की सभी ओर से विशेष न्यायालय आदि बनाने की मांग की जाती है। यहां इस पहलू पर ध्यान दिया गया है। विभिन्न स्तरों पर किराया न्यायाधिकरण के साथ किराया प्राधिकरण बनाया जा रहा है। और साथ ही सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का प्रावधान भी है। यह भी एक स्वागत योग्य प्रावधान है। यहां एकमात्र किराया प्राधिकरण का चैनल होगा। यह केवल यही कार्य करेगा।

महोदय, मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इन सभी बातों के बावजूद समस्या हल नहीं होगी। आवास समस्या फिर भी रहेगी जब तक सरकार सहकारी समितियों तथा विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से बड़े पैमाने पर मकान नहीं बनाती। उन्हें मकान बनाने दीजिए और गरीब लोगों, मध्य आय वर्ग के लोगों को विशेषकर दिल्ली जैसे महानगरों में उपलब्ध कराने दीजिए। भाग्य से वित्त मंत्री यहां पर हैं। वह विश्व ख्याति के अर्थ–शास्त्री हैं। मैं विश्वास करता हूं कि मकान नियंत्रण क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां काले धन का इस्तेमाल होता है। जिनके पास काला धन है उनके लिए यह स्वर्ग है। मैं एक उदाहरण देता हूं। मैं तीन लाख रुपये ऋण लेकर मकान बनाता हूं। मैं यह राशि दो कमरों का मकान बनाने पर खर्च करता हूं। आज इस पर और अधिक खर्च होगा। इस राशि में एक छोटा सा मकान बनाना भी कठिन है। परन्तु यदि मैं यह मकान किराये पर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा। मैंने बैंक, वित्तीय संस्थानों, जीवन बीमा निगम आदि से ऋण लेकर यह मकान बनाया है। मुझे ऋण की राशि के अतिरिक्त ब्याज की कितनी राशि देनी होगी? यह लगभग 15000 रुपये प्रतिवर्ष है। यदि मैं पूरा मकान किराये पर दे दूं तो मुझे क्या मिलेगा? किराया मरम्मत आदि करवाने अथवा ब्याज की राशि का भुगतान करने के लिए भी काफी नहीं होगा। मूल राशि की तो बात ही छोड़ दें। यह काले धन का क्षेत्र है। जिनके पास काला धन है उनके लिए यह स्वर्ग है। सह सच्चाई है। एक समानान्तर अर्थव्यवस्था चल रही है। हम कभी कभी काले धन की राशि के बारे में प्रश्न पूछकर वित्त मंत्री को कष्ट देते रहते हैं। उनका भी उत्तर यह है कि वह इसका अनुमान कैसे लगा सकते हैं कि समानान्तर अर्थव्यवस्था चल रही है।

सभापति महोदय : आप इस विधेयक के अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : मैं क्षेत्राधिकार के भीतर ही हूं।

सभापति महोदय : यह विधेयक काले धन के संबंध में नहीं है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : इस विधेयक का स्वागत है। यह पुराने अधिनियम का स्थान लेगा। इसमें अनेक उपबन्ध हैं। केवल इस प्रकार का विधेयक पारित करने से समस्या हल नहीं होगी। दिल्ली जैसे राजधानी नगर में क्या किया जाना चाहिए? लोग कहते हैं कि 90 प्रतिशत आबादी गन्दी बस्तियों में रहती है। परन्तु मैं कहता हूं कि एक–तिहाई लोग गन्दी बस्तियों में रहते हैं। हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। हमें इस संबंध में आगे आने के लिए मकान निर्माण कम्पनियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्हें भूमि देते समय उन्हें बता देना चाहिए कि उन्हें भूमि के एक भाग पर गरीबों के लिए मकान बनाने चाहिएं क्योंकि समान दृष्टिकोण से समस्या हल नहीं होगी। इसीलिए हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई है और पी.डी.एस. तथा खुली मार्किट का मार्ग अपनाया है। इस क्षेत्र में भी कुछ ऐसा ही करने की आवश्यकता है।

यह एक नया विधेयक है। हमें इसकी क्रियान्विति को भी देखना है। माननीय मंत्री ने विधेयक पुरःस्थापित करते समय यह आश्वासन दिया है कि वह कुछ समय बाद इसके कार्यान्वयन की समीक्षा करेंगी। इसमें बहुत ही अच्छे प्रावधान हैं। हमें देखना है कि इनका क्या प्रभाव पड़ता है। ये किस प्रकार कार्य करते हैं और क्या इससे गरीब किरायेदारों को परेशानी होती है। हमारे यहां अच्छे किरायेदार

भी हैं। हमें यह देखना है कि मकान मालिक किरायेदार को परेशान न करें। साथ ही अनेक मामलों में मकान मालिक की भी समस्याएं हैं। इसलिए मैंने कहा था कि यह एक संतुलित विधेयक है। हमें सावधानीपूर्वक इसे लागू करना है। कुछ समय बाद इसकी समीक्षा की जानी है। माननीय वित्त मंत्री यहां उपस्थित हैं। यह समय है कि हम गरीब लोगों, मध्य वर्ग के लोगों, जिनके पास आवास सुविधा नहीं है विशेषकर दिल्ली सहित शहरी क्षेत्रों में, की इस समस्या पर ध्यान दें।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और इस चर्चा में भाग लेने के लिए आपने जो अवसर दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : सभापति महोदय, मैं आम तौर पर इस विधेयक का समर्थन करता रहा हूं। परन्तु कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनपर मैं माननीय मंत्री से स्पष्टीकरण चाहता हूं।

यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या इस पर दिल्ली सरकार से परामर्श किया गया है। मेरे विचार में यह बहुत गम्भीर मामला है। यह मात्र एक संवैधानिक कहना है कि कि भूमि अभी भी केन्द्रीय सरकार के क्षेत्राधिकार में है। इसे राज्य सरकार को दे दिया जाना चाहिए था। देश के अन्य भागों में भूमि राज्य सरकार के अधीन है। अतः इस मामले पर संसद में बिल्कुल भी चर्चा नहीं की जानी चाहिए थी। परन्तु वर्तमान संवैधानिक ढांचे के कारण यह विधेयक यहां पर लाया गया है परन्तु मेरे विचार में यह जानना बहुत जरूरी है कि क्या ये विधेयक बनाते समय दिल्ली प्रशासन से परामर्श किया गया था क्योंकि उन्हें भी उतनी ही शिकायतें मिल रही होंगी जितनी संसद सदस्यों तथा माननीय मंत्री को मिल रही हैं।

मेरा दूसरा प्रश्न स्थायी समिति के बारे में है। मैं जानना चाहता हूं कि स्थायी समिति, जिसने इस विधेयक का परीक्षण किया था, की सभी सिफारिशों को स्वीकार किया गया है अथवा क्या किसी सिफारिश को स्वीकार नहीं भी किया गया है यदि ऐसा है तो उसके क्या कारण हैं।

तीसरे माननीय मंत्री ने इस विषय पर विधान में पिछले इतिहास का वर्णन किया है। स्वतंत्रता के बाद, 1958 और आज के बीच विधान में परिवर्तन किए गए हैं और अनेक बार नया विधान भी लाया गया है। इससे विषय की जटिलता का पता लगता है। अतः मकान मालिकों और किरायेदारों के हितों के बीच एक सही, उचित और उपयुक्त संतुलन बनाने के लिए किसी 'सोलोमन' की आवश्यकता होगी और कुछ मामलों में वह भी विफल हो सकता है क्योंकि प्रत्येक मामले का एक विशेष पहलू होता है और सभी परिस्थितियों की कल्पना मानव बुद्धि के लिए कठिन है।

परन्तु अभी–अभी मेरे प्रतिष्ठित साथी ने यह बात कही कि यह कहना कि भू–स्वामी अमीर हैं और किरायेदार गरीब हैं, गलत है। मेरे विचार में कई मामलों में भू–स्वामी गरीब तथा किरायेदार अमीर है। मै जानता हूं कि इस शहर में ऐसे किरायेदार हैं जो एक लाख अथवा उससे अधिक प्रति माह किराया देते हैं। क्या ऐसे किरायेदार की रक्षा करने की आवश्यकता है मुझे वास्तव में हैरानी होती है। ऐसे पुराने मालिक मकान हैं जिनके हाथों में सम्पत्ति तो है परन्तु उन्हें उनसे महत्व का कुछ भी प्राप्त नहीं होता और जब तक हम अपने समाज में सम्पत्ति अधिकार को मान्यता देते हैं तो यह अनुचित है कि वे निरन्तर गरीब रहें यद्यपि उनके पास विरासत में निजी सम्पत्ति है। अतः एक संतुलित विचार बनाना बहुत कठिन है।

मैं एक नया मकान बनवा रहा हूं। अतः मैं नहीं कह सकता कि मैं किस ओर हूं। अब चूंकि मैं मुख्य रूप से अपने प्रयोग के लिए मकान बनवा रहा हूं तो मैं कह सकता हूं कि भू–स्वामी नहीं हूं। **(व्यवधान)** एक समय था जब मेरे वरिष्ठ साथी कहा करते थे कि बेवकूफ मकान बनाते हैं और बुद्धिमान उसमें रहते हैं। कोई अर्थशास्त्री आपको बता सकता है कि मकान के निर्माण में पूंजी लगाना कितना अलाभकारी है। परन्तु फिर भी इंसान की इच्छा होती है कि रहने के लिए उसके पास अपना घर हो। अतः अपने जीवन के अन्त में मैंने भी एक छोटा सा मकान बनाना शुरू कर दिया है जहां मैं अपनी पुस्तकें रख सकता हूं और अपना थोड़ा सा सामान अपने तरीके से रख सकता हूं। परन्तु यह एक अलग प्रकार की प्रेरणा है।

श्रीमती शीला कौल : आप भू–स्वामी नहीं हैं, मालिक हैं।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : यह एक तथ्य है और यह बात दिल्ली नगर बम्बई, कलकत्ता जैसे महानगरों पर ही लागू नहीं होती बल्कि उत्तर भारत के सभी नगरों पर लागू होती है जोकि अब पतन की ओर है। यह विश्वव्यापी तथा राष्ट्रव्यापी बात है क्योंकि किरायों को बढ़ाने का कोई उचित प्रावधान नहीं है, भवन नष्ट हो रहे हैं, मरम्मत और अनुरक्षण कार्य नहीं किए जा रहे हैं और ये कभी भी गिर सकते हैं। यह राष्ट्रीय हानि होगी। मेरे विचार में किराया कानून ऐसा होना चाहिए जिससे कि मकान मालिक की आर्थिक स्थिति ऐसी हो कि वह भवन के उचित अनुरक्षण पर कुछ धन लगा सके। इसके अलावा उसको अपने पूंजी निवेश का ही लाभ हो। कम से कम वह अपनी सम्पत्ति को खड़ा रख सके परन्तु आज ऐसा नहीं है। उदाहरण के तौर पर कनाट प्लेस में, मुझे बताया गया है, कि वहां पिछले 50 अथवा 60 वर्षों से किरायेदार हैं और दशकों पहले नियत किया गया किराया अभी भी चल रहा है। मैं जानता हूं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं एक भूतपूर्व प्रधान मंत्री बम्बई में मैरीन ड्राइव के एक मकान में रहते थे। उस भवन की हालत बहुत खराब थी। मैंने उनसे पूछा कि उसकी यह खराब हालत क्यों है तो मुझे बताया गया कि सभी किरायेदार लगभग 200 रुपये अथवा 300 रुपये किराया देते हैं। अब यह तो बेतुकी चीज है। यह आर्थिक दृष्टि से भी बेतुकी बात है। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी यह विवेकहीन बात है। प्रत्येक इकाई, रहने का घर, वाणिज्यिक यूनिट राष्ट्रीय सम्पत्ति है जिसकी उचित मरम्मत की जानी चाहिए और रखरखाव किया जाना चाहिए। अतः कानून को बेदखली के विरुद्ध किरायेदारों को संरक्षण देना चाहिए और मुद्रास्फीति से जुड़ा उचित किराया भी नियत करना चाहिए।

रुपये का मूल्य गिरता जा रहा है और ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए जिससे किराये को उसके अनुरूप नियत किया जा सके। मैं धन की कोई सीमा नियत करने के विरुद्ध हूं क्योंकि आप कोई सीमा नियत करेंगे वह कुछ वर्षों बाद पुरानी पड़ जाएगी। ऐसा प्रावधान होना चाहिए जैसाकि अनेक आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में है कि ऐसे मामलों में किराये को मुद्रास्फीति से जोड़ा गया है। जैसे ही धन के मूल्य में 10 प्रतिशत गिरावट आती है तो किराया 10 प्रतिशत बढ़ जाता है।

यह एक प्रकार का पक्का विधान है न कि टुकड़ों में बनाया गया विधान जो कुछ वर्षों बाद पुराना पड़ जाता है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि इस विधेयक को बनाने में भी यही प्रक्रिया अपनाई गई है।

तीसरी बात यह है कि किराये का ढांचा ऐसा होना चाहिए जिससे आवास और निर्माण में पूंजी निवेश में वृद्धि हो। मैं इस पर विस्तार से नहीं बोलूंगा। माननीय मंत्री इस बात से पूरी तरह अवगत हैं कि हमारे देश को लाखों आवासों की कमी का सामना है। अतः यदि हम उचित किराये की व्यवस्था नहीं करते तो काले धन का तो क्या कहना। सफेद धन को मकानों के निर्माण पर खर्च नहीं किया जाएगा।

अब मैं ठीक इस विधेयक पर आता हूं। ऐसा प्रावधान है कि यह विधेयक कतिपय परिसरों पर लागू नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर सरकारी परिसरों को इससे छूट दी गई हैं मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों किया गया है। मेरे विचार में आज के समाज में सरकार का दायित्व कर्तव्य है कि वह एक आदर्श भू–स्वामी तथा एक आदर्श किरायेदार की भूमिका निभाये। सरकार को इसे कानून से पूरी तरह छूट देने का कोई कारण नहीं है। मेरे विचार में इसमें कोई तर्कसंगत बात नहीं है। अतः मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह सरकारी मामलों में दी गई छूट को वापस लें।

दूसरे खण्ड 3(एच) के अंतर्गत धमार्थ न्यासों अथवा न्यास समूह के परिसरों को छूट दी गई है। मुझे पता है कि वक्फ की बहुत ही कीमती सम्पत्ति को 2 रुपये अथवा 3 रुपये प्रति माह किराये पर दिया हुआ जो अभी उनके कब्जे में हैं। घाटा किसको है। घाटा लोगों को है वक्फ तथा धर्मार्थ संस्थानों के धन से लाभ प्राप्त करने वालों को है। अतः जब तक समय समय पर किराये नहीं बढ़ाए जाते और उन्हें मुद्रास्फीति के साथ नहीं जोड़ा जाता, जब तक मोटे तौर पर उन्हें बाजार किराये के साथ नहीं जोड़ा जाता तब तक इन धर्मार्थ संस्थानों के हितों को ही हानि होगी। मेरा सुझाव है कि विधेयक में निहित संरक्षण उन सम्पत्तियों पर लागू होना चाहिए जो धार्मिक न्यास अथवा वक्फ के अधीन हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि यह किस प्रकार के धार्मिक लोग हैं जो धार्मिक सम्पत्ति पर कब्जा कर लेते हैं। कभी–कभी लोग जो उसी धर्म को मानते हैं न्योचित किराया न देकर स्वयं को तथा ईश्वर को धोखा देते हैं जिसमें वे विश्वास करते हैं। अतः ऐसे लोगों को कोई संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। सरकार को कोई संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि सरकार को समाज के लिए एक आदर्श के रूप में कार्य करना चाहिए। इनको संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा कर आप उन्हें लोगों, उन धर्मार्थ संस्थानों न्यासों और वक्फ के लाभप्राप्तकर्ताओं के विरुद्ध संरक्षण दे रहे हैं।

मुझे एक और बात कहनी है। आपने किराया प्राधिकरण और फिर किराया न्यायाधिकरण का सुझाव दिया है और फिर आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय में चले गए हैं। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री मानती हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के पास कितना अधिक काम है और सर्वोच्च न्यायालय में की गई सिविल अपीलों पर कई दशक लग जाते हैं। अतः मैं नहीं चाहता कि ऐसे मामलों के लिए सर्वोच्च न्यायालय को परेशान किया जाए। विधि आयोग ने कई बार सुझाव दिया है कि इस प्रकार के मामलों में – साधारण विवादो मे जहा कानून के अधिक मुद्दे अंतर्ग्रस्त नहीं होते, दो अपीलों से अधिक नहीं होनी चाहिए। आपने यहां पहले ही न्यायाधिकरण की व्यवस्था कर दी है। दूसरा मंच उच्च न्यायालय होना चाहिए। दिल्ली के मामलो के लिए सर्वोच्च न्यायालय को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय समूचे देश का है और इस पर आसपास रहने वाले लोग द्वारा बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। मैंने इसका अध्ययन किया है।

यदि आप सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित मामलों का राज्य–वार विश्लेषण करें तो पता लगेगा कि उसमें अधिकांश भाग दिल्ली अथवा इसके आसपास के क्षेत्र के मामलों पर है। इस विधेयक के उपबंधों द्वारा स्थिति को और गम्भीर नहीं बनाया जाना चाहिए जोकि किराया प्राधिकरण और न्यायाधिकरण के विरुद्ध है कि आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। मेरे विचार में अपील उच्च न्यायालय में की जानी चाहिए और आप कह सकते हैं कि यह अन्तिम मौका है क्योंकि आप ऐसे मामले में दो अवसर ले सकते हैं और आपको इसे स्वीकार करना होगा।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : आधा मिनट और लूंगा। मुझे इस विधेयक के बारे में यही कहना है। मैं दिल्ली में भूमि पर गैर कानूनी कब्जे के बारे में कहना चाहता हूं। गैर कानूनी कब्जे के अनेक मामले जनता के सामने आ रहे हैं। ऐसा एक मामला आज सुबह अखबार में छपा है कि वी.आई.पी. डी.डी.ए. की कीमती भूमि पर कब्जा कर रहे हैं और ये लोग कानून से ऊपर हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीब लोगों को निकाल दिया जाता है परन्तु अमीर लोगों को संरक्षण दिया जाता है। यह बहुत ही अनुचित है विशेषकर लोकतांत्रिक राज्य में।

महोदय समूची दिल्ली में सड़कों के किनारों पर मजार और मन्दिर बने हुए हैं। ये गैर कानूनी निर्माण हैं। इनको बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपकी नगर पालिका अथवा नगर अधिकारी इन्हें अनदेखा कर देते हैं और कहते हैं कि ये लोगों की धार्मिक भावनाओं से संबंधित है इन्हें मत छेड़ो। अतः ऐसे निर्माण बढ़ते ही जा रहे हैं और एक छोटे ढांचे से बड़े ढांचे में बदल जाते हैं। ये रुकावटें पैदा करते हैं। इन्हें बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।

कुछ समय पूर्व आपने 1976 को 'कट आफ' वर्ष माना था। परन्तु 1976 के बाद का हमारी आंखों के सामने ऐसी घटनाएं घट रही हैं। ऐसी घटनाएं माननीय मंत्री जी की आंखों के सामने हो रही हैं। वे इसे अन्यथा लेती हैं। मेरे विचार में धार्मिक सम्पत्ति का कोई स्पष्ट कानूनी आधार होना चाहिए। यदि मन्दिर, मस्जिद अथवा गुरुद्वारे की आवश्यकता है तो उसके लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि हम धार्मिक लोग हैं। प्रत्येक रिहायशी क्षेत्र में इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। प्रत्येक कालोनी में इस उद्देश्य हेतु विकसित भूमि आवंटित की जानी चाहिए। परन्तु यदि मार्गो पर ये बनते हैं तो कुछ समय बाद दिल्ली की सड़कें इनसे भर जाएंगी। पता नहीं इससे दिल्ली की सुन्दरता बढ़ती है अथवा इसकी बदसूरती में वृद्धि हो रही है। परन्तु यह एक बहुत सभ्य नगर नहीं होगा।

अतः मैं माननीय मंत्री को सुझाव दूंगा कि सरकारी भूमि के गैर–कानूनी कब्जे के मामलों में उन्हें पूरी तरह सख्ती बरतनी चाहिए। उन्होंने अभी मेरे एक साथी पर मामले का राजनैतिक विचार लेने का आरोप लगाया है। परन्तु मैं आरोप लगाता हूं कि उनकी सरकार मामलों का राजनैतिक दृष्टिकोण अपना रही है। हमें जिम्मेदारी से कार्य करना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी किरायेदारों तथा मकान मालिकों दोनों के प्रति है ...**(व्यवधान)** जी हां, सैनिक फार्म भी उदाहरण है। आर.के. पुरम का भी एक उदाहरण है जहां डेरी वालों ने सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा है। मैं नहीं जानता कि यह सब कैसे हो रहा है। मेरा सुझाव है कि मामलों की जांच की जाए, चाहे यह धर्म के नाम पर हो अथवा प्रभाव, शक्ति और धन के नाम पर हो आपको उन्हें उखाड़ फैंकने के लिए पूरी तरह सख्ती से काम करना चाहिए। हमें दिल्ली में रहने वाले लाखों लोगों के लिए स्थान चाहिए और उन्हें उचित ढंग से रहना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दों को माननीय मंत्री स्पष्ट करेंगी।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : सभापति महोदय, आपने मुझे आखिर में समय दिया, उसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद। इस बात का नाम दिल्ली कंट्रोल बिल, 1958 था। इसमें कंट्रोल शब्द था और अब जो बिल आया है, उसका नाम दिल्ली रैंट बिल हो गया है, उसमें से कंट्रोल शब्द गायब हो गया है। आप बहुत अच्छा बिल लाई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसके लिए आपको पूरा भारत याद करेगा। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि मकान मालिक भी दुखी है और किराएदार भी दुखी है। मेरे पूर्व वक्ता बता रहे थे कि जिसने मकान बना लिया और खाली करवाना चाहता है, उसके सामने भी दिक्कत है और किराएदार, जिसने उस मकान में हजारों रुपये इनवेस्ट कर दिए, उसे भी खाली करने में कष्ट होता है। यहां पर दोनों को ही कष्ट है। इस समस्या का समाधान हो पाएगा या नहीं, यह तो भविष्य ही बताएगा, अभी आप इसका निर्णय नहीं कर सकते। आपने मेहनत की है, समिति के सभापति ने भी मेहनत की है। किराएदारों को, दुकानदारों को बुलाया है, किराएदारों और दुकानदारों के ज्ञापन भी हैं। इसके बाद उन सारी बातों को आपने इसमें जोड़ने का प्रस्ताव किया। कष्ट तो हर जगह है क्योंकि एक व्यक्ति एक जगह मकान मालिक है और दूसरी जगह किराएदार है। जब वह किराएदार की हैसियत से बात करता है तो उसकी सोच दूसरी होती है और जब वह मकान मालिक की हैसियत से बात करता है तो दूसरी बात सोचता है।

मेरा कहना यह है कि अभी इस कानून में निश्चित रूप से कुछ और परिवर्तन करना पड़ेगा। यदि आप यह समझ रही हैं कि आज यह बिल पास हो जाने से मकान मालिकों और किराएदारों को राहत मिल जाएगी तो यह मुश्किल है।

श्रीमती शीला कौल : आप यहां पर नहीं थे, मैं ने यह कहा था कि इसमें और भी चेंजेस होंगे।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : इसमें मेरा दोष नहीं है, मेरे कान का चोगा खराब हो गया है। मैं तो यहीं पर बैठा हुआ था। आपने जो कहा, उसके लिए धन्यवाद।

जैसे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि मकान मालिक नोटिस देगा और किराएदार भी नोटिस देगा तो एक बैलेंस्ड बिल नहीं बन पाएगा। आप विकलांगों, सैनिकों, विधवाओं या वृद्धों, मैं भी वृद्ध हूं, और आप भी वृद्ध हैं, के लिए यह जो बिल लाई हैं, इसके लिए आप धन्यवाद की पात्र हैं। लेकिन मेरा अनुरोध है कि आप जल्दबाजी न करें। आखिरकार यह लोक सभा है और वह भी प्रजातांत्रिक तरीके से चुनी गई है। हम यहां पर बैठे हैं, हमने इसके पक्ष और विपक्ष में विचार विमर्श किया है। जिस समय यह बिल आया था, उस समय दिल्ली रैंट कंट्रोल एक्ट, 1958 था, अब 1958 के बाद भारत सरकार ने मांग मान ली और दिल्ली में चुनाव हो गए। 1994 में दिल्ली की विधान सभा बनी। यह कोई मॉडर्न एक्ट तो है नहीं कि पूरे देश में लागू होगा। मुझे लोग कहा करते थे कि दिल्ली में जो कानून आ रहा है, वह बहुत अच्छा आ रहा है। आप यह भी जानती हैं कि दिल्ली के चुनाव होने के बाद 70 मेम्बर आ गए हैं। और दिल्ली के बारे में यहां बैठकर हम विचार कर रहे हैं तो मेरा निवेदन करना है कि

[अनुवाद]

सभापति जी : आप अपना भाषण अगली बार जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : बहुत–बहुत धन्यवाद। मेरा कहने का मतलब है कि दिल्ली विधान सभा को भेजा जाए। मैं कल और अध्ययन करके फिर इस बिल पर अपने विचार पेश करूंगा।

सभापति जी : भार्गव जी, साढ़े पांच बज गए हैं।

5.31 म.प.

आधे घंटे की चर्चा

अप्रयुक्त विदेशी ऋण

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा अब आधे घंटे की चर्चा शुरू करेगी। श्री राम विलास पासवान।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : सभापति जी, आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसके ऊपर जब इस सदन में तारांकित प्रश्न संख्या 721 दिनांक 26 मई को आया था तो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर यहां सदन में नहीं थे और नतीजा हुआ कि जो जूनियर मिनिस्टर थे, उनसे माननीय सदस्यों ने जो जानकारी हासिल करने की कोशिश की, उनमें से किसी को भी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई थी और इसीलिए स्वयं अध्यक्ष जी ने कहा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसके ऊपर आधे घण्टे की चर्चा रखी गई।

हमको इस बात को कहने में दुख है कि आज देश की जो हालत है, देश में देशी कर्जे और विदेशी कर्जे की भरमार हो गई है।

उसमें यदि कोई भी आदमी सिर्फ कर्जे के आंकड़े को देखता है तो पता नहीं लगता है कि भविष्य में क्या होगा, इतनी भयावह स्थिति हमारे सामने आ गई है।

एक समय था कि भारत साहूकार देश माना जाता था, हम दूसरों को कर्जा देते थे। यहां तक कि जब अंग्रेजों ने भारत को छोड़ा था, तब भी हमारे माथे पर कोई विदेशी कर्जा नहीं था। आज सरकार को पता ही नहीं है कि कुल मिलाकर कितना विदेशी कर्जा हमारे माथे पर है। यही एक प्रश्न चेयर की तरफ से भी बार–बार पूछा जा रहा था और माननीय सदस्य भी पूछ रहे थे कि हमारे माथे पर कितना विदेशी कर्जा है।

सी.ए.जी. की जो रिपोर्ट आई, उस सी.ए.जी. की रिपोर्ट की मेरे पास कटिंग है। सी.ए.जी. की रिपोर्ट में कहा गया है कि 5,58,421 करोड़ रुपये का देशी और विदेशी कर्जा है। सी.ए.जी. ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 1993–94 में जो पीक पाइण्ट था, जो बीच की सरकार का पीरियड था, उसमें प्रतिदिन 214 करोड़ रुपया विदेशी कर्जा लिया गया है और वह प्रति घंटे के हिसाब से नौ करोड़ रुपया होता है। उसी रिपोर्ट में 5,58,400 करोड़ रुपये कहा, हमको नहीं मालूम है कि सरकार को यह जानकारी होगी। मैं चाहूंगा कि सरकार जरूर इस संबंध में सदन को बताने का काम करे कि आज की डेट में हमारे माथे पर कितना विदेशी कर्जा है और कितना हमारे देश के अन्दर का कर्जा है?

वर्ल्ड डेट टेबल के मुताबिक भारत का स्थान कर्जा लेने वाले देशों में तीसरा है, कर्जखोर देशों में उसका तीसरा स्थान है। पहला ब्राजील है, दूसरा मैक्सिको है और भारत का नम्बर तीसरा आ गया है। हमारा जो टोटल बजट होता है, उस टोटल बजट का 40 परसेंट पैसा सिर्फ सूद चुकाने में चला जाता है। जो कर्जा हमने लिया है, उसका सूद चुकाने में चला जाता है और वह कर्जा लेकर हम क्या कर रहे हैं, किन परपजेज के लिए कर्जा लिया जाता है, यह भी आज तक जानकारी नहीं है। "यावज्जीवेत् सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा, घृतम पीवेत।" जब तक जिओ, खुशीपूर्वक जिओ, ऋण लेकर घी पिओ। यह पुरानी कहावत है, जो आज चरितार्थ हो रही है।

"सरकार आती है, सरकार जाती है, अब प्रधान मंत्री भी जा रहे हैं, देश चल रहा है, लेकिन कर्जा बढ़ता जा रहा है। 1977 में जब हमारी पार्टी की सरकार थी उस समय मैंने प्रश्न पूछा था कि विदेशी कर्जा हमारे माथे पर कितना है तो बतलाया गया कि 23 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है। 1980 में मैंने फिर प्रश्न पूछा लेकिन उस दौरान विदेशी कर्जा नहीं लिया गया। 1985 में कर्जा बढ़ 45 हजार करोड़ रुपये हो गया। फिर 1989 में वह बढ़ कर 90 हजार करोड़ रुपये हो गया। फिर रुपये का अवमूल्यन हो गया। उस समय कर्जा वढ़ कर 1 लाख 40 हजार करोड़ रुपये हो गया। आज हमारे ऊपर कितना कर्जा है, इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं है। जैसे आम लोग इस सबजैक्ट के बारे में जानते हैं, उतना ही मैं जानता हूं।

मैं सीधे–सादे 2–3 सवाल ही पूछना चाहता हूं। हमारे वित्त मंत्री बहुत तजुर्बेकार मिनिस्टर हैं। उन्हें बहुत जगह काम करने का मौका मिला है। वह इस फील्ड के ज्ञाता माने जाते हैं। सरकार हमें यह बताने का कष्ट करे कि हमारे ऊपर आज की तारीख में कितना विदेशी और देशी कर्जा है?

दूसरी बात यह पूछना चाहता हूं कि उस कर्जे का चुकाने के लिए हम क्या कार्यवाही कर रहे हैं और भारत कब तक डैट फ्री कंट्री होगा? क्या इसके लिए कोई लक्ष्य रखा गया है? क्या यह कर्जा 5–10 साल में हम चुकता कर देंगे? क्या हमने यही मान रखा है कि कर्जा बढ़ते–बढ़ते उस समुद्र में डूब जायें जहां से फिर निकलना मुश्किल हो जाये। क्या एक दिन ऐसा भी आयेगा जिस दिन हम गर्व के साथ संसार को कह सकेंगे हम आज से कर्ज मुक्त हो गए हैं? क्या इसके लिए सरकार ने कोई समय निर्धारित किया है?

सभापति महोदय : पासवान जी, इस पर इतनी डिटेल में डिबेट करने की जरूरत नहीं है। यह आधे घंटे की चर्चा है लेकिन फिर भी एक घंटा लग जाता है। इसमें चार और नाम हैं। इसमें लिखा है कि

[अनुवाद]

केवल प्रश्न किया जायेगा, नियमित चर्चा नहीं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : महोदय, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। मेरा अंतिम प्रश्न यह है कि क्या सरकार बतलायेगी कि अभी तक किन कामों के लिए कर्जा लिया गया है या फिर ऐसे ही कर्जा ले लिया जाता है? वह किस परपज के लिए लिया जाता है? जिस परपज के लिए कर्जा लिया जाता है और जिस विकास के नाम पर कर्जा लिया जाता है, क्या उसकी सरकार ने मानिटरिंग की है? जिस परपज के लिए कर्जा लिया जाता है, उसी मद के ऊपर क्या खर्चा होता है या फिर फाइव स्टार होटल बनाने पर और विलासिता की चीजों पर खर्च कर दिया जाता है।

इन 3–4 सवालों का जवाब मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं? मंत्री महोदय आज देश और संसार को यह बताने का काम करें कि वह आज किस स्थिति में आकर खड़े हैं और हमारी आर्थिक स्थिति क्या है?

[अनुवाद]

डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी (खेड़ा) : मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे पिछले शुक्रवार अर्थात 26 मई, 1995 के पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 721 पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दी है।

दुर्भाग्यवश, उस दिन वरिष्ठ मंत्री उपस्थित नहीं थे और कनिष्ठ मंत्री के पास उत्तर नहीं था। मैं यह सिद्ध कर सकता हूं कि सरकार ने बचने का यह मार्ग अपनाया क्योंकि मैंने 21 दिन पूर्व यह प्रश्न पूछा था और प्रश्न के दिन उत्तर तैयार नहीं था। यह कहा गया था कि वह जानकारी एकत्र कर सभा पटल पर रख देंगे। यह एक बचने का कार्य था।

उस दिन मैंने यह भी सिद्ध किया कि 1991 से मैंने वित्त मंत्रालय को 93 पत्र लिखे हैं जोकि आज भी रिकार्ड पर हैं। कुछ अवसरों पर मुझे समय पर उत्तर नहीं मिला और अनेक मौकों पर जो उत्तर मिले वे टालमटोल करने वाले थे। मुझे माननीय राष्ट्रपति

जी और प्रधान मंत्री जी से सम्पर्क करना पड़ा। मैंने 21 पत्र राष्ट्रपति जी को और 20 पत्र प्रधान मंत्री जी को लिखे हैं। इससे स्थिति की गम्भीरता का पता लगता है। इसके बावजूद, मंत्रालय मुझे संतुष्ट नहीं कर सका। यह तमाम बचने वाली कार्यवाही है।

यह स्पष्ट है कि सरकार बचने का प्रयास कर रही है। देश की वर्तमान स्थिति ऐसी है कि यह उचित समय है कि देशवासियों के समक्ष दोनों मामलों, अर्थात विदेशी ऋणों का मामला अर्थात विदेशी कर्ज और विदेशी ऋण के अधिकांश भाग के अप्रयुक्त पड़े रहने का मुख्य मुद्दा, पर स्पष्ट जानकारी रखे।

महोदय, प्रत्येक भारतीय, जिसने इस भूमि पर जन्म लिया है, उस पर 7000 रुपये का राष्ट्रीय ऋण है जैसाकि आंकड़ों से पता लगता है। सरकार अपने संवैधानिक दायित्व से बच रही है क्योंकि अनुच्छेद 292 बहुत स्पष्ट है और कहता है

"भारत की संचित निधि प्रतिभूति पर ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हो, जिन्हें संसद् समय–समय पर विधि द्वारा नियत करे, उधार लेने तक....."

प्राक्कलन समिति ने भी अपनी टिप्पणी में चिन्ता व्यक्त की है "कि सरकार अपने संवैधानिक दायित्व से बच रही है"।

सभापति महोदय : अपना प्रश्न पूछिए।

डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : महोदय, मैं प्रश्न पर आ रहा हूं। सरकार ने अभी तक ऋण लेने के लिए कोई सांविधिक अथवा विनियमन प्रक्रिया नहीं बनाई है जो सार्वजनिक वित्त के सिद्धान्तों के अनुरूप हो और संसद के प्रति उत्तरदायी हो।

मुख्य प्रश्न संसद के प्रति उत्तरदायित्व दिखाने के बारे में है और जब कभी ऋण लेने संबंधी अधिकतम सीमा पार हो जाती है, तो सरकार का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह और आगे अनुमति के लिए संसद के समक्ष आए। परन्तु ऐसा नहीं किया गया है।

प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन में भी कहा गया है कि वित्त मंत्रालय केवल तकनीकी बातों का सहारा लेकर प्रायः बचता रहता है। प्राक्कलन समिति की यह मुख्य आपत्ति है जिसने 1991–92 में अपना प्रतिवेदन दिया था।

और भी अनेक टिप्पणियां हैं जिनके बारे में मैने कहा है कि यह उचित समय है कि वित्त मंत्रालय स्थिति को स्पष्ट करे। अब विदेशी ऋण वास्तव में 1950 में 8000 करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 3,00,000 करोड़ रुपये हो गया है। ऋण सेवा लागत भी बहुत अधिक बढ़ गई है। विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार , यह लगभग 15 बिलियन डालर है अर्थात 1997 में यह लगभग 50,000 करोड़ रुपये होगी।

सभापति महोदय जेस्वाणी जी, आप प्रश्न करें, लम्बा भाषण नहीं।

डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : महोदय, मैं प्रश्न पर आ रहा है। प्रश्न का दूसरा भाग उपयोग की गई सहायता की प्रतिशतता के बारे में है। 1970 में 72 प्रतिशत सहायता उपयोग में लाई गई थी, अब वह 43 प्रतिशत रह गई है। महोदय, विदेशी सहायता का अधिकांश भाग अप्रयुक्त पड़ा है और उसपर अन्य अनेक प्रकार के शुल्क दिये जा रहे हैं। इन सब को देखते हुए मैं माननीय वित्त मंत्री से कुछ प्रश्न करना चाहता हूं।

देश को ऋण मुक्त करने के लिए सरकार ने क्या समयबद्ध कार्यक्रम बनाया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या नीति का वर्तमान नेटवर्क वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है अथवा क्या सरकार कुछ साहसी कदम उठाना चाहती है। क्या सरकार इस मामले पर कोई श्वेत पत्र जारी करेगी क्योंकि सब ओर से इसकी मांग हो रही है और स्थिति ऐसी है कि देश का प्रत्येक व्यक्ति चिन्तित है।

दूसरे, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सहायता के उचित प्रयोग पर गम्भीरता से सोच रही है और क्या कृषि क्षेत्र पर जोर दिया जायेगा जोकि दी गई पूरी सहायता का उपयोग कर सकता है क्योंकि ऐसा लगता है कि निजी क्षेत्र को इस में रुचि नही है।

तीसरे, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने आई.एम.एफ विश्व बैंक तथा अन्य संस्थानों से विदेशी ऋण के लिए अनुरोध करने संबंधी कोई नियम और प्रक्रिया बनाई है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या ऋण लेने के लिए सरकार कोई सांविधिक अथवा विनयमन प्रक्रिया बनायेगी . . . . . **(व्यवधान)**

सभापति महोदय: श्री जेस्वाणी, यह उचित नहीं है।

डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : ये सभी एक दूसरे से संबंधित प्रश्न हैं।

सभापति महोदय : नियमों के अनुसार, आप एक अथवा दो प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि आप 16 अथवा 17 प्रश्न....

डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : महोदय, यह मेरा अन्तिम प्रश्न है। हमने ऋण के कुछ भाग को बट्टे खाते डालने का अनुरोध किया है क्योंकि यह बहुत अधिक बढ़ गया है और विश्व में कुछ अन्य देशों ने ऐसा किया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसा करेगी।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : हमारे दो वरिष्ठ सदस्यों ने बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बहुत सी बातें आपके सामने रखी हैं। मैं केवल दो–तीन बातें ही कहूंगा। पहला तो यह है कि ऐसा लग रहा है कि राज्यों द्वारा सीधे विदेशों में जाकर समझौते किए जा रहे हैं। राज्य सरकारें जो समझौते कर रही है ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिये।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार : मैं उनके मुकाबले में बहुत कम बोलूंगा। मेरा पहला प्रश्न यह है कि राज्य सरकारों द्वारा जो समझौते किए जा रहे हैं उनमें केन्द्र सरकार की कितनी रुचि है, सहमति है और कितना उसकी नीतियों के अनुरूप राज्य सरकारों द्वारा समझौते किए जा रहे हैं।

दूसरा, आज के हिसाब से शायद हमारा 83 हजार करोड़ रुपया बिना खर्च के पड़ा है। उसको यूनिटलाइज करने के लिए क्या आपने मानिटिरिंग का काम किसी को सौंपा हुआ है कि कितने समय में इसको यूटिलाइज किया जाएगा। यदि यूटिलाइज नहीं होता है तो आप अपनी तरफ से क्या कदम उठा रहे हैं?

तीसरा, जो समझौते आप कर रहे हैं और जो पैसा आप ले रहे हैं वह सब वास्तव में देश की समस्याओं को ध्यान में रखकर और देश की प्रभुसत्ता को ध्यान में रखकर किया जा रहा है या किसी के स्वार्थ को ध्यान में रखकर समझौते किए जा रहे हैं, जो देश को गिरवी रख देंगे। मेरा आपसे आग्रह है कि गंभीरता के साथ इसका जवाब देना चाहिए।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : पहला मेरा सवाल है कि जिस प्रकार दूरदर्शन पर प्रतिदिन बढ़ती हुई जनसंख्या के आंकड़े देकर जनसंख्या वृद्धि के विरुद्ध विभिन्न उपायों का प्रचार-प्रसार किया जाता है तो क्या उसी प्रकार ऋण की वस्तुस्थिति से भी नियमित रूप से देश को जानकारी प्रदान कर सरकार मिव्ययता के संबंध में प्रचार-प्रसार का प्रयास करेगी।

दूसरा, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं किस दशाब्दी में किन-किन देशों से अथवा वित्तीय संस्थानों से सर्वाधिक विदेशी ऋण लिया और किन-किन उद्देश्यों के लिए लिया। केन्द्र सरकार के किन-किन विभागों, मंत्रालयों अथवा किन-किन राज्यों द्वारा प्रयुक्त नहीं किया गया । पिछले 40-45 वर्षों के समय में सर्वाधिक ऋण किसके द्वारा लिया गया, कैसे प्रयुक्त हुआ और किन उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त हुआ?

सभापति महोदय : पूरे जवाब के लिए तो पूरी थीसिस बन जायेगी।

प्रो. रासा सिंह रावत : एक प्रश्न मैं दोहराना चाहूंगा कि सरकार देश के सम्पूर्ण बाह्य एवं आंतरिक ऋण की ग्रस्तता के बारे में तथा अप्रयुक्त राशि के संबंध में एक श्वेत पत्र प्रकाशित करेगी?

[अनुवाद]

मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऑल इंडिया कंसोशियम ऑफ वेस्टर्न डोनर्स ने भी इस बात पर चिन्ता व्यक्त की है कि नई दिल्ली वर्तमान सहायता का उपयोग नहीं कर सका है। यदि हां, तो वर्तमान सहायता के शीघ्र क्रियान्वयन और वितरण के लिए तथा वर्तमान प्रणाली में कमियों को दूर करने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : महोदय, प्रश्न करने के आपने जो मुझे अनुमति दी है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। प्रत्येक वर्ष जबकि विदेशी ऋण का बोझ बढ़ता ही जा रहा है, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि प्राप्त किए गए कीमती विदेशी ऋणों का लाभ नहीं उठाया जा सका। मेरी सूचना यह है कि लगभग 37,000 करोड़ रुपये तथा इससे अधिक की राशि अप्रयुक्त पड़ी है और इसका अधिकांश भाग सिंचाई क्षेत्र से संबंधित है। यह सच है कि पहली योजना से आठवीं योजना में सिंचाई क्षेत्र के आबंटन में भारी गिरावट आई है। अनेक बार राज्य सरकारों से उनकी परियोजनाओं के बारे में स्पष्टीकरण मांगने में केन्द्रीय जल आयोग तथा जल संसाधन विभाग के उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण ऐसा हुआ है कि सिंचाई परियोजनाएं रुक गई हैं। सिंचाई योजनाओं के बन्द होने में एक मुख्य बाधा यह है। इन सिंचाई योजनाओं के लिए कोई विदेशी सहायता नहीं आ रही है। कोई विदेशी पूंजी भी नहीं आ रही है। केवल सरकारी पूंजी का ही उपयोग किया जाता है। वित्त मंत्रालय जल संसाधन मंत्रालय के साथ मिलकर उनकी कार्य-प्रणाली में परिवर्तन क्यों नहीं कर रहा जिससे परियोजना प्रस्तावों को यथासंभव शीघ्र मंजूरी मिल सके। यदि परिवर्तन कर दिए जाते हैं, तो इन सभी विदेशी ऋणों का लाभ उठाया जा सकता है जिन्हें अनेक प्रयासों तथा हमारी सरकार और विदेशी सरकारों के बीच पत्राचार के बाद प्राप्त किया गया है और किसानों को सिंचाई सुविधाएं दी जा सकती हैं जोकि अन्ततः उत्पादकता और कृषि उत्पादों में वृद्धि करने हेतु अत्यावश्यक है। यह मेरा एक सरल प्रश्न है जो मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : सभापति महोदय, एक छोटा सा प्रश्न और है। बढ़ती हुई विदेशी मुद्रा भंडार तथा स्वर्ण भंडार को दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार राष्ट्रीय स्वाभिमान और अस्मिता को जगाने के लिए ऋण मुक्त वर्ष मनाने का प्रयास करेगी?

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। मुझे खेद है कि गत शुक्रवार जब मुख्य प्रश्न पूछा गया था, मैं उपस्थित नहीं था। मुझे ब्रिटेन के वित्त मंत्री (ब्रिटिश चांसलर ऑफ एक्सचेकर) के स्वागत के लिए जाना था और इसलिए मैंने सभा से अनुपस्थित रहने के लिए अध्यक्ष महोदय से अनुमति ली थी। मुझे खेद है कि मैं यहां नहीं था। माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए कुछ प्रश्नों को स्पष्ट करने का मुझे यह अवसर मिला है और मैं बहुत खुश हूं।

श्री पासवान जी ने विदेशी ऋण के बारे में अनेक प्रश्न उठाए हैं। महोदय, हम आर्थिक सर्वेक्षण में सभी आंकड़े प्रकाशित करते हैं। यदि आप सितम्बर, 1994 का आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ें, तो आप देखेंगे कि हमने उसमें 90.452 बिलियन डालर बताए हैं। ऋण विभिन्न मुद्राओं में है। कुछ ऋण डालरों में है, कुछ एस.डी.आर. में और कुछ अन्य मुद्राओं में हैं। अतः मुद्रा में उतार-चढ़ाव का प्रभाव भी कुल ऋण पर पड़ता है यदि यह डालरों में है। उदाहरण के तौर पर, हाल के महीनों में येन की तुलना में डालर गिरा है। जर्मन मार्क की तुलना में भी इसमें गिरावट आई है। इसलिए, वास्तविक ऋण स्थिर रहने के बावजूद, ऋण के डालर मूल्य में वृद्धि हो जाती है। विनिमय मुद्रा में सभी परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए हम 31 मार्च, 1995 के आंकड़े एकत्र कर रहे हैं और विदेशी ऋण संबंधी देश की पूर्ण स्थिति के बारे में श्वेत पत्र जारी करने में मुझे खुशी होगी।

हम स्थिति पूरी तरह स्पष्ट करने के पक्ष में हैं। मेरे विचार में देश को यह जानने का हक है कि हमारे ऊपर कितना ऋण है, यह स्थिति कैसे आई और इससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा

रहे हैं। हम स्थिति को जितनी स्पष्ट कर सकते हैं उतनी स्पष्ट करने का हमारा प्रयास है। उदाहरण के तौर पर, जब हमारी सरकार सत्ता में आई, तो रक्षा ऋण को कुल ऋण में शामिल नहीं किया जाता था। रक्षा ऋण हमारे ऊपर कितना था जोकि हमें सोवियत संघ को देना था, यह बात अन्य सभी देशों को ज्ञात थी परन्तु हमारे आंकड़ों में इसे नहीं दर्शाया गया था। हमने इस प्रथा को समाप्त कर दिया है। ऋण संबंधी आंकड़े, हम जो अब प्रकाशित कर रहे हैं उनमें सभी प्रकार के ऋण शामिल हैं। यह एक सुधार है। परन्तु 1992–93 के पहले के वर्षों में रक्षा ऋण को इन आंकड़ों में शामिल नही किया जाता था। कभी–कभी आपको यह आभास मिलता है कि ऋण में बहुत वृद्धि हुई है परन्तु पहले के आंकड़ों की हाल के वर्षों के आंकड़ों से तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि इनमें रक्षा ऋण के आंकड़े भी शामिल हैं।

एक दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि 80 के दशक के मध्य में हमारे विदेशी ऋण में प्रतिवर्ष औसतन 6 बिलियन डालर की वृद्धि हुई थी। 1991 में हमारे विदेशी ऋण में, यदि हम उसे चालू खाते के भुगतान संतुलन के घाटे से नापे, मोटे तौर पर 9 बिलियन डालर की वृद्धि हुई थी। उसके बाद से ऋण वृद्धि की दर में बहुत कमी आई है, लगभग दो से तीन बिलियन डालर। ऋण बढ़ रहा है परन्तु इसकी वृद्धि दर में कमी आई है।

कोई पूछ सकता है कि क्या रातों रात ऋण में वृद्धि को रोकना संभव है? ऋण में वृद्धि को रोकने का केवल एक ही तरीका है यदि भारत का चालू खाते में संतुलन हो। यदि हमारी प्राप्तियों और भुगतान में संतुलन हो। मेरे विचार में पिछले 40 वर्षों में हम सदा ऐसी स्थिति में रहे हैं जहां हमारी निर्यात आय ने हमारे आयात का पचास से साठ प्रतिशत तक साथ दिया है। अतः, यह अन्तर निरन्तर बना रहा और भारत ने इन तीन–चालीस वर्षों में कुल घरेलू उत्पाद की औसतन 2.5 से 3 प्रतिशत राशि ली है। यदि हम यह चाहते हैं कि यह तुरन्त समाप्त हो जाए, तो मुद्रास्फीति में बहुत वृद्धि होगी, बेरोजगारी में बहुत वृद्धि होगी क्योंकि आयात को तेजी से कम करके भुगतान संतुलन को संतुलित करना सदा संभव है। जिस वर्ष हमारी सरकार सत्ता में आई थी, हमने ऐसा ही किया था और हमने भुगतान–शेष के घाटे को बहुत कम किया था क्योंकि हम घाटे को पूरा करने के योग्य नहीं थे और हमने परिणाम देखे थे। राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर गिर कर एक प्रतिशत रह गई थी। मुद्रास्फीति में तेजी से वृद्धि हुई थी। औद्योगिक उत्पादन में भारी गिरावट आई थी। उस वर्ष औद्योगिक उत्पादन लगभग शून्य था। अतः, यह कोई अच्छी नीति नहीं है। हमें मध्यावधि नीति अपनाने की आवश्यकता है जो इस बीच ऋण वृद्धि को कम करे और अन्ततः हम ऐसी स्थिति में आयें जहां ऋण का भुगतान कर सकें। परन्तु यह तभी संभव है यदि भुगान संतुलन में चालू खाते में हमारे पास कुछ फालतू हो। इस ओर हमने प्रगति की है, यदि आप चालू खाते के घाटे को देखें तो यह 1990–91 में हमारे कुल घरेलू उत्पाद का 3.24 प्रतिशत था।

6.00 म.प.

1991–92 में हमने इसे घटा कर 0.47 प्रतिशत कर दिया था। यह गम्भीर संकट का वर्ष था। हम विदेशों में कोई धन नहीं ले सके थे। अतः इसमें भारी कमी आई। इसकी प्रतिक्रिया यह हुई कि आर्थिक गतिविधियों में भी बहुत कमी आई। अगले वर्ष यह 1.45 थी। 1993–94 में पुनः चालू खाता घाटे में तेजी से कमी आई। हमारा अनुमान है कि यह 0.25 प्रशित से अधिक नहीं है और 1994–95 के लिए मोटे तौर पर चालू खाता घाटा वर्तमान अनुमानों के अनुसार हमारे कुल घरेलू उत्पाद का आधा प्रतिशत से भी कम होगा। अतः, हम प्रगति कर रहे हैं। मेरे विचार में हम ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जहां हमारा ऋण धीमी से धीमी गति पर बढ़ रहा है और यदि हम इस मार्ग पर चलते रहे और यदि हमारे निर्यात में डालरों में 20 प्रतिशत की वृद्धि जारी रही, जैसाकि गत दो वर्षों में वृद्धि हुई है, तो मुझे विश्वास है कि अगले पांच से दस वर्षों की अवधि में हम ऐसी स्थिति में आ जाएंगे जहां हम अपने चालू खाते में संतुलन ला सकेंगे। परन्तु रातों–रात ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ी अवधि में ऐसा करने के लिए हमें अपनी अर्थव्यवस्था को नीचे लाना होगा। इससे मुद्रास्फीति में भारी वृद्धि होगी और औद्योगिक उत्पादन में बहुत कमी आएगी। हमारे विचार में यह उत्पादकंता विरोधी होगा। हमारी नीति यह है कि हम भुगतान संतुलन प्रबन्धन नीति अपनाएं जो धीरे–धीरे चालू खाता घाटे को कम करे और जो धीरे–धीरे ऋण सेवा भुगतान को भी कम करे। मेरे अनुमान के अनुसार, अगले वर्ष ऋण सेवा अनुदान बढ़ जायेगा क्योंकि हम अभी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण के शेष भाग का भुगतान करना है। परन्तु इसके बाद कुल प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ऋण सेवा अनुदान में कमी आयेगी।

हमारा उद्देश्य यह है कि इस दशक के अन्त तक हम ऐसी स्थिति में आ जायें जहां भुगतान संतुलन पर भारत के चालू खाता प्राप्तियों की तुलना में ऋण सेवा अनुपात 20 प्रतिशत से कम रह जाये। मेरे विचार में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यह एक सुरक्षित सीमा है और हमारा यही लक्ष्य है। अतः भुगतान संतुलन के बारे में हमारी स्पष्ट नीति है। भुगतान संतुलन के प्रबन्ध का कोई छोटा रास्ता नहीं है। हमें या तो अपने निर्यात को बढ़ाना है या आयात को कम करना है। कभी कभी यह आभास होता है कि हम अन्धाधुन्ध आयात कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा मामला नहीं है। आज हमारी विनिमय दर और टैरिफ हमारे उद्योगों को पर्याप्त संरक्षण दे रहे हैं। ऐसा कोई खतरा नहीं है कि भारत को आयात डुबो देंगे। हमने जो प्रणाली अपनाई है, उसमें रोकथाम की स्वतः व्यवस्था है और हमारा भुगतान संतुलन घाटा उन सीमाओं के भीतर ही रहेगा जिन्हें हम संभाल सकते हैं। श्री पासवान जी के प्रश्न का यही उत्तर है।

तीसरा प्रश्न यह था कि हम कब ऋण मुक्त होंगे। मेरे विचार में सितम्बर 1994 को हमारे उपर 90 से 92 बिलियन डालर का ऋण था। यदि आप ऋण मुक्त होना चाहते हैं, तो आपको चालू खाते में फालतू राशि दिखानी होगी ताकि ऋण का भुगतान किया जा सके। मेरे विचार में पांच वर्षों में ऐसा नहीं हो सकता है। मैं यह भी नहीं समझता कि दस वर्षों में ऐसा हो सकता है। मेरे विचार में व्यवहार्य नीति यह है, शायद ऋण की राशि में वृद्धि होगी परन्तु यह वृद्धि धीरे धीरे होगी, परन्तु सकल घरेलू उत्पाद में और चालू प्राप्तियों के अनुपात में, निर्यात आय में अनुपात में इसमें कमी आयेगी। विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जो पूरी तरह से ऋण से मुक्त है। आप विश्व

के इतिहास को देखें। 19वीं शताब्दी में पूरे उत्तरी अमरीका में मूल ढांचे को यूरोप के पूंजी बाजारों से ऋण लेकर ही विकसित किया गया था। दक्षिण कोरिया ने सन 1970 तक भारी ऋण लिया था। मुद्दा यह नहीं है कि हम ऋण लें अथवा न लें। मुद्दा यह है कि हम इस ऋण का क्या करते है। यदि लोग इसका बुद्धिमत्ता से प्रयोग करते हैं तो उनको अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है जिससे वे उस ऋण को वापस कर सकते हैं। हमारे देश में वास्तव मुद्दा यह है कि हम इन ऋणों का किस प्रकार प्रयोग करते हैं। दुर्भाग्यवश, सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों में ही, हमें उपयोग किए गये साधनों से उतनी अच्छी उत्पादकता प्राप्त नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। हमारा जीवन स्तर, अधिक उत्पादकता, मेहनत तथा श्रम और पूंजी से अधिक से अधिक प्राप्त करने पर निर्भर है। कमजोरियां रही हैं। हमने आर्थिक सुधार कार्यक्रम प्रयुक्त संसाधनों से कम उत्पादकता की समस्या से निपटने के लिए ही बनाया है।

हम सरकारी क्षेत्र में पुनर्गठन का प्रयास कर रहे हैं ताकि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम जो इस समय लगभग दो प्रतिशत का लाभ देते हैं, अधिक लाभ कमा सकें। यदि पुनर्स्थापना लागत पर मूल्य–ह्रास की अनुमति दें, तो योगदान को जोड़कर इनका मूल्य नकारात्मक हो जायेगा। इस प्रकार, सरकारी क्षेत्र देश के धन में वृद्धि नहीं करता। इसी प्रकार, निजी क्षेत्र भी चार वर्ष पहले तक 200 प्रतिशत तथा इससे अधिक की टैरिफ सहायता का आश्रय लेकर लाभ कमा रहा था। मेरे विचार में उत्पादन की प्रक्रिया में वास्तविक मूल्य वृद्धि बहुत कम थी और हमारा प्रयास है टैरिफ को मध्यम बनाने का है ताकि आगामी वर्षों में अधिक प्रतिस्पर्धा हो, लागत के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो। गुणवत्ता लाने में जागरूकता हो और ऐसा माहौल उत्पन्न हो जिससे सरकारी तथा निजी, दोनों क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ सके। यही एक तरीका है जिससे हमारी अर्थव्यवस्था का पूरी तरह विकास हो सकता है और साथ ही मजबूत आर्थिक आधार बन सकता है जिससे हम अधिक निर्यात कर सकेंगे और ऋणों की वापसी के लिए भुगतान संतुलन में फालतू राशि प्राप्त कर सकेंगे।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : यह 92 बिलियन, रुपयों में कितना होता है।

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : आप इसे 30 से गुणा कर लें।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : हम लोग देहात के आदमी हैं। हमारा सीधा सा सवाल है, मंत्री महोदय के पास आज की सूचना नहीं है तो 31 दिसम्बर 1994 तक की ही बता दें, 31 मार्च 1995 तक बता दें कि कितना विदेशी कर्जा है।

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : पासवान जी हमने आर्थिक सर्वेक्षण में सभी आंकड़े दे दिये हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : आप अभी बतला दीजिए। इसी के लिए क्वश्चन पोस्टपोंड हुआ था।

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : मैं यह आंकड़े इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि रुपये के मूल्य में प्रायः उतार चढ़ाव होता रहता है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : इकोनोमिक सर्वे में लिखा हुआ है। इसी कारण तो क्वश्चन पोस्टपोंड हुआ था कि कितना विदेशी कर्ज है। इनके मिनिस्टर ने कहा था कि मैं सर्वे करा रहा हूं कि आज की तारीख में हमारे सर पर कितना कर्जा है।

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : पासवान जी, यह प्रश्न ऋणों के उपयोग के बारे में था। जो प्रश्न सूचीबद्ध किया गया था, वह यह नहीं था।

श्री राम विलास पासवान : आपने अनुपूरक प्रश्न नहीं पढ़े हैं। अनेक सदस्यों ने अनुपूरक प्रश्न पूछे थे **[हिन्दी]** और स्पीकर का रिमार्क भी है। मैम्बर का सीधा सवाल था कि हमारे देश के ऊपर कितना विदेशी और देशी कर्जा है। और कब यह देश डेब्ट फ्री होगा? इसपर जब मंत्री जी जवाब नहीं दे पाये तो स्पीकर साहब ने कहा था कि **[अनुवाद]** मैं आधे घण्टे की चर्चा की अनुमति दूंगा। **[हिन्दी]** आज वही सवाल मैं फिर पूछना चाहता हूं कि हमारे देश पर कितना विदेशी कर्जा है।

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : मैं आपको यह जानकारी भेज दूंगा।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : महोदय, प्रश्न अप्रमुक्त विदेशी ऋणों के बारे में था।

श्री राम विलास पासवान : यह प्रश्न अनुपूरक प्रश्न के रूप में उठाया गया था। . . . . **(व्यवधान)**

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, प्रश्न यह पूछा गया था कि हम किस प्रयोजन हेतु ऋण लेते हैं। कुछ ऋण भुगतान संतुलन को बनाये रखने के लिए लिये जाते हैं। हम कठिनाई में थे और सामान्य भुगतान संतुलन बनाये रखने के लिए हमने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लिया था। कुछ ऋण हमने विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए भी लिए हैं परन्तु अधिकांश ऋण परियोजनाओं से सम्बन्धित हैं और ऐसे सभी ऋणों पर निगरानी रखी जाती है। वित्त मंत्रालय में एक परियोजना निगरानी यूनिट है। अधिकांश परियोजना ऋण राज्यों के हैं और मैं इसका उत्तर उस समय दूंगा जब यह प्रश्न आयेगा कि वहां ऋण अप्रयुक्त क्यों पड़े हैं। वहां समस्याएं हैं। हम जानते हैं कि ये ऋण किस प्रयोजनार्थ लिए गये और हम उनपर प्रभावी ढंग से निगरानी रख रहे हैं।

महोदय, श्री जेस्वाणी ने हमारे बचने की बात कही है। मैं मानता हूं कि वह बहुत से पत्र लिख रहे हैं, परन्तु मेरे विचार में हमने कभी

कुछ छिपाने का प्रयास नहीं किया। मैं फिर स्पष्ट रूप से कहता हूं कि हम विदेशी ऋण पर श्वेतपत्र रखेंगे जिसमें सभी तथ्य होंगे क्योंकि हम इस सभा के सदस्यों से कुछ छिपाना नहीं चाहते। अतः मैं नहीं मानता . . . **(व्यवधान)** आप अपनी बात कह सकते हैं। मुझे पहले अपनी बात पूरी करने दीजिए . . . . **(व्यवधान)**

आपने अप्रयुक्त भाग के बारे में पूछा था। मेरे पास कुछ प्रारम्भिक जानकारी है। 31 मार्च, 1995 को, दुर्भाग्यवश मेरे पास फिर आंकड़े डालरों में हैं क्योंकि तुलना का यही एक तरीका है चूंकि कुल 33.696 बिलियन डालर की राशि मंजूर की गई थी। इसमें से 4.166 बिलियन डालर अनुदान के रूप में है और 29.530 बिलियन डालर ऋण के रूप में है। 33.695 बिलियन डालर की मंजूरशुदा राशि में से 17.592 बिलियन डालर की राशि अप्रयुक्त है। जहां तक अनुदान का संबंध है, 4.166 बिलियन डालर की राशि में से 2.166 बिलियन डालर अप्रयुक्त है। कुल मंजूरशुदा ऋण की 29.530 बिलियन डालर की राशि में से 15.426 बिलियन डालर अप्रयुक्त है। (व्यवधान) मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए।

यह देखने के लिये कि हमारा वितरण संतोषजनक है अथवा नहीं, विश्व बैंक के पास मानदण्ड है। विश्व बैंक के हिसाब से वितरण का अनुपात कुल राशि का 16 प्रतिशत है। हमारे मामले में 1992–93 में वितरण अनुपात 19.25 था, 1993–94 में 19.03 और 1994–95 में यह 18.12 (अनन्तिम) था। यह गिरावट इसलिये है कि हम अब सामान्य प्रयोजन हेतु ऋण नहीं ले रहे हैं। अब हम उस संकट से निकल चुके हैं। अतः अब हम तेजी से वितरण किये जाने वाले ऋण प्राप्त नहीं कर रहे हैं जैसाकि 1991–92 और 1992–93 में था। अधिकांश सहायता परियोजना ऋण के रूप में है और इसके वितरण में लम्बा समय लगता है। हमारे देश में आम तौर पर एक परियोजना पूरी करने में पांच से सात वर्ष का समय लगता है। अतः यदि मैं परियोजना के लिए 100 रुपया लेता हूं तो उसे पांच से सात वर्षों में खर्च किया जायेगा। हमारे पास अप्रयुक्त राशि पड़े रहने का अर्थ यह नहीं है कि कोई अकार्यकुशलता है। इस क्षेत्र में कुछ समस्याएं हैं जिनका उल्लेख मैं बाद में करूंगा। अतः अप्रयुक्त भाग की बात करते हुए सभा को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अन्य देशों तथा विश्व बैंक द्वारा निर्धारित अनुमान की तुलना में हमारा वितरण अनुपात बहुत अच्छा है। परन्तु, मैं मानता हूं कि कुछ समस्याएं हैं और अप्रयुक्त सहायता के वितरण में और अधिक कार्यकुशल होना होगा। समस्याएं है। . . . सबसे पहले . . . . .

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह राक्त : आप मुझे इंटरप्शन के लिए क्षमा करेंगे। आपने डिस्बर्समैंट का स्तर तो बताया लेकिन उपयोगिता का जो स्तर है, वह 1970 से 1979 तक 70 परसेंट था आज वह घट कर 43 परसेंट पर रह गया है।

सभापति महोदय : आप पहले आगे बोलने दीजिए।

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : मैं नहीं जानता कि आप किन आंकड़ों की बात कर रहे हैं। इस प्रकार मेज पर बैठकर आंकड़े तय नहीं किये जा सकते।

महोदय, पहला कारण कि हम वितरण को और बेहतर क्यों नहीं कर सके यह है कि हम पर्याप्त मात्रा में रुपयों की व्यवस्था नहीं कर सके। जब हम परियोजना के लिए सहायता लेते हैं तो हमें परियोजना की शत–प्रतिशत लागत नहीं मिलती। अनेक परियोजनाओं के मामले में केवल विदेशी मुद्रा का भाग ही मिलता है और परियोजना की स्थानीय लागत को रुपयों से पूरा किया जाता है सिवाय सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों के जहां स्थानीय लागत को 70 या 80 प्रतिशत तक पूरा किया जा सकता है। यदि हम रुपयों में संसाधन नहीं जुटा पाते, तो जो परियोजना पांच से सात वर्ष में पूरी होनी होती है, उसमें और अधिक समय लग जाता है। हमारी योजना पद्धति की प्रवृत्ति रही है कि हम बहुत सी योजनाओं को शुरू कर देते हैं और जो पहले से हैं उनको समय पर पूरा नहीं करते। परिणाम यह होता है कि संसाधन बंट जाते हैं और इसका एक परिणाम यह होता है कि विदेशी सहायता का समय पर उपयोग नहीं हो पाता जिसका प्रयोग तेजी से होना चाहिए यह एक समस्या हमारे सामने है।

दूसरी समस्या अधिप्राप्ति तथा करारनामे की है। नीलामी प्रक्रिया में समय लगता है। अब अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों को मानक बोली दस्तावेज रखने वालों के साथ करार करने की आवश्यकता होती है। हमारे देश में अभी हाल ही तक हमारे पास नीलामी की मानक प्रक्रिया नहीं थी और न ही मानक निविदा दस्तावेज। वित्त मंत्री बनने के तुरन्त बाद मैंने वित्त मंत्रालय से इनके मानकीकरण को कहा। अब हम ऐसा कर रहे हैं। हमने इस ओर प्रगति की है। परन्तु अनेक राज्य सरकारें इन मानकीकृत तरीकों का अनुसरण नहीं करतीं और जब हम वितरण के लिए पत्र भेजते हैं और यह स्वाभाविक है कि यदि वे मानक बोली दस्तावेज के अनुरूप नहीं हैं तो हमारे लिए धन प्राप्त करने में समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

तीसरी समस्या परियोजना कार्यान्वयन की है, अनेक परियोजनाओं, उदाहरण के तौर पर, कोयला क्षेत्र में, को भूमि अर्जन की समस्या का सामना करना पड़ता है। अनेक परियोजनाओं को पर्यावरण मंजूरी की समस्या का सामना करना पड़ता है। और कुछ अन्य क्षेत्रों में अन्य समस्याएं हैं। माननीय सदस्य श्री राव ने सिंचाई का मामला उठाया है। इन सभी क्षेत्रों में, यह मानना होगा कि जब हम सहायता स्वीकार करते हैं तो उनके साथ कुछ शर्तें भी होती हैं। उदाहरण के तौर पर, आप यदि सिंचाई के लिये धन लेना चाहते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि ली जाने वाली जल की दरें लाभप्रद हों। हमारे देश में बहुत गम्भीर समस्याएं हैं। अधिकांश राज्य सरकारें जल की दरें तथा अन्य संबंधित मामलों पर अपने वचनों को पूरा करना सम्भव नहीं पातीं और परिणाम यह होता है कि यदि हम ऋण ले भी लेते हैं, तो भी इसका भुगतान नहीं हो पाता।

आज हमारे समक्ष विद्युत क्षेत्र में बड़ी समस्या है। हमने बड़ी राशि के करार कर रखे हैं परन्तु उनका वितरण नहीं हो पाया क्योंकि हमारी टेरिफ दरें उनके अनुकूल नहीं हैं जिनपर हमने विश्व बैंक तथा अन्य एजेन्सियों से करार कर रखे हैं।

अतः ये समस्याएं हैं जिनके कारण वितरण में विलम्ब हुआ और हमें इन समस्याओं से निपटना है।

वित्त मंत्रालय द्वारा संसाधनों की कमी की समस्या से निपटने

हेतु मैंने अभी जो कहा वह यह है कि 1992–93 में विदेशी सहायता के रूप में हमें जो राशि मिलती थी, उसका केवल 70 प्रतिशत भाग राज्यों को दिया गया था, अब केन्द्र को मिलने वाली सहायता का शत प्रतिशत राज्यों को दे दिया जाता है ताकि वे यह न कह सकें कि धन की कमी है। हम शतप्रतिशत राशि उनको दे रहे हैं। इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि राज्य पहले ही कुछ योजना बना सकें हम दी जाने वाली अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का 25 प्रतिशत उन्हें पहले ही दे देते हैं। हम वर्ष के शुरू में ही यह राशि दे रहे हैं ताकि राज्यों को प्रारम्भिक कार्य शुरू करने में सहायता मिल सके। परन्तु कुल मिला कर संसाधनों की कमी के कारण, जिसका राज्यों को अनुभव होता है, अनेक परियाजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पातीं। हम ने उन बहुत से राज्यों का सर्वेक्षण कराया है जहां परियोजनाओं को क्रियान्वित करना बहुत कठिन हो रहा है ताकि वायदा शुल्क संचित न हो। हमने उनमें से बहुत सी परियोजनाओं को रद्द कर दिया है। इस प्रक्रिया में हम अवांछित वायदा शुल्क बचा रहे हैं। अतः यह एक निरन्तर प्रक्रिया है।

जैसा मैंने बताया, वित्त मंत्रालय में परियोजना निगरानी यूनिट इन मुद्दों से राज्य–वार निपटता है। वितरण में विलम्ब के यही कारण हैं और यह प्रयास है जो हम कर रहे हैं।

माननीय सदस्य, श्री जेस्वाणी ने सांविधिक सीमा का भी उल्लेख किया है। यह एक व्यापक मामला है। संसद इस पर वाद–विवाद कर सकती है। परन्तु मेरी विनम्र राय यह है कि इस जटिल अनिश्चित संसार में, जहां हम रह रहे हैं, इससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। उद्देश्य प्रशसनीय है परन्तु जीवन बहुत अधिक जटिल है। आने वाले वर्षों में हमें अनेक अनिश्चितताओं का सामना करना होगा और इससे हमारी पूरी योजना प्रक्रिया ऐसी स्थिति में आ जायेगी जो उत्पादकता विरोधी होगी। संसद में पास बजट, खर्च तथा राजस्व पक्ष, और ऋण आवश्यकता, जोकि बजट बनाने की प्रक्रिया का एक भाग है, पारित करने का पर्याप्त अवसर है। स्थायी समिति इन मामलों पर अब गहराई से विचार करती है। मेरी अपनी भावना यह है कि प्रणाली का उचित परीक्षण किया जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर कुछ वर्ष पूर्व अमरीका ने ग्राहम रेडमैन अधिनियम पारित किया था, परन्तु उन्होंने इसे बहुत कठिन पाया और उसे समाप्त कर दिया। मेरे विचार में अनिश्चितताओं से भरे इस विश्व में जीवन बहुत जटिल है।

यदि हम डा. के.डी. जेस्वाणी द्वारा बताई गई कठोर पद्धति को अपनाते हैं तो मेरे विचार में हम प्रयास ता कर सकते हैं, परन्तु इन अनिश्चितताओं का सामना नहीं कर पायेंगे। मैं उनकी चिन्ता की सराहना करता हूं। मेरे विचार में विदेशी ऋणों पर कुछ रोक होनी चाहिए। परन्तु इन समस्याओं का कोई यान्त्रिक हल नहीं है। मेरे विचार में यह देश का सामूहिक राजनैतिक इच्छा का प्रश्न है। यदि हम अपने खर्च पर नियंत्रण नहीं रखते, अपने कर वसूल नहीं करते, तो इसका कोई हल नहीं है।

ये समस्याएं हैं। जब तक हमारे संसाधनों की उत्पादकता कम रहती है, जब तक खर्च अधिक करते हैं, और जब तक हम यह नहीं मानते कि धन पेड़ों पर नहीं उगता, तब तक हम इन समस्याओं का कोई सरल हल नहीं है। परन्तु डा. जेस्वाणी ने जो चिन्ता व्यक्त की, मैं उसकी सराहना करता हूं। उन्होंने ऋण सेवा अनुपात का प्रश्न भी उठाया है। मैंने उस प्रश्न का उत्तर दिया है और हमारा यह प्रयास है कि हम इस तिमाही के अन्त तक इस ऋण सेवा अनुपात को 20 प्रतिशत से नीचे लायेंगे।

उन्होंने सहायता के उपयोग के प्रतिशत और कम उपयोग का प्रश्न भी उठाया है। मैंने उनके आंकड़े दे दिये हैं।

श्री श्रीकान्त जेना : ऋण को बट्टे खाते डालने के बारे में क्या है।

श्री मनमोहन सिंह : जहां तक ऋण को बटटे खाते डालने का प्रश्न है मैं बटटे खाते डालने के लिए अनुरोध करने के पक्ष में नहीं हूं। ऐसा करने वाले वे देश हैं जिनका दिवालिया निकल गया है और जो देश इसके लिए पेरिस क्लब मे गए थे और दाता देशों के पास गये थे मुझे पता है उनको किस प्रकार अपमान सहना पडा था। एक ओर हम अपने देश की प्रभुसत्ता की रक्षा की बात करते हैं और दूसरी ओर हम उनके पास जायें और कहें कृपया हमारा ऋण माफ कर दीजिए। यह कोई सम्मानपूर्वक मार्ग नहीं है। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना चाहिए। हमें गर्व है कि बहुत ही खराब स्थिति में भी हम ने अपने दायित्व को पूरा किया है। यही कारण है कि हमारी 'क्रेडिट रेटिंग' इस समय काफी अच्छी है। मैं नहीं चाहता देश अफ्रीका अथवा लातीनी अमरीका के देशों जैसा बने। जब तक मैं वित्त मंत्री हूं मैं अपने देश को ऐसी स्थिति में नहीं जाने दूंगा। हम अपने सभी वायदों को पूरा करेंगे, हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनायेंगे और आगामी वर्षों में हम अपने पाव पर खड़े हो सकेंगे। भारत की स्वतंत्रता के पचास वर्षों से हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, परन्तु हर साल वित्त मंत्री सहायता के लिए विदेश जाता है।

श्री श्रीकान्त जेना : प्रत्येक वर्ष नहीं। 1977 से 1980 तक।

श्री मनमोहन सिंह : आप इस बारे में नहीं जानते।

श्री श्रीकान्त जेना : आप स्थिति बतायें।

श्री मनमोहन सिंह : भारतीय सहायता अर्थसंघ 1957–58 में बना था। तब से हम रियायती दर पर सहायता के लिये इन के पास और अन्य देशों के पास जाते रहे हैं और जैसाकि मैंने एक से अधिक अवसरों पर कहा है, अन्तर्राष्ट्रीय सहायता तंत्र कोई दान का कार्य नहीं है। यह एक राजनैतिक तंत्र है और ऋण लेने वालों की तुलना में दाता देशों की स्थिति सदा मजबूत होती है। यदि हम आत्म–निर्भरता की ओर जाना चाहते हैं, तो हमें यथासम्भव शीघ्र इस रियायती सहायता से छुटकारा पाना होगा। इसके लिये दो रास्ते हैं। अल्पावधि में हम इस रियायती सहायता के स्थान पर सीधे पूंजी निवेश को लाने का प्रयास कर रहे हैं। सीधा पूंजी निवेश एक दूसरे का पूरक तथा आपसी लाभ का कार्य है। यदि हमें पूंजी निवेश चाहिए तो मुझे ब्रिटेन में वित्त मंत्री के पास नहीं जाना पड़ता। वहां के वित्त मंत्री यहां थे और मैं आप को स्पष्ट रूप से बता दूं कि मैंने उनके साथ एक बार भी अधिक सहायता का मामला नहीं उठाया। अमरीका के वित्त मंत्री भी यहां थे, मैंने उनके साथ भी अधिक सहायता का मामला नहीं उठाया। मैं चाहता हूं कि भारत आत्म–निर्भरता के मार्ग पर चले। आत्म–निर्भरता का सही अर्थ है

एक दूसरे पर निर्भर विश्व। हमें अपने सभी आयातों के लिए निर्यात तथा वाणिजियक पूंजी के सामान्य आयात जो कि एक आर्थिक प्रस्ताव है, के माध्यम से भुगतान करने योग्य होना चाहिए। यह कोई दान का कार्य नहीं है। यह हमारी व्यापक नीति है। अतः मैं अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के पास यह कहने के लिए जाने के पक्ष में नहीं हूं कि हमारे ऋण बटटे खाते डाल दो क्योंकि यदि पेरिस क्लब में जाते हैं तो वह बहुत ही अपमान का काम है। हम ऐसी स्थिति में नहीं हैं और न ही ऐसी स्थिति में कभी होंगे। तो इस बारे में मेरा सीधा सादा उत्तर "नहीं" है।

श्री संतोष कुमार गंगवार ने अप्रयुक्त सहायता का मामला उठाया था **(व्यवधान)** पहले मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिये फिर मैं सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा।

श्री संतोष कुमार गंगवार जी ने अप्रयुक्त सहायता का मामला उठाया था। मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुका हूं। उन्होंने पूछा है कि क्या हमारे सहायता करार हमारे देश की सहायता के लिये हैं अथवा अर्थव्यवस्था को गिरवी रखने के लिये हैं। मेरा उत्तर यह है कि सभी सहायता करार हमारे देश की सहायता के लिए ही किये जाते हैं क्योंकि हमें इस स्थिति में अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता है। धन प्राप्त करने के बाद यह हमारा परम कर्तव्य हो जाता है कि हम धन का प्रयोग लाभकारी ढंग से करें। यदि हम ऐसा नहीं करते तो यह हमारी गलती है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि इन ऋणों में ही कुछ गलत है।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे जी ने सिंचाई क्षेत्र के बारे में प्रश्न उठाया था। मैं पहले ही बता चुका हूं कि सिंचाई क्षेत्र के लिए बड़े पैमाने के लिए हम धन क्यों नहीं ले सके क्योंकि अधिकांश मामलों में जिस ढंग से हमारे देश में सिंचाई क्षेत्र का प्रबन्ध किया जाता है, सिंचाई कार्य इनके चलाने पर आने वाली लागत को भी पूरा नहीं करते। ऐसी स्थिति में यह बहुत कठिन है . . . .

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : यह मुख्य तौर पर इस कारण नहीं है। यह मुख्य तौर पर पर्यावरण मंजूरी की समस्या के कारण है, अर्थात केन्द्रीय जल आयोग आदि की समस्या के कारण।

श्री मनमोहन सिंह : ये सभी कारण हैं। मेरे विचार में अधिक की आवश्यकता है। यदि हम कृषि के लिये और अधिक सहायता लेना चाहते हैं तो यह सम्भव नहीं है। सातवें दशक के अन्त में और आठवें दशक के शुरू में हमने 'नाबार्ड' के लिये धन लिया था। परन्तु 1990 में ऋण माफी के अनर्थकारी अनुभव के बाद ऋणों का भुगतान कठिन हो गया। आज हम 'नाबार्ड' के लिए धन नहीं जुटा सकते। हमारे किसानों को और अधिक ऋण की आवश्यकता है। हमें अधिक संसाधन चाहिएं परन्तु हम अतिरिक्त संसाधन नहीं जुटा सकते। यदि हम कृषि के लिए अधिक धन चाहते हैं, तो हमें वित्तीय अनुशासन स्वीकार करना होगा। मैं यह विश्वास नहीं करता कि हमारे देश के किसानों की यह कह कर सहायता होती है कि हमें लाभप्रद मूल्यों पर जोर नहीं देना चाहिए। मैंने पंजाब में किसानों को देखा है। जब वहां बिजली की कमी होती है, तो वे डीजल की अधिक लागत देने के लिए तैयार होते हैं। अपने देश में हम राजनीतिज्ञ अपने किसानों को गलत रास्ते पर चला रहे हैं। यह निर्भरता का रास्ता है न कि आत्म–निर्भरता का। यदि आप ऐसा करें, तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि कृषि के लिए घरेलू तथा विदेशी पूंजी मिल सकती है। धन्यवाद।

प्रो. रासा सिंह रावत : मेरे प्रश्नों के बारे में क्या रहा। आपने उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया।

श्री मनमोहन सिंह : कौन सा प्रश्न।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : देश की जनता को कर्जदारी के बारे में जागरूक और स्वाभिमान पैदा करने के लिए . . . **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : मैंने कहा है कि हम श्वेत पत्र जारी करेंगे। यह मांग की गई थी। मैंने उस मांग को मान लिया है। हम श्वेत पत्र निकालेंगे जिसमें सभी तथ्य होंगे।

डा. खुशीराम डुंगरामल जेस्वाणी : महोदय, मैं चालू विषय पर एक अथवा दो स्पष्टीकरण चाहता हूं। मेरे पास रिपोर्ट है।

सभापति महोदय : डा. जेस्वाणी, नियमों के अन्तर्गत आप केवल दो प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अनेक प्रश्न कर चुके हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब सभा कल 11.00 म.पू. पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.28 म.पू.

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार 2 जून 1995/ 12 ज्येष्ठ, 1917 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।